खण्ड-346, अंक-6
मंगलवार, 1 आश्विन, शक संवत् 1902
(23 सितम्बर, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 346 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	693–696
प्रश्नोत्तर	697–801
नियम 301 की सूचना के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	802
गोरखपुर जनपद के विधान सभा क्षेत्र धुरियापार व बेलघाट विकास खण्ड में घाघरा व कुआनों नदो की बाढ़ से भुखमरी को स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	802–803
अल्मोड़ा जनपद में बेरोजगार बेसिक शिक्षकों द्वारा भूख हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तगत सूचना ..	803
नैनी (इलाहाबाद) स्थित जी0 ई0 सी0 कारखाने में श्रमिकों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	803–804
ग्राम मलकपुर, जिला मेरठ की कुमारी कमलेश व कुमारी सतवीरी के साथ श्री सुरेश व श्री ओमवीर सिंह द्वारा बलात्कार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	804
सचिव, मुख्य मंत्री श्री भूरेलाल व खाद्य तथा रसद सचिव, श्री कमल टावरी द्वारा डुमरियागंज में पकड़ी गई अरहर का जिला–धिकारी द्वारा रिलीज किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	804–805
भूतपूर्व उपाध्यक्ष, विधान सभा, श्री होती लाल अग्रवाल के निधन पर शोकोद्गार	805–808
प्रदेश की विधान सभा के रहते अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय शासन को संभावना के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	808–810
मेसर्स जे0 के0 काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लि0, कानपुर में हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	810
1980–81 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 9––स्वायत्त शासन एवं नगर पालिका विभाग, अनुदान संख्या 42––आवास एवं नगर भूमि विभाग, अनुदान संख्या 78––स्वायत्त शासन विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 110––स्वायत्त शासन विभाग––ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 111––आवास विभाग––ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	811–863
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)..	863–864
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	865
जनपद आजमगढ़ की तहसील मोहम्मदाबाद में बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	865–870
उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण अध्यादेश, 1980 के अननुमोदन के संकल्प तथा उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक, 1980 पर होने वाले विचार के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	870–873
नामिकाएं	875–901

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 23 सितम्बर, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 319

अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्र (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह, श्री (बरेली)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुदसिया बेगम, श्रीमती, (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चंचल सिंह, श्री (रामपुर)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्रशेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)

जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जराज गौतम, श्री, (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम श्री (गाजीपुर)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह विष्ट (पियौरगढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हुसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रतापनारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, (प्रतापगढ़)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
नत्थेव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बादू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झासी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मडलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)

मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी बोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फलल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रसेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री ((सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)

राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर नाथ चौबे श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)

विजयपाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विनोद कुमार, श्री (पीलीभीत)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
बिलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वम दा , श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
बीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
बीरेन्द्र सिंह राना, कुवर (गाजियाबाद)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिवदर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नरायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
श्याम नारायण तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह (शाहजहाँपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजु प्रसाद 'सरोज' श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (राय बरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

नोट—मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्रम मन्त्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 23 सितम्बर, 1980

तारांकित-प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 35 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री तथा विद्युत् मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित 3रे मंगलवार (16-9-80) के प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जिला देवरिया के श्री सुभाष लाल श्रीवास्तव द्वारा लिखायी गयी मार-पीट की रिपोर्ट

*4--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया, थाना सलेमपुर में नदावर घाट बैरियर के पास दिनांक 12 जून, 1980 को लोक दल के कार्यकर्ता श्री सुभाष लाल श्रीवास्तव पर प्राणघातक हमला किया गया तथा उनकी घड़ी और 700 रुपया नकद छीन लिया गया यदि हां, तो किस दफा में मुकदमा कायम हुआ और मुलजिमानों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त (नियोजन एवं वित्त मंत्री)--

प्राप्त सूचना के अनुसार सुभाष लाल पुत्र विश्वनाथ लाल ने दिनांक 11-6-80 को एक रिपोर्ट अंकित कराई थी जिसमें यह बताया गया था कि विपक्षीगणों ने उसे लाठियों से मारा तथा एक घड़ी व 527 रुपया छीन लिये। मुकदमा धारा 395 भा0 द0 वि0 कायम किया गया। विवेचना के दौरान घड़ी व पैसा छीनने की बात असत्य पाई गई अतः मुकदमा धारा 147/323 भा0दं0वि0 में परिवर्तित कर दिया गया। नामजद मुलजिमानों के विरुद्ध दिनांक 20-6-80 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एफ0 आई0 आर0 में जिन गवाहों के नाम दर्ज हैं, उन्होंने क्या बयान दिए ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जो सूचना मेरे पास है, उन्हीं के आधार पर आधारित है जो विवेचना की गयी है।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस मुकदमें के दौरान मुद्दई ने 395 आई0 पी0 सी0 की धारा में कोई मुकदमा कोर्ट में दाखिल किया है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, इस प्रश्न से तो उस मकदमें की जानकारी का कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय, एफ० आई० आर० में दर्ज गवाहों के, जिनकी विवेचना में यह मुकदमा 395 भा० दंड विधान से 147/323 में परिवर्तित कर दिया गया है, बयान पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय, यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है और जो गवाह हैं, वे न्यायालय में ही बयान दे सकते हैं । अतः यहां पर उन गवाहों के बयानों को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है ।

थाना मोतीपुर, जिला बहराइच की पुलिस के विरुद्ध श्री कन्हई थारू की शिकायत

*5--श्री जटा शंकर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा जिला अधिकारी बहराइच को दिनांक 12 जून, 1980 को एवं परगना अधिकारी, नानपारा को दिनांक 13 जून, 1980 अथवा उसके आस-पास किसी दिन कोई इस आशय का शिकायती-पत्र मिला कि थाना मोतीपुर, जिला बहराइच की पुलिस ने दिनांक 3 जून, 1980 को कन्हई थारू एवं 7 जून, 1980 को अन्य थारुओं, निवासी बलई गांव के घरों में तलाशी लेकर अनावश्यक रूप से उन्हें अपमानित किया ? यदि हाँ, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी नहीं । प्राप्त सूचना के अनुसार इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने परगना मजिस्ट्रेट, नानपारा से मौखिक शिकायत की थी । जाँच से आरोपों में सत्यता नहीं पाई गई ।

श्री जटा शंकर सिंह--

माननीय, उत्तर सत्य से परे है एवं गुमराह करने वाला है । माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला बहराइच की पुलिस ने थारुओं के घरों में घुस कर तलाशी ली, उनको अपमानित किया और उन्हें गाली गलौज किया ? यदि हां, तो क्या वे किसी सक्षम एजेन्सी द्वारा इसकी जांच कराकर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

प्रश्न में यह कहा गया है कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र मिला । पत्र तो मिला नहीं, उत्तर मौखिक रूप से जो आरोप लगाये थे, उनका है । लेकिन अगर माननीय सदस्य लिखकर भेज देंगे, तो मैं उसकी जांच करा दूंगा ।

श्री जटा शंकर सिंह--

माननीय, मैंने यह कहा कि जो उत्तर दिया गया है वह सत्य से परे है, और भ्रम में डालने वाला है । यह सूचना भी सत्य नहीं है कि मेरा पत्र जिलाधिकारी या परगनाधिकारी को प्राप्त ही नहीं हुआ है । उसी के आधार पर वहां के सब-इन्सपेक्टर और कान्सटेबिलों का स्थानान्तरण किया गया है । ऐसा लगता है कि इसकी जांच गम्भीरता से नहीं करायी गयी है । मेरी जानकारी को सत्य मानकर क्या माननीय मंत्री जी इस पर किसी सक्षम एजेन्सी से पुनः जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय सदस्य स्पष्ट कर दें कि वे किस प्रकार की कार्यवाही चाहते हैं, घटना के सम्बन्ध में या पत्र न मिलने के बारे में ।

श्री जटा शंकर सिंह--

उन थारुओं को आतंकित किया गया, उनके घर में घुस कर तलाशी ली गयी, औरतों को गालियां दी गयीं, अपमानित किया गया, यह जनजाति के लोग हैं और बहुत ही सीधे तथा भोलेभाले हैं, तो उनको जो परेशान किया गया इसकी जांच मंत्री जी क्या करवायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जांच तो जो मौलिक शिकायत की गयी थी उस पर हो चुकी है ।

श्री राज मंगल पांडेय--

क्या मन्त्री जी माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसकी गम्भीरता को देखते हुये उस पर गम्भीरता से विचार कर उसकी जांच अन्य किसी एजेन्सी द्वारा करायेंगे जिससे कि माननीय सदस्य संतुष्ट हो जायें ?

श्री ब्रह्मदत्त --

अगर यह गम्भीर बात होती तो वे लोग स्वयं कोई शिकायत करते, उन लोगों ने तो कोई शिकायत की नहीं है । लिखित कोई घटना हमारी नोटिस में लायी जायेगी, तो जांच करायेंगे । लेकिन जिनके साथ जुल्म होना बताया गया है उनकी कोई शिकायत नहीं है । (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो पत्र दिये हैं और थारुओं की जो शिकायत है, वे माननीय सदस्य हमें भिजवा दें, हम उसे दिखवा लेंगे ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

आतंकित होने के नाते वे पीड़ित लोग कोई शिकायत नहीं कर पाते माननीय सदस्य ने एक जानकारी दी है तो क्या मंत्री जी उसी जानकारी के आधार पर जांच करायेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त --

कार्यवाही तो हमने करायी है और पुलिस अधीक्षक की हमारे पास रिपोर्ट है । फिर भी आप उसको असंतोषजनक समझते हैं तो वह कागजात हमारे पास माननीय सदस्य भेज दें हम उसे फिर दिखवा लेंगे ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम हारोपुर के श्री भगेलू हरिजन के यहां पड़ी डकैती

*8--श्री लालसा--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला आजमगढ़ थाना कन्धरापुर के अन्तर्गत ग्राम हारोपुर में श्री भगेलू हरिजन प्रधान के घर पर दिनांक 8/9-2-80 की रात में डकैती पड़ी थी, जिसमें थाने में नामजद रिपोर्ट मुकदमा धारा 395/397 दर्ज कराने के बावजूद भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गयी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त —

प्रथम सूचना रिपोर्ट में 5 व्यक्ति नामजद थे । विवेचना से एक अभियुक्त को नामजदगी सही पायी गयी जिसे गिरफ्तार किया गया व चार्जशीट प्रेषित की गयी । इनके अतिरिक्त विवेचना से प्रकाश में आये 10 अभियुक्तों में से 8 को गिरफ्तार किया गया तथा दो ने न्यायालय में आत्मसपर्ण किया । विवरण संलग्न हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 875 पर)

श्री लालसा—

क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि किन-किन अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट थी और कितने पकड़े गये थे, उनके नाम क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त —

5 अभियुक्तों के बारे में सूचना में नामजद रिपोर्ट जो, गिरफ्तारी 10 की हुई जिनके नाम हैं—छोटक, चन्द्रभान, लालसा, अरशद, अवधश राय, पारस, चन्द्रभूषण, हीरा, हृदयनारायण और गिरीश यादव ।

श्री उपाध्यक्ष —

यह लालसा से मतलब क्या माननीय सदस्य हैं ?

(हंसी)

श्री लालसा—

यह गिरफ्तार कब किए गये ?

श्री ब्रह्मदत्त —

13 मार्च को गिरफ्तार किये गये ।

श्री लालसा—

इन अभियुक्तों के पास कौन-कौन सा माल बरामद हुआ, कौन से हथियार बरामद हुये ?

श्री ब्रह्मदत्त —

यह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

माननीय मन्त्री जी ने जो कहा कि 5 अभियुक्तों के खिलाफ जो रपट लिखाई गयी, उसमें से एक को ही सही पाया । जो एफ० आई० आर० में गवाह दर्ज थे, क्या उसने एक ही आदमी को सही किया और बाकी को सही नहीं किया ? वह किस आधार पर एक आदमी को सही किया गया ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, उन्हीं गवाहान के बयानात आधार पर सही किया ।

फर्रुखाबाद शहर में बिजली की कटौती

*9--श्री विमल प्रसाद तिवारी (अनुपस्थित)--

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद शहर में आज-कल बिजली की निर्धारित कटौती के अतिरिक्त प्रति दिन कई-कई घंटे बिजली गायब रहती है जिसके फलस्वरूप नागरिक, व्यापारी एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान कठिनाई का सामना कर रहे हैं ? यदि हां, तो शासन इस स्थिति में सुधार के लिये क्या कड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

अचानक विद्युत् की उपलब्धता में कमी को पूरा करने के लिए तथा प्रणाली की स्थिरता बनाये रखने के लिये विद्युत् आपूर्ति में निर्धारित कटौती के अतिरिक्त कभी-कभी थोड़ी देर के लिये आपातकालीन कटौती भी करनी पड़ती है ।

अच्छी वर्षा एवं विद्युत् उत्पादन में वृद्धि से अब स्थिति में अपेक्षित सुधार हो गया है और फर्रुखाबाद शहर को यथा सम्भव निर्धारित विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

लोक सभा के चुनाव के अवसर पर श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री जगजीवन राम एवं चौधरी चरण सिंह आदि की सुरक्षा व्यवस्था

*10--श्री मोहन सिंह (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि लोक सभा के जनवरी, 1980 के चुनाव अभियान के दौरान प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी एवं भूतपूर्व उप प्रधान मन्त्री श्री जगजीवन राम को महत्वपूर्ण व्यक्ति मानकर सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था करने के आदेश सरकार द्वारा दिए गए थे ? क्या यह सही है कि गत मई, 1980 के विधान सभा चुनावों में भू0 पू0 प्रधान मन्त्री श्री चरण सिंह एवं श्री जगजीवन राम व श्री संजय गांधी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए ऐसे आदेश नहीं निर्गत किए गए ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

मुख्य मंत्री(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

लोक सभा के जनवरी, 1980 के चुनाव अभियान के दौरान भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी एवं उप प्रधान मंत्री श्री जगजीवन राम को महत्वपूर्ण व्यक्ति मानकर सरकार के निर्देशानुसार सुरक्षा व्यवस्था की गयी थी । प्रश्न में उल्लिखित महानुभावों को भी विधान सभा चुनाव के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के निदेश थे । साथ ही शासन द्वारा यह आदेश दिये गये थे कि चुनाव के दौरान किसी भी दल के नेता असुरक्षित न रहें ।

श्री राजीव नारायन श्रीवास्तव, उपाधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ के कार की चोरी

*12--श्री प्रदीप कुमार यादव (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि 16 जून, 1980 को थाना हसनगंज, लखनऊ में इस आशय की एक रिपोर्ट दर्ज की गयी कि सतर्कता अधिष्ठान के उप पुलिस अधीक्षक की अम्बेसडर कार चोरी चली गयी ? यदि हां, तो घटना के विवरण क्या हैं और चोरी गयी मोटर क्या पुलिस बरामद कर सकी ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16-6-80 को श्री राजीव नारायन श्रीवास्तव पुलिस उपाधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ द्वारा थाना हसनगंज पर इस आशय की सूचना अंकित कराई गई कि दिनांक 15/16-6-80 को रात्रि में उनके निवास स्थान सी--44 निराला नगर, लखनऊ से सतर्कता अधिष्ठान की एक नई अम्बेस्डर कार नं0 डब्लू0 जी0 के0 9518 चोरी चली गयी । उपरोक्त सूचना के आधार पर धारा 379 भा0 दं0 वि0 का अपराध पंजीकृत किया गया । अब तक की विवेचना से चोरी गई कार व अभियुक्त का कोई पता नहीं चल सका है । विवेचना प्रचलित है ।

राजनैतिक पेशनरों को बन्द की गयी पेंशन

*14--श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता शासन काल में जिन राजनैतिक पेशनरों की पेंशनों को विभिन्न कारणों पर बन्द कर दिया गया था, उन्हें पुनः पेंशन दिलाने हेतु आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

गलत आधार पर पेंशन प्राप्त करने, अनैतिक अपराध तथा अराष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेने, राजनैतिक सजाओं को छोड़कर किसी जुर्म में दण्डित होने अथवा गलत सहबन्दी प्रमाण-पत्र देने के आधार पर राज्य स्वतंत्रता संग्राम पेंशन बन्द की जा सकती है । इस संबंध में प्रत्येक मामले में शासन द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है । अतः अपात्रता सिद्ध होने पर स्थायी रूप से बन्द की गयी पेंशन पुनः दिलाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

रामपुर नगर के सिविल लाइन क्षेत्र में हटाया गया दुकानदारों का अवैध कब्जा

*15--श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि 23-3-80 को दोपहर को अवैध रूप से दूकानों के बाहर कुर्सियां डाल लेने अथवा सामान रख लेने के जुर्म में बिना किसी पूर्व नोटिस के रामपुर शहर के सिविल लाइन एरिया में दुकानों के सामान को सिटी मजिस्ट्रेट, श्री दुग्गल की मौजूदगी में तोड़ा गया ? तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा दूकानदारों को दुकानों से घसीट कर मारा-पीटा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 23-6-1980 को सायंकाल 3 बजे रामपुर शहर के सिविल लाइन एरिया में अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही नियमानुसार की गई थी । उक्त कार्यवाही में न तो किसी का सामान तोड़ा गया और न ही किसी दुकानदार को मारा पीटा गया ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इल्लीगल पजेशन जो म्युनिसिपल बोर्ड के अहाते में था, उसे हटाने का अख्तियार म्युनिसिपल बोर्ड को होगा या सिटी मजिस्ट्रेट को कानूनन होगा या आफिसर इंचार्ज म्युनिसिपल बोर्ड को होगा ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मंत्री को तो कानून की जानकारी होती नहीं है । इसको आप कानूनी सलाह लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कानूनी सलाह आप ल ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, बगैर नोटिस दिये कोई चीज नहीं तोड़ी जा सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सीधे प्रश्न कीजिए ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, जिसको अख्तियार नहीं है, वह जाकर दूकानों को तोड़ रहे हैं और दूकानदारों को मार रहे हैं । जिन दूकानदारों को मारा गया है, उसे मारने का अख्तियार सिटी मजिस्ट्रेट को होगा या म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारी को होगा ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, किसी दूकानदार को न तो मारा गया और न किसी का सामान तोड़ा गया । और जो कार्यवाही है, म्युनिसिपल बोर्ड की धारा 265 के अनुसार की गयी । इसमें उच्च अधिकारी शामिल थे कार्यवाही करने में, तो यह प्रश्न नहीं उठता ।

(श्री फखरे आलम का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरी कंस्टीट्यूंसी का है, मुझे कई प्रश्न करना है...।

श्री उपाध्यक्ष--

कायदा यह है कि प्रश्नकर्ता को दो अनुपूरक प्रश्न करने का हक होता है ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि म्युनिसिपैलीटीज ऐक्ट की धारा 265 के अनुसार ऐसा किया गया । जहां तक मैं 265 की दफा को समझ सका हूं, मुझे देखने का इतफाक हुआ है, 265 में जो अधिकारी म्युनिसिपैलीटीज के हैं उनको इस बात का अख्तियार है कि वह इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस को हटायें, मगर उसके लिए 211 की नोटिस देना आवश्यक है । क्या इसमें 211 की कार्यवाही हुई थी और बगैर उसके 218 की कार्यवाही हो गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

265 के अन्तर्गत जो कार्यवाही की जाती है, उसके अन्तर्गत कोई पूर्व नोटिस की आवश्यकता नहीं है । लाउड स्पीकर द्वारा प्रचार किया गया, यातायात समिति की बैठक बुलाई गयी, उसमें प्रस्ताव पास किया गया कि अवैध कब्जा हटा दिया जाय और यह कार्यवाही उसी के तहत की गई है ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है । अगर कोई अनअथराइज कनस्ट्रक्शन या अनअथराइज कब्जा कहीं हो गया है, तो 211 म्युनिसिपलिटी ऐक्ट के तहत उनको यह अधिकार नहीं है कि जबरदस्ती या तोड़-फोड़ करें और लूट-पाट मचायें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, आप प्रश्न करें आप तो कानूनी मसला उठा रहे हैं ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना को सही मानकर कि जिन अधिकारियों ने दुकानदारों को मारा-पीटा और आतंकित किया तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करवाकर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

सूचना माननीय सदस्य की इतनी अस्पष्ट है कि उसमें यह कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन गलत है और कौन सही है । यदि माननीय सदस्य पूरी सूचना दे दें, तो कार्यवाही अवश्य की जायेगी ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी किस प्रकार की सही सूचना चाहते हैं, अगर वह चाहें, तो जिन दुकानदारों को मारा-पीटा गया है, उन दुकानदारों का हल्फनामा दिलवा दिया जाये ? तो क्या आप उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करवाकर कार्यवाही करायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

अवश्य कार्यवाही कराई जायेगी लेकिन ऐसी कोई लिखित सूचना प्राप्त हो, जिसमें पूरे तथ्य हों ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

उपाध्यक्ष महोदय, सदन की यह परम्परा रही है कि जब कोई माननीय सदस्य सूचना दें, उसको सही मानकर जांच कराई जाती रही है, उसी परम्परा के आधार पर क्या माननीय मन्त्री जी इस मामले की भी जांच करवा कर कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपने शायद सुना नहीं मन्त्री जी का कहना है कि किसको मारा गया, कब मारा गया और किसके द्वारा मारा गया । यह सारी सूचना स्पष्ट रूप में मिल जाने पर कार्यवाही करायेंगे ।

बांदा जिले के ग्राम सुखनन्दनपुर के श्री राम प्रसाद चमार की हत्या

*16--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में करवी थाना के अन्तर्गत सुखनन्दनपुर गांव में श्री राम प्रसाद चमार (हरिजन) की हत्या विधान सभा चुनावों के तुरन्त बाद कर दी गई ? क्या यह भी सही है कि अभी तक नामजद मुलजिमों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे इलाके के हरिजनों में व्यापक असन्तोष एवं आतंक व्याप्त है ? मृतक के परिवार वालों की सुरक्षा और सहायता के लिए शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार बांदा जिले में करवी थाना के अन्तर्गत ग्राम सुखनन्दनपुर में श्री राम प्रसाद चमार की हत्या 14 जून, 1980 की रात्रि में साढ़े ग्यारह बजे हुई । नामजद अभियुक्त हर नारायण को पुलिस द्वारा 16 जून, 1980 को गिरफ्तार किया गया और उसके विरुद्ध धारा 302, भा0दं0वि0 के अन्तर्गत 4 जुलाई, 1980 को आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया । प्राप्त सूचना के अनुसार इलाके के हरिजनों में कोई असंतोष व भय व्याप्त नहीं है । सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम सुखनन्दनपुर में पुलिस गश्त निरन्तर भेजी जा रही है । मृतकों के परिवारों को 5,000 रु का आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के आदेश दिए गए हैं ।

श्री ऊदल--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, इसमें जो लिखा है कि कोई भय व्याप्त नहीं है । क्या मेरी सूचना को सही मानकर इस बात की जानकारी करायेंगे कि मृतक श्री राम प्रसाद चमार के बूढ़े पिता और उसकी विधवा मारे आतंक के इस वक्त भी दूसरे गांव में हैं, तो क्या उन लोगों की उस गांव से लायेंगे और मामले की जांच कराकर कार्यवाही कराने तथा उनकी सुरक्षा व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर, मेरे द्वारा अभी दिए गए उत्तर में है ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, शासन के इस प्रकार के आदेश हैं कि यदि कोई हरिजन की हत्या हो जाये और उसके परिवार में जो उसकी विधवा की रक्षा कर सके, उसे सरकारी नौकरी दी जाये, तो माननीय मन्त्री जी उस मृतक के परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

अवश्य, माननीय सदस्य के सुझाव को मानेंगे, हमको अवसर तो मिले ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि उस विधवा ने एक प्रार्थना-पत्र डी० एम० को दे रखा है, जैसा भीखा लाल जी ने प्रश्न किया, इस बात की जांच करायेंगे और उसको एजूकेशन या अन्य की परिधि में जहां आती हो, नौकरी देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा कि मैं माननीय सदस्य के उत्तर में पूरी तरह आत्मसमर्पित हूं ।

ग्राम अरकणी पट्टी रावतस्यू, जिला पौड़ी गढ़वाल के श्री वीरेन्द्र सिंह रावत के यहां पड़ी डकैती

*17--श्री विद्यासागर नौटियाल (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम अरकणी पट्टी रावतस्यू, पोस्ट आफिस रामपुर, जिला पौड़ी गढ़वाल में दिनांक 8 मई, 1980 को कोई सनसनीखेज डकैती पड़ी जिसके सम्बन्ध में थाना श्रीनगर (गढ़वाल) में एफ० आई० आर० दर्ज कराई गई ? क्या यह भी सही है कि इस डकैती के फलस्वरूप आस-पास के अन्य गांवों में भी भयानक आतंक छाया हुआ है ? यदि हां, तो अब तक पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी सी० आई० डी० द्वारा जांच कराएगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 12 मई, 1980 को श्री वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार उनके घर में दिनांक 8/9 मई, 1980 की रात्रि को मध्य चोरी की घटना हुई । रिपोर्ट में डकैती का कोई उल्लेख नहीं है । इस घटना से आस-पास के गांवों में भयानक आंतक होने की कोई सूचना नहीं है । विवेचना से घटना के अभियुक्त का पता नहीं चल सका, और मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई है । मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग से कराने की कोई आवश्यकता, प्रतीत नहीं होती ।

बाराबंकी जिले के ग्राम खेवली मजरे भवनियापुर के श्री लल्ला राम की हत्या

*20--श्री जमुना प्रसाद तथा श्री राम सागर (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में थाना रामसनेही घाट के ग्राम खेवली मजरे भवनियापुर में दिनांक 11 नवम्बर, 1979 को लल्ला राम नामक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी गई जिसके छोटे भाई सत्यनाम ने उक्त थाने में धारा 302 के अन्तर्गत रपट लिखाया है ? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां ।

विवेचना से अभियोग प्रमाणित नहीं हुआ और दिनांक 11 जनवरी, 1980 को अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

[दिनांक 23 सितम्बर, 1980 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उद्योगों में स्टैंडर्डाइजेशन (मानकीकरण) व क्वालिटी निर्माण को अनिवार्य करने पर विचार

*1--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उद्योगों में स्टैंडर्डाइजेशन (मानकीकरण) व क्वालिटी निर्माण को अनिवार्य रूप से लागू करने की बात सरकार सोच रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मन्त्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)--

उद्योगों में स्टैन्डर्डाइजेशन (मानकीकरण) व क्वालिटी निर्माण को अनिवार्य रूप से लागू करने की बात शासन के विचाराधीन नहीं है।

ऐच्छिक रूप से कुछ उद्योग गुण चिन्हांकन योजना में शामिल हैं।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस बात को देखते हुये कि स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी निर्माण से उद्योगों की इफीसियेन्सी बढ़े और क्रेयता का विश्वास बढ़ेगा, वह समिति बठायेंगे जो इस बात पर विचार करें कि इसको अनिवार्य रूप से लागू किया जाय ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मान्यवर, अभी हमारे यहां उद्योगों को बढ़ाने के लिए बहुत सी कार्यवाही की जा रही है और उनके स्टैंडर्ड को बढ़ावा देने के लिये इस योजना को लागू किया गया लेकिन अनिवार्य रूप से लागू कर देने से हमारे जो कुटीर उद्योग या लघु उद्योग हैं, थोड़ा परेशानी के शिकार हो जायेंगे और उससे हमारे प्रदेश में कठिनाई खड़ी हो सकती है, इसलिए अनिवार्य रूप से लागू नहीं है, लेकिन जो लोग क्वालिटी निर्माण व मानकीकरण में शामिल होना चाहते हैं वह हो सकते हैं।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जैसा मन्त्री जी ने बताया कि लघु उद्योग और कुटीर उद्योग पर असर पड़ेगा, जैसे साइकिल का स्टैन्डर्ड है उसी के अनुसार हर साइकिल बनाने वाला साइकिल को बनाता है और उसकी इफीसियेन्सी को ध्यान में रखता है, तो क्या मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी बैठायेंगे, जो अनिवार्य रूप से स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण लागू करने पर विचार करे ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मान्यवर, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है कोई कमेटी बैठाने में, किन्तु जो कमेटी बैठाई जाय वह इस बात को देख ले कि इससे कोई हानि छोटे उद्योगों को न हो। इस योजना को लागू करने के लिए कमेटी में विचार किया जा सकता है।

*2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[5 वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या-11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

उर्दू को सरकारी भाषा का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में उर्दू तरक्की मोर्चा का पत्र

*3--श्री हरिवंश सहाय तथा श्री अकबाल हुसन--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 11 जून, 1980 को उर्दू तरक्की मोर्चा, उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि मन्डल मुख्य मन्त्री से मिला और उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा देने की माँग का पत्रक दिया ? यदि हां, तो वह पत्रक क्या है तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां। इस पत्रक में उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा दिये जाने की मांग की गयी है । प्रदेश सरकार उर्दू के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति के अनुरूप उर्दू को महत्वपूर्ण स्थान दिए जाने के सम्बन्ध म सभी सम्भव प्रयास कर रही है किन्तु उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा देना सम्भव नहीं है ।

श्री हरिवंश सहाय--

मान्यवर, उर्दू के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति के सम्बन्ध में मंत्री जी बतायेंगे कि भारत सरकार की नीति क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, उर्दू के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य भारत सरकार से पूछ लें तो अच्छा है ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री का ध्यान 22 अप्रैल, को पार्लियामेंट के अन्दर जो ज्ञानी जैल सिंह ने बयान दिया था, उसको तरफ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार और आन्ध्र के 6 जिलों में उर्दू दूसरी जबान बना दी गई है और यू0 पी0 में दूसरी जुबान बनाना जेरे गौर है ? इस आधार पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

किसी दूसरे सदन में क्या हुआ है, इसको संज्ञान में लाने में मैं असमर्थ हूं ।

श्री रियासत हुसैन--

पार्लियामेन्ट में कहा गया है ।

श्री ब्रह्मदत्त--

जो निर्देश हमें प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मन्त्री जी बता दें कि क्या निर्देश प्राप्त हुए हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि यू0 पी0 में उर्दू को दूसरी जुबान बनाना जेरे गौर है ।

श्री ब्रह्मदत्त—

जो निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं इसमें यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के भाषाओं को मान्यता देने के लिए कुछ मानदन्ड तैयार किये गये हैं, इनके अनुसरण में यदि किसी राज्य के लगभग 70 प्रतिशत या इससे अधिक लोग एक भाषा बोलते हैं, तो वह राज्य एक भाषायी राज्य माना जायेगा और यदि उस राज्य में अल्पसंख्यकों की काफी तादाद है अर्थात् उनकी संख्या राज्य की जनसंख्या का 30 प्रतिशत या उससे अधिक है, तो ऐसा राज्य द्विभाषी राज्य माना जायेगा। जिला स्तर पर यदि वहां के 60 प्रतिशत लोग उस राज्य की सरकार भाषा से भिन्न कोई और भाषा बोलते हैं या प्रयोग करते हैं तो उस जिले में राज्य की सरकारी भाषा के अलावा अल्पसंख्यक वर्ग की उस भाषा को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दी जायेगी। यह मान्यवर, अभी हमारे यहां लागू नहीं है।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

यह जानते हुए कि एजूकेशन समवर्ती सूची में है तो भारत सरकार के निर्देश के बिना इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

उर्दू को महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जैसा कि उत्तर से स्पष्ट है, भारत सरकार के निर्देश हैं कि उर्दू को महत्वपूर्ण स्थान दिया जायेगा, तो क्या मन्त्री जी स्पष्ट करेंगे कि राज्य सरकार की यह नीति है कि हिन्दी ही राज्य भाषा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मिश्रा जी, अपने प्रश्न के आखिरी अंश को स्पष्ट कर दें।

श्री काशी नाथ मिश्र—

केन्द्र सरकार की स्पष्ट नीति है कि उर्दू को महत्वपूर्ण स्थान दिया जायेगा और जहांतक राजभाषा का सवाल है, तो मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राज भाषा हिन्दी ही है ? इस नीति को स्पष्ट करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने तो स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है, मेरी आवश्यकता ही नहीं है।

श्री राज मंगल पान्डेय—

बार-बार महत्वपूर्ण स्थान देने की बात कही जा रही है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह साफ कहें कि उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा देना माना है या नहीं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

यह मेरे उत्तर में स्पष्ट है।

श्री राजमंगल पान्डेय--

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री में नैतिक साहस नहीं है कि साफ-साफ नहीं कह सकते कि उर्दू को दूसरी भाषा नहीं मानते, तो मेरी समझ में वहां उनका बैठना उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

(दो सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री उपाध्यक्ष--

एक साथ दो सदस्य न बोलें ।

श्री ब्रह्म दत्त--

वह मेरे उत्तर में निहित है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आपका उत्तर सुनायी नहीं पड़ा ।

(व्यवधान)

राजमंगल जी ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर सुनाई नहीं पड़ा, फिर से उत्तर दे दें ।

श्री ब्रह्मदत्त--

यह कहा कि यह उत्तर में स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार उर्दू के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति के अनुरूप उसको महत्वपूर्ण स्थान दिये जाने के सम्बन्ध में सभी संभव प्रयास कर रही है ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

शान्ति से सुन लें ।

श्री ब्रह्म दत्त--

किन्तु उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा देना सम्भव नहीं है । एक सवाल स्पष्ट है । दूसरे उन्होंने साहस की बात कही । हमें हर प्रकार का साहस है, नैतिक साहस भी ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या माननीय मंत्री महोदय यह जानते हुए कि पिछले दिनों एलेक्शन में कांग्रेस (आई) ने अपने मेनीफेस्टो में उर्दू को दूसरी जुबान बनाये जाने का अहद लिया था...

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग खामोश रहें । उनको प्रश्न करने दें ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

अगर यह आवाज सब मंत्री हजरात की हैं तो मैं बैठ जाता हूं । मेनीफेस्टो में ऐसा था, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या आप बतायेंगे कि महत्वपूण स्थान से आपका क्या मतलब है ? इसकी वजाहत करेंगे ? महत्वपूर्ण स्थान को मद्देनजर रखते हुए क्या-क्या सहूलियतें दी जायेंगी ? उर्दू को दूसरी जुबान में लिया गया है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

उत्तर पढ़ देने के बाद पूरी सुविधायें सामने आ गयी हैं । दूसरी बातों के बारे में नीति अस्पष्ट है ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां--

हमने पूछा कि महत्वपूर्ण स्थान से मतलब क्या है ?

(शोर)

हम केवल प्रश्नों के माध्यम से जानकारी पाते हैं ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

इस प्रश्न पर कितने अनुपूरक प्रश्न होंगे ?

श्री मुहम्मद आजम खां--

प्रश्न का जबाब ही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराजिये ।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा डायमन्ड डेरी योजना, लखनऊ के आवास गृहों का क्रय

*4--श्री श्याम नारायन तिवारी तथा श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि मध्यम आय वर्गीय ग्रुप के कुल कितने आवास शासन द्वारा डायमण्ड डेरी हाउसिंग स्कीम में क्रय किए गए हैं ? क्या यह सही है कि उक्त क्रय किए गए आवासों के सम्बन्ध में शासन द्वारा आवास विकास परिषद् को उक्त आवासों में, क्रय मूल्य का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिए जाने के उपरान्त भी आवासों की स्वीकृत डिजाइन के अनुसार निर्माण कार्य आवास विकास परिषद् द्वारा पूरा नहीं कराया गया ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए उत्तरदायी कौन है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की लखनऊ स्थित डायमन्ड डेरी योजना में मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत क्रमशः 12 तथा 28 अर्थात् कुल 40 आवास क्रय किये गये हैं। पहले 12 आवासों का भुगतान किया जा चुका है। दूसरे 28 आवास विकास परिषद् की माल ऐवेन्यू स्थित योजना के 64 आवासों में से 24 के बदले में दिये गय हैं। इन 28 आवासों के मूल्य का अभी समायोजन नहीं हुआ है।

उपरोक्त आवासों का निर्माण आवास विकास परिषद् द्वारा स्वीकृत डिजाइन नक्शे एवं स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार कराया गया है। विभिन्नता न होने के कारण किसी के उत्तरदायी होने का प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस के पुनर्गठन की योजना

*5--श्री मित्रसेन--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश को शान्ति व्यवस्था पर काबू पाने हेतु प्रदेश पुलिस प्रशासन में कोई बुनियादी परिवर्तन या पुनर्गठन पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसका कार्यान्वयन कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है परन्तु पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये पुनर्गठन की कतिपय योजनायें स्वीकृत की गयी हैं जिनका विवरण संलग्न† है। योजनायें चरणबद्ध रूप से वर्ष 1979-80 से कार्यान्वित की जा रही हैं।

†देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 876 पर।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश की शान्ति व्यवस्था पर काबू पाने हेतु पुलिस प्रशासन में कोई बुनियादी परिवर्तन किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा कि इस योजना में विचार नहीं किया जा रहा है, कतिपय योजनायें लागू की गई हैं। उसमें सिर्फ पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ाई गयी है। कोई नई नीति नहीं अपनाई गयी है तो क्या माननीय मंत्री जी से मैं जान सकूंगा कि पुलिस में जो संख्या बढ़ायी गयी है, उससे प्रदेश में शांति व्यवस्था स्थापित हो जायगी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था कि क्या कोई बुनियादी परिवर्तन या पुनर्गठन पर सरकार विचार कर रही है। मैंने उत्तर दिया कि ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है, परन्तु पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये पुनर्गठन की कतिपय योजनायें स्वीकृत की गयी हैं। इसमें इनका विवरण भी संलग्न है, लंबा चौड़ा विवरण दिया गया है।

श्री भीखा लाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को इस प्रकार का आदेश मिला है कि पी० ए० सी० का पुनर्गठन किया जाय और उसमें मुसलमानों, हरिजनों को ज्यादा स्थान दिया जाय ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या किया जा रहा है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जो हमें निर्देश प्राप्त हुये हैं, उनको बताना अभी जनहित में में नहीं समझता।

श्री फखरे आलम--

माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पी०ए०सी० ने मुरादाबाद, अलीगढ़ में जो किया उसको देखते हुये पी० ए० सी० को खत्म कर देंगे ? मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है, साफ-साफ बतायें कि आप पी०ए०सी० को रखेंगे या पी०ए०सी० को खत्म करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछिये और प्रश्न के रूप में पूछिये।

श्री फखरे आलम--

पी०ए०सी० जो उत्तर प्रदेश में है उसमें मुसलमानों का कोई रिप्रजेन्टेशन होगा या नहीं ? पी०ए०सी० में लगभग 3 लाख जवान और अफसर हैं इसमें केवल 300 ही मुसलमान हैं ? तो पी०ए०सी० में इनका कोई रिप्रेजेंटेन्शन करेंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप सुझाव दे रहे हैं, प्रश्न कीजिए।

श्री फखरे आलम--

मेरा सवाल बड़ा साफ है। पी० ए० सी० जिसकी गिनती लगभग 3 लाख है, उसमें मुसलमान केवल 300 हैं। क्या आप मुसलमानों की गिनती पी० ए० सी० में बढ़ाने का इरादा रखते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी अनुमति नहीं है।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कहें।

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, इस संविधान में सबके कुछ अधिकार हैं और इस सदन में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं पूछा जा सकता जो संविधान की मर्यादा या उसके

[श्री राज मंगल पांडेय--]

डाइरेक्टिव प्रिंसिपल के खिलाफ हो । मान्यवर, अगर आप किसी प्रश्न को सदन में पूछने की इजाजत दे देते हैं, तो आपका नैतिक उत्तरदायित्व होता है कि यह प्रश्न पूछे जाने के लायक है या नहीं है । इस सम्बन्ध में व्यवस्था चाहता हूं कि पी० ए० सी० में मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देने या न देने का प्रश्न नहीं है केवल प्रश्न यह है कि इससे बहुत से प्रश्न उठेंगे और फिर आपके सामने भी विवादास्पद स्थिति पैदा हो जायेगी । मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि जो प्रश्न संविधान के उन नियमों या डाइरेक्टिव प्रिंसिपल के खिलाफ हो क्या उसको आप इस सदन में पूछे जाने के लिये इजाजत देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपने इसको व्यवस्था के रूप में पूछ लिया है, इसलिये मैं दोबारा कह रहा हूं कि मैंने इसकी इजाजत नहीं दी । ऐसे प्रश्न जो इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है मैं उनको पूछने की इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री राज मंगल पांडेय--

मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह देखते हुये कि पुलिस और उसकी स्थिति में जो ला ऐण्ड आर्डर को मेन्टेन करने की मशीनरी है, वह वही है जो अंग्रेजों के जमाने में हिन्दुस्तान की हुकूमत करने के लिये बनायी थी । आजादी के बाद जब प्रजातन्त्र हो गया, तो यह मशीनरी अनफिट हो गयी, तो मौजूदा प्रजातन्त्र को देखते हुये इसमें बुनियादी परिवर्तन करने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, इसके बारे में कह चुका हूं कि पुलिस की कार्य-क्षमता को बढ़ाने के लिये समय-बद्ध योजना चलायी जा रही है । यह प्रश्नोत्तर के साथ संलग्न है ।

श्री दल गंजन सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नोत्तरकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता । जब कोई व्यवधान की बात पैदा हो जाय, या कोई उस तरह की बात हो, तो प्रश्नोत्तरकाल में व्यवस्था का प्रश्न उठता है । अन्यथा अगर आप इस अवधि में ऐसा करते हैं, तो दूसरों के प्रश्न करने के अधिकार को छीनते हैं ।

फर्रुखाबाद जिले के प्राइमरी कन्या पाठशाला एवं कन्या जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों के रिक्त पद

*6--श्री विमल प्रसाद तिवारी (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में बेसिक प्राइमरी कन्या पाठशालाओं में 40 प्रधान अध्यापिकाओं के तथा जूनियर हाई स्कूल कन्या पाठशालओं में 60 सहायक अध्यापिकाओं के स्थान गत एक वर्ष से रिक्त पड़ हैं जिसके फलस्वरूप शिक्षण कार्य तो अस्त-व्यस्त हो रहा है तथा कई जूनियर कन्या हाई स्कूल बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो इस शिथिलता के लिए कौन अधिकारी दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

जनपद फर्रुखाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी कन्या पाठशालाओं म 27 प्रधानाध्यापकों के तथा कन्या जूनियर हाई स्कूलों में 50 सहायक अध्यापिकाओं के स्थान गत एक वर्ष से रिक्त हैं । स्थानीय व्यवस्था करके शिक्षण कार्य को अस्त-व्यस्त नहीं होने दिया गया और न ही कोई कन्या जूनियर हाई स्कूल बन्द है । उक्त पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जानी थीं और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने का दायित्व अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) तथा बालिका विद्यालय उप-निरीक्षिका का था, जिनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

सुल्तानपुर जिले में बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों की सेवा समाप्ति

*7--श्री जैराज गौतम--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जनपद के बेसिक स्कूलों में नव नियुक्त शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि जनपद के बेसिक स्कूलों में अभी स्थान पर्याप्त संख्या में रिक्त हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

जी हां ।

नियुक्तियां अनियमित थीं ।

जी हां ।

श्री जैराज गौतम--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर के यहां जो 316 नियुक्तियां हुयी थीं, क्या वे सारी की सारी अनियमित थीं ? यदि नहीं, तो जो नियुक्तियां नियमित थीं, उनको निकालने की क्या जरूरत थी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, ये सारी नियुक्तियां अनियमित थीं क्योंकि जब स्थान रिक्त होते हैं, तो जैसा कि माननीय विधायक स्वयं जानते होंगे, उन स्थानों का बाकायदा ऐडवरटाइजमेंट होता है, चयन समिति बैठती है, और तब सेलेक्शन होता है। ऐसी कोई प्रक्रिया इस मामले में नहीं अपनायी गयी, इसलिये जितनी नियुक्तियां हुयी थीं, वे सारी अनियमित थीं।

श्री मुईद अहमद--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री जी को सूचना देना चाहूंगा कि यदि हमारी सूचना को सही मानते हैं, तो क्या जनपद सुलतानपुर के शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी से मैंने सम्पर्क किया, तो उन्होंने बतलाया कि 316 में से केवल 70 या 80 अध्यापकों की नियुक्तियां गलत थीं, बाकी सही थीं, तो अगर ये नियुक्तियां सही हैं तो क्या पुनः उनको नियुक्ति पत्र देकर काम में लगायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, हमने ऐसा निश्चय किया है कि ये नियुक्तियां जिस तरह से होनी चाहिये थीं, उस तरह से न हो कर गलत ढंग से हुयीं, और इसलिये ये अनियमित थीं। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, जब चयन होगा, तो जो भी नियुक्तियां की गयीं थीं, उनमें अगर योग्यता है और मानक में आते हैं, तो अवश्य उनकी नियुक्ति प्रापर तरीके से दी जायेगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया कि 316 नियुक्तियां की गयी थीं, तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगी कि यह जो अनियमित नियुक्तियां करने वाला अधिकारी है, उसके खिलाफ कौनसी कार्यवाही करने जा रही हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उसको सस्पेंड कर दिया गया है।

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो नियुक्तियां हुई थीं, उनको नये सिरे से अब नियुक्त कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यदि वह मानक में आते हैं और क्वालीफाइड हैं, तो उनके साथ अवश्य न्याय किया जायेगा और उनको नियुक्त किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नई नियुक्तियां हुई हैं वह आज से कितने साल पूर्व की गयी हैं और कितने सोपानों में की गयी हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जो पिछले तीन सालों में काम हुये हैं उल्टे-सीधे, उनको सीधा करने की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गयी है । यह तो आप बता सकते हैं कि नियुक्तियां क्यों हुई हैं और कैसे हुई हैं ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा सचिव को यह आदेश दिया था कि 316 नियुक्तियां जो हुई थीं उनमें से जो वैध नियुक्तियां हैं, उनको तुरन्त नियुक्ति पत्र जारी कर दिये जायं, तो उसमें क्या प्रगति है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैंने यह आर्डर दिया था और अब भी दुबारा मैं इस समय आपको आश्वासन देना चाहती हूं कि चाहे जो भी गल्तियां पिछले 3 वर्षों में हुई उनको मैं धोने के लिये प्रयत्नशील हूं ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आप यही उत्तर मंत्री जी से दिलवा रहे हैं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जो व्यक्ति मानक में आयेगा उसके साथ न्याय करने का मैं आश्वासन देती हूं और उनकी नियमानुसार नियुक्ति होगी ।

श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर, म जानना चाहता हूं कि जो मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि जनता शासन में जो जो गल्तियां हुई हैं, उनको वह दूर करेंगी, तो कृपया क्या वह बतायगी कि कौन-कौन सी गल्तियां जनता शासन में हुई हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

*8--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

[6ठे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

तहसील देवरिया के परगनाधिकारियों का स्थानान्तरण

*9--श्री मोहन सिंह (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि देवरिया जिले के तहसील पडरौना, हाटा, सलेमपुर और देवरिया सदर में माह फरवरी, 1980 से माह जून, 1980 के बीच 5-5 परगनाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं नियुक्तियां हुई ? पांच महीने में

[श्री मोहन सिंह---]

ही एक परगना में 5 परगना मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के क्या कारण हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

फरवरी, 1980 से जून, 1980 तक की अवधि में देवरिया जनपद में तहसील देवरिया सदर को छोड़कर शेष किसी तहसील में 5-5 परगनाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं नियुक्तियां नहीं हुईं ।

जहां तक तहसील देवरिया सदर का सम्बन्ध है उससे उक्त अवधि में 5 परगनाधिकारियों की नियुक्तियों एवं स्थानान्तरण का कारण निम्नवत् है :—

इस पद पर फरवरी, 1980 में श्री धनंजय सिंह, डिप्टी कलेक्टर, कार्यरत थे जिसका स्थानान्तरण एटा कर दिया गया तथा उन्हें उक्त पद से 22 मार्च, 1980 को अवमुक्त कर दिया गया था । उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रतीक्षा में इस पद का कार्यभार श्री विजय बहादुर निगम, एक अन्य डिप्टी कलेक्टर, को उनके कार्यभार के अतिरिक्त, अस्थायी रूप से सौंपा गया । श्री निगम ने उक्त पद का कार्यभार 24 अप्रैल, 1980 अपराह्न तक देखा तथा श्री अशोक प्रियदर्शी, आई० ए० एस०, कार्यकारी मैजिस्ट्रेट के अवकाश से वापस आ जाने पर इस पद पर श्री प्रियदर्शी की नियुक्ति पूर्णकालिक रूप से कर दी गयी । दिनांक 3 जून, 1980 को श्री प्रियदर्शी के पुनः 40 दिन के अवकाश पर चले जाने के कारण श्री विजय बहादुर निगम ने उक्त पद का कार्यभार, अपने अन्य कार्यों के अतिरिक्त, पुनः 3 जून, 1980 अपराह्न से 8 जून, 1980 तक अस्थायी रूप से देखा । चूंकि उक्त पद पर स्थायी व्यवस्था की जानी आवश्यक थी अतएव दिनांक 9 जून, 1980 से परगनाधिकारी तहसील सदर, देवरिया के पद पर श्री विमल किशोर गुप्त, एक अन्य डिप्टी कलेक्टर को पूर्णकालिक रूप से तैनाती की गयी ।

वाराणसी जिले के बाबतपुर-जमालपुर मार्ग का निर्माण

*10---श्री ऊदल---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबतपुर से जमालपुर मार्ग, जिला वाराणसी की स्वीकृति 6 वर्ष पूर्व की गयी थी और 33 लाख रुपया भी मन्जूर किया गया था ? क्या यह सत्य है कि इस मार्ग को सन् 1979 में पूरा बन जाना चाहिए था ? यदि हां, तो सिर्फ स्थान घमहापुर तक ही पक्का कार्य क्यों गया है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र मुख्य मंत्री को 10-6-80 को लिखा था, उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगदीश प्रसाद---

वाराणसी जनपद में इस मार्ग का निर्माण कार्य 14 कि० मी० की लम्बाई में 14·10 लाख रुपये की लागत पर नवम्बर, 1976 में स्वीकृत हुआ था । इस मार्ग का निर्माण वर्ष 1979 तक पूरा करने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था । भूमि अध्याप्ति हो जाने की प्रत्याशा में लक्ष्य तिथि फिलहाल जून, 1982 निर्धारित की गई है ।

प्रश्नकर्ता के मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 10-6-80 में इस मार्ग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस पूरे मार्ग के लिए सिर्फ तीन बाजार क्वारा, ताड़ी और निवादा जहां बाई-पास बनाया जाना है । इनके अलावा कहीं भी जमीन एक्वायर करने की जरूरत नहीं थी ? यदि हां, तो जैसा उत्तर में भूमि एक्वायर करने की बात कही गई है क्या उसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद--

श्रीमन्, विवाद होने के कारण भूमि अध्याप्ति करने में विलम्ब हो रहा है । किलोमीटर 8, 603 मीटर, बाई पास क्वार, किलोमीटर 9, 289 मीटर, किलोमीटर 11, 200 मीटर, बाई पास ताड़ी, किलोमीटर 12, 599 मीटर और 112 मीटर, किलोमीटर 13, 775 मीटर, बाईपास नवादा, किलोमीटर 14, 25 मीटर और किलोमीटर 15, 325 मीटर, इतने जो स्थान हैं इनमें कार्यवाही हो रही है और अध्याप्ति की कार्यवाही हो जाने के बाद....

श्री ऊदल--

यही तो मैं पूछ रहा हूं । तीन-चार बाजार पड़ते हैं छोटे-छोटे 100 मीटर, कहीं 200 मीटर, बाकी सड़क जिसके लिए जमीन की आवश्यकता नहीं थी काफी चौड़ी है, उसको अब तक न बनाने का क्या कारण है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

श्रीमन्, लगभग 3.1 किलोमीटर जमीन अध्याप्ति की कार्यवाही में है और 7 किलोमीटर में कार्य हो चुका है और वह प्रगति में है । इसके बारे में अगर आप यह जानना चाहें तफसील में, आप लिख कर दे दें उसकी जांच करा देंगे ।

*11--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[16 सितम्बर, 1980 को अतारांकित प्रश्न संख्या 47 द्वारा उत्तरित ।]

उप निरीक्षक, पुलिस के स्थानान्तरण

*12--श्री सत्यपाल सिंह (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस प्रशासन द्वारा पी0 एच0 क्यू0 आदेश नं0 380 व तारीख 18 अप्रैल, 1980 के अधीन प्रदेश के कितने थानाध्यक्षों के स्थानान्तरण किये गये ? क्या अभी भी जाति विशेष के पुलिस अधिकारियों को कोआपरेटिव सेल तथा रेलवे पुलिस में स्थानान्तरित करने की योजना है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मन्त्री जी उपरोक्त उत्पीड़न को तत्काल रोकने की कृपा करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां, पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या 5-380-80, दिनांक 18 अप्रैल, 1980 के अधीन प्रदेश के नागरिक पुलिस के कुल 36 उप निरीक्षकों के स्थानान्तरण एक परिक्षेत्र से दूसरे परिक्षेत्र में किए गए हैं ।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--]

कर्मचारियों के स्थानान्तरण अथवा अन्य कोई भी कार्य इस सरकार द्वारा जातिवाद के आधार पर नहीं किया जाता ।

डुमरियागंज तहसील, जिला बस्ती में मुन्सफी न्यायालय की स्थापना की मांग

*13--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद की डुमरियागंज तहसील मुख्यालय पर मुन्सफी अदालत की स्थापना का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई ? क्या यह भी सत्य है कि जिला जज, बस्ती ने अपनी संस्तुति शासन को मुन्सफी अदालत की स्थापना के लिए भेजी है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

बस्ती जनपद की डुमरियागंज तहसील में मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने के लिये डुमरियागंज के कुछ अधिवक्तागण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था परन्तु जिला जज या उच्च न्यायालय से इस प्रस्ताव के सम्बन्ध म आवश्यक सूचना तथा संस्तुति, कई बार लिखने के बावजूद भी प्राप्त नहीं हुई । जिला जज, बस्ती का अब इस सम्बन्ध में एक पत्र, दिनांक 18 अगस्त, 1980 प्राप्त हुआ है जिसमें वादों के दायरे तथा लम्बित वादों की संख्या तथा अन्य आवश्यक सूचना भेजी गई है । उच्च न्यायालय के विचार और संस्तुति प्राप्त होने पर इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया जायेगा ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

जैसा कि मन्त्री जी ने उत्तर में कहा कि कई बार पत्र लिखे गये और वहां से कोई जवाब नहीं आया और 18 तारीख को जज साहब का पत्र प्राप्त हुआ, मेरी सूचना को सही मान कर कि डुमरियागंज में न्यायालय न होने के कारण वहां के मामले बांसी मुन्सिफी अदालत में देखे जाते हैं, 75 फीसदी मुकदमे डुमरियागंज तहसील में है, जज साहब की संस्तुति को देखते हुये क्या डुमरियागंज में तत्काल मुन्सिफी अदालत खोलने की इजाजत देंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जैसा कि मैंने निवेदन किया उच्च न्यायालय से संस्तुति प्राप्त होने पर हम शीघ्र उस पर कार्यवाही करेंगे ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मुझे यह बतलाया गया है कि यदि मकान और उनके रहने की व्यवस्था हो जाय तो स्थापित किया जा सकता है, क्या यह व्यवस्था होने पर आप इसकी व्यवस्था करवा देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने यह कहा कि हाई कोर्ट से इसकी स्वीकृति आने पर इसकी व्यवस्था करवा देंगे ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

कब तक आशा की जाय कि इसकी स्वीकृति हाई कोर्ट से प्राप्त हो जायेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

हाई कोर्ट को इस सम्बन्ध में लिखा गया है ।

श्री फखरे आलम--

क्या किसी जिले में अदालत खोलने के लिये हाई कोर्ट की इजाजत की जरूरत है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

हाई कोर्ट से अवश्य इसकी संस्तुति ली जाती है । संस्तुति आने पर ही वह सब कार्यवाही की जाती है ।

*14--श्री भगवती सिंह विशारद--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

शाहजहांपुर जिले के कतिपय थानों के बन्दूक के लाइसेन्सदार

*15--श्री कल्यान सिंह, श्री परमाई लाल, श्री रूपराम, श्री जगदीश सिंह तथा श्री राम कुंवर सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि जनपद शाहजहांपुर के थाना खुदागंज जैतीपुर व परौर में कुछ बन्दूक के लाइसेन्सदार ऐसे हैं जिन पर गम्भीर अपराधों के मुकदमें न्यायालयों में चल रहे हैं अथवा हिस्ट्रीशीटर हैं ? यदि हां, तो आज तक पुलिस ने इन अराजक तत्वों के हथियार क्यों जमा नहीं कराये ? इनके शस्त्र जमा कराने हेतु जनहित में तत्काल सरकार द्वारा कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना खुदागंज, जैतीपुर व परौर के 19 लाइसेंसियों के विरुद्ध मामले न्यायालयों में विचाराधीन है । दो लाइसेन्सियों को सजा भी हो चुकी है और एक के विरुद्ध अपराध पंजीकृत है । इन व्यक्तियों के हथियार जमा करने में प्रथम दृश्या विलम्ब हुआ प्रतीत होता है जिसके कारणों की जांच शासन ने मन्डलायुक्त, बरेली को सौंप दी है तथा यह आदेश दिया है कि सम्बन्धित व्यक्तियों के आग्नेशास्त्र अविलम्ब जमा कराने की व्यवस्था की जाय और तदुपरान्त नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाय ।

श्री पंचानन--

उत्तर में कहा गया है कि कुछ हिस्ट्री शीटर्स को बन्दूक तथा आग्नेय अस्त्रों के लाइसेन्स दे दिये गये हैं, तो क्या पिछले 3 वर्षों म इस तरह के लाइसेन्स दिये गये हैं और पूरे प्रदेश में उसकी जांच पड़ताल करने की कृपा की जायगी और उन लाइसेन्सेज को निरस्त किया जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जिन व्यक्तियों के बारे में सूचना मिलेगी कि वे असामाजिक तत्व हैं और अपराधी मनोवृत्ति के हैं, उनके लाइसेन्स निरस्त किये जायेंगे ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

शाहजहांपुर के इन हिस्ट्री शीटर्स को लाइसेन्सेज कब दिये गये और कब सरकार की जानकारी में यह बात आई ?

श्री ब्रह्मदत्त--

यह सूचना, तो हमारे पास है कि वे अपराधी हैं, लेकिन यह सब सूचना उपलब्ध नहीं है कि कब उनको लाइसेन्स दिये गये ।

श्री उपाध्यक्ष--

तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हुआ । अब अल्प सूचित तारांकित प्रश्न लिये जा रहे हैं ।

पी० सी० एस० परीक्षा की आयु सीमा में छूट दिये जाने की मांग

*16-श्री गुलाब सेहरा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पी० सी० एस० परीक्षा में राज्य कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दिये जाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय होगा और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि अपेक्षित छूट देना जनहित में उचित न होगा ।

आजमगढ़ जिले में छोटी सरजू नदी पर महराजगंज पुल निर्माण की मांग

*17-श्री दल सिंगार यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़, महराजगंज बाजार के पास छोटी सरजू नदी का पुल बनाने की योजना 1973 में बना था ? यदि हां, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर होगा ।

टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर में मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना की मांग

*18-श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर नामक स्थान पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना करने का सुझाव स्थानीय जनता के द्वारा सन् 1979 में सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

श्री जगदीश प्रसाद---

कीर्तिनगर में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव 1979 में शासन को प्राप्त नहीं हुआ है । इसलिये इस सम्बन्ध में निर्णय लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला हमीरपुर के ग्राम पवा के श्री नाथू राम गुप्ता के यहां डकैती

*19--श्री सोमांश प्रकाश---

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम पवा, थाना श्रीनगर, जिला हमीरपुर निवासी श्री नाथूराम गुप्ता के प्रार्थना पत्र दिनांक 1-4-1980 थानाध्यक्ष, श्रीनगर, एस० पी०/डी० एम०, हमीरपुर, डी० आई० जी०, झांसी को प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने अपने घर पर दिनांक 22-3-1980 को पड़ी डकैती से सम्बन्धित मुलजिमों को पकड़ कर कानूनी कार्यवाही की प्रार्थना की है ? यदि हां, तो अब तक कितना माल बरामद किया गया तथा कितने मुलजिम गिरफ्तार किए गये ? यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार इस घटना से सम्बन्धित 10 अभियुक्त विवेचना से प्रकाश में आये । इनमें से एक अभियुक्त श्रीचन्द्र को दिनांक 16-5-1980 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया । पांच अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया और जेल भेजे गये तथा दो फरार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 भा० दं० द० प्र० संहिता की कार्यवाही करने हेतु न्यायालय के आदेश प्राप्त किए जा रहे हैं, माल अभी बरामद नहीं हो सका है । विवेचना जोकि पुलिस क्षेत्राधिकारी, महोबा द्वारा की जा रही है, प्रचलित है ।

फैजाबाद के टाण्डा स्थित तापीय परियोजना में भूमि का अधिग्रहण

*20---श्री गोपीनाथ वर्मा---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद में थरमल प्रोजेक्ट से प्रभावित किसान परिवारों को सरकार की तरफ से क्या सुविधायें प्रदान की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त---

जनपद फैजाबाद में टाण्डा तापीय परियोजना के लिए अधिगृहीत की गई भूमि से प्रभावित व्यक्तियों को निम्न सुविधायें प्रदान की गई हैं---

(1) नियमानुसार निर्धारित प्रतिकर के अतिरिक्त रुपया 2,500 प्रति एकड़ की दर से अनुग्रह अनुदान ।

(2) निर्धारित प्रतिकर की धनराशि तक की भूमि क्रय करने पर स्टाम्प शुल्क से, भूमि अर्जन की तिथि से तीन साल तक की अवधि के लिये छूट ।

(3) निर्धारित प्रतिकर की धनराशि तक किसी अन्य भूमि को क्रय करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस से, भूमि अर्जन की तिथि से तीन साल तक की अवधि के लिए छूट ।

(4) प्रभावित परिवार, जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक भूमि अधिगृहीत की गई है, के एक सदस्य को परियोजना में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर योग्यता के अनुसार एवं रिक्तियों के उपलब्ध होने पर नौकरी दिया जाना ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

रक्षा बन्धन के पर्व पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा किये जाने की मांग

**1--श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

क्या सरकार को ज्ञात है कि रक्षा बन्धन का पर्व केवल धार्मिक ही नहीं अपितु राष्ट्रीय पर्व भी है जिसे प्रायः देश के सभी हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख आदि जातियां एकता के सूत्र की भावना से मनाते हैं ? क्या सरकार ऐसे पर्व को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की कृपा करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

भारत सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने के प्रयोजन हेतु केवल गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं महात्मा गांधी जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय दिवस माना है । अतः रक्षाबन्धन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में सार्वजनिक अवकाश घोषित करना उपयुक्त नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी भारत सरकार से इसके लिए अनुरोध करेंगे कि इसको राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाय, इसलिये कि यह सिर्फ हिन्दुओं का ही त्यौहार नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक त्यौहार है और सभी धर्म के लोग इसको मनाते हैं, इसलिये इसको नेशनल इन्टेग्रेशन में रखते हुये इसको राष्ट्रीय पर्व घोषित करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

फिलहाल हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है ।

विद्युत दरों में की गई वृद्धि

**2--श्री रामस्वरूप वर्मा तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1 अगस्त, 1980 से बढ़ायी जाने वाली विद्युत दरों के विरुद्ध जनाक्रोश को देखते हुए उस पर पुनर्विचार करने जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी नहीं ।

केन्द्रीय शासन द्वारा समय-समय पर ईंधन के मूल्य में वृद्धि किये जाने एवं रेल भाड़े में वृद्धि के फलस्वरूप राज्य विद्युत परिषद् को लगभग 43 करोड़ रुपये

का अतिरिक्त वार्षिक व्यय वहन करना पड़ रहा है । उपर्युक्त व्यय वृद्धि की आंशिक पूर्ति करने के लिए ही विद्युत् दरों में वृद्धि की गई है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह वृद्धि किस बारीख से की गई है और इस वृद्धि से कितने घाटे की पूर्ति होगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, 21 करोड़ इससे मिलेगा और 1 अगस्त, 1980 से यह लागू होगी ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इससे घाटा पूरा नहीं होता है क्योंकि 43 करोड़ का घाटा है और केवल 21 करोड़ की पूर्ति हो रही है, तो इस वृद्धि को दो वर्ष के शेष भाग के लिए कर रहे हैं या यह पूरे वर्ष भर के लिए है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, यह 21 करोड़ रुपया वार्षिक है ।

श्री ऊबल--

क्या यह सही है जिस घाटे को पूरा करन के लिये माननीय मंत्री जी कहते हैं वह अब तक मिलाकर 200 करोड़ के करीब है ? यदि हां, तो उसको पूरा करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मैंने यह नहीं कहा कि विद्युत् पर्षद् के घाटे को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया है । जो वृद्धि हुई है वह रेलवे किराये आदि में जो वृद्धि हुई है, उसकी आंशिक पूर्ति के लिये ऐसा किया गया है । घाटे की पूर्ति के लिए हम दूसरे साधन अपना रहे हैं ।

श्री सूबेदार सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई में एकरूपता नहीं ह । ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के घन्टे बहुत कम हैं और शहरों में ज्यादा हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये जब आप एकरूपता नहीं रख सकते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की जो दरें हैं, उन्हें कम करन पर आप विचार करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जो दरें तय करते ह वह न्यायोचित तय करते हैं । नलकूपों में यह वृद्धि लागू नहीं होगी ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि बिजली की इन बढ़ी हुई दरों से जनआक्रोश पैदा हो रहा है, तो उनको सन्तुष्ट करने के लिए लेकिन उपायों पर विचार कर रहे हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, न जन आक्रोश पैदा हो रहा है और न कोई पैदा कर पायेगा ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी इस पर भी विचार करेंगे कि जब बिजली का उत्पादन 40 प्रतिशत हो रहा है तब यह घाटा ह और उन्होंने वचन दिया है कि वे बहुत जल्दी इफिसिएन्सी लाने वाले हैं ।

तो क्या जब बिजली का उत्पादन 90 और 80 परसेन्ट होने लगेगा और मुनाफा होने लगेगा, यह बढ़ी दरें वापस ले लेने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

दरों का पुनरीक्षण तो हमेशा सम्भव है । मैं कामना करता हूं कि माननीय सदस्य की इच्छा और भविष्यवाणी पूरी हो, तो इसे किया जायेगा । हमारा उद्देश्य मुनाफा कमाना थोड़े ही है ।

श्री गौरी शंकर भैया--

क्या मन्त्री जी किसानों को इस बढ़ी दर से बाहर निकालने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त --

मैं यह बताना चाहता हूं कि यह जो बृद्धि है, इसमें नलकूप शामिल नहीं हैं ।

श्री रामकृष्ण माहेश्वरी--

जैसा मन्त्री जी ने बताया बिजली विभाग का घाटा कम करने के लिए यह बृद्धि की गई है, किन्तु आपके बिजली न देने से या उसमें कटौती कर दिये जाने के कारण उद्योगों का जो घाटा हो जाता है, तो क्या इससे जिस उद्योग को घाटा होगा उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए भी आप उस उद्योग को कोई राहत देंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त --

यह कभी सम्भव नहीं हो सकता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

यह जो वृद्धि हुई है, आपका बड़ा पुराना रिश्ता हिन्डालको से भी है, उन पर भी लागू होगी ?

श्री ब्रह्मदत्त --

यह सब पर लागू होती है । अलग-अलग उपभोक्ताओं के साथ अलग-अनुबन्ध हैं, उनके अनुसार यह सब लागू होगा ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मंत्री जी हमारी शिकायत को सही मानते हुए कि बहुत से उपभोक्ताओं के बिल में जून आदि से या उसके पहले से भी यह वृद्धि दिखाई गई है, जब कि

यह अगस्त से लागू हैं, तो क्या उन पर यह विचार करेंगे कि यह अगस्त से ही वृद्धि लागू की जाए ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जिस तारीख से वृद्धि की जाए, उसके आगे की तारीख से बिल बनाए जायं, यह निर्देश हैं । जो गलत होंगे, उसके लिए उपभोक्ता को पूरा मौका है कि वह अपील कर सकते हैं ।

श्री यदुनाथ --

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष --

हमने इजाजत नहीं दी है, आपको इजाजत नहीं है । यह जो कह रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा ।

श्री बलगंजन सिंह--

जो खेतिहर हैं, उन पर बिजली के बकाये पर मंत्री जी सरचार्ज वसूल कर रहे हैं, तो क्या उसी भांति मन्त्री जी उद्योगों के बकाये पर सरचार्ज वसूल करने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त --

बकायेदारों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

श्री दलगंजन सिंह--

अभी जवाब नहीं आया है, मेरा प्रश्न यह है . .

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न बिजली की दर में वृद्धि के बारे में है, बकायेदारों के बारे में नहीं है ।

श्री छत्तर सिंह--

जो बिजली, घरों में प्रयोग होती है, क्या उस पर भी यह बिजली वृद्धि दरें लागू होगी ?

श्री ब्रह्मदत्त --

यह दरें तो सर्वविदित हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं, सबको मालूम हैं ।

मान्यवर, जो विज्ञप्ति निकाली गयी है, उसमें जो चीजें दी गयी हैं, सब पर लागू होगी ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री कुबेर भण्डारी—

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि किसानों को जो बिजली दी जा ी है, पहले मीटर लगता था, अब बिना मीटर के वसूली हो रही ह, उसको बन्द करवायगे और मीटर लगवायगे और गलत वसूली नहीं होगी ?

श्री ब्रह्मदत्त —

मोटर लगाना किसान के हित के विरुद्ध होगा ।

श्री सूबेदार सिंह—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो दरों में वृद्धि हुई है, जो और भी वृद्धि करनी पड़ेगी । क्या चौबीसों घंटे बिजली इस प्रदेश की जनता को देंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त —

बिजली की व्यवस्था में सुधार करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं । अब तो हम लोग कटौती को धीरे-धीरे कम करते जा रहे हैं । ज्यादा से ज्यादा बिजली देंगे ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मैं जानना चाहता हूं कि जो करोड़ों रुपये के ट्रांसफार्मर खरीदे गये हैं और जो बेकार पड़े हैं, किसी काम के नही हैं, जिन अधिकारियों ने उनको खरीदा है क्या उन पर कार्यवाही करेंग ?

श्री उपाध्यक्ष —

यह प्रश्न विद्युत् की दर का है । आपका प्रश्न विद्युत् दर से सम्बन्धित नहीं है । बिजली की दर से सम्बन्धित प्रश्न आप कर सकते हैं ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने दर में वृद्धि करने से पहले विद्युत् विभाग में तमाम जानकारी इकट्ठा कर ली थी कि उपभोक्ताओं पर बकाया, एरियर्स कितने उपभोक्ताओं के ऊपर हैं ? म समझता हूं कि बकाया एरियर्स इतने हैं अगर सही तरह से वसूल कर लिये जायं, तो विद्युत् परिषद् का घाटा पूरा हो जायेगा । मैं पूछना चाहता हूं कि यदि वह बकाया एरियर्स इतने हैं जोकि घाटा पूरा हो जाय, तो दर में वृद्धि वापस लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष —

आपका सवाल बहुत घुमा करके है । सीधा प्रश्न करें ।

श्री किरन पाल सिंह—

बकाया एरियर्स की वसूली से यदि घाटा पूरा हो जाय, तो विद्युत् दर में जो वृद्धि की गई ह इसको मन्त्री जी वापस लेने पर विचार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष —

जब 'यदि' कहेंगे तो काल्पनिक प्रश्न हो जायगा । निश्चित प्रश्न कीजिये ।

श्री किरन पाल सिंह--

जो बिजली का बकाया है उपभोक्ताओं पर वह विद्युत परिषद् का घाटा पूरा कर देगा, यह जानकारी ह ?

श्री ब्रह्मदत्त --

मान्यवर, जो यह वृद्धि की है घाटा पूरा करने के लिए ह ही। बिजली के उत्पादन व्यय में जिन फैक्टर्स के कारण वृद्धि हुई है, उसको आंशिक रूप से पूरा किया है।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मन्त्री जी ने अभी फरमाया कि बिजली के उत्पादन खर्च में जो वृद्धि हुई है, इसलिए बिजली दरों म वृद्धि की है। माननीय मन्त्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि निरन्तर मूल्य वृद्धि की स्थिति को देखते हुए जितना उत्पादन व्यय बढ़ता जायेगा, आप उतनी ही बिजली की दरों में वृद्धि करते चले जायेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त --

जैसी समय की आवश्यकता होगी किया जायगा। हमारा तो पूरा प्रयास है कि हम उत्पादन बढ़ा कर उत्पादन की लागत को कम करें।

श्री मित्रसेन--

मैं जानना चाहता हूं कि बिजली की दरों में जो वृद्धि की गयी है क्या यह सही है कि बिजली की उत्पादन की लागत है, उससे कम रेट पर पूंजीपतियों को बिजली दी जाती है, इसीलिए बिजली दर में वृद्धि की गयी है ?

श्री ब्रह्मदत्त --

मान्यवर, बिजली उत्पादन की लागत से कम दर का केवल एक अनुबन्ध है। उसको भी शीघ्र रिवाइज किया जा रहा है।

श्री दयाल कृष्ण --

जहां तक बिजली की दरों का प्रश्न है 2 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं एक डोमस्टिक पावर के और एक साधारण जो बिजली के बल्ब और पंख आदि इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इन दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं की दरों में भी किसी रेशिओ से कुछ अन्तर लाने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त --

यह तो उपभोक्ताओं के विरुद्ध हो जायेगा।

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा कि एक बड़े हाउस से अनुबन्ध है, जिससे उसे लागत मूल्य से भी कम दामों में बिजली दी जाती है। जैसा कि केन्द्रीय सरकार ने भी अनुबन्ध होते हुये भी प्रिवी पर्सेज की व्यवस्था को क्रान्तिकारी कदम के रूप में समाप्त कर दिया, तो चूंकि मालदार आदमी को कम दाम में बिजली दी जाती है और गरीबों को ज्यादा दामों पर तो उसी प्रकार से

क्रान्तिकारी कदम की घोषणा करेंगे और उस अनुबन्ध को समाप्त करने की घोषणा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष —

उन्होंने कहा है कि उसके लिए वे शीघ्र ही उपाय कर रहे हैं ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

वे कौन–कौन से उपभोक्ता हैं जिनको सस्ती दरों पर लागत मूल्य से भी कम पर बिजली दी जाती है ?

श्री ब्रह्म दत्त —

19 मेगावाट बिजली के लिए कनोरिया कैमिकल्स से 25 वर्ष के लिये अनुबन्ध किया गया था, लेकिन हमने तय किया कि उसको रिवाइज किया जाय ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, इन्डस्ट्रियल और डोमेस्टिक कन्जूपमर्स के लिए जो बिजली की दरें हैं, उनको अर्बन और रूरल एरियाज में एक सा बढ़ाया गया है और दोनों के एग्रीमेंट भी एक ही होते हैं । मगर रूरल एरिया में बिजली कम दी जाती है और अर्बन एरिया में ज्यादा मिलती है, तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि जिनसे दोनों का समाधान हो सके और रूरल एरियाज के उपभोक्ताओं को थोड़ी बिजली के लिए थोड़े दाम देने पड़े ?

श्री ब्रह्म दत्त —

हमारा निरन्तर प्रयास है कि हर वर्ग, हर क्षेत्र के साथ न्याय हो ।

अतारांकित प्रश्न

(1)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 35 के अन्तर्गत 3रे मंगलवार (16–9–80) के स्थगित अतारांकित प्रश्न]

चमोली जिले की लघु विद्युत् परियोजनायें

7––श्री कुंवर सिंह नेगी––

क्या विद्युत् मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के लिए कौन–कौन लघु विद्युत् योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं और उनमें से किन–किन पर कार्य आरम्भ हो गया है ? जिन पर कार्य अभी आरम्भ नहीं हो सका उसका क्या कारण है तथा कौन–कौन योजनायें अभी स्वीकृति के लिए शासन के विचाराधीन हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जनपद चमोली के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित 3 लघु विद्युत् परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है :

क्रम-संख्या	योजना का नाम	क्षमता (कि0वा0)
1	तपोवन	750
2	थयराली	400
3	सीतापुर चट्टी	200

उपरोक्त में से अभी किसी भी परियोजना पर कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है ।

थयराली तथा सीतापुर चट्टी परियोजनायें हाल ही में (मार्च 1980 में) योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई हैं तथा तपोवन परियोजना नवम्बर, 1978 में स्वीकृत हुई थी । परन्तु इन सभी परियोजनाओं पर अभी प्रदेश के पवतीय विकास विभाग से अनुदान प्राप्त न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया । जैसे ही पर्वतीय विकास विभाग से वांछित अनुदान की स्वीकृति प्राप्त होगा इन परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा । तब भी अग्रिम कार्यवाही करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने 750 कि0 वा0 क्षमता की तपोवन लघु जल विद्युत योजना पर कार्य प्रारम्भ करने के आदेश दे दिये हैं ।

उपरोक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त अभी कोई लघु विद्युत परियोजना चमोली जनपद में शासन की स्वीकृति के लिए विचाराधीन नही है ।

प्रदेश में अतिरिक्त चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट के रिक्त पद

9--श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट और कितने अतिरिक्त चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट के पद रिक्त हैं और क्यों ?

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह—

प्रदेश में चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट के कोई पद रिक्त नहीं हैं । अतिरिक्त चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट के 22 पदों में से 17 पद इस समय रिक्त हैं और राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जब तक वेतन आयोग सिविल जजों के वेतनमानों के बारे में अपनी रिपोर्ट नहीं दे देते व शासन उस पर निर्णय नहीं ले लेता तब तक जो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किये जायं, उन्हें 650--1,300 रुपया का वेतनमान स्वीकृत कर दिया जाय । उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जा रहा है कि वह शासन द्वारा जारी किये गये आदेश दिनांक 15 मार्च, 1980 के अनुसार पदों के भरने की कार्यवाही करें ।

बस्ती जिले में तूफान से टूटे हुए बिजली के खम्भे

10—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, 1980 के प्रथम सप्ताह में जो तूफान आया था उसमें बस्ती जनपद में कुल कितने खम्भे बिजली के टूट गए और उनमें कितनों को बदल कर ठीक किया गया और कितने अभी और शेष हैं। उनका विकास खण्डवार क्या ब्योरा है ? क्या सरकार उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

2,163 (दो हजार एक सौ त्रेसठ)

2,102 (दो हजार एक सौ दो)

61 (इकसठ)

विकास खण्ड सेमरियावां, बथौली, भनवापुर व बढ़नी में क्रमशः 24 (चौबीस), 17 (सत्तरह), 12 (बारह) व 8 (आठ)। उपरोक्त उत्तर में ब्यौरा दे दिया गया है, अतः इसे सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है।

थाना राम सनेहीघाट, जिला बाराबंकी के अन्तर्गत हत्या एवं डकैती

20—श्री जमुना प्रसाद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के राम सनेही घाट थाने में एक वर्ष में कितनी हत्या एवं डकैती की घटनायें हुयीं ? उनमें से कितनी घटनाओं की जाँच पूरी हो गयी, कितने की नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1979 में थाना राम सनेही घाट में 7 हत्या की घटनायें हुई तथा डकैती की 6 घटनायें पंजीकृत हुई जिनमें 3 घटनायें झूठी पाई गईं। हत्या की 7 घटनाओं में से 6 की तथा डकैती की 3 घटनाओं में से 2 की विवेचना पूरी की जा चुकी है। डकैती के विवेचनाधीन मुकदमें में तीन अभियुक्तों की शिनाख्त व 5 की गिरफ्तारी शेष है। हत्या के अभियोग में विवेचना से 4 अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से 3 कार्यवाही शिनाख्त में रिहा हुये व एक के विरुद्ध धारा 82/83 जा० फौ० की कार्यवाही की गई।

प्रदेश के आई० ए० एस० एवं पी० सी० एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण

22—श्री मोहन सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि विगत 12 फरवरी, 1980 से 24 अप्रैल, 1980 के बीच प्रदेश भर में कितने आई० ए० एस० और कितने पी० सी० एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण किए गये ? इतने व्यापक पैमाने पर स्थानान्तरण करने के क्या कारण हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

विगत 12 फरवरी, 1980 से 24 अप्रैल, 1980 के बीच 94 आई० ए० एस० तथा 214 पी० सी० एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये। ये समस्त स्थानान्तरण जनहित में किये गये।

जिला रायबरेली के ग्राम बरीबा के श्री विद्याधर का पेड़ काटने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

23—श्री राम सागर तथा श्री जमुना प्रसाद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्याधर, निवासी बरीबा, जनपद रायबरेली के जबरिया पेड़ काटे जाने के सम्बन्ध में शिकायती प्रार्थना-पत्र जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 15 मई, 1980 को जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां ।

ग्राम में चकबन्दी के फलस्वरूप गाटा सं0 1249 का कुछ भाग श्री जगेश्वर बोधरी के पक्ष में पड़ा और कुछ भाग जिस पर यह पेड़ है, चकरोड में पड़ा । इस प्रकार पेड़ों से संबन्धित जमीन का स्वामित्व ग्राम समाज के पास है । एक पेड़ सूख गया था जिसे छंगा नामक व्यक्ति ने काट लिया, विवाद ग्रस्त है । इस सम्बन्ध में मु0 अ0 सं0 661 धारा 379 भा0 दं0 वि0 थाना कोतवाली पर अंकित होकर विवेचनाधीन है ।

विधायकों की सुरक्षा हेतु दिये गये अंग रक्षक

24—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि 1 जून, 1980 से 30 जून, 1980 के बीच नव निर्वाचित किन-किन विधायकों को अंगरक्षक प्रदान किया गया है ? अंग रक्षक देने का कारण क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

1 जून, 1980 से 30 जून, 1980 के बीच 24 नवनिर्वाचित विधायकों को उनकी सुरक्षा हेतु अंग रक्षक प्रदान किये गये थे माननीय विधायकों का नाम बताना जनहित में नहीं है ।

हमीरपुर, तहसील मौदहा के श्री अब्दुल मजीद उर्फ गम्मू का शिकायती-पत्र एवं उनके विरुद्ध गुण्डा ऐक्ट की नोटिस

27—श्री दल गंजन सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के तहसील मौदहा के श्री अब्दुल मजीद उर्फ गम्मू महा मन्त्री लोकदल का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 6 जून से 15 जून, 1980 के बीच जिलाधिकारी, एवं पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध प्राप्त हुआ है ? मुख्य-मुख्य शिकायत क्या हैं ? इन शिकायतों के सन्दर्भ में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद हमीरपुर के तहसील मौदहा के श्री अब्दुल मजीद उफ गम्मू, महामन्त्री, लोकदल का कोई शिकायती पत्र दिनांक 6 जून से 15 जून, 1980 के बीच शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

28—श्री दल गंजन सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर, थाना मौदहा के लोकदल के महा मन्त्री एवं सेक्रेटरी रहमानिया इन्टर कालेज के श्री अब्दुल मजीद उर्फ गम्मू के विरुद्ध गुण्डा ऐक्ट की नोटिस दिनांक 4 जून, 1980 को जारी की गयी है ? यदि हां, तो उनमें जिन प्रथम सूचनाओं का हवाला दिया गया है उनमें क्या हुआ और क्या कोई मुकदमा इन प्रथम सूचनाओं के सम्बन्ध में न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

श्री अब्दुल मजीद उर्फ गम्मू को जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा उ० प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 24 मई 1980 जारी की गयी है । उसमें श्री अब्दुल मजीद उर्फ गम्मू के विरुद्ध थाना मौदहा में अंकित छः हस्तक्षेपीय तथा आठ अन्य अपराधों का उल्लेख है । हस्तक्षपीय अपराधों में से एक के सम्बन्ध में मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, एक में आक्षेप पत्र भेज दिया गया है, एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश प्रदान कर दिया है, एक प्रथम सूचना अदम तफतीश थी तथा दो मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी है ।

लोक आयुक्त के प्रतिवेदन में आई० ए० एस० एवं पी० सी० एस०

अधिकारियों सम्बन्धी संस्तुति

30—श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लोकायुक्त द्वारा दी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर कब तक रख दी जायगी ? कितने आई० ए० एस० एवं पी० सी० एस० अफसरों के खिलाफ प्राग्दर्शन में मामला बना है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन (1 जनवरी, 1979 से 31 दिसम्बर, 1979 तक की अवधि का) दिनांक 27 अगस्त, 1980 को सदन के पटल पर रखा जा चुका है । लोक आयुक्त द्वारा सक्षम प्राधिकारी को भेजे गय प्रतिवेदनों में किसी आई० ए० एस० अथवा पी० सी० एस० अधिकारी के विरुद्ध कोई संस्तुति नहीं की गई है ।

काल्पी विधान सभा क्षेत्र, जिला जालौन के अन्तर्गत डकैती एवं अपहरण

31—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जालौन जनपद के काल्पी विधान सभा क्षेत्र में लोक सभा चुनाव 1980 से जून, 1980 के अन्त तक दस्यु दलों द्वारा कितनी डकैती, अपहरण, कत्ल तथा आगजनी की वारदातें की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 878 पर)

प्रदेश में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता सूची

32—डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारियों के स्थायीकरण, ज्येष्ठता, प्रोन्नति तथा 3 वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत स्थायी कर्मचारियों के उनके पैतृक विभागों में लम्बित मामलों पर शीघ्र निर्णय लिये जाने की कोई नीति सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इसकी घोषणा होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

सम्प्रति नहीं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के स्थायीकरण, ज्येष्ठता तथा प्रोन्नति आदि के मामलों का निस्तारण विभिन्न सेवाओं/संवर्गों के लिए बनायी गई सेवा नियमावलियों अथवा कार्यकारी आदेशों के प्राविधानों के अनुसार किया जाता है और ऐसे मामलों में शीघ्र निर्णय हेतु समय-समय पर नीति विषयक एवं सामान्य निर्देश भी जारी किये गये हैं। आवश्यकतानुसार इन मामलों से सम्बन्धित व्यवस्थाओं पर विचार कर उन्हें और बेहतर भी बनाया जाता है।

गयासपुर, जिला सिवान, बिहार में नाव दुर्घटना

36—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सरकार बतायेगी कि जनपद देवरिया के गयासपुर नामक स्थान पर सरजू नदी के बीच धार में नाव उलटने से दिनांक 2 जुलाई, 1980 को 15 आदमी डूब कर मर गये हैं यदि हां, तो मरने वाले व्यक्तियों का नाम व पता क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 2-7-80 को 25 आदमी, निवासी ग्राम गयासपुर जनपद सिवान (बिहार) उत्तर प्रदेश से बिहार प्रान्त स्थित अपने गांव जाने हेतु सरजू नदी को पार कर रहे थे। सरजू एवं गंडक नदी के संगम पर उक्त नाव डूबने से निम्नलिखित 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई :—

1—कुमारी कलावती ।

2—कुमारी मीना ।

3—कुमारी राजेश्वरी ।

4—कुमारी मीरा ।

5—बुद्धि भर की स्त्री ।

6—टिगहिया भर उर्फ सोहर भर पुत्र बुद्धि भर ।

7—कान्ता भर की पुत्री ।

8—कलावती स्त्री सत्य देव ।

9—जगरमिया जौजे बाबू लाल भर ।

10—फेकली जौजे मगन रंगवार ।

11—लीलावती पुत्री मगन रंगवार ।

12—चिरइया जौजे राम नाथ तेली ।

बस्ती जिले में घाघरा नदी में नाव दुर्घटना

39—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7 जुलाई, 1980 को बस्ती जनपद में घाघरा नदी के अन्दर काहे नाव दुर्घटना होने से 14 आदमी डूब गये ? यदि हां तो वे कहां के थे ? और मृतक परिवारों को शासन ने अब तक क्या सहायता दी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

3 जुलाई, 1980 (न कि 7 जुलाई) को घटित नाव दुर्घटना से प्रभावित 14 व्यक्तियों में 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई व 6 को बचा लिया गया । मृतक आठ व्यक्तियों में सात जनपद बस्ती के और एक जनपद फैजाबाद का निवासी था । बस्ती जनपद के व्यक्ति 5 परिवारों के थे । इन्हें 1,000 रु0 प्रति परिवार की दर से सहायता दी गई ।

वाराणसी जिले में डकैती

42—श्री ऊबल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी सन् 80 से लेकर जून, 80 तक वाराणसी जिले के प्रत्येक थाने में कितनी डकैतियां, कत्ल के साथ तथा कितनी अन्य डकैतियां पड़ी । क्या यह सत्य है कि ग्राम ओदार, थाना फूलपुर व खान पट्टी, तथा इन्दरपुर, में थाना बड़ागांव में भी डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो इन डकैतियों में क्या कार्यवाही हुई और पूरा जिले के प्रत्येक थानेवार क्षेत्रों में पड़ी डकैतियों में क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 879 पर)

ग्राम चौथ, जिला जालौन के नलकूपों का विद्युत् कनेक्शन

48—श्री दलगंजन सिंह—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के चौथ ग्राम में व्यक्तिगत नलकूपों को बिजली कनेक्शन देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसके अनुसार कब तक कनेक्शन दिये जा सकेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां । योजना के अन्तर्गत कनेक्शन दिये जा रहे हैं तथा योजना को क्रियान्वन अवधि मार्च, 1983 तक है ।

थाना प्रेम नगर, जिला झांसी में अंकित सरकार बनाम सूरज प्रकाश, क्रांति प्रकाश का मुकदमा

50—श्री कदल तथा श्री रियासत हुसैन---

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है सरकार बनाम क्रांति प्रकाश, सूरज प्रकाश, प्रेम चन्द्र बब्बर आदि के विरुद्ध दिनांक 7-1-80 को पुलिस थाना नबाबाद, झांसी में धारा 120 बी, 420 आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 आदि में प्रेमनगर पुलिस स्टेशन, झांसी इल्जाम नं0 27/80 में केस रजिस्टर्ड होकर प्राप्तोय सी0 आई0 डी0 को लखनऊ शाखा द्वारा जांच जारी है ? यदि हां, तो उपरोक्त व्यक्तियों के लाइसेन्स कैंसिल तथा सप्लाई सस्पेण्ड न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्रश्नगत मामले के विषय में श्री लखपत राम शर्मा, निवासी सिविल लाइन, झांसी की रिपोर्ट दिनांकित 7-2-80 के आधार पर थाना प्रेमनगर (झांसी) पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 27/80 की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

इस मामले की जांच अभी जारी है । जांच की प्रक्रिया जब तक किसी निश्चित निष्कर्ष पर न पहुंच जाए तब तक अनुज्ञापियों के लाइसेन्स कैंसिल तथा सप्लाई सस्पेन्ड करना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

झांसी जिले के भूतपूर्व अतिरिक्त जिला जज, श्री संतोष कुमार मिश्रा एवं भूतपूर्व चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, श्री रमेश सिंह सेंगर के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

51—श्री ऊदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि झांसी के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री मिश्रा तथा भूतपूर्व चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट श्री सेंगर आदि के विरुद्ध गम्भीर आरोप माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं प्रशासनिक न्यायाधीश, इलाहाबाद हाई कोर्ट को अप्रैल, मई सन् 1980 में प्राप्त हुये ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य आरोप क्या-क्या हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री संतोष कुमार मिश्रा भूतपूर्व अतिरिक्त जिला जज, झांसी तथा श्री रमेश सिंह सेंगर, भूतपूर्व चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, झांसी के विरुद्ध कुछ शिकायती पत्र प्राप्त हुये थे । मुख्य आरोप अनियमितताओं तथा अनाचार के बारे में थे ।

52—श्री ऊदल--

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यायपालिका से सम्बन्धित उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता आयोग इलाहाबाद हाई कोर्ट सेल द्वारा

हुई ? यदि हां, तो आरोपों से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये और क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि शिकायती पत्रों पर अभी गोपनीय जांच जिला जज, झांसी द्वारा कराई जा रही है और उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

थाना रौनापार, जिला आजमगढ़ में दिये गये बन्दूक के लाइसेन्स

55--श्री पंचानन--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ में 1 मार्च, 77 से 31 मार्च, 80 के बीच किन-किन व्यक्तियों को बन्दूक के लाइसेन्स दिये गये और इन लाइसेन्सों के दिय जाने के क्या प्रमुख आधार हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ में 1 मार्च, 1977 से 31 मार्च, 1980 के बीच 23 व्यक्तियों को उनकी जान व माल की सुरक्षा हेतु बन्दूक के लाइसेन्स पुलिस अधीक्षक व परगना मजिस्ट्रेट की संस्तुति पर दिये गये । सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 880 पर)

थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी के अन्तर्गत चोरी एवं डकैती

60--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कृपा करेंगे कि सन् 79 तथा जून, 80 तक गांव हथिवार, सैर में इसीपुर, बलुआ, बल्लू का पुरा, चंगवार, नटूवां, खरावन मठ, करमपुर, विश्वनाथपुर, चिउरापुर, वसनी, कोवई, थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी में डकैतियां पड़ीं और बड़ागांव थाने में डकैती की रिपोर्ट न लिख कर सभी रिपोर्ट चोरी में लिख दी गयी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1979 तथा जून 1980 के मध्य वाराणसी जिले के थाना बड़ागांव अन्तर्गत ग्राम इसीपुर, चंगवार, करमपुर, चिउरापुर तथा बसनी में हुई घटनाओं के बारे में संबंधित वादी लोगों की लिखित सूचना के आधार पर चोरी व डकैती के बारे में भारतीय दण्ड विधान की उचित धाराओं के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किए गए । शेष ग्रामों हथिवार, सैरा, बलुआ, बल्लू का पुरा, नटवां, खरावन मठ, विश्वनाथपुर तथा कोवई के सम्बन्ध में उक्त अवधि में डकैती अथवा चोरी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है ।

कस्बा भिनगा, जिला बहराइच में विद्युत आपूर्ति

63--श्री खुर्शीद अहमद अन्सारी--

क्या विद्युत मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद बहराइच के कस्बा भिनगा में वर्तमान समय में विद्युत सप्लाई केवल 2 घंटे ही की जाती

है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार विद्युत् सप्लाई की व्यवस्था ठीक करने की कृपा करेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जनपद बहराइच के कस्बा भिनगा की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 9,825 होन के कारण परिषद् की नीति के अनुसार इसकी विद्युत् आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों के बराबर की जा रही है जो कि आजकल 6 घन्टे प्रतिदिन निर्धारित है ।

माह अगस्त में 1-8-1980 से 19-8-1980 तक भिनगा कस्बा को जो विद्युत् आपूर्ति की गई है उसका विवरण निम्नलिखित है :

दिनांक		भिनगा की विद्युत् आपूर्ति का विवरण (घन्टों में)
1-8-1980	..	6
2-8-1980	..	6
3-8-1980	..	4
4-8-1980	..	6
5-8-1980	..	7-10
6-8-1980	..	6
7-8-1980	..	6
8-8-1980	..	6
9-8-1980	..	6
10-8-1980	..	7-20
11-8-1980	..	8-15

श्री अमर सिंह, मो० पैठ बाजार, डिबाई, जिला बुलन्दशहर का कथित शिकायती-पत्र

64—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अमर सिंह, निवासी मो० पैठ बाजार, डिबाई, बुलन्दशहर की ओर से कोई शिकायती-पत्र इस आशय का कि कुछ लोगों ने दुकानों में आग लगा दी परन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, उन्हें (गृह मन्त्री को) 25 जून, 1980 के आस-पास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह--

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम परसोहिया, जिला सीतापुर के श्री बाबू राम के पेड़ों का मुआवजा

65--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर के विकास खंड, खैराबाद के ग्राम परसोहिया में बिजली की लाइन बिछाने हेतु श्री बाबूराम के जो पेड़ काटे गये थे क्या उनका मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक दे दिया जायगा ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संभवतः माह सितम्बर 1980 के अन्त तक।

पुलिस मुख्यालय, कम्प्यूटर सेल के अधिकारियों की योग्यता

66--श्री राम कृष्ण--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस मुख्यालय में कम्प्यूटर सेल का गठन वर्ष 1979 में किया गया ? यदि हां, तो उसमें नियुक्त अधिकारियों की योग्यता व अनुभव क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

पुलिस विभाग में कम्प्यूटर सेल का गठन वर्ष 1979 में किया गया है। कम्प्यूटर सेल में अब तक नियुक्त अधिकारियों की योग्यता तथा अनुभव के विवरण नत्थी हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 881 पर)

जौनपुर एवं वाराणसी जिलों के पम्पिंग सेटों को विद्युत की आपूर्ति

67--श्री ऊदल--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में जनवरी से लेकर 8 जुलाई, 1980 तक प्रति दिन कितने घन्टे बिजली की सप्लाई किसानों के पम्पिंग सेटों के लिये तथा दूसरे कामों के लिये की गई है ? क्या यह विद्युत् सप्लाई ज्यादातर दिन में ही की गई है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जनपद जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्र को जनवरी, 1980 से 8 जुलाई, 1980 तक औसतन क्रमशः 6-15, 5-45, 7-30, 3-45, 5-15, 9-45, 6-00 घन्टे प्रतिदिन विद्युत् आपूर्ति की गई।

यह आपूर्ति पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होती थी। यह कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह चक्रीय क्रम में बदला जाता था जिससे इस जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों को कभी दिन में तो कभी रात में विद्युत् आपूर्ति की गई।

68--श्री ऊदल--

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के सब-स्टेशन चोलापुर, पिंडरा, अनेई तथा पूरे जिले में जनवरी, 80 से 8 जुलाई, 80 तक 6 घन्टे नियमित प्रतिदिन के हिसाब से विद्युत सप्लाई नहीं की गई ? क्या यह सत्य है कि विद्युत सब-स्टेशन पिंडरा, अनेई, चोलापुर से ज्यादातर रात में सप्लाई की गई ? क्या यह भी सत्य है कि दो-दो, तीन-तीन दिन तक सप्लाई नहीं की गई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और दिन में सप्लाई न देने का कारण क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जनपद वाराणसी जिले के सब स्टेशन चोलापुर, पिंडरा, अनेई तथा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों को जनवरी, 1980 से 8 जुलाई, 1980 तक औसतन क्रमशः 6-15, 5-45, 7-30, 3-45, 5-15, 9-45 तथा 6-00 घन्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की गई । यह आपूर्ति पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होती थी । यह कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह चक्रीय क्रम में बदला जाता था जिसमें कभी दिन में कभी रात में विद्युत आपूर्ति की गई । 6 मार्च 1980 को आंधी के कारण अनेई सब-स्टेशन तथा 18 एवं 19 मार्च, 1980 को एक फेज का तार चोरी चला जाने के कारण पिंडरा तथा चोलापुर सब-स्टेशनों की विद्युत आपूर्ति में व्यवधान हुआ ।

देवरिया जिले में पुलिस एवं डकैतों में मुठभेड़

71--श्री नन्दकिशोर सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में इस वर्ष जून, 1980 तक किन-किन थानों में किन-किन स्थानों पर पुलिस तथा डकैतों के बीच संघर्ष हुआ और उसमें किन-किन डकैतों को पुलिस ने मार डाला ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

इस वर्ष जून, 1980 तक देवरिया जनपद के विभिन्न थानों के अन्तर्गत पुलिस तथा डकैतों के बीच कुल 19 मुठभेड़ हुए जिसमें 10 डकैत पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारे गये जिसका विवरण संलग्न है ।

(देखिये परची 'छ' आगे पृष्ठ 882 पर ।)

वाराणसी नगर में विद्युत आपूर्ति

74--श्री ऊदल--

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत सप्लाई अन्डर टेकिंग, भेलूपुर, वाराणसी द्वारा वाराणसी नगर को जनवरी, 1980 से 7 जुलाई, 1980 तक कटौती के अलावा रेगुलर बिजली घंटों बन्द रहती रही है ? यदि हां, तो रेगुलर बिजली न देने का कारण क्या है ? क्या यह भी सही है कि जुलाई महीने में बिजली की वजह से नगर की जनता को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जांच कर सरकार कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

वाराणसी नगर को माह जनवरी, 1980 से 7 जुलाई, 1980 तक हर माह क्रमशः औसतन 21 घंटे 13 मि0, 20 घन्टे 3 मि0, 20 घन्टे 6 मि0, 20 घन्टे 48 मि0, 20 घन्टे 43 मि0, 20 घन्टे 45 मि0 तथा 21 घन्टे 25 मि0 प्रति दिन विद्युत आपूर्ति की गई। दिनांक 7-7-80 को केबिल का ब्रेकडाउन हो जाने के कारण संकट मोचन दुर्गाकुण्ड और खोजवां क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई थी। लेकिन तुरन्त इन क्षेत्रों की आल्टरनेट सप्लाई का प्रबन्ध कर दिया गया था। इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि वाराणसी नगर की विद्युत आपूर्ति सन्तोषजनक है। अतः किसी प्रकार की जांच करवाने का प्रश्न नहीं उठता।

डुमरियागंज तहसील, जिला बस्ती की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

75—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत इस वर्ष किन ग्राम सभाओं के हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण का विचार शासन के विचाराधीन है तथा उनका विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त—

वर्ष 1980-81 में डुमरियागंज तहसील (जनपद बस्ती) में 24 ग्राम सभाओं की हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण की योजना है। (सूची संलग्न)

उक्त हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण वर्ष 1980-81 के अन्त तक कर दिये जाने की संभावना है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 885 पर।)

रेजीडेण्ट इन्जीनियर, पावर हाउस, चन्दौसी के विरुद्ध श्री राम चरन द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट

79—श्री जीराज सिंह मौर्य—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रेजीडेण्ट इन्जीनियर, पावर हाउस, चन्दौसी द्वारा दिनाँक 22-6-80 को श्री राम चरन (अनुसूचित जाति) के साथ अप्रिय घटना हुई ? जिसकी एफ0 आई0 आर0 थाना चन्दौसी में दर्ज कराई गई है ? क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मुरादाबाद ने दिनांक 30-6-80 को कोई पत्र अपनी संस्तुति सहित विभाग को भेजा है ? यदि हां, तो क्या शासन उपरोक्त अधिकारी का स्थानान्तरण करने के बाद इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

रेजीडेंट इंजीनियर पावर हाउस, चन्दौसी तथा श्री राम चरन के बीच दिनांक 22-7-80 को कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। दिनांक 21-6-80 को प्रातः चन्दौसी पावर हाउस की मशीन नं0 1 खराब हो जाने के कारण बन्द हो गई। पावर हाउस के कोल फीडिंग के ठेकेदार के प्रतिनिधि श्री राम चरन से लेबर का

प्रबन्ध करने के लिये कहा गया, परन्तु उन्होंने उसका प्रबन्ध तुरन्त नहीं किया। इस सम्बन्ध में कई बार मौखिक तथा लिखित रूप से ठेकेदार को सूचित किया गया। सायं 4–30 बजे तक भी लेबर का प्रबन्ध न किये जाने पर रेजीडेन्ट इंजीनियर द्वारा सायं 5–30 बजे पुनः ठेकेदार को एक कड़ा पत्र लिखा गया और यह भी कहा गया कि यदि लेबर का प्रबन्ध तुरन्त नहीं किया गया तो अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार पेनाल्टी लगा दी जायेगी। इस प्रकार सायं 6–40 बजे लेबर का प्रबन्ध कर मशीन ठीक की जा सकी। ऐसा प्रतीत होता है कि इससे क्षुब्ध हो कर श्री राम चरन ने दिनांक 22–6–80 को एक एफ0 आई0 आर0 रेजीडेंट इंजीनियर के विरुद्ध दर्ज कराई। इस सम्बन्ध में दिनांक 30–6–80 को जिलाधिकारी, मुरादाबाद ने भी श्री राम चरन द्वारा दिये गये एक पत्र को अग्रसारित करते हुये विभाग से तुरन्त कार्यवाही हेतु अनुरोध किया था। मामले में वैभागिक जांच की गई परन्तु आरोप निराधार पाये गये। अतएव सम्बन्धित अधिकारी के स्थानान्तरण करने का प्रश्न नहीं उठता।

थाना चन्दौसी, जिला मुरादाबाद में श्री रामचन्द्र जाटव द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट

80––श्री जटा शंकर सिंह––

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22–6–80 को मुरादाबाद जिले के थाना चन्दौसी में इस आशय की कोई रिपोर्ट रामचन्द्र जाटव द्वारा लिखायी गयी है कि उन्हें हरिजन होने के कारण प्रताड़ित किया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रामचरन पुत्र मंगली ने दिनांक 22–6–80 को कथित आशय की एक रिपोर्ट थाना चन्दौसी में दर्ज कराई थी जिसके आधार पर धारा 323/504/506 आई0 पी0 सी0 तथा धारा 7 छुआछूत ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोग कायम होकर विवेचना हो रही है।

मैनपुरी जिले के चन्द्रपुर ग्राम के श्री भगवती प्रसाद के खलिहान में लगायी गयी आग

82––श्री विष्णु दयाल––

क्या मुख्य मंत्री जी को विदित है कि जिला मैनपुरी के कुर्रा थानान्तर्गत चन्द्रपुर ग्राम में दिनांक 10/11–5–79 को उक्त गांव के लोगों ने श्री भगवती प्रसाद के गल्ले में आग लगा दी थी ? जिसमें उनकी 30,000 रुपये की क्षति हुई थी ? पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न कर गांव के अन्य अबोध स्त्री–पुरुषों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था, जिसकी जांच भोगांव के तात्कालिक परगनाधिकारी, श्री अनिल कुमार शर्मा, आई0 ए0 एस0 ने करके जिलाधीश को पुलिस के खिलाफ आख्या भेजी थी और जिलाधिकारी ने उक्त आख्या पर कुर्रा की पुलिस के विरुद्ध अभियोग चलाने के लिए पुलिस अधीक्षक को लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला मैनपुरी के कुर्रा थानान्तर्गत चन्द्रपुर ग्राम के श्री भगवती प्रसाद ने थाने में दिनांक 11–5–1979 को रिपोर्ट अंकित कराई थी कि

राम सेवक, निवासी ग्राम फैजपुर व तीन अन्य चन्द्रपुर निवासियों ने दिनांक 10-5-1979 को उनके खलिहान में आग लगा दी थी। इस सम्बन्ध में थाने पर पंजीकृत अपराध की विवेचना के पश्चात् सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया। अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

थानाध्यक्ष व अन्य पुलिस कर्मचारियों द्वारा गांव के लोगों के प्रति अभद्र व्यवहार किये जाने के विषय पर श्री भगवती प्रसाद के शिकायती-पत्र दिनांक 5-6-1979 पर परगनाधिकारी, भोगांव की जांच आख्या के आधार पर जिला मैजिस्ट्रेट ने दोषी पाये गये पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की संस्तुति पुलिस अधीक्षक को भेजी थी। उक्त प्रकरण में दोषी पाये 2 स0 इ0 तथा 4 कान्सटेबिल के विरुद्ध नियमान्तर्गत विभागीय कार्यवाही की गई है तथा एक कान्सटेबिल जो जनपद कानपुर में कार्यरत है, के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अभी उक्त जनपद में विचाराधीन है।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा जूनियर इंजीनियर का चयन एवं प्रशिक्षण

87--श्री ऊदल--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 75 में विद्युत् विभाग में 500 ट्रेंड जूनियर इंजीनियर का चुनाव किया गया और 8 सितम्बर, 1976 से 8 सितम्बर, 1977 तक उनको प्रशिक्षण भी दिया गया ? यदि हां, तो उनमें से कितने को जगहें दे दी गयीं और कितने अब तक नहीं लिए जा सके हैं ? वे कब तक विभाग में ले लिये जायेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

वर्ष 1976 में प्रशिक्षण के लिए डिप्लोमाधारियों का चुनाव किया गया था और लगभग 540 अभ्यर्थियों को वर्ष 1976-77 में एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया गया था। उक्त प्रशिक्षणार्थियों में से 349 को परिषद् में नियुक्त कर दिया गया है तथा कुछ अन्यत्र नियुक्ति पा गय ह। शेष लगभग 175 प्रशिक्षणार्थियों को आवश्यकता न होने के कारण परिषदीय सेवा में नहीं लिया जा सका है। इन प्रशिक्षणार्थियों को परिषद् में कार्यरत निम्न पदस्थ डिप्लोमाधारियों के अवर अभियन्ता पद पर समयोजित हो जाने के बाद आवश्यकतानुसार परिषद् में लिया जा सकेगा। इसमें लगभग एक से डेढ़ वर्ष लगने की सम्भावना है।

प्रदेश में पुलिस एवं डाकुओं में हुई मुठभेड़

93--श्री भीखालाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1 जनवरी से 31 जुलाई, 1980 तक प्रदेश में पुलिस और डाकुओं में कितनी मुठभेड़ हुईं और इन मुठभेड़ों में कितने डाकू मारे गये तथा कितने पुलिस कर्मी हताहत हुए अथवा जख्मी हुए ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में प्रदेश में पुलिस और डाकुओं में 2207 मुठभेड़ें हुईं। इन मुठभेड़ों में 636 डाकू तथा 12 पुलिस कर्मी मारे गये। 80 पुलिस कर्मी जख्मी हुए।

हरदोई जिले में नये थाने खोलने की मांग

108--श्री नरेश चन्द्र--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने हरदोई जनपद में कुछ नये थाने खोलने के आदेश वर्ष 1977-78 में दिए थे ? यदि हां, तो शासन ने अब तक उस पर कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

वर्ष 1977-78 म जनपद हरदोई में नये थाने खोलने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई आदेश नहीं दिये गये थे ।

श्री परमात्मानन्द राय, ग्राम वाछापार, जिला बलिया द्वारा थाना कोतवाली में लिखायी गयी रिपोर्ट

112--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ता0 27-5-80 को थाना कोतवाली, जिला बलिया में दफा 395, 342, 384 तथा 7-ग के अन्तर्गत परमात्मानन्द राय तथा नरेन्द्र कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके ऊपर ता0 26-5-70 को गांव वाछापार में कतिलाना हमला किया गया और 12 बजे रात तक कमरे में बन्द किया गया था तथा 110 रु0 ले लिया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 27-5-80 को श्री परमात्मान्द राय द्वारा ग्राम वाछापार, थाना पकड़ी, जिला बलिया निवासी अमुक लोगों के विरुद्ध प्रश्न में उल्लिखित आशय की घटना के बारे में थाना कोतवाली बलिया पर दी गई सूचना पर एक अभियोग धारा 342/384/395 तथा 171 (ग) भा0 द0 वि0 के अधीन पंजीकृत किया गया । विवेचना के उपरान्त उक्त मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई ।

आजमगढ़ जिले के थाना मधुबन में अंकित मुकदमा

116--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 12/23-1-80, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत मधुबन थाने में एक मुकदमा अपराध संख्या 5/80 अन्तर्गत धारा 457/380 भा0 दं0 विधान, नामजद मुल्जिमानों के विरुद्ध कायम किया गया ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी और कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये थे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामांकित दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है । इस मामले में 4 अभियुक्त और प्रकाश में आए हैं जिनमें से दो अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं । उनके विरुद्ध विवेचना जारी है ।

जिलाधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का कथित शिकायती-पत्र

118--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के किसी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयाग उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को जिलाधीश, गोरखपुर के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र माह जुलाई सन् 1980 में भेजा गया था जिसमें जिलाधिकारी द्वारा उस मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को अपमानित करने एवं उसके साथ अभद्र व्यवहार करने का उल्लेख है ; यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि उन्हें संदर्भित शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

स्टीम-पावर हाउस, गोरखपुर में विद्युत् का उत्पादन

119--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार बताएगी कि स्टीम पावर हाउस, मोहद्दीपुर, गोरखपुर में 1 जून, 1980 से 12 जून, 1980 तक कितनी मेगावाट बिजली प्रतिदिन उत्पादित होती थी और 18 जून, 1980 से 18 जुलाई, 1980 तक कितनी मेगावाट बिजली प्रतिदिन उत्पादित हुई ? क्या यह सच है कि विद्युत् उत्पादन में कमी पहले की अपेक्षा हुई ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

स्टीम पावर हाउस, गोरखपुर के प्रतिदिन का विद्युत् उत्पादन 1 जून, 80 से 12 जून, 80 तक का विवरण संलग्नक प्रथम में दर्शाया गया है ।

संलग्नक प्रथम का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि उच्चतम उत्पादन प्रतिदिन 2.5 मेगावाट से 5.1 मेगावाट तक रहा ।

इसी स्टीम पावर हाउस से 18 जून, 80 से 18 जुलाई, 80 तक विद्युत् के उत्पादन का विवरण संलग्नक द्वितीय में दर्शाया गया है ।

संलग्नक द्वितीय का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिदिन का उत्पादन 3 मेगावाट से 9 मेगावाट तक रहा ।

अतः उपरोक्त तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि विद्युत् का उत्पादन पहले की अपेक्षा बढ़ा है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 886 पर) ।

बस्ती जिले की तहसील डुमरियागंज के कतिपय थानों के अन्तर्गत तस्करी के मुकदमें

120--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री माता प्रसाद पांडेय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद की डुमरियागंज, तहसील के थाने त्रिलोकपुर इटवा, मिसरौलिया एवं ढेबरुआ तथा सोनहा थाना में वर्ष 1978-79 और 1979-80 में तस्करी के कितने माल बरामद हुए और

कितने मुकदमे चल रहे हैं ? क्या सरकार इसका पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

वर्ष 1978-79 (1-4-78 से 31-3-79 तक) में बस्ती जनपद के थाना इटवा में 2,300 रु0 का विदेशी कपड़ा एवं थाना ढेबरुवां में 6,306 रु0 का विदेशी कपड़ा, 15,600 रु0 का 52 कि0 ग्रा0 गांजा एवं 3,210.60 की 16 बोरी चीनी बरामद हुई। थाना सोनहा, मिश्रौलिया और त्रिलोकपुर में कोई बरामदगी नहीं हुई। वर्ष 1979-80 में थाना इटवा में 43,700 रु0 का विदेशी कपड़ा, थाना ढ़ेबरुवा में 52,611 रु0 के विदेशी कपड़े व घड़ियां आदि 5,400 रु0 का 18 कि0 ग्रा0 गांजा 74.16 पैसे का 36 लीटर डीजल, सोनहा थाने में 360 रु0 का विदेशी कपड़ा बरामद हुए। थाना मिश्रौलिया एवं त्रिलोकपुर में कोई बरामदगी नहीं हुई। इन दोनों वर्षों में गाजा की बरामदगी से सम्बन्धित 8 मुकदमें, चीनी की बरामदगी से सम्बन्धित एक मुकदमा और डीजल की बरामदगी से सम्बन्धित एक और कुल मिलाकर 10 मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं। शेष मामले जो विदेशी कपड़ों व घड़ियों आदि की बरामदगी से सम्बन्धित थे केन्द्रीय कस्टम विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए सौप दिये गये, पूर्ण विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 888 पर)।

बदायूं जिले के थाना उजमानी में श्री दिनेश शर्मा के विरुद्ध लिखायी गयी रिपोर्ट

122--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जनपद के उजमानी थाने में तत्कालीन परगना अधिकारी ने 6 जून, 1979 को धारा 3 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट दिनेश शर्मा के विरुद्ध दर्ज कराई थी ? उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त अपराध की विवेचना प्रभारी निरीक्षक उझानी द्वारा की जा रही है।

विद्युत गृह, सोहावल, जिला फैजाबाद में कोयले की खपत

123--श्री दल सिंगार यादव--

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाष्प विद्युत गृह, सोहावल (फैजाबाद) में सन् 1979-80 एवं मई, जून एवं जुलाई, 1980 में कितना कोयला प्रति यूनिट बिजली पैदा करने में खर्च हुआ और उपरोक्त अवधि में कितनी राख प्रति दिन कोयला जलने पर प्राप्त हुई ? क्या यह सही है कि कोयले की मात्रा पहले की अपेक्षा अधिक खर्च हो रहा है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री ब्रह्म दत्त—

वर्ष 1979–80 तथा मई, जून एवं जुलाई 1980 में वाष्प विद्युत् गृह सोहावल में कोयला की खपत निम्न तालिका में दर्शाया गयी है :—

अवधि	विद्युत् में कोयले की खपत (कि० ग्राम प्रति यूनिट)
1979–80	1. 46
मई, 1980	1. 56
जून, 1980	1.57
जुलाई, 1980	1. 49

इस बिजलीघर के लिए ग्रेड 'बी' का कोयला सप्लाई होता है जिसमें राख की मात्रा 21 से 23 प्रतिशत होती है परन्तु जब कभी खराब कोयला आता है तब राख की मात्रा बढ़ जाती है।

कोयले की मात्रा पिछले वर्ष 79–80 की अपेक्षा अधिक खर्च हो रहा है, जिसका कारण निम्न स्तर का कोयला है।

बिजनौर जिले में हत्या की घटनायें

127—श्री थम्मन सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर में 4–1–80 से 4–8–80 तक कितनी हत्यायें हुईं तथा इनमें कितने विद्यार्थी थे और कितने हरिजन थे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला बिजनौर में प्रश्नगत अवधि में कुल 42 हत्या के मामले पंजीकृत किये गये, जिनमें 2 विद्यार्थी एवं 4 हरिजन थे।

थाना उसराहार, जिला इटावा के कान्सटेबिल श्री अजीत प्रताप सिंह द्वारा श्री गौरी शंकर मल्लाह की हत्या

136—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 26–6–80 को विधूना निवासी जिला इटावा के गौरी शंकर मल्लाह, ट्रक ड्राइवर, जो अपनी ट्रक नं० 8582 यू० एस० एफ० से ईंटा लदकर थाना उसराहार के पास पहुंचा कि उसे पकड़ कर थाने में बुलाया गया और उसका लाइसेन्स कागज एम० एन० खां, एस० आई० ने ले लिया जब वह ट्रक चालू करने लगा तो अजीत प्रताप सिंह सिपाही ने सरकारी राइफल से गोली मार कर उसकी हत्या कर दिया ? यदि हां, तो इस

सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस मामले को पुलिस–डाकू मुठभेड़ दिखाया गया और इसकी जांच भी नही कराई गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में वर्णित घटना के सम्बन्ध में का0 अजीत प्रताप सिंह को दिनांक 26–6–80 को ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा उसके विरुद्ध एक अभियोग अन्तर्गत धारा 302 भा0 दं0 वि0 एवं 161 भा0 दं0 वि0 तथा 5 (2) पी0 सी0 एक्ट थाना उसराहार (जिला इटावा) में पंजीकृत किया गया । सब–इन्सपेक्टर श्री मुख्तार अहमद खां के विरुद्ध भी एक अभियोग अन्तर्गत धारा 161 भा0 दं0 वि0 एवं 5 (2) पी0 सी0 ऐक्ट थाना उसराहार में पंजीकृत किया गया । विवेचनोपरान्त उक्त दोनों अभियोगों में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया तथा वह सभी मुकदमें न्यायालय के विचाराधीन हैं । इस मामले को डाकू–पुलिस मुठभेड़ की संज्ञा देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रतापगढ़ जिले के महेशगंज में थाना स्थापित किये जाने की मांग

142––श्री सरजू प्रसाद सरोज––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिहार प्रतापगढ़ में महेशगंज स्थान को पुलिस स्टेशन (थाना) घोषित होने की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है किन्तु अभी तक महेशगंज थान के रूप में कार्यान्वित नहीं किया गया ? यदि कार्यवाही में कमी हो, तो उसकी पूर्ति करके कब तक थाना घोषित किया जायगा ? क्षेत्रीय अपराध वृद्धि से महेशगंज को थाना बनाने की मांग अधिक है ? शासन व्यवस्था में हो रही देरी के लिए उत्तर दें ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

जनपद प्रतापगढ़ में थाना बाघराय के अन्तर्गत महेशगंज में थाना स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं ।

लोक सेवा अधिकरण में लम्बित मुकदमें

145––श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय लोक सेवा अधिकरण के सामने ऐसे विचाराधीन मामले कितने हैं जो गत 5 वर्षों से अधिक अवधि से विचाराधीन हैं ? ऐसे कितने हैं कि जो 7 वर्षों से अधिक अवधि से विचाराधीन हैं ? इन विचाराधीन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

दिनांक 1–9–1980 से सम्बन्धित सूचना के अनुसार लोक सेवा अधिकरणों के सामने 94 वाद 5 वर्ष तथा 37 वाद 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि के इस समय विचाराधीन हैं । इन लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए अधिकरण कार्यशील हैं । शासन इस समस्या की ओर जागरूक है और अगस्त 1980 में एक 5वां अधिकरण भी गठित किया गया है ।

वाराणसी ईश्वरगंगी मोहल्ला के लोटा दास मठ का विवाद

148--श्री मोहन सिंह--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वाराणसी स्थित जैतपुरा थानान्तर्गत बाबा लोटा दास मठ ईश्वर गंगो में व्यवस्था सम्बन्धी विवाद है और उस विवाद के निपटारे तक शासन ने पुलिस सुरक्षा के आदेश जून, 1980 में दिए थे ? यदि हां, तो इस विवाद के निपटारे हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार मोहल्ला ईश्वरगंगी थाना जैतपुरा (वाराणसी) क्षेत्र में लोटादास के टीला नामक मठ की व्यवस्था सम्बन्धी विवाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है ।

विवाद को देखते हुए पुलिस ने निरोधात्मक कार्यवाही धारा 107/116 जा0 फौ0 के अन्तर्गत की है जो न्यायालय में विचाराधीन है । स्थानीय पुलिस द्वारा पुलिस गश्त की सुदृढ़ व्यवस्था भी की गई है ।

[दिनांक 23 सितम्बर, 1980 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न]

वाराणसी जिले के कतिपय ग्रामों में प्राइमरी स्कूल खोले जाने की मांग

1--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1--गाँव पिंडरा, थाना, असिला, खन्दक, 2--मंगारी, वगंगापुर, नेवादा ब्लाक पिंडरा तथा गांव 1--बरही नेवादा, ताड़ी धमहापुर, 2--चिलबिला, कुंडी कुसुमुरा, 3--बड़ागांव, गांकला, 4--बसनी, रामपुर 5--दादूंपुर, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में उर्दू पढ़ने वाले बालकों एवं बालिकाओं की संख्या को देखते हुये सरकार उर्दू, हिन्दी माध्यम के एक-एक प्राइमरी स्कूल पांचों स्थानों में अलग से खोलने पर विचार करेगी और उर्दू के अध्यापकों की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्राम खन्दक व गंगापुर के अलावा अन्य गांवों में प्राइमरी विद्यालय चल रहे हैं । इन दो गांवों में विद्यार्थियों की संख्या नगण्य होने से, इन गांवों के विद्यार्थी समीपवर्ती स्कूलों में जाते हैं ।

उर्दू अध्यापकों की व्यवस्था हेतु उन विद्यालयों में, जिनमें मानक के अनुसार विद्यार्थी हैं, आदेश जा रहे हैं ।

2--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

[तीसरे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 53 के अन्तर्गत उत्तरित]

देवरिया जिले के नारायणपुर गांव की घटना के सम्बन्ध में पुलिस कर्मचारियों का निलम्बन

3--श्री मोहन सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विगत 14 जनवरी, 1980 को देवरिया जिले के नारायणपुर गांव में कथित पुलिस बर्बरता के कारण किन-किन

पुलिस कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था ? इनमें से कितने को बहाल किया जा चुका ह । कितने लोगों को चार्जशीट दी जा चुकी है और कितन अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

नारायणपुर की घटना के सम्बन्ध में निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों को निलम्बित किया गया था--

(1) श्री महावीर प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक, क्षेत्राधिकारी पडरौना, जनपद देवरिया ।

(2) श्री लक्ष्मी नरायन चतुर्वेदी, थानाध्यक्ष, थाना कप्तानगंज, देवरिया।

(3) श्री इन्द्रासन सिंह, थानाध्यक्ष, थाना हाटा, जनपद देवरिया ।

(4) श्री अनिरुद्ध सिंह, उपनिरीक्षक, थाना कप्तानगंज, जनपद देवरिया ।

श्री महावीर प्रसाद उप पुलिस अधीक्षक को बहाल किया जा चुका है ।

12 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध एक अभियोग में चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है । 10 अन्य के विरुद्ध विवेचना प्रगति में है ।

बड़ागांव-कुंडी-चिलबिला मार्ग एवं चिवराव-धौकलगंज मार्ग, जिला वाराणसी को पक्का किए जाने की मांग

4--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बड़ागांव कुंडी चिलबिला कुसमार्ग तथा चिवराव-धौकलगंज मार्ग, जिला वाराणसी को मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश ने क्रमशः पत्रांक 2907/पी0एल0/754 पी0एल0/ओ0क्यू0, 19 अप्रैल, 1980 एवं पत्रांक 2911 पी0एल0/753-पी0एल0/ ओ0 क्यू0, दिनांक 19 अप्रैल, 1980 के द्वारा प्रस्ताव बना कर पक्का करने हेतु संयुक्त सचिव पी0डब्ल्यू0डी0, उत्तर प्रदेश शासन को भेजा है ? यदि हां, तो क्या इसकी स्वीकृति दे दी गई है ? इस सम्बन्ध में 10 जून, 1980 को प्रश्नकर्त्ता के माननीय मुख्य मन्त्री को लिखे गये पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां ।

जी नहीं ।

यह मामला विचाराधीन है ।

पिण्डरा-देवराई-सरांव मार्ग, जिला वाराणसी के निर्माण की मांग

5--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिंडरा देवराई-सरांव मार्ग वाराणसी जिला वाराणसी को बनाने हेतु अधिशासी अभियन्ता,

पी0डब्ल्यू0डी0 ने अपने पत्रांक सं0 410 सब0–वाराणसी 47/99, दिनांक 16 जनवरी, 1980 द्वारा प्रस्ताव बनाकर मुख्य अभियन्ता, पी0 डब्ल्यू0डी0 उ0 प्र0 को भेजा है कि उक्त मार्ग बनाने की स्वीकृति दे दी जाय ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगदीश प्रसाद––

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग सूखा योजना में स्वीकृत हो गया है ।

टिकली कोयला औद्योगिक इकाइयों को ब्रीज कोक का आवंटन

6––श्री बलवीर सिंह––

क्या उद्योग मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिकली कोयला की औद्योगिक इकाइयां अपने प्रदेश में कितनी पंजीकृत हैं ? तथा वर्ष 1980 में किस-किस इकाई को कितना-कितना ब्रीज कोक आबंटित किया गया है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर––

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

थाना इन्दरगढ़, जिला फर्रुखाबाद का पुलिस द्वारा ग्राम अनन्तपुर के हरिजन विद्यार्थी का गिरफ्तार।

7––श्री राम स्वरूप वर्मा––

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या पुलिस महानिरीक्षक को दिनांक 10 जुलाई, 1980 को इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई कि ग्राम अनन्तपुर थाना इन्दरगढ़, जिला फर्रुखाबाद के एक हरिजन विद्यार्थी को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके घर के लोगों को मारा व चालान कर दिया ? यदि हां तो उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय की शिकायतों के बारे में पुलिस महानिरीक्षक को प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच राजपत्रित अधिकारी द्वारा कराई गई । जांच से आरोप निराधार पाये गए ।

राज्य विद्युत् परिषद् की उपभोक्ताओं पर बकाया धनराशि की वसूली

8––श्री हुकम सिंह––

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 30 जून, 1980 तक विद्युत् परिषद् की कुल कितना रुपया बकाया के रूप में उपभोक्ताओं पर वाजिब था और उसमें कितना रकम उद्योगपतियों पर, कितनी कृषकों पर बाकी थी ? सरकार बकाया को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त––

30 जून, 1980 तक विद्युत् परिषद् में उपभोक्ताओं के विरुद्ध 82.80 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया थी, जिसमें उद्योगपतियों के विरुद्ध 11.79

करोड़ रुपये की धनराशि एवं कृषकों के विरुद्ध 27.10 करोड़ रुपये की धन-राशि बकाया थी ।

निजी नलकूप तथा पंपिंग सेट के उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य उपभोक्ताओं से बकाया को वसूल करने के लिये राज्य विद्युत परिषद् ने जून, 1980 में 30 सितम्बर, 1980 तक के लिए यह आदेश दे दिये हैं कि जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन विद्युत देयों के भुगतान न करने के कारण कटे पड़ हैं उनके विरुद्ध बकाया धनराशि के 50 प्रतिशत यदि उपभोक्ता भुगतान कर देते हैं तो उसे जोड़ दिया जाय तथा शेष धनराशि को अधिभार सहित तीन समान मासिक किस्तों में वसूल कर लिया जाय । यह भी कड़े आदेश दे दिय गये हैं कि यदि कोई उपभोक्ता देय धनराशि या कोई किस्त समयानुसार जमा नहीं करता है तो उसका कनेक्शन तत्काल काट दिया जाय और साथ ही देय धनराशि भू-राजस्व की तरह वसूल करन के लिए ड्यूज रिकवरी ऐक्ट की धारा 3 तथा 5 के नोटिस जारी करें ।

2--बकाया धनराशि को भू-राजस्व की तरह वसूल करने के लिये वसूल प्रमाण-पत्र जिलाधिकारियों को भेजे गये जिसमें से माह मार्च, 1980 तक 19.36 करोड़ रुपये के वसूली प्रमाण-पत्रों की वसूली जिलाधिकारियों द्वारा अपेक्षित है । क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं कि वे इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके वसूली सुनिश्चित करें । राजस्व विभाग ने समस्त जिलाधिकारियों को तत्परता से कार्यवाही करने के लिए आदेश दिये हैं ।

परिषद् द्वारा अधिग्रहीत भूतपूर्व लाइसेंसधारियों के मामलों को तय करने एवं उनको संदेय धनराशि के निर्धारण हेतु शासन द्वारा चार विशेष अधिकारी, विद्युत नियुक्त किये गये हैं जिससे भूतपूर्व लाइसेंसधारियों के विरुद्ध बकाया धनराशि का नियमानुसार समायोजन हो सके । परिषद् के क्षेत्रीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये हैं कि बकाया धनराशि के भुगतान प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयास किये जायं एवं इस दिशा में जिन अधिकारियों द्वारा उदासीनता बरती जावेगी उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाय ।

9-10--श्री निर्भय नारायण सिंह--

[3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 54-55 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

थाना असंदरा के थानाध्यक्ष, श्री रण विजय सिंह, जिला बाराबंकी के विरुद्ध शिकायती-पत्र एवं स्थानान्तरण

11--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिला के थाना असंदरा के एक थानाध्यक्ष (श्री रण विजय सिंह) के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा जनता को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किये जाने के विरुद्ध राष्ट्रपति शासनकाल-1980 में कितने शिकायती-पत्र आई० जी० पुलिस को प्राप्त हुए ? उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

सात शिकायती-पत्र प्राप्त हुये थे जिनकी जांच की जा रही है ।

12--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या यह सही है कि माह जून, 1980 तथा 10 जुलाई, 1980 के बीच उक्त प्रश्न में उल्लिखित अधिकारी का एक से अधिक बार स्थानान्तरण किया गया तथा बाद में रोक दिया गया ? यदि हां तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्रश्नगत अवधि में श्री रण विजय सिंह थानाध्यक्ष, असंदरा का स्थानान्तरण केवल एक बार किया गया था जो श्री सिंह के प्रार्थना-पत्र पर उनकी पारिवारिक समस्याओं के दृष्टिगत निरस्त कर दिया गया ।

थाना सलेमपुर, जिला देवरिया के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों की घटना

13--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1 मार्च, 1980 से 30 जून, 1980 तक थाना सलेमपुर, जिला देवरिया के अन्तर्गत कितनी चोरियां, डकैतियां, राहजनी, हत्याओं एवं बलवा की घटनायें हुईं, उनमें से कितन मामलों में चार्जशीट लगा दी गई तथा कितने में फाइनल रिपोर्ट ? जिन मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गयी है उनके कारण क्या ? ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जनपद देवरिया के अन्तर्गत थाना सलेमपुर में 1 मार्च, 1980 से 30 जून, 1980 तक की अवधि में चोरी के 13, डकती, राहजनी तथा हत्या के एक-एक एवं बलवा के 5 मुकदमें अंकित हुए जिनमें से क्रमशः 5, एक-एक, एक एवं 3 मामलों में आरोप-पत्र प्रेषित किये गये । चोरी के 8 तथा बलवा के दो मामलों में फाइनल रिपोर्ट प्रेषित की गई । चोरी के मामलों में माल एवं मुलजिम का पता न चलने के कारण एवं बलवे के मामलों में साक्ष्य के अभाव में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

14--श्री कुबेर भन्डारी तथा श्री हरिवंश सहाय--

[7वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को आवास का आवंटन

15--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय कालोनी महानगर, लखनऊ में बी० और सी० टाइप के कितने आवास हैं और उनमें से कितने आवास अनुसूचित जाति के अधिकारियों, कर्मचारियों को आवंटित हैं ? क्या अनुसूचित जाति का आरक्षण पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्या आरक्षण पूर्ण करने हेतु रिक्त होन वाले आवास अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ में बी0 और सी0 टाइप के क्रमशः 94 तथा 104 आवास हैं । चूंकि इन आवासों का आवंटन वर्ष 1957-58 में हुआ था जबकि आवास आवंटन में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों/अधिकारियों के निमित्त आरक्षण नहीं था, अतः विभाग म इस आशय के अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं । तदनुसार सचिवालय कालोनी महानगर में अध्यासित अनुसूचित जाति के कर्मचारियों/अधिकारियों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है । हर कालोनी म आवासों के आवंटन के लिये अलग-अलग आरक्षण का कोटा पूरा किया जाना नियमान्तर्गत आवश्यक नहीं है । लखनऊ स्थित सभी सरकारी भवनों के पूल के विषय में सर्वेक्षण कराया जा रहा है । सर्वेक्षण पूरा होते ही आवश्यक कार्य-वाही की जायेगी ।

गोरखपुर जिले के ग्राम बांसपार म डकैत, श्री हजरत की हत्या

16--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सरकार को इस बात का जानकारी है कि 8/9 जुलाई, 1980 को रात में गोरखपुर जिले के महराजगंज थानान्तर्गत बांसपार गांव में ग्राम प्रधान (श्री गौरी शंकर सिंह) के नेतृत्व में शातिर डकैत (श्री हजरत) को गांव वालों ने मार डाला ? यदि हां तो क्या सरकार गांव प्रधान एवं ग्रामवासियों के इस शौर्य पूर्ण कार्य के लिए पुरस्कार देने जा रहहै ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । ग्रामीणों को पुरस्कृत करने के प्रश्न पर नियमान्तर्गत विचार करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं ।

प्रदेश में आई0 ए0 एस0, आई0 पी0 एस0 एवं पी0 सी0 एस0 अधिकारियों का स्थानान्तरण

17--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में 1 मार्च, 80 से 30 जून, 80 तक कुल कितने आई0 ए0 एस0, आई0 पी0 एस0, पी0 सी0 एस0 एवं प्रान्तीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण किए गये ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

पूरे प्रदेश में 1 मार्च 80 से 30 जून 80 तक कुल 143 आई0 ए0 एस0, 88 आई0 पी0 एस0, 282 पी0 सी0 एस0 एवं 146 प्रान्तीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये ।

हैण्डलूम इम्पोरियम द्वारा वी0 आई0 पी0 को दी गयी छूट

18-19--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री जटा शंकर सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश हैण्डलूम एम्पोरियम ने अभी हाल में मई/जून, 1980 में रियायती दरों पर बिक्री की घोषणा की थी ? यदि हां, तो बिक्री में किस दर से छूट दी गयी थी ?

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विभाग में एक स्पेशल छूट (बी० आई० पी० डिस्काउन्ट) कूपन्स जारी किये गये थे ? यदि हां तो छूट देने का आधार क्या था ? तथा जिन व्यक्तियों को छूट दी गई उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अल्मोड़ा मगनेसाइट, अल्मोड़ा के भागीदारों को लाभांश का वितरण

20--श्री गोपाल राम दास--

क्या सरकार को यह जानकारी है कि जिला अल्मोड़ा के झीरोली मटेला में संयुक्त क्षेत्र में अल्मोड़ा में मग्नीसाइट खान व फैक्ट्री चलायी जाती है ? यदि हां, तो इसमें किसकी कितनी भागीदारी ह ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

जी हां । जिला अल्मोड़ा के झिरौली में खान व मटेला में फैक्ट्री अल्मोड़ा मैंगनेसाइट द्वारा संयुक्त क्षेत्र में चलाई जाती है । इसमें भागीदारों का विवरण परिशिष्ट में संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 891 पर)

21--श्री गोपाल राम दास--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अल्मोड़ा मैंगनीसाइट उद्योग में मार्च, 1977 से 1980 मार्च तक कितना उत्पादन हुआ और उस उत्पादन में किस भागीदार को कितना हिस्सा लाभांश के रूप में वितरण किया गया ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

अल्मोड़ा मैंगनेसाइट उद्योग में मार्च, 1977 से 1980 मार्च तक खदान से कच्चे मैंगनेसाइट का उत्पादन 1,44,440 टन (3980 टन कच्चे मैंगनेसाइट के 2" से छोटे चिप्स संहित) तथा डी० बी० मैंगनेसाइट का उत्पादन 56,750 टन हुआ । वर्ष 1978-79 में पहली बार सभी भागीदारों को वर्ष के लाभ में से 10 प्रतिशत की दर से लाभांश दिया गया जिसका विवरण परिशिष्ट में संलग्न है । इससे पूर्व किसी भी भागीदार को लाभांश का कोई हिस्सा नहीं दिया गया ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 893 पर)

22-23--श्री गोपाल राम दास--

[6ठें बुधवार म अतारांकित प्रश्न संख्या 13-14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अल्मोड़ा मैंगनेसाइट, अल्मोड़ा की तालाबन्दी एवं महाप्रबन्धक के कार्यालय पर व्यय की जाने वाली धनराशि तथा महाप्रबन्धक द्वारा लिया गया अवकाश

24--श्री गोपाल राम दास--

क्या सरकार को जानकारी है कि अल्मोड़ा मैंगनसाइट खान व फैक्ट्री में बिना पूर्व सूचना के महाप्रबन्धक व अधिकारियों ने 18/19 जनवरी, 1980 को तालाबन्दी की ? यदि की है, तो इसका क्या कारण था ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

जी हां । तालाबन्दी निम्नलिखित कारणों से की गयी :

1--संस्थान के लेखा विभाग के कर्मचारियों द्वारा अवैधानिक हड़ताल ।

2--उपरोक्त के प्रतिकूल प्रभावस्वरूप खदान एवं फैक्ट्री के कर्मचारियों से तुरन्त हिंसात्मक व्यवहार की आशंका ।

3--अधिकारियों एवं सुपरवाइजरों को बार-बार हतोत्साहित किया जाना, गाली देना और शारीरिक कष्ट की धमकी देना ।

25--श्री गोपाल राम दास--

क्या सरकार के संयुक्त उद्योग मेगनीसाइट अल्मोड़ा के महाप्रबन्धक अपना कार्यालय कार्यक्षेत्र से बाहर खोले हैं ? अल्मोड़ा में खोलने में कितना वार्षिक व्यय है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

महाप्रबन्धक का कार्यालय उद्योग क्षेत्र में स्थित है । दिनांक 1 फरवरी, 1979 से उक्त कार्यालय के अतिरिक्त अल्मोड़ा में भी उनका एक कार्यालय बनाया गया । अल्मोड़ा स्थित कार्यालय के अहाते में ही एक अतिथि भवन तथा महाप्रबन्धक का निवास है जिसका सम्मिलित वार्षिक किराया 9,600 रु० है जिसमें से अपने निवास स्थान के लिए महाप्रबन्धक 4,200 रु० वार्षिक स्वयं वहन करते हैं । इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष लगभग 3000 रु० विद्युत् पर व्यय होता है जो कम्पनी वहन करती है क्योंकि कम्पनी ला बोर्ड द्वारा निर्धारित नियुक्ति की शर्तों के अन्तर्गत वे निःशुल्क विद्युत् उपभोग करन के अधिकारी हैं ।

26--गोपाल राम दास--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अल्मोड़ा मैगनीसाइट के महाप्रबन्धक कितने वर्ष से इस उद्योग में कार्यरत हैं ? वे कितनी बार लम्बी अवधि के अवकाश में गये हैं और क्यों ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

महाप्रबन्धक 16 मई, 1976 से कार्यरत हैं । वे तीन बार लम्बी अवधि के अवकाश पर अपने पैतृक स्थान हैदराबाद गए हैं क्योंकि उन्हीं दिनों उनके बच्चों की, जो नैनीताल में पढ़ते हैं, छुट्टी रहती है ।

27 -श्री मोहन सिंह--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

थानाध्यक्ष, थाना बिलग्राम, जिला हरदोई के विरुद्ध शिकायती-पत्र

28--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1980 म श्री राम भरोसे यादव, ग्राम जलालपुर, थाना बिलग्राम, जिला हरदोई का स्थानीय थानाध्यक्ष के

विरुद्ध एक शिकायती–पत्र पुलिस अधीक्षक, हरदोई, आई० जी० पुलिस (उत्तर प्रदेश) को भेजा गया ? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस अधीक्षक, हरदोई को सीधे श्री राम भरोसे यादव का कोई प्रार्थना–पत्र जून, 1980 में प्राप्त नहीं हुआ है ।

जहां तक पुलिस महानिरीक्षक को भेजे गये प्रार्थना–पत्र का सम्बन्ध है उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक 12 जून, 1980 उन्हें प्राप्त हुआ ह और पुलिस उप महा–निरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ को जांच हेतु भेजा गया जिन्होंने पुलिस अधीक्षक, हरदोई को मामले में जांच करने तथा आख्या भेजने के आदेश दिये हैं । मामले में अभी पुलिस अधीक्षक, हरदोई से जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है ।

देवरिया जिले के ग्राम सोनबरसा नोनिया पट्टी में कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता श्री विभूति नोनिया एवं श्री सकल देव लाल के बीच मारपीट की घटना

29––श्री राम आसरे वर्मा––

क्या सरकार को ज्ञात है कि 13 जुलाई, 1980 को ग्राम सोनबरसा, तहसील पडरौना, जनपद देवरिया नोनियापट्टी में कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की ओर से भूमि पर नाजायज कब्जे के प्रश्न तथा आबंटियों को भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर सभा की गई थी जिस पर उक्त श्री सकल देवलाल के गिरोह द्वारा गोली चलाने और ईंट पत्थर फिकवाने से उत्तेजना फैल गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही शासन ने की ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

दिनांक 13 जुलाई, 1980 को देवरिया जिले के ग्राम सोनबरसा नोनिया पट्टी में कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की सभा उस ग्राम के ग्राम प्रधान तथा प्रश्न में कथित सकलदेव लाल के बीच मजदूरों से अपने खेत में काम कराने के सम्बन्ध में उत्पन्न तनाव के विषय में हुई थी । उक्त सभा के पश्चात् विभूति नोनिया के नेतृत्व में लगभग 70–75 व्यक्ति सकलदेव लाल का छप्पर उजड़ने लगे । मौके पर उपस्थित पुलिस उप निरीक्षक पर विभूति नोनिया तथा उसके साथियों ने लाठी से प्रहार किया जिससे उसकी दूसरे दिन मृत्यु हो गयी । स्थिति की गम्भीरता को देखते हुये सकल देव लाल ने अपनी लाइसेन्सी बन्दूक से हवाई फायर किया जिससे आक्रमणकारी तितर–बितर हो गय । उक्त फायरिंग से कोई उत्तेजना नहीं फली थी ।

इस सम्बन्ध में थाना पटहेरवा पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ जिसके अन्तर्गत 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 16 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । 29 के विरुद्ध अभियोग–पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है तथा शेष के सम्बन्ध में विवेचना हो रही है ।

सचिवालय कालोनी, नेपियर रोड, लखनऊ में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को आवास का आवंटन

30––श्री सन्त बख्श रावत तथा श्री राम सागर––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय कालोनी, नेपियर रोड, लखनऊ में कितने क्वार्टर्स हैं और वे किस–किस विभाग के कर्मचारियों को

आवंटित किये गये हैं और आवंटन का क्या आधार है तथा उसमें से कितने क्वार्टर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को आवंटित किये गये हैं ? क्या अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों और इसे ठीक करने हेतु सरकार उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

राज्य सम्पत्ति विभाग की राजकीय नेपियर रोड कालोनी में टाइप-2 के 102 आवास स्वीकृत हैं जिनमें से अभी तक 96 आवास उपलब्ध हुये हैं। प्रतिष्टियों के विभागों के नाम की सूची संलग्न है। राज्य सम्पत्ति विभाग में तैयार की गयी सूची में मुख्यतया वरिष्ठता के आधार पर तथा कतिपय मामलों में विशेष आवासीय कठिनाईयों के कारण गुणावगुण पर विचार करके वरिष्ठता के सिद्धान्त को शिथिल करके आवंटन किया गया है। अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को 14 आवास नेपियर रोड कालोनी में आवंटित किये गये जिनमें 3 ने कब्जा नहीं लिया, हर कालोनी में आवासों के आवंटन के लिये अलग-अलग आरक्षण का कोटा पूरा किया जाना नियमान्तर्गत आवश्यक नहीं है। लखनऊ स्थित सभी सरकारी भवनों के पूल के विषय में सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण पूरा होते ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 895 पर)

माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का वेतन

31--सूबेदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के मान्यताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के साथ चल रहे प्राइमरी विभाग के शिक्षकों को सरकार द्वारा वेतन दिये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक क्रियान्वित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राइमरी विभाग माध्यमिक शिक्षा का अंग नहीं है।

थाना दुबारा, जिला बस्ती की पुलिस मुठभेड़ में मारा गया डाकू श्री रामचन्दर

32--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री मोहम्मद नबी खां--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के अन्तर्गत थाना दुबारा में जुलाई 1980 के द्वितीय सप्ताह में थानाध्यक्ष द्वारा कोई इनकाउन्टर दिखाया गया है ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

दिनांक 6/7-7-80 को लगभग 2 बजे रात्रि में जनपद बस्ती का कुख्यात डकैत रामचन्दर बस्ती पुलिस के साथ हुयी मुठभेड़ में मारा गया था विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ 896 पर)

33--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 43 के अन्तर्गत उत्तरित]

वाराणसी जिले के परगना कोल असला एवं पन्द्रहा में प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल की स्थापना हेतु सर्वेक्षण रिपोर्ट

34--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 75/76 में वाराणसी जनपद के दो परगने कोल असला एवं पन्द्रहा का शिक्षा विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराया गया था कि उक्त परगनों में कहां-कहां प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, कन्या जू0 हाई स्कूल तथा कन्या हाई स्कूल की आवश्यकता है और उसकी रिपोर्ट उप निदेशक, वाराणसी, शिक्षा विभाग ने सन् 76 में सरकार को दे दी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी

जी हां ।

जनपद वाराणसी के परगने कोल असला एवं पन्द्रहा की सर्वेक्षण आख्या में उल्लिखित स्थानों में से विकास खंड पिंडरा के ग्राम मरूई तथा असवालपुर और विकास खंड बडागांव के कुसुमरा, लक्ष्मीपुर व धनंजयपुर में प्राइमरी स्कूल खोले जा चुके हैं तथा बड़ागांव विकास क्षेत्र के ग्राम सिसवां एवं पिंडरा ब्लाक के ग्राम अजईपुर में भी परिषदीय जूनियर बेसिक विद्यालय संचालित हैं ।

जहां तक सर्वेक्षण आख्या में उल्लिखित अन्य स्थानों पर प्राइमरी स्कूल, कन्या जूनियर हाई स्कूल तथा कन्या हाई स्कूल खोलने का प्रश्न है, सम्पूर्ण जनपद के असेवित क्षेत्र को दृष्टि में रखते हुये जनपद को आवंटित विद्यालयों में से इन स्थानों पर भी विद्यालय खोले जायेंगे । सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ 897 पर) ।

पिंडरा, जिला वाराणसी में कन्या हाई स्कूल खोलने का आदेश

35--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 79 में स्थान पिंडरा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में एक राजकीय कन्या हाई स्कूल खोलने का आदेश तत्काल शिक्षा मंत्री ने दिया था और शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा था ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि ब्लाक पिंडरा में बालिकाओं के लिये एक भी हाई स्कूल नहीं है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

जी हां ।

जांच-पड़ताल कराने पर पिंडरा में बालिका विद्यालय खोलने का औचित्य नहीं पाया गया ।

पिंडरा से 8 कि0 मी0 की दूरी पर एक बालिका हाई स्कूल बसनी में है ।

जूनियर हाई स्कूल, कीरतपुर एवं जूनियर हाई स्कूल, कुवार, जिला वाराणसी का भवन

36—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जू0 हाई स्कूल, किरतपुर, ब्लाक पिंडरा व जूनियर हाई स्कूल, कुवार, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के पास इमारत नहीं है ? यदि हां, तो क्यों और क्या उक्त दोनों विद्यालयों की इमारत बनाने की व्यवस्था की जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

प्रश्नगत जूनियर हाई स्कूलों के भवनों का निर्माण धनाभाव के कारण अभी तक नहीं हो सका है ।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश के भवनहीन जूनियर हाई स्कूलों के भवनों का निर्माण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है और जैसे-जैसे धन की व्यवस्था होती जायेगी, भवनों के निर्माण हेतु धन स्वीकृत किया जायेगा इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत इन भवनों का भी निर्माण कराया जायेगा किन्तु किसी अवधि का आश्वासन देना सम्भव नहीं है ।

जालौन लिफ्ट कैनाल, ललितपुर का विद्युतीकरण

37—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन लिफ्ट कैनाल, जलालपुर में बिजली की लाइन बिछाने हेतु 12 जून, 1979 को कोई प्रार्थना-पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई और उस पर सम्पूर्ण लाइन कब तक पूर्ण हो जायगी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जालौन लिफ्ट कैनाल, ललितपुर के विद्युतीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र राज्य विद्युत् परिषद् को दिनांक 23 अगस्त, 1975 को प्राप्त हुआ ।

लिफ्ट कैनाल के विद्युतीकरण के लिए 66 के0 वी0 माताटीला-ललितपुर-जालौन लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

जालौन लिफ्ट कैनाल का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा जून 1983 के आसपास तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है । राज्य विद्युत् परिषद् का कार्य इसी लक्ष्य की प्राप्ति के अनुरूप है ।

सूखा पीड़ित क्षेत्रों में छात्रों से फीस न लिए जाने का निर्णय एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों की फीस

38—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष सूखा पीड़ित क्षेत्रों से 6 माह की फीस न लेने का कोई निर्णय शासन द्वारा लिया गया था ? यदि

हां, तो क्या लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा छात्रों को गत वर्ष में ली गयी फीस का समायोजन इस सत्र में करने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो उसका पालन करने में विलम्ब करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लहरपुर, खैराबाद, जिला सीतापुर में कारखाने के निर्माण की मांग

39--श्री हर गोविन्द वर्मा--

क्या उद्योग मन्त्री छोटे कस्बों में उदाहरण के तौर पर लहरपुर खैराबाद (सीतापुर) ऐसे कस्बों में कोई ऐसे कारखाने बनाने की योजना बना रहे हैं जिससे वहां के गरीबों को काम मिल सके और छोटे कस्बे तरक्की कर सकें ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

कारखाना लगाने की योजना नहीं है । शासन द्वारा उद्यमियों/संभावित उद्यमियों को विभिन्न सुविधायें/सहायता/मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर स्वयं लघु उद्योग स्थापनार्थ प्रोत्साहित किया जाता है ।

फैजाबाद जिले के तारुन एवं मालीपुर, हैरिन्टनगंज में थाने के स्थापना की मांग

40--श्री सीता राम निषाद, श्री प्रिय दर्शी जैतली, कु0 सुमनलता दीक्षित, श्री जैराज गौतम, श्री सुरेन्द्र कपिल तथा श्री कल्याण सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में नया थाना मालीपुर, तारुन व हरिन्टीन गंज में स्थापना की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त थाने कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

शासन ने जनपद फैजाबाद सहित पूर्ण प्रदेश में 203 नये थानों की चरणबद्ध रूप से स्थापना का निर्णय लिया है । फैजाबाद में मालीपुर व तारुन थानों की स्वीकृति के आदेश जारी हो चुके हैं । हंसवर में नये थाने की स्वीकृति वर्ष 1981-82 में दिये जाने की सम्भावना है । हैरिन्टीनगंज में थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

फैजाबाद जिले के थाना सम्मनपुर, बेवाना एवं अकबरपुर का भवन

41--श्री सीताराम निषाद--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद के थाने सम्मनपुर, बवाना व अकबरपुर के भवन निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां तो यह निर्माण कार्य कब से किया जायेगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

थाना सम्मनपुर के भवन निर्माण के लिये अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है । अतः भूमि मिलने पर ही इस थान के भवनों का निर्माण सम्भव हो पायेगा । थाना बेवाना के नये भवन निर्माण की भौतिक प्रगति 85 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है लेकिन न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित कर दिये जाने के कारण निर्माण कार्य रोक देना पड़ा है ।

थाना अकबरपुर के नये भवन का निर्माण का कार्य इस वर्ष के बजट प्रस्तावों का नई मदों में शामिल है । विधान मंडल द्वारा बजट पारित कर दिए जाने के पश्चात् ही इसकी वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 1980–81 में प्रदान की जायेगी और तत्पश्चात् ही कार्य आरम्भ हो सकेगा ।

जिला परिषद्, बहराइच के स्कूलों का मरम्मत हेतु धनराशि के आवंटन सम्बन्धी–पत्र

42—श्री जटा शंकर सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच को जून मास, 1980 के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में प्रश्नकर्ता का कोई इस आशय का पत्र मिला है कि गत वर्ष स्कूलों का मरम्मत हेतु कितना धन किस स्कूल को आवंटित किया गया है और उक्त धन के उपयोग में अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती प्रार्थना–पत्रों की जांच कराये जाने की भी बात कही गई थी ? यदि जांच कराई गयी तो परिणाम क्या निकला ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

माननीय विधायक का पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच को 19–6–80 को मिला था ।

जनपद बहराइच में 59 विद्यालय भवनों की मरम्मत हेतु गत वर्ष 90,390 रु० धन आवंटित किया गया था जिनमें 53 विद्यालयों के भवनों की मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है । प्राइमरी पाठशाला सिंहोपुरवा के भवन की मरम्मत के संबंध में प्राप्त शिकायती–पत्र के आधार पर क्षेत्रीय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक से आख्या प्राप्त की गई । आख्यानुसार विद्यालय भवन की मरम्मत के कार्य में कोई अनियमितता नहीं पाई गयी ।

बहराइच जिले की प्राइमरी पाठशाला, कोड़री, महराजसिंह नगर व भरथापुर की बन्दी

43—श्री जटा शंकर सिंह—

क्या यह सही है कि नानपारा विधान सभा क्षेत्र स्थित प्राइमरी स्कूल—(1) कोड़री, (2) महराज सिंह नगर, (3) भरथापुर अध्यापकों की लगातार अनुपस्थिति के कारण बन्द पड़े रहते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राइमरी पाठशाला कोड़री विकास क्षेत्र शिवपुर, भरथापुर तथा महराज सिंह नगर विकास क्षेत्र सिंहोपुरवा, जो क्रमशः बाढ़ क्षेत्र से पूर्णतया प्रभावित हैं, तथा

वर्तमान में आवागमन से दूरस्थ अंचल में स्थित हैं में जांच के समय अध्यापकगण अनुपस्थित पाये गये। वर्तमान समय में विद्यालय खुले हुये हैं ।

टिहरी जिले के एस0डी0ओ0 हाइडिल, (वितरण) के नरेन्द्र नगर स्थित कार्यालय का कथित स्थानान्तरण

44--श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी जनपद में एस0डी0ओ0, हाइडिल (वितरण), नरेन्द्र नगर के कार्यालय को नरेन्द्र नगर से हटाकर चम्बा में स्थापित करने के विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

टिहरी जनपद में एस0डी0ओ0 हाइडिल (वितरण), नरेन्द्रनगर के कार्यालय को नरेन्द्र नगर से हटाकर चम्बा में स्थापित करने का न तो कोई निर्णय हुआ है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है ।

श्री राम सबद मिश्रा, अध्यक्ष, कोआपरेटिव फेडरेशन, सुल्तानपुर द्वारा मिट्टी के तेल की अवैध बिक्री

45--श्री मित्रसेन--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री राम सबद मिश्रा, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन, सुल्तानपुर जो एक पेट्रौल डीजल पम्प के मालिक हैं, ने विगत विधान सभा चुनाव के दौरान एक लाख दस हजार लीटर डीजल अनियमित ढंग से विक्रय कर लिया है जिसकी रिपोर्ट अति0 जिलाधिकारी, सुल्तानपुर ने पुलिस में दर्ज कराई है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार डीजल के सम्बन्ध में नहीं बल्कि एक लाख दस हजार लीटर मिट्टी के तेल को अनियमित ढंग से विक्रय करने के संबंध में श्री राम सबद मिश्रा आदि के विरुद्ध एक अभियोग धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जिलापूर्ति निरीक्षक, सदर, सुल्तानपुर की लिखित सूचना पर थाना कोतवाली में दिनांक 25-4-80 को पंजीकृत हुआ है। एक नामजद अभियुक्त न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुका है। मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है ।

ग्राम मुडेरी, जिला गोरखपुर के श्री देव सरन के जीप की चोरी

46--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री देव सरन, ग्राम मुडेरी, थाना पिपराइच, जिला गोरखपुर की डीजल जीप तीन आदमियों सहित 16-12-79 को गायब हो गयी जिसकी रिपोर्ट थाना कैन्ट, जिला गोरखपुर में माह दिसम्बर, 1979 में दर्ज हुई, उस पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि गोरखपुर जिले में जुलाई, 79 से जून, 80 तक जीप गायब होने की ऐसी कितनी घटनायें प्रकाश में आयीं ? और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही किया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

उक्त घटना के सम्बन्ध में एक अभियोग थाना कैन्ट, जिला गोरखपुर में दिनांक 9-1-80 को पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान जनपद देवरिया, वाराणसी, इलाहाबाद, मुजफ्फरपुर एवं नैपाल में जाकर पता लगाया तथा तलाश के लिए पूरे भारत वर्ष में संदेश भेजे गये किन्तु जीप का पता न लग सका। अतः दिनांक 15-5-80 को अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में भेज दी गयी।

उक्त घटना के अतिरिक्त जिला गोरखपुर में माह जुलाई, 79 से जून, 80 तक जीप की चोरी की तीन और घटनायें प्रकाश में आयीं जिनमें दो मामलों में जीप का पता न लगने के कारण अंतिम रिपोर्ट लगायी गयी तथा एक मामले में जीप बरामद हुई व अभियुक्त का चालान किया गया।

47--श्री मसरूर जाफरी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

जौनपुर जिले के मौजा सिद्दीकपुर के श्री रामनाथ मौर्य द्वारा थाना सरायख्वाजा में लिखायी गयी रिपोर्ट

48--श्री जंग बहादुर सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामनाथ मौर्य, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी मकान नं0 117 वार्ड मौ0 सिद्दीकपुर, जौनपुर ने कोई रिपोर्ट दिनांक 18-9-79 को जौनपुर जनपद के सरायख्वाजा थाने में दर्ज करायी थी? यदि हाँ, तो अब तक पुलिस ने उस पर क्या कार्यवाही किया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रामनाथ मौर्य ने दिनाँक 18-9-79 को थाना सराय ख्वाजा (जौनपुर) में एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 448 भा0 द0 वि0 अंकित कराया था। इस अभियोग में विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

49--श्री सीताराम निषाद--

[7वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

टिहरी गढ़वाल जिले में प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूलों के क्षतिग्रस्त भवन

50--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल जनपद के कौन-कौन बेसिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल तथा इन्टर कालेज ऐसे हैं जिनके भवन क्षतिग्रस्त हैं और जिनकी मरम्मत न होने के कारण वहां शिक्षा प्रदान करने में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं ? इन भवनों की मरम्मत हेतु कुल कितनी धनराशि की 1979-81 में मांग की गयी हैं तथा उसे स्वीकार करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

51--श्री विद्यासागर नौटियाल--

[6ठे मंगलवार के लिये स्थगित ।]

अल्मोड़ा जिले के हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों में नये विषय की मान्यता

52--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलायेंगे कि अल्मोड़ा जिले में कितने उ० मा० विद्यालय एवं इन्टर कालेजों को मान्यता हेतु आवेदन-पत्र शिक्षा सत्र 1979-80 में आये हैं और कितने विज्ञान विषय की मान्यता के हैं ? उक्त प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद अल्मोड़ा से सत्र 1979-80 में (वर्ष 1982 की परीक्षा के लिये) 11 विद्यालयों के 12 आवेदन-पत्र हाई स्कूल/इन्टर को नवीन अथवा अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद् को प्राप्त हुये थे । इनमें 3 प्रकरण विज्ञान वर्ग/विषय की मान्यता के भी थे । परिषद् मान्यता समिति द्वारा इन सभी प्रकरणों पर विचारोपरान्त केवल 4 प्रकरण संस्तुत किये गये हैं । संस्तुत प्रकरणों पर अग्रेतर कार्यवाही हो रही है ।

अकबरपुर-दोस्तपुर मार्ग एवं अकबरपुर-जलालपुर मार्ग को पक्का किये जाने की मांग

53--श्री सीताराम निषाद, कु० सुमनलता दीक्षित, श्री सुरेन्द्र कपिल, श्री जंराज गौतम तथा श्री कल्यान सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद से दोस्तपुर जाने वाली सड़क व अकबरपुर से होकर सैदापुर जलालपुर जाने वाली सड़क के लिए विभाग ने पक्का बनाने के लिए धन स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो कब और कितना, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां ।

अकबरपुर-दोस्तपुर मार्ग का आधुनिकीकरण दिनांक 9-10-79 को 17·615 लाख रु० की लागत पर स्वीकृत किया गया है । अकबरपुर-सैदापुर-जलालपुर मार्ग का नव निर्माण दिनांक 31-10-72 को 23·05 लाख रु० की लागत पर स्वीकृत किया गया है ।

प्राइमरी पाठशाला, गोहाना, जिला मैनपुरी के अध्यापक श्री राजेन्द्र सिंह के सम्बन्ध में पत्र

54--श्री बाबू सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र सिंह, स० अ०, प्रा० पा०, गोहाना, वि० खं० एका, जनपद मैनपुरी के सम्बन्ध में श्री माधव, भू० पू० विधायक का पत्र दिनांक 2-5-1980 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अनिरुद्ध उपाध्याय, परगनाधिकारी, नौगढ़, बस्ती का स्थानान्तरण

55--श्री माता प्रसाद पान्डेय--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अनिरुद्ध उपाध्याय, परगनाधिकारी नौगढ़, जनपद बस्ती इस जनपद में कितने वर्षों से नियुक्त हैं तथा इसके पहले क्या यह यहीं पर तहसीलदार पद पर भी नियुक्त रहे ? यदि हां, तो इनका कुल कार्यकाल बस्ती जनपद में कितने वर्षों का है ? सरकार इनका स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

श्री अनिरुद्ध उपाध्याय, स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर के रूप में जनपद बस्ती में लगभग 4 वर्षों से नियुक्त हैं और दिनांक 31 अक्तूबर, 1976 को स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत होने से पूर्व वे दिनांक 1 अगस्त, 1975 से बस्ती जनपद में ही तहसीलदार के पद पर तैनात थे । अतः इनका बस्ती जनपद म कुल कार्यकाल 5 वर्षों का रहा है ।

इनके इलाहाबाद स्थानान्तरण के लिये आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

बीकापुर, जिला फैजाबाद में बालिका इन्टर कालेज खोलने की मांग

56---श्री सीता राम निषाद--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बीकापुर क्षेत्र जनपद फैजाबाद में लड़कियों की शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए शासन ने बीकापुर में राजकीय बालिका इन्टर कालेज स्थापित करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या इसी सत्र से पढ़ाई की व्यवस्था प्रारम्भ हो जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जिले के कतिपय हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों को मान्यता दिये जाने की मांग

57---श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने जनवरी एवं 16 फरवरी, 1980 तक प्रदेश के 58 विद्यालयों को जिसमें कुछ हाई स्कूल, कुछ इन्टर की मान्यता तथा कुछ कालेजों में कुछ विषयों को पढ़ाने की मान्यता के सम्बन्ध म 60 मामलों में निर्णय ले लिया था और राष्ट्रपति शासन के लागू हो

जाने से उन निर्णयों पर अमल नहीं हो पाया ? क्या उनमें जनता जूनियर हाई स्कूल, विश्वनाथपुर, बड़ागांव, वाराणसी को हाई स्कूल की मान्यता व कमला बालिका विद्यालय, बस्ती, वाराणसी को इन्टर की मान्यता एवं नेशनल इन्टर कालेज, पिंडरा, वाराणसी में समाज विज्ञान की मान्यता और सूर्यनारायण सिंह जूनियर हाई स्कूल, पिंडारा, वाराणसी को हाई स्कूल की मान्यता दे दी गयी हैं ? यदि हां, तो पहले के निर्णय को शासन लागू करने पर विचार कर रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

इस अवधि में इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 9(4) के अन्तर्गत 54 विद्यालयों को हाई स्कूल इन्टर की नवीन अथवा हाई स्कूल/इन्टर में अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता देने का निर्णय लिया गया था, जिसमें प्रश्नगत विद्यालय सम्मिलित नहीं थे ।

ग्राम तिलवार दांदूपुर, जिला वाराणसी के श्री नियामत के बैलों की विद्युत् स्पर्शाघात से मृत्यु एवं मुआवजा

58--श्री ऊदल--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1979 में गांव दांदूपुर, पोस्ट दांदूपुर, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के कृषक श्री नियामत के दो बैल विद्युत् करेंट लग जाने से खेत में ही मर गये थे और उसकी रिपोर्ट सब विद्युत् स्टेशन, अनई में कर दी गई थी ? क्या यह सही है कि उक्त मामले में विद्युत् मन्त्री के आदेश से जांच की गयी और दोनों बैलों की पोस्ट मर्टम रिपोर्ट भी मांगी गयी थी जिसे पशु औषधालय, अनेई, वाराणसी के डाक्टर ने रजिस्ट्री द्वारा सहायक विद्युत् निरीक्षक, जोन डी 58/52 डी रथयात्रा चौमुहानी, वाराणसी के पास भेजा था जो 20-3-80 को उन्हें मिल गया था ? यदि हां, तो मुआवजा बैलों का श्री नियामत को अब तक क्यों नही दिया गया ?

श्री ब्रह्मदत्त--

दिनांक 13 जुलाई, 1979 को ग्राम तिलवार दांदूपुर, पोस्ट दांदूपुर, जिला वाराणसी में श्री नियामत के भाई श्री अताउल्लाह अंसारी जब हल में जुते दो बैलों को चला रहे थे, उन बैलों को बिजली का करेंट लग गया जिससे दोनों बैल मर गये । प्रश्नगत दुर्घटना की जांच एवं मुआवजे के सम्बन्ध में तत्कालीन माननीय विद्युत् मन्त्री जी के आदेश दिनांक 5 अगस्त, 1979 को राज्य विद्युत् परिषद् के मुख्यालय में प्राप्त हुए थे तदनुसार सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों एवं मुख्य विद्युत् निरीक्षक से जांच आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया था ।

राज्य विद्युत् परिषद् मान्य नीति के अनुसार इस प्रकार की विद्युत् दुर्घटना के फलस्वरूप होने वाली क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कार्यवाही संबन्धित परिषदीय क्षेत्रीय समिति की आख्या एवं संस्तुति प्राप्त होने पर नियमानुसार की जाती है । समिति की संस्तुति विद्युत् निरीक्षक एवं पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट पर आधारित होती है ।

चूंकि उक्त दुर्घटना, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट एवं मुख्य विद्युत् निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत् स्पर्शाघात के कारण घटित हुई है । अतः मृत बैलों के मालिक को राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा एक हजार रुपये की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में स्वीकृत कर दी गई है ।

होम गार्ड विभाग के कमाण्डेण्ट, निरीक्षक एवं प्लाटून कमाण्डर का स्थायीकरण

59--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि होम गार्ड विभाग में जिला कमांडेन्ट, इन्सपेक्टर, प्लाटून कमांडर पद पर ऐसे तदर्थ नियुक्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनका सेवा काल 4 वर्ष से अधिक हो गया है ? उनको अब तक स्थायी न करने का क्या कारण है ? कब तक स्थायी कर दिए जायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

होम गार्ड्स संगठन में जिला कमाण्डेन्ट, निरीक्षक एवं प्लाटून कमाण्डर संवर्ग में जिन तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्तियों का सेवा काल 4 वर्ष से अधिक हो गया है, उनकी संख्या निम्न प्रकार है :

(अ) जिला कमाण्डेण्ट	.. ..	47
(ब) निरीक्षक	.. .. ..	26
(स) प्लाटून कमाण्डर	.. ..	51

इन कर्मचारियों की सेवाओं के विनियमतीकरण एवं स्थायीकरण की कार्यवाही की जा रही है । पहले यह कार्यवाही इसलिए न की जा सकी थी क्योंकि विभाग व ये पद ही अस्थायी थ । यथाशीघ्र इसको पूर्ण कर लिया जायेगा ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कासगंज, जिला एटा के लिये अध्यापकों के पद के सृजन की मांग

60--श्री मानपाल सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि जनपद एटा में नगरपालिका, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कासगंज के लिए पांच-सहायक अध्यापकों के पद सृजन हेतु आर० आई० जी० एस० आगरा को स्वीकृति देने हेतु विद्यालय की ओर से दो वर्ष से लिखा पढ़ी चल रही है, किन्तु अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्नगत विद्यालय में 24 अध्यापिकाओं के पद सृजन हेतु पिछले दो वर्षों से आर० आई० जी० एस० आगरा से लिखा-पढ़ी चल रही है । इनमें से 16 पद ऐसे भी हैं जिनके सृजन हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही न केवल उन पदों पर नियुक्तियां कर दी गई बल्कि नियुक्त की गई अध्यापिकाओं को स्थाय भी कर दिया गया है । इस अनियमितता के कारण अतिरिक्त पदों के सृजन में विलम्ब हुआ है । मामले को नियमित करने के उद्देश्य से उक्त सभी 24 पदों के सृजन हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

कन्या इण्टर कालेज, कासगंज, जिला एटा का भवन

61--श्री मानपाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कन्या इन्टर कालेज कासगंज में छात्राओं के पढ़ने के लिए कमरों की समुचित व्यवस्था नहीं है और

छात्रायें बरसात में कमरों से बाहर बैठने के कारण पढ़ नहीं पाती हैं ? यदि हां, तो कब तक वांछित भवन तथा फर्नीचर आदि की उचित व्यवस्था कर दी जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

भवन निर्माणार्थ सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से आगणन तैयार कराया जा रहा है जिसके प्राप्त होने पर वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान किया जाना संभव हो सकेगा । फर्नीचर क्रय हेतु वर्ष 1979-80 में 20,000 रु० स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

प्रदेश के पूर्वी जिलों में आपातकालीन विद्युत् कटौती

62-श्री ऊदल--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ता० 14-7-80 को प्रदेश के 12 पूर्वी जिलों में आपातकालीन विद्युत् कटौती कर दी गयी थी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और आपातकालीन विद्युत् कटौती के आदेश को सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

दिनांक 14-7-1980 को टोन्स नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से छिबरी तथा यमुना नदी पर बने विद्युत् गृहों को बन्द करना पड़ा था । इसके अतिरिक्त उसी दिन कुछ तापीय इकाइयों में अचानक खराबी आ जाने के कारण बन्द हो गयी थीं, फलस्वरूप विद्युत् की उपलब्धता में काफी कमी आ गयी थी जिसके कारण प्रदेश के 12 पूर्वी जिलों में नहीं अपितु समस्त जिलों में आपातकालीन कटौती करनी पड़ी थी । इस आपातकालीन कटौती के आदेश समय-समय पर आवश्यकतानुसार लखनऊ स्थित केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष से दूरभाष द्वारा मौखिक रूप से क्षेत्रीय नियन्त्रण कक्षों को दिये जाते हैं ।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की जांच हेतु समिति का गठन एवं रिपोर्ट

63-श्री शम्भूनाथ--

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यकलापों की जांच के लिए वर्ष 1975 में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर कब रखी जा रही है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

जी हां उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यकलापों की जांच के लिये वर्ष 1975 में नहीं वरन् 1974 में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी । समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा जाना अपेक्षित नहीं है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्यालय, कानपुर के स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश

64--श्री सूर्यनाथ उपाध्याय--

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्यालय को कानपुर से लखनऊ स्थानान्तरित किए जाने विषयक

कोई आदेश सरकार ने जनवरी, 1980 में पारित किया था और पुनः उसे 22-3-80 के एक रेडियोग्राम द्वारा उस समय निरस्त कर दिया था? यदि हां, तो क्यों? क्या उद्योग मन्त्री 22-3-80 के आदेश वापस लेने पर विचार कर रहे हैं?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

जी हां।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कानपुर से लखनऊ स्थानान्तरित करने हेतु शासन द्वारा दिनांक 1-1-80 को विज्ञप्ति जारी की गई थी।

बोर्ड मुख्यालय को पुनः कानपुर स्थानान्तरित किये जाने के निर्णय के सम्बन्ध में 22-3-80 को आदेश जारी किए गये थे। उक्त निर्णय प्रशासनिक आधार पर लिया गया था। 22 मार्च, 1980 के आदेश वापस लेने का मामला विचाराधीन है।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ का कार्यालय

65--श्री राम शिरोमणि दुबे--

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का कोई निजी भवन लखनऊ में है? यदि हां, तो उसका इस समय क्या उपयोग हो रहा है?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

जी हां।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का एक भवन तिलक मार्ग, लखनऊ पर स्थित है। इस समय इस भवन के कुछ हिस्से में खादी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है।

जवाहरलाल नेहरू नगरपालिका मान्टेसरी स्कूल, फर्रुखाबाद की प्रधानाध्यापिका की अवैध नियुक्ति

66--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू नगरपालिका मान्टेसरी स्कूल, फर्रुखाबाद की प्रधानाध्यापिका की अवैध रूप से की गई नियुक्ति की शासन द्वारा स्वीकृति को लेकर 1974 से विवाद चल रहा है? यदि हां, तो इसके निर्णय में इतना समय लगने का क्या कारण है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

शासन द्वारा 'स्वीकृति' को लेकर विवाद नहीं चल रहा है। विवाद वर्तमान कार्यरत प्रधानाध्यापिका की नियुक्ति की वैधता को लेकर है जो बेसिक शिक्षा परिषद् के विचाराधीन है। परिषद् द्वारा शीघ्रतापूर्वक निर्णय लिये जाने हेतु कहा जा रहा है।

रेनबो स्टील, मुजफ्फरनगर पर बकाया कथित विद्युत् बिल

67--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि रेनबो स्टील, मुजफ्फरनगर पर बिजली के बिलों की कुल कितनी धनराशि बकाया है और उसकी वसूली के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मेसर्स रेनबो स्टील, मुजफ्फरनगर पर बिजली के बिलों की कोई भी धनराशि बकाया नहीं है।

रानीखेत तहसील के ग्रामों का विद्युतीकरण

68--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि रानीखेत तहसील के ग्रामों को विद्युत् का लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि विभाग को बिजली का सामान नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो शासन इस सम्बन्ध म कोई व्यवस्था करेगा ?

श्री ब्रह्मदत--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम मिर्जापुर लकोठिया, जिला कानपुर के स्कूल का भवन

69--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम मिर्जापुर, ब्लाक ककवन, जनपद कानपुर में विगत 60 (साठ) वर्षों से जिला परिषद् का स्कूल बिना भवन के चल रहा है और अनेकों प्रार्थना-पत्रों के बावजूद भी अभी तक इमारत बनाये जाने का कार्य नहीं प्रारम्भ हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार यथाशीघ्र स्कूल भवन बनायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

ग्राम मिर्जापुर लकोठिया, ब्लाक ककवन, जनपद कानपुर में स्कूल पंचायत भवन में चल रहा था। पंचायत भवन की जीर्ण हालत में होने के कारण शिक्षा सत्र 1979-80 में विद्यालय हेतु आरक्षित भूमि पर छप्परों के नीचे चलाया जा रहा है। वर्ष 1979-80 में शासन द्वारा जनपद कानपुर के लिए भवन निर्माण हेतु जो अनुदान स्वीकृत किया गया था उसमें से एक भवन ग्राम मिर्जापुर लकोठिया के स्कूल के लिए बनवाने का निश्चय जिला बेसिक शिक्षा समिति, कानपुर ने किया है और निर्माण कार्य ग्रामीण अभिन्त्रण सेवा को सौंप दिया गया है।

होमगार्ड्स विभाग में क्षेत्रीय संगठन कर्ताओं के रिक्त पद एवं स्थायीकरण

70--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होमगार्ड विभाग में इस समय बी० ओ० के कितने पद रिक्त हैं ? उनकी पूर्ति न करने का क्या कारण है, तथा कब तक पूर्ति कर दी जायगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

होमगार्ड्स विभाग में इस समय क्षेत्रीय संगठनकर्ताओं के 133 पद रिक्त हैं। भारत सरकार द्वारा इन पदों के स्वीकृत न किये जाने के कारण इन पर भर्ती नहीं की गयी थी। अब स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। अतः इनको यथाशीघ्र भरा जायेगा।

71--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि ऐसे कितने बी० ओ० हैं जो कि 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं परन्तु स्थायी नहीं किये गये तथा कब तक स्थायी कर दिये जायेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

इस समय होमगार्ड्स विभाग में 493 क्षेत्रीय संगठनकर्ता ऐसे हैं जो 5 वर्ष से अधिक समय से अस्थायी रूप से कार्यरत हैं। क्योंकि यह पद भारत सरकार द्वारा अधिकृत न थे, अतः इन पदों को स्थायी नहीं किया गया था। कुछ समय पूर्व भारत सरकार ने इन पदों को अधिकृत कर दिया है। अतः इन पदों को स्थायी किये जाने पर विचार किया जा रहा है। पदों के स्थायी हो जाने के बाद पदधारकों का स्थायीकरण नियमानुसार किया जायेगा।

होमगार्ड्स विभाग के कमाण्डेण्टों का कथित सेलेक्शन ग्रेड

72--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग (होमगार्ड) में वर्ष 1979-80 में कुछ जिला कमांडेन्टों को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया है ? यदि हां, तो ग्रेड देने का आधार क्या था ? क्या भारत सरकार से उनकी अनुमति प्राप्त कर ली गई थी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

होमगार्ड्स विभाग में वर्ष 1979-80 में जिला कमाण्डेण्टों को सेलेक्शन ग्रेड नहीं दिया गया है। अतः उपरोक्त ग्रेड देने का आधार तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

टिहरी बांध को ठेकेदार कम्पनी (जय प्रकाश कम्पनी) के कर्मचारी संगठन का रजिस्ट्रेशन

73--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध की ठेकेदार कम्पनी (जय प्रकाश कम्पनी) के कर्मकारों के संगठनों के द्वारा निबन्धक, ट्रेड यूनियन कानपुर के पास सन् 1979 में कुल कितने आवेदन-पत्र उक्त कम्पनी के अन्दर ट्रेड यूनियन संगठन के निबन्धन हेतु प्राप्त हुए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)--

प्रश्नगत कम्पनी के कर्मकारों के संगठनों से निबन्धक, ट्रेड यूनियन, उत्तर प्रदेश, में कानपुर के पास सन् 1979 में निबन्धन हेतु दो

प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे । जांच के उपरान्त दोनों में से कोई भी यूनियन ट्रेड यूनियन, अधिनियम 1926 के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाने योग्य नहीं पाई गई ।

74--श्री ऊदल--

[5वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सीमेन्ट फैक्टरी, डाला एवं चुर्क, मिर्जापुर का उत्पादन

75--श्री ऊदल--

क्या उद्योग मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि सिमेंट फैक्टरी, चुर्क एवं डाला मिर्जापुर को पिछले कई वर्षों से भट्टियां बन्द रहती हैं और उत्पादन काफी गिर गया ह ? यदि हां, तो सन् 74 से लेकर अब तक प्रति वर्ष कितना उत्पादन हुआ और कितने रुपये का घाटा प्रति वर्ष होता चला जा रहा है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शिक्षा विभाग के सहयुक्त निदेशक एवं विद्यालय निरीक्षकों का प्रत्यावर्तन

76--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे की शासन ने विज्ञप्ति संख्या 3441-क/15 (1)/2(1ए)-79, दिनांक 5 जून, 1980 के अनुसार प्रदेश के एक सहयुक्त निदेशक तथा छः जिला विद्यालय निरीक्षकों को उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा (कनिष्ठ) के वेतन-क्रम में प्रत्यावर्तित किया है ? यदि हां, तो उसका कारण क्या था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

नियमान्तर्गत शिक्षा विभाग की श्रेणी 1 में प्रोन्नति हेतु केवल वे अधिकारी अर्ह होते हैं जिन्होंने श्रेणी-II में कम से कम 5 वर्ष की सतत् सेवा पूर्ण कर ली हो । श्रेणी II के कतिपय एसे अधिकारियों के प्रत्यावेदन शासन को प्राप्त हुये जिन्होंने श्रेणी II में 5 वर्ष से अधिक अवधि का सेवा पूर्ण कर ली थी किन्तु उन्हें प्रोन्नति का अवसर प्राप्त नहा हुआ । उक्त के परिप्रेक्ष में श्रेणी I में की गई विगत तदर्थ नियुक्तियों को पुनरावलोकन दिनांक 26 मई, 1980 को किया गया तथा वह पाया गया कि उल्लिखित 7 पदाधिकारी चयनित होकर श्रेणी II म अपनी नियुक्ति के दिनांक से पुनरावलोकन के समय तक 5 वर्ष की सतत सेवा पूर्ण न करन के कारण श्रेणी 1 में नियुक्ति हेतु अर्ह नही थ । अत उनकी श्रेणी I की तदर्थ नियुक्ति को समाप्त कर उन्हे श्रेणी II में प्रत्यावर्तित किया गया तथा उनके स्थान पर उन अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई जो श्रेणी II में 5 वर्ष की सतत सेवा पूर्ण कर चुके थे और इस कारण श्रेणी I में नियुक्ति हेतु अर्ह थे । वर्तमान समय में मामला रा। न्यायालय में विचाराधीन है ।

77--श्री रियासत हुसैन--

[4थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 द्वारा उत्तरित]

उन्नाव जिले की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

78--श्री मीखा लाल--

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के प्रत्येक ब्लाक में कौन-कौन से गांवों की हरिजन बस्तियों को विद्युतीकरण योजना के अधीन अब तक बिजली दी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

31 अगस्त, 1980 तक उन्नाव जिले के विभिन्न ब्लाकों में 275 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है (सूची संलग्न)† ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जवाहरलाल नेहरु स्मारक डिग्री कालेज, गोरखपुर के लेखाकार, श्री बनारसी लाल का बकाया वेतन

79--श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में स्थित जवाहर लाल नेहरू स्मारक डिग्री कालेज, महराजगंज के किसी लेखाकार का वेतन माह जून, 1979 से अब तक रुका हुआ है और सम्बन्धित लेखाकार एवं इसका परिवार भुखमरी का शिकार हो रहा है ? यदि हां, तो अब तक इस विशा में सरकार को जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

जवाहर लाल नेहरू स्मारक डिग्री कालेज, महराजगंज, गोरखपुर के किसी लेखाकार का वेतन जून, 1979 से अब तक नहीं रुका हुआ है । सरकार को इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए थे कि उक्त कालेज में श्री बनारसी लाल ने तीन वर्ष के अध्ययन अवकाश से वापस आने पर दिनांक 21-6-79 को लेखाकार के पद का कार्यभार ग्रहण किया है, किन्तु वेतन संदाय खाते से उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है । इस सम्बन्ध में मंडलीय उप-शिक्षा निदेशक, गोरखपुर से जांच कराई गई । पूरे मामले की जांच करने से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए--

(1) उक्त कालेज के लेखाकार पद पर श्री बनारसी लाल दिनांक 4-11-71 से 20-6-76 तक कार्यरत रहे ।

(2) उन्होंने दिनांक 21-6-76 को अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया ।

(3) श्री बनारसी लाल के त्याग-पत्र से रिक्त स्थान पर महा-विद्यालय के प्रबन्धक के आदेशानुसार श्री प्रवीन चन्द्र श्रीवास्तव की नियुक्ति एक वर्ष की परिवीक्षा पर की गई ।

†छापी नहीं गयी ।

(4) महाविद्यालय के प्रबन्धक द्वारा श्री प्रवीन चन्द्र श्रीवास्तव की सेवायें 2-9-78 से समाप्त कर दी गई। श्री प्रवीन चन्द्र श्रीवास्तव ने अपनी सेवा समाप्ति के विरुद्ध माननीय उच्च-न्यायालय में एक याचिका दाखिल की जिस पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

(5) गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों की सेवाओं से सम्बन्धित परिनियमों में लेखाकार पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता, अनुभव, चयन प्रक्रिया आदि के यथानिक नियम दिये हुए हैं। महाविद्यालय के प्रबन्धक ने 21-6-79 को श्री बनारसी लाल को लेखाकार पद पर कार्यभार ग्रहण कराया किन्तु यह कार्य परिनियमों में दिए गये नियमों के अनुसार नहीं हुआ। प्रबन्धक का यह कथन कि श्री बनारसी लाल तीन वर्षों के अध्ययन अवकाश पर गये थे, जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से सिद्ध नहीं होता, वरन उन अभिलेखों से ऊपर बिन्दु (1) और (2) में बताये तथ्य ही प्रकट होते हैं।

वर्णित परिस्थितियों में श्री बनारसी लाल को वेतन-संदाय खाते से राजकीय अनुदान के आधार पर जून, 1979 से वेतन नहीं दिया गया है।

जवाहरपुर, जिला एटा की विचाराधीन विद्युत् परियोजना

80-श्री हुकम सिंह--

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के पास जून, 1980 में कितने विद्युत् प्रोजेक्ट स्वीकृति हेतु भेजे हैं? इन पावर प्रोजेक्ट्स में कितनी थर्मल एवं कितनी हाईडिल प्रोजेक्ट्स हैं? इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से प्रदेश के किन-किन भागों को विद्युत् सप्लाई करने की योजना है?

श्री ब्रह्मदत्त--

प्रदेशीय सरकार ने जून, 1980 में केवल एक विद्युत् परियोजना केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजी है।

यह परियोजना 630 मेगावाट क्षमता की जवाहरपुर (जिला एटा) तापीय परियोजना है।

इस परियोजना से प्राप्त विद्युत् को उत्तर प्रदेश की पारेषण प्रणाली से जोड़ दिया जायेगा जिससे इसका लाभ सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को, विशेषतया पश्चिमी भागों को है।

फर्रुखाबाद जिले के ग्राम विरौली के सपना आटो मोबाइल्स लि0 का कथित शिलान्यास

81-श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में ग्राम विरौली के निकट 23-11-78 को सपना आटो मोबाईल्स लि0 के प्रशासनिक प्रखण्ड का शिलान्यास किया था? यदि हां, तो यह प्रोजेक्ट क्या है और इसके निर्माण के लिये कितनी भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई और किस भाव पर?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

कथित शिलान्यास किए जाने की शासन को कोई सूचना नहीं है । सरकार द्वारा इस हेतु कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई है, अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

बी० टी० सी० ट्रेनिंग सेण्टर की कथित समाप्ति तथा अध्यापक एवं कर्मचारी

82-श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि चालू वर्ष 1980 में बी० टी० सी० की ट्रेनिंग न दिये जान के कारण कितने ट्रेनिंग सेन्टर बन्द कर दिये गये और उक्त ट्रेनिंग सेन्टरों पर कार्य करने वाले अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या क्या है ? क्या ऐसे लोगों को काम पर लगाये जान हेतु सरकार ने कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

वर्ष 1980 में कोई बी० टी० सी० ट्रेनिंग सेण्टर (राजकीय दीक्षा विद्यालय) तोड़ा नहीं गया है, अपितु इन विद्यालयों में नये प्रशिक्षणार्थियों का प्रवेश एक-एक वर्ष के अन्तराल पर करने की व्यवस्था की गई है । सामान्यतया प्रत्येक राजकीय दीक्षा विद्यालय में 1 प्रधान अध्यापक 10 सहायक अध्यापक एवं एक लिपिक कार्यरत हैं । ये अध्यापक द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों को बी० टी० सी० ट्रेनिंग देने के अतिरिक्त कार्यरत अध्यापकों को पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे ।

बेरोजगार बी० टी० सी० अध्यापक

83-श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता पार्टी के शासन में सन् 1974 के ट्रेन्ड शुदा बी० टी० सी० के अध्यापकों को अध्यापन कार्य में लगाये जाने के बाद अब कितने बी० टी० सी० पास अध्यापक बाकी बचे हैं जिन्हें अध्यापन कार्य में लगाया जाना है ?

श्रीमतीस्वरूप कुमारी बक्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बाराबंकी जिले के भवन विहीन प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल

84-श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मौजूदा समय में जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा चलने वाले कुल कितने ऐसे प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल हैं जिनके भवन नहीं हैं ? क्या ऐसे स्कूलों के भवन निर्माण हेतु शासन के पास कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी -

जनपद बाराबंकी में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 479 प्राइमरी स्कूल तथा 75 जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जिनके भवन इस समय नहीं

हैं । छठी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत शासन द्वारा भवनों के निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है और वर्ष 1979-80 में जनपद बाराबंकी में 16 प्राइमरी स्कूल तथा 3 जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान दिया गया ।

जालौन जिले के जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी स्कूल के भवन

85—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत वर्ष प्रदेश में कितने जूनियर हाई स्कूलों तथा प्राइमरी पाठशालाओं के भवन बनाने की योजना थी तथा उसमें जनपद जालौन का हिस्सा कितना है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

गत वर्ष 1979-80 में प्रदेश के 48 मैदानी जनपदों में 139 जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के निर्माण और 695 प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण की योजना थी जिसमें से जनपद जालौन में 2 जूनियर हाई स्कूल तथा 4 प्राइमरी स्कूल भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी ।

प्रदेश में लघु समाचार पत्रों को दी जाने वाली सुविधायें

86—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या छोटे अखबार वालों को सरकार की तरफ से कोई विशेष सुविधा दी जा रही है ? यदि हां, तो कब तक और कितनी ?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री हरि सिंह)—

प्रदेश शासन की विज्ञापन-मान्यता के लिए हिन्दी, अंग्रेजी व उर्दू के लघु समाचार पत्रों की, जिनमें साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक पत्र आते हैं, न्यूनतम प्रसार संख्या (सशुल्क) केवल 500 रखी गई है ।

पर्वतीय क्षेत्र से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को, जो रेल-हेड से 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी से प्रकाशित होते हैं, दस प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार दिया जा रहा है ।

लखनऊ, मोतीझील स्थित क्वार्टरों का सचिवालय कर्मचारियों को आवंटन

87—श्री मानपाल सिंह तथा डाक्टर रामकृष्ण उपाध्याय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाल ही में मोतीझील स्थित सरकारी भवन में सचिवालय कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित किये जाने में कौन सी प्रक्रिया अपनायी गयी है ? क्या यह सत्य है कि इसमें पहले से आवेदन पत्र दिये रहने के बावजूद कई कर्मचारियों को उनसे सेवा में कम अवधि वाले कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार की कार्यवाही को दूर करने के सम्बन्ध में क्या सरकार आवश्यक कदम उठायेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद—

मोतीझील स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के 120 दो कमरे वाले आवास सचिवालय के तृतीय श्रेणी के इच्छुक सहायकों को मुख्य रूप से वरिष्ठता के

आधार पर आवंटित किये गये हैं । कुछ आवास विशेष आवासीय कठिनाई के कारण गुणावगुण के आधार पर वरिष्ठता का सिद्धान्त शिथिल कर आवंटित किये गय हैं । आवासों का आवंटन राज्य सम्पत्ति विभाग में वरिष्ठता के आधार पर तैयार की गयी प्रतीक्षा सूची से मुख्यता वरिष्ठता के आधार पर तथा कतिपय मामलों में विशेष आवासीय कठिनाईयों के कारण गुणावगुण पर विचार करके वरिष्ठता के सिद्धान्त को शिथिल कर दिया जाता ह । मोतीझील के आवासों के आवंटन में भी यही प्रक्रिया अपनाई गयी है ।

सचिवालय कर्मचारियों के आवास सम्बन्धी व्यवस्था

88--श्री मानपाल सिंह तथा डाक्टर रामकृष्ण उपाध्याय--

मोतीझील के बाद सचिवालय के कर्मचारियों के आवास हेतु क्या सदर म अथवा शहर के अन्दर कोई अन्य सरकारी भवन का इन्तजाम किया जा रहा ह ? यदि हां, तो कहां-कहां तथा क्या उसमें सचिवालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को ही ज्येष्ठता तथा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर क्वार्टर आवंटित करने का प्रबन्ध किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं । केवल सचिवालय कर्मचारियों के लिये ही नहीं वरन् अन्य विभागों के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था भी की जानी है ।

अकबरपुर-दोस्तपुर मार्ग एवं अकबरपुर-सैदापुर-जलालपुर मार्ग का निर्माण

89--श्री प्रियदर्शी जेतली, श्रीमती धनेश्वरी देवी तथा श्री लालसा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर जिला फैजाबाद में अकबरपुर दोस्तपुर तथा अकबरपुर सैदापुर जलालपुर सड़क को बनाने के लिये विभाग ने कितना धन गत वर्ष तक स्वीकृत किया था और वह दोनों सड़कें कितनी अब तक पक्की बन सकी हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद--

अकबरपुर, जिला फैजाबाद में, अकबरपुर-दोस्तपुर मार्ग का आधुनीकरण 17.615 लाख की लागत पर और अकबरपुर-सैदापुर-जलालपुर मार्ग का नवनिर्माण 23.05 लाख की लागत पर स्वीकृत किये गय । गत वर्ष तक इन सड़कों पर क्रमशः 5 लाख एवं 28.00 लाख रुपये आवंटित किये गये । अकबरपुर दोस्तपुर मार्ग 15.564 कि0मी0 का अधुनोकरण स्वीकृत हुआ ह । इसकी मध्य सतह पुरी लम्बाई में कूटा जा चुका ह ओर ऊपरी सतह के लिये एकत्रीकरण प्रगति में है । अकबरपुर-सैदापुर-जलालपुर मार्ग 26.325 कि0 मी0 लम्बा ह जिसमें से 17 कि0 मी0 पक्का हो चुका है । शेष 9.325 कि0 मी0 में कार्य प्रगति में हैं ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फैजाबाद के प्रधानाचार्य, श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह को पेंशन

90--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, फैजाबाद जिनकी मृत्यु 12

सितम्बर, 1978 को हो गई थी, क्या उनको पेंशन तथा परिवार को पेंशन आदि प्रदान कर दी गई है ? यदि नहीं, तो सरकार उनके परिवार को कब तक पेंशन आदि दिलाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

किसान जूनियर हाई स्कूल, पकड़ी भोजपुर, जिला फैजाबाद के अध्यापक, श्री शिव प्रसाद वर्मा की सेवा समाप्ति

91—श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्रीमती धनेश्वरी देवी, श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री लालसा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कृपा करेंगी कि शिव प्रसाद वर्मा, अध्यापक किसान जू० हा० स्कूल पकड़ी भोजपुर, पो० रामपुर कलां, जिला फैजाबाद को अनियमित रूप से निकाले जाने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद ने अपने पत्र संख्या शि० स० 9421-22-79-80 दिनांक 8 अगस्त, 1979 को प्रबन्धक समिति के आदेश को नियम विरुद्ध घोषित किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त शिक्षक को प्रबन्धक समिति ने काम पर वापस लिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

जी हां, प्रबन्ध समिति ने उन्हें दिनांक 11 सितम्बर, 1979 से काम पर वापस ले लिया, परन्तु पुनः दिनांक 1 जुलाई, 1980 से हटा दिया । इस सम्बन्ध में प्रबन्धतंत्र से आख्या मांगी गई है ।

फैजाबाद जिले को मालीपुर-धौरुआ सड़क का निर्माण

92—श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती तथा श्रीमती धनेश्वरी देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर जिला फैजाबाद स्थित मालीपुर धौरुआ सड़क कितने किलोमीटर लम्बी स्वीकृत हुई थी और वह कहां से कहां तक तक बनी है ? शेष भाग के कब तक तैयार हो जाने की सम्भावना है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

अकबरपुर, जिला फैजाबाद में स्थित मालीपुर धौरुआ मार्ग 3 कि० मी० स्वीकृत हुआ था ।

यह सड़क मालीपुर में रेल क्रासिंग से आरम्भ करके धौरुआ गांव को और पूरे तीन कि० मी० लम्बाई में बन गई है । इसमें कोई भाग शेष नहीं बचा है । अतः शेष भाग के तैयार होने का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ मण्डल के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों का अप्रूवल

93—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल के राजकीय उ० मा० विद्यालयों, हाई स्कूल तथा इन्टर कालेज में कार्यरत ऐसे सहायक

अध्यापक कितने हैं जिन्हें जून, 1980 तक सहायक अध्यापक के रूप में कार्य करते 8 वर्ष से अधिक हो गए परन्तु अभी तक उनका अप्रूवल नहीं हुआ और क्यों ? अप्रूवल कब तक हो जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सीतापुर जिले में अभ्यास पुस्तिकाओं के लिए कागज का आबंटन

94--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर ज़िले में सस्ती दर पर अभ्यास पुस्तिकाओं के विक्रय हेतु वर्ष 1980 के माह जून में कुल कितना कागज एलाट किया गया तथा कितना जिले को प्राप्त हो गया ? कापियों के विक्रय की जिले में क्या व्यवस्था है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

त्रैमास अप्रैल-जून, 1980 में 18 टन कागज जनपद सीतापुर के कापी निर्माताओं को आवंटित किया गया । जिलाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार कापी निर्माताओं न निर्धारित अवधि में मिल को आर्डर उपलब्ध नहीं करायें । अतः उक्त कागज के प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता ।

रियायती मूल्य से निर्मित कापियां कापी निर्माताओं से यू० पी० उपभोक्ता सहकारी संघ की जिला स्तर की शाखाओं द्वारा क्रय कर ली जाती हैं, उन शाखाओं से संबद्ध विद्यालयों को छात्रों के वितरण हेतु उपलब्ध करा दी जाती हैं ।

95--श्री राजेन्द कुमार गुप्त--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि वर्ष 1979 तथा 1978 में सीतापुर जिले को उक्त प्रश्न में सन्दर्भित कागज का कितना एलाटमेंट किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वर्ष 1979 में 131 टन तथा वर्ष 1978 में 45 टन रियायती मूल्य का कागज आवंटित किया गया ।

96--श्री मसरूर जाफरी--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त] ।

बांदा जिले में पुलिस एवं बदमाशों की मुठभेड़ में मारे गये अपराधी

97--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में विगत मार्च सन् 1980 से 15 जुलाई, 1980 तक पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ों में कुल कितने बदमाश जान से मारे गये ? क्या यह सही है कि इन मुठभेड़ो में मारे गये लोग अधिकतर हरिजन, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के ही हैं ? यदि हां, तो सवर्ण बदमाशों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार बांदा जिले में उक्त अवधि में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ों में 26 कुख्यात अपराधी मारे गये । मृत अपराधियों में सभी

वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित हैं। वर्गवार विवरण संलग्न है। उक्त विवरण से प्रतीत होता ह कि कई ब्राह्मण वर्ग के कुख्यात अपराधी भी मुठभेड़ में मारे गये हैं।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ 90 1 पर)

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय निकायों के अध्यापकों की सामूहिक बीमा योजना

98—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकायों द्वारा प्रदेश में संचालित उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को सामूहिक बीमा लाभ योजना से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं, इन संस्थाओं के अध्यापकों पर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत सामूहिक बीमा योजना लागू है।

विकास खण्ड माधोगंज, जिला हरदोई के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

99—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के विकास खण्ड माधोगंज में इस समय कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं और यह कब से चल रहे हैं ? क्या मंत्री जी को यह जानकारी ह कि उक्त केन्द्र फर्जी तौर पर चलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी प्रादेशिक स्तर के अधिकारी द्वारा कराकर आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज में भारत सरकार से अनुदान प्राप्त स्वैच्छिक संस्था अमर शहीद नरपति सिंह स्मारक समिति द्वारा 30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जनवरी, 1980 से चलाये जा रहे हैं। इन केन्द्रों के फर्जीतौर पर चलाये जाने के बारे में शासन के पास कोई जानकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच करायी जा रही है।

विद्युत् सब स्टेशन, पिण्डरा, जिला वाराणसी के अवर अभियन्ता, श्री लाल जी राय का स्थानान्तरण

100—श्री ऊदल

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सब विद्युत् स्टेशन पिण्डरा, वाराणसी के इन्सपेक्टर लाल जी राय के खिलाफ सन् 1979 एवं 15 जुलाई, 1980 तक अधिशासी अभियन्ता ने तथा एस0 ई0, वाराणसी ने जोनल चीफ इंजीनियर को कई पत्र लिखे हैं और प्रश्नकर्ता ने जून, 1980 में जोनल चीफ वाराणसी तथा 3-7-80 को मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां । अधिशासी अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता ने श्री लाल जी राय अवर अभियन्ता के अपने क्षेत्र से स्थानान्तरण के विषय में मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता को लिखा था । प्रश्नकर्ता का 9-7-80 का पत्र मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता वाराणसी को प्राप्त हुआ था जिसके सन्दर्भ में श्री लाल जी राय, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण पिण्डरा सब-स्टेशन से विद्युत् वितरण खण्ड द्वितीय, मिर्जापुर को दिनांक 31-7-1980 को कर दिया गया है ।

101--श्री विद्यासागर नौटियाल--

[6ठें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

थाना पचपेड़वा, जिला गोंडा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती-पत्र

102--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6-7-80 को आरक्षी अधीक्षक, गोंडा तथा 8-7-80 को गृह सचिव, उत्तर प्रदेश को तथा 9-7-80 को उप महानिरीक्षक पुलिस, फैजाबाद को एवं पुनः 17-7-80 व 23-7-80 को गृह सचिव को 18-7-80, 23-7-80 को महानिरीक्षक पुलिस, उत्तर प्रदेश को 21-7-80 व 28-7-80 को मुख्य मंत्री को जनपद गोंडा के थानाध्यक्ष, पचपेड़वा एवं पुलिस कर्मी, पचपेड़वा के विरुद्ध शिकायती-पत्र मिला है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी से कराई जा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

थानाध्यक्ष एवं पुलिस कर्मी पचपेड़वा के विरुद्ध कुछ शिकायती-पत्र माह जुलाई व अगस्त, 80 में प्राप्त हुये थे जिनकी जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन को सौंप दी गई है ।

जिला गोरखपुर एवं कानपुर में रामचरित मानस को जलायी गयी होली एवं गिरफ्तारी

103--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14 अप्रैल, 1978 को गोरखपुर जिला कचहरी के प्रांगण में तथा 30 अप्रैल, 1978 को ग्राम, दयाननपुर, थाना सिकन्द्रा जिला कानपुर में रामचरित मानस व मनुस्मृति की होली जलान के आरोप में गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की अलग-अलग संख्या क्या है और 25 जुलाई, 1980 को तिथिवार उन पर अदालत में मुकदमा न चलाने का कारण क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

कथित घटना के सम्बन्ध में गोरखपुर जिला कचहरी प्रांगण में दिनांक 14 अप्रैल, 1978 को 13 व्यक्ति तथा जिला कानपुर के थाना सिकन्द्रा के अन्तर्गत ग्राम श्यानतपुर में दिनांक 29/30 अप्रैल, 1978 की रात्रि में 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ।

जनपद कानपुर में उक्त गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 30 अगस्त 1979 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है । जनपद गोरखपुर

में गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

प्रौढ़ शिक्षा योजना

104--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1976-77, 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 में प्रौढ़ शिक्षा योजना के अधीन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने हेतु कितना-कितना आर्थिक अनुदान दिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

105--श्री बलदेव सिंह आर्य--

[6ठे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री मानपाल सिंह, एम0 एल0 ए0 एवं श्री नवाब सिंह वर्मा का शिकायती-पत्र

106--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री मान पाल सिंह, एम0 एल0 ए0 व श्री नवाब सिंह वर्मा के शिकायती पत्रों पर अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद ने दिनांक 4-7-80 व चीफ टेक्निकल एक्जामिनर ने दिनांक 17-7-80 को कोई जांच की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां ।

जांच आख्यायें प्राप्त हो गई हैं और शासन के विचाराधीन हैं ।

श्री शिवपाल दीक्षित, ग्राम बगरही, जिला उन्नाव का अपहरण के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

107--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 19-6-80 को एक प्रार्थना-पत्र श्री शिवपाल दीक्षित ग्राम बगहरी, थाना अजगैन, जिला उन्नाव की ओर से अनेक व्यक्तियों के अपहरण के सिलसिले में पुलिस की निष्क्रियता के बारे में प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसरित, गृह सचिव को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां ।

जिलाधिकारी उन्नाव से प्राप्त रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि जांच से प्रार्थना पत्र में अंकित अपहरण सम्बंधी घटनायें एवं पुलिस की निष्क्रियता के संबंध में

लगायें गये आरोप अप्रमाणित पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

बस्ती जिले के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का बकाया वेतन

108--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि बस्ती जनपद में वर्ष 1970 से अब तक प्राइमरी पाठशालाओं के सहायक अध्यापकों के पुराने वेतन का बकाया है ? यदि हां, तो किन-किन अध्यापकों का कितना-कितना धन किन वर्षों का बाकी है और उसका भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर शहर में बकाया विद्युत् बिल

109--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्रीमती गौरी देवी--

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1978-79 में गोरखपुर शहर के लिए जितनी यूनिट बिजली दी गयी, उसके हिसाब से जितना धन मिलना चाहिए, उसकी आधी से भी कम धनराशि विभाग को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है एवं सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी नहीं ।

वर्ष 1978-79 में गोरखपुर शहर के लिए कुल 1,86,56,576 यूनिट बिजली उपभोक्ताओं को दी गयी और उसके कुल रु0 88,45,498.78 की धन-राशि के बिल उन्हे भेजे गये, जिसमें से 85,53,992.63 रु0 की वसूली विभाग को अब तक प्राप्त हो चुकी हैं । शेष रु0 2,89,506.15 के बकाए की वसूली हेतु विभाग द्वारा हर सम्भव कार्यवाही की जा रही है । अतएव उसके लिए किसी के उत्तरदायी होने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

आजमगढ़ जिले के भैरोपुर ग्राम में छोटी सरयू नदी पर पुल का शिलान्यास

110--श्री दल सिंगार यादव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ भैरोपुर ग्राम के पास त्रिमुहानी छोटी सरयू नदी पर दिसम्बर, 1979 में वित्त मंत्री ने पुल का शिलान्यास किया था लेकिन उस पर कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ । यदि हां, तो विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां ।

[श्री जगदीश प्रसाद---]

इस पुल का निर्माण कार्य अभी स्वीकृत नहीं हुआ है ।

आजमगढ़ जिले के देवारा क्षेत्र के गांवों के विद्युतीकरण की मांग

111---श्री दल सिंगार यादव---

क्या विद्युत् मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोपालपुर निर्वाचन क्षेत्र आजमगढ़ के देवारा क्षेत्र के गांव का विद्युतीकरण करन के लिए भारत सरकार ने 1972-73 में धन दिया था ? यदि हां, तो उस क्षेत्र के गांव में विद्युतीकरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

112---श्री भीखा लाल--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसूचित जाति एवं जन जाति के सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता का स्थायीकरण एवं पदोन्नति

113---श्री भीखा लाल---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सा0 नि0 विभाग में अनुसूचित जाति/जन जाति के कितने सहायक/अधिशासी अधीक्षण अभियन्ताओं का स्थायीकरण शासनादेश के अनुसार जून, 1980 तक किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद---

सार्वजनिक निर्माण विभाग में अनुसूचित जाति/जन जाति के सहायक अभियन्ताओं का स्थायीकरण 10 मई, 1976 के शासनादेश के अनुसार जून, 1980 तक नहीं किया जा सका क्योंकि विभाग के सहायक-अभियन्ताओं की ज्येष्ठता उच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप उस समय तक अनिर्णित रही ।

2---जहां तक विभाग के अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ताओं को स्थायी किये जाने का प्रश्न है यें पद विभागीय चयन द्वारा प्रोन्नति से भरे जाते है और इस प्रकार से प्रोन्नत अधिकारियों के स्थायीकरण में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है ।

114---श्री भीखा लाल--

क्या सावजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सावजनिक निर्माण विभाग में सितम्बर, 1979 में कुछ अनुसूचित जाति के सहायक अभियन्ताओं की प्रोन्नति प्रभारी सहायक अभियन्ताओं के पद पर की गयी थी ? क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा स्थगन आदेश पारित हो जाने के कारण इनकी नियुक्तियां रोक दी गयीं लेकिन 11 अप्रैल, 1980 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस स्थगन आदेश को रद्द कर इन्हें प्रभारी सहायक अभियन्ताओं के पदों पर नियुक्त करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या

इन व्यक्तियों को नियुक्ति प्रभारी सहायक अभियन्ताओं के पद पर की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कर दी जायेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां ।

जी हां ।

अनुसूचित जाति के अधिकारियों को तैनातियां प्रभारी सहायक अभियन्ता के पद पर कर दी गई हैं ।

प्रदेश के न्यायालयों में हीटर एवं कूलर की व्यवस्था

115--श्री शिवराज सिंह--

क्या न्याय मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में गर्मियों में कूलर तथा सर्दियों में हीटर आदि की व्यवस्था नहीं की जाती है ? क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि यह सुविधा अन्य राजकीय कार्यालयों में उपलब्ध है ? यदि हां, तो न्यायालयों में उक्त सुविधाएं उपलब्ध न कराने का क्या कारण है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

उत्तर प्रदेश के दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों में कूलर तथा हीटर आदि की व्यवस्था सामान्य रूप से नहीं की जाती है । यह सुविधा अन्य राजकीय कार्यालयों में भी सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है ।

उन्नाव जिले के माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का सेलेक्शन ग्रेड एवं अध्यापकों के पद के सृजन का प्रस्ताव

116--श्री भीखा लाल--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सेलेक्शन ग्रेड की श्रेणी में आने में शिक्षकों में से अब तक कितने शिक्षकों को सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया जा चुका है और कितने अभी तक उक्त ग्रेड प्राप्त नहीं कर सके हैं और समस्त अर्ह शिक्षकों को कब तक सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत हो सकेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

बालक विद्यालयों में 21 प्रवक्ता, 35 एल0 टी0 ग्रेड तथा 17 सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य था जिसमें से 9 प्रवक्ता, 12 एल0 टी0 ग्रेड, 8 सी0 टी0 ग्रेड को सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया जा चुका है तथा बालिका विद्यालयों में 2 प्रवक्ता 2 एल0 टी0 ग्रेड, 1 सी0 टी0 ग्रेड की अध्यापिकाओं को सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य था जिनमें अभी किसी भी स्तर की अध्यापिकाओं को सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत नहीं किया गया है ।

शेष के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

117--श्री भीखा लाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के कितने माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक पदों की संख्या छात्र संख्या के मानक से कम है तथा वहां नवीन पदों के सृजन के सन्दर्भ में शिक्षा विभाग क्या कर रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

24 माध्यमिक विद्यालयों में मानक से कम अध्यापक हैं, इन विद्यालयों में से केवल दो विद्यालयों ने पद सृजन के प्रस्ताव प्रेषित किये हैं, जिन पर कार्यवाही की जा रही है । शेष विद्यालयों के पद सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव मांगे जा रहें हैं ।

संस्कृत शिक्षा के अधिकारिओं एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

118--श्री सूर्यनाथ उपाध्याय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा कांग्रेस के 5 विधायकों ने 15-3-80 को संस्कृत शिक्षाधिकारियों एवं कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शासन के पास शिकायती पत्र भेजा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गयी तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

जी हां । एक कर्मचारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है । शिकायतों की जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

119--श्री सूर्यनाथ उपाध्याय--

[6ठे मंगलवार के लिये स्थगित]

श्री श्याम बहादुर सिंह बघेल, थानाध्यक्ष पीरपुर, जिला सुल्तानपुर के विरुद्ध अंकित अभियोग

120--श्री मित्रसेन--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान थानाध्यक्ष पीपरपुर, जिला सुल्तानपुर (श्री श्याम बहादुर सिंह बघेल) के थाना बलरामपुर, जिला गोंडा में कार्यरत रहने के दौरान उनके विरुद्ध धारा 218 की कोई कार्यवाही की गयी थी जो विभागयी स्तर पर अब भी लम्बित है ? क्या इनकी चरित्र पंजिका में इसी आधार पर एस० पी० गोंडा ने प्रतिकूल प्रविष्टि की है ? यदि हां, तो श्री बघेल को थानाध्यक्ष बनाने का क्या आधार है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

उप निरीक्षक, श्री श्याम बहादुर सिंह बघेल के विरुद्ध थाना बलरामपुर देहात, जनपद गोंडा में अभियोग सं0-112 के अन्तर्गत धारा 218 भारतीय दंड विधान पंजीकृत हुआ था जो विवेचनाधीन है । जी नहीं । इस अभियोग की विवेचना पूर्ण होने से पूर्व श्री बघेल के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना न्यायोचित नहीं होगा ।

अयोध्या के बड़ी छावनी के महन्त की हत्या

121 --श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में स्थित अयोध्या की बड़ी छावनी के महन्त की निर्मम हत्या जुलाई, 1980 के द्वितीय

सप्ताह में कर दी गई है ? यदि हां तो अब तक हत्यारों को पकड़ने के लिये शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । घटना के सम्बन्ध में थाना अयोध्या में अपराध पंजीकृत होकर विवेचना की जा रही है । हत्यारों का पता लगाने का सतत प्रयास जारी है ।

श्री सन्त बख्श रावत, विधायक का आवास आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र

122--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के कई पत्र आवास आवंटन हेतु माह जुलाई, 1980 में राज्य सम्पत्ति अधिकारी को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं । माननीय सदस्य श्री रावत जी का एक पत्र दिनांक 10-6-80 प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने एक अतिरिक्त कक्ष आवंटित करने की मांग की थी । इसके सम्बन्ध में उन्हें अ० शा० पत्र संख्या आर-7909/32, दिनांक 7 अगस्त, 80 द्वारा असमर्थता प्रकट कर दी गई थी । दूसरा पत्र दिनांक 26-8-80 को प्राप्त हुआ था जिसमें विधायक निवास-3 का कक्ष संख्या 60 आवंटित करने की मांग की गई थी, उसे स्वीकार करके व्यवस्था अधिकारी को कब्जा दे देने के लिए आदेश दे दिये गये थे । बाद में माननीय सदस्य ने उसे उपयुक्त नहीं समझा एवं विधायक विकास-2 के कक्ष संख्या 7 के आवंटन की मांग की । इस कक्ष के आवंटन का मामला शासन के विचाराधीन है ।

बस्ती जिले के बेलोहाधर्म सिंहवा बाजार मार्ग के निर्माण की मांग

123--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या दिनांक 29-11-79 को तत्कालीन सा० नि० विभाग मंत्री को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र बावत बेलोहा-धम सिंहवा बाजार मार्ग (बस्ती) के छूटे भाग को पूर्ण कराने हेतु प्राप्त हुआ था जिसे उनके कार्यालय से अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण (सा० नि० वि०) को डिस्पैच नं० 5412, दिनांक 29-11-79 से भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त के सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां ।

यह मार्ग स्वीकृत नहीं किया जा सका है ।

धनाभाव के कारण ।

निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला की शैक्षिक योग्यता

124--श्री सूर्यनाथ उपाध्याय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश के लिए शासन द्वारा निर्धारित योग्यता क्या है ? इससे पूर्व किस योग्यता के व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किये जाते रहे हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

आंग्ल-भारतीय विद्यालयों का स्वीकृत अनुदान एवं निरीक्षण

125--श्री सूर्यनाथ उपाध्याय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने आंग्ल-भारतीय विद्यालय ह और इन पर शासन द्वारा प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय की जाती है ? इनका निरीक्षण किस श्रेणी के अधिकारी द्वारा किया जाता है ? क्या इन विद्यालयों के निरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई नवीन पद सृजित करने के लिये विचार चल रहा ह ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रदेश में 32 आंग्ल-भारतीय विद्यालय हैं । इनमें से 6 विद्यालय अनुदानित हैं । वर्ष 1979-80 में रु0 1,70,772 की धनराशि स्वीकृत की गई ।

प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा ।

जी हां ।

आय-व्ययक 1980-81 पारित होने पर आदेश जारी किये जायेंगे ।

संस्कृत की पुस्तकों के प्रकाशन हेतु कागज के आवंटन की मांग

126--श्री सूर्यनाथ उपाध्याय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे की कि संस्कृत उपयोगी एवं अनुपलब्ध पुस्तकों के प्रकाशनार्थ सरकारी रियायती दर पर अन्य प्रकाशनों की भांति उन्हें कागज दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या सरकार शीघ्र उन्हें कागज उपलब्ध कराके जनता के लिए सस्ते दर सुलभ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

जी नहीं, भारत सरकार द्वारा प्रदेश शासन को केवल शैक्षिक पाठ्य पुस्तकों के लिए कागज दिया जाता है । धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुस्तकों के लिए सीमित मात्रा में भारत सरकार द्वारा सीधे आवंटन किया जाता है ।

थाना फजलगंज, जिला कानपुर में अंकित मुकदमा

127--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत थाना फजलगंज में मु0 अ0 नं0 193, धारा 147/148/323/504/506 भा0 दं0 वि0 के अधीन 3-4-1980 को एक रपट दिनांक 31-3-80 को घटित घटना पर दर्ज हुई ? यदि हां, तो इस रपट पर अब तक चार्जशीट लगा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । उल्लिखित अभियोग में विवेचना के उपरान्त जुर्म साबित नहीं हुआ अतः अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी ।

128--श्रीमती गौरी देवी--

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

129--श्रीमती गौरी देवी--

[7वे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

130--श्रीमती गौरी देवी--

[6ठें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जिला गोरखपुर में कुआनों नदी पर राम जानकी सड़क का पुल

131--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिकरीगंज, जिला गोरखपुर के पास राम जानकी रोड की उपयोगिता के लिए कुआनों नदी पर कोई पुल निर्माण की योजना हैं ? यदि हां, तो पुल कब तक निर्मित होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

कुआनों नदी पर एक पुल बनाने की योजना स्वीकृत हैं, परन्तु स्थल का चयन शेष हैं । स्थल चयन के उपरान्त निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही की जायगी ।

132--श्री राम स्वरूप वर्मा--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

सीतापुर जिले के मछरहटा कस्बे में थाना खोलने की स्वीकृति

133--श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के अन्तर्गत मछरहटा कस्बे में वर्ष 1974-75 में एक थाना खोलने की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो इसके अभी तक निर्माण न किए जाने के कारण क्या हैं ? तथा कब तक निर्माण हो जाने की सम्भावना हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी नहीं । प्रश्नगत थाने की स्वीकृति दिनांक 23-6-1977 को दी गयी थी । सीमित वित्तीय संसाधनों के कारणवश इस थाना सहित अनेकानेक थानों का भवन निर्माण अभी नहीं हो सका हैं ।

134--श्री नरेन्द्र चन्द्र अग्रवाल--

[4थे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

विद्युत् परिषद् में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति

135--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कर्मचारी कल्याण समिति के सचिव

[श्री राम स्वरूप वर्मा--]

का कोई पत्र उक्त परिषद् में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में जुलाई 1980 के तीसरे सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में कौन सी अनियमितताएं अंकित हैं ? और उक्त सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां । प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि राज्य विद्युत् परिषद् में विभागीय परीक्षा लेकर जिन 477 अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति की गई है, उनमें केवल 43 अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारी हैं । अतः ऐसे कर्मचारियों के लिये निर्धारित 18 प्रतिशत व 2 प्रतिशत का आरक्षण कोटा पूरा नहीं किया गया है ।

इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि उपर्युक्त परीक्षा में अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे सभी 43 अभ्यर्थियों को, जिन्होंने योग्यता के न्यूनतम मापदण्ड के अनुसार 200 में से 66 अंक प्राप्त कर लिये हैं, प्रोन्नति दे दी गई है जबकि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का चयन, जिन्होंने 200 में 73 1/2 या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं, किया गया है । इससे स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने योग्यता के न्यूनतम मापदण्ड अर्थात् 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किय हैं, नियुक्त कर लिये गये हैं ।

विकास खण्ड तारुन व विकास खण्ड बीकापुर, जिला फैजाबाद के नलकूपों का विद्युत् कनेक्शन

136--श्री सीताराम निषाद--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 में विकास खण्ड तारुन व बीकापुर, जनपद फैजाबाद में व्यक्तिगत नलकूपों को विद्युत् कनेक्शन देने के कितने आवेदन-पत्र साधारण व जमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुए हैं उनमें से कितने प्रायरिटी नम्बर एक तक किसानों को विद्युत् कनेक्शन मिल चुका है और शेष को क्यों नहीं मिला ?

श्री ब्रह्मदत्त--

वर्ष 1979-80 में विकास खण्ड तारुन व बीकापुर, जनपद फैजाबाद में व्यक्तिगत नलकूपों को सामान्य तथा जमा योजना के अन्तर्गत विद्युत् कनेक्शन देने हेतु कुल मिलाकर क्रमशः 512 तथा 401 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए । इसमें से तारुन ब्लाक के 182 तथा बीकापुर ब्लाक के 100 आवेदकों ने कनेक्शन की आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कीं, जिसमें से आवेदन पत्रीय प्राथमिकता संख्या 295 तथा 67 कनेक्शन तारुन ब्लाक में तथा प्राथमिकता संख्या 220 तक 62 कनेक्शन बीकापुर ब्लाक में दिए जा चुके हैं ।

तारुन ब्लाक के शेष 115 तथा बीकापुर ब्लाक के 38 आवेदकों ने औपचारिकतायें मार्च 1980 के बाद पूरी की हैं, जिन्हें कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है । बिजली के आवश्यक सामानों के प्राप्त होने में कठिनाई के कारण भी इन्हें कनेक्शन देने में कुछ समय लग रहा है ।

जिला वाराणसी, ताड़ी में रंगाई एवं कालीन के सूत उद्योग की स्थापना की मांग

137--श्री ऊदल--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कालीन उद्योग के विस्तार को देखते हुए स्थान ताड़ी, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में एक रंगाई उद्योग तथा एक कालीन के सूत के लिए कताई उद्योग खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

जी नहीं ।

गोरखपुर में छोटी गंडक के बैकुंठी घाट पर पुल निर्माण की मांग

138--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री मारकण्डेय चन्द्र--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि धुधली (गोरखपुर) कस्बे के पास छोटी गन्डक के बैकुन्ठी घाट पर डबल लेन का पुल बनाने का निर्णय गत सरकार ने लिया था ? यदि हां तो कुल खर्च का अनुमान क्या है एवं कार्य कब तक पूरा होना प्रस्तावित था ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास क्षेत्र, मड़ियाहूं व रामनगर, जिला जौनपुर में कथित बालाहार योजना

139--श्री सूर्यनाथ उपाध्याय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत विकास क्षेत्र मड़ियाहूं व रामनगर में बालाहार योजना के अन्तर्गत 1979 व 1980 में अब तक किन-किन गांवों में कितना बालाहार वितरित किया गया ? क्या यह सही है कि बाल हार वितरण की सूचियां फर्जी बनाई गयी हैं और गांव में कोई वितरण नहीं हुआ है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत विकास क्षेत्र मड़ियाहूं व रामनगर में वर्ष 1979 व 1980 में बालाहार योजना लागू नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर जिले के कतिपय विकास खण्डों के भवन विहीन प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल

140--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खंड खैराबाद, ऐलिया तथा परसेण्डी में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन चलने वाले कौन-कौन प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल हैं जिनके भवन नहीं हैं ? प्रत्येक के लिये भवन की व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही हैं।

141--श्रीमती गौरी देवी--]

[7वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय कन्या इन्टर कालेज, सण्डीला, हरदोई का भवन

142--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि राजकीय कन्या इन्टर कालेज, सण्डीला, जिला हरदोई के पास अपना भवन न होने से अत्यन्त असुविधा है और कई वर्षों से भवन निर्माण हेतु धन स्वीकृत पड़ा है ? यदि हां, तो भवन न बन पाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

शासन द्वारा कोई धन स्वीकृत नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जालौन जिले में कांस्टेबिलों की भर्ती

143--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जुलाई, 1980 के अन्तिम सप्ताह में जालौन जनपद में जो पुलिस कांस्टेबिलों की भर्ती की गयी ? उसमें कितने लड़के जालौन जनपद के लिए गये तथा कितने अन्य दूसरे जनपदों के लिए गये ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जनपद जालौन में दिनांक 12-6-80 से 12-8-80 तक हुई कान्सटेबिलों की भर्ती में 17 रंगरूट जनपद जालौन के तथा 20 अन्य जनपदों के लिये गये हैं ।

आगरा मण्डल में बेरोजगार बी० टी० सी० अध्यापक

144--श्री लललू सिंह चौहान--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मण्डल में कितने बी० टी० सी० ट्रेनिंग उत्तीर्ण अध्यापक अभी भी बेरोजगार हैं ? क्या जिलावार संख्या देने की कृपा करेंग ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मैनपुरी जिले में खोले गये सीनियर बेसिक स्कूल

145--श्री लललू सिंह चौहान--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद में वर्ष 1964-65 से 1967-70 तक कितने सीनियर बेसिक स्कूल (बालक तथा बालिकाओं)

योजना के अन्तर्गत खोले गये ? क्या उक्त सभी विद्यालय के लिए प्लान से 15,000 रुपया प्रति विद्यालय जिला परिषद् मैनपुरी को दिया जा चुका है ? यदि हां, तो कौन-कौन से विद्यालय सीनियर बेसिक स्कूल भवन अभी तक निर्मित नहीं हुए हैं और क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही ह ।

मैनपुरी जिले में मार्गों का निर्माण

146--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद मे वर्ष 1978-1979 और 1979-80 में कितने किलोमीटर के कितने मार्ग निर्मित कराए गये हैं ? क्या उक्त मार्ग पूरे किए जा चुके हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जनपद मैनपुरी में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 78-79 और 79-80 में निर्माणाधीन मार्गों की संख्या 133 है तथा उनकी कुल लम्बाई 524 किलोमीटर है । वर्ष 1978-79 और 1979-80 तक इनमें से 460 किलोमीटर भाग में मिट्टी का कार्य हो चुका था । स्वीकृति के अनुसार 50 मार्गों का कार्य 178 कि0 मी0 की लम्बाई में पूर्ण किया जा चुका है । शेष कार्य विभिन्न स्तरों पर प्रगति में है ।

बेसिक शिक्षा परिषद् मैनपुरी के स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद

147--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, मैनपुरी के अधीन प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में 1 जनवरी, 1980 को कितने स्थान अध्यापकों के और कितने स्थान चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त थे ? क्या उन पर अब नियुक्तियां कर ली गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री एम0 पी0 गुप्ता, प्रधानाचार्य, आई0 टी0 आई0, बस्ती के विरुद्ध शिकायती-पत्र

148--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या श्रम मन्त्री को ज्ञात है कि श्री एम0 पी0 गुप्ता, प्रधानाचार्य, आई0 टी0 आई0, बस्ती के कार्य-कलापों के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र विभाग को तथा शासन को अप्रैल, 1980 में तथा पुनः जून, 1980 में दिया गया है ? क्या मन्त्री जी को यह भी ज्ञात है कि इनके विरुद्ध कोई जांच तत्कालीन निदेशक द्वारा की गयी थी जब श्री गुप्ता गाजीपुर में थे ? यदि हां, तो अप्रैल, 1980 तथा जून, 1980 के शिकायती-पत्र क्या हैं और गाजीपुर के मामले में जांच आख्या क्या है तथा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित]--

जी हां। श्री एम0 पी0 गुप्ता के कार्यकलापों के विरुद्ध शिकायती-पत्र अप्रैल, 1980 और जून, 1980 में प्राप्त हुए थे। जब श्री गुप्ता गाजीपुर में थे तब भी उनके विरुद्ध जांच उप निदेशक (प्रशिक्षण/शिक्षु), वाराणसी मन्डल द्वारा की गई थी और उनका स्थानान्तरण गाजीपुर से कर दिया गया था। अप्रैल, 1980 तथा जून, 1980 के शिकायती पत्रों में श्री गुप्ता के विरुद्ध मुख्यत: भ्रष्टाचार, संस्थान के लिए वस्तुओं का ऊंची दरों पर क्रय करना तथा सरकारी सामान को अपने निजी उपयोग में लाने के संबंध में आरोप हैं। आरोपों की जांच करा ली गई है और इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

प्राथमिक चिकित्सालय, बरगदी, जिला गोण्डा का विद्युत कनेक्शन

149--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय चिकित्सालय, बरगदी, जिला गोण्डा के विद्युतीकरण हेतु फरवरी, 1979 में कनक्शन शुल्क जमा करने के बाद आज तक कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया ? इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय, बरगदी जिला, गोण्डा के अन्तर्गत निम्न तीन परिसरों में विद्युत आपूर्ति हेतु क्रमश: उनके समक्ष अंकित तिथियों में कनेक्शन के लिए चिकित्सा अधिकारी बरगदी द्वारा अनुबन्ध करके आवश्यक खर्च का भुगतान किया गया :--

(1) मुख्य चिकित्सा भवन में बत्ती एवं पंखा	20-3-79
(2) मुख्य चिकित्सा भवन में डोमेस्टिक पावर	22-5-79
(3) आवासीय भवन में बत्ती एवं पंखा	3-11-79

इस परिसरों में मीटर लगाने तथा कनेक्शन देने हेतु आदेश-पत्र क्रमश: दिनांक 21-3-79, 23-5-79 तथा 3-11-79 को जारी कर दिए गये थे, परन्तु इनको वायरिंग वी0 ऐण्ड एल0 फार्म के अनुसार पूरी न होने के कारण कनेक्शन नहीं दिया जा सका। इनमें से मुख्य चिकित्सा-भवन तथा आवासीय भवन के बत्ती एवं पंखे [उक्त क्रम संख्या (1) एवं (3)] के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा वी0 ऐन्ड एल0 फार्म के अनुसार वायरिंग पूरी कर लेने पर क्रमश: दिनांक 13 फरवरी, 1980 तथा 10 अगस्त, 1980 को कनेक्शन दे दिया गया है। शेष क्रम संख्या (2) के डोमेस्टिक पावर के परिसर में अभी तक वी0 ऐन्ड एल0 फार्म के अनुसार वायरिंग पूरी न होने के कारण कनेक्शन देना बाकी है।

इन उपरोक्त परिस्थितियों में मुख्य चिकित्सा भवन के डोमेस्टिक पावर के एक मात्र कनेक्शन न दिये जाने के लिए चिकित्सा विभाग स्वयं उत्तरदायी

हैं, अतएव विद्युत् परिषद् के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

बाधा-गाड़ा जरलही मार्ग का नाम रवीन्द्र सिंह किये जाने की मांग

150--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्त्री द्वारा माह जनवरी, फरवरी, 1980 में बाधा-गाड़ा जरलही मार्ग का नाम रवीन्द्र सिंह मार्ग रखने का कोई आवेदन-पत्र अनेकों ग्राम प्रधानों के हस्ताक्षर से सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां, यह पत्र प्राप्त हुआ है । यह प्रस्ताव शासन के अभी विचाराधीन है । शासकीय निर्णय से माननीया सदस्या को शीघ्र ही अवगत करा दिया जायेगा ।

रुस्तमपुर-डागीपार सड़क के निर्माण की मांग

151--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 1 जून, 1980 को उप सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ को रुस्तमपुर से तागीपार तक सड़क निर्माण के लिए कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

पत्र दिनांक 18 जून, 1980 को प्राप्त हुआ है ।

मुख्य अभियन्ता से आख्या प्रतीक्षित है ।

पेसिया-नईकोट अड्डा बाजार मार्ग, जिला गोरखपुर का निर्माण एवं मजदूरों की मजदूरी

152--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित पेसिया-अड्डा बाजार (जिला गोरखपुर) मार्ग पर कार्य किए हुए 60 मजदूरों की एक माह की मजदूरी 3 माह बीत जाने के बाद भी नहीं दी गयी ? यदि हां, तो क्या उक्त सभी मजदूरों ने जिलाधीश एवं अधिशासी अभियन्ता, गोरखपुर को इस सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र माह जुलाई, 1980 में दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

यह सत्य नहीं है कि जनपद गोरखपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित पेसिया-नईकोट अड्डा बाजार मार्ग पर कार्य किये हुए 60 मजदूरों की एक माह की मजदूरी तीन माह बीत जाने के बाद भी नहीं दी गई । इस सड़क पर मजदूरी न दिये जाने के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र माह जुलाई, 1980

[श्री जगदीश प्रसाद--]

में अधिशासी अभियंता को 26 मजदूरों ने भेजा था । जांच के पश्चात् यह पाया गया कि उनमें से किसी ने भी इस मार्ग पर कार्य नहीं किया है ।

बाबतपुर-जमालपुर मार्ग, जिला वाराणसी का निर्माण

153--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबतपुर-जमालपुर मार्ग, जिला वाराणसी में अर्सा तीन वर्ष से पत्थर की गिट्टी गिरा दी गयी है ? यदि हां, तो गिट्टी गिरा कर सड़क न बनाने का कारण क्या है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

यह सही नहीं है कि तीन वर्ष से पत्थर की गिट्टी गिरा दी गई है ।

सड़क पर कुछ बाईपास बनने हैं जिनके लिये भूमि अध्याप्ति नहीं हो पाई है । शेष लम्बाई में अधिकांश जगहों पर गिट्टी अगस्त, 1978 के बाद एकत्रित की गयी है परन्तु डामर के अभाव में उसकी कुटाई नहीं की गयी है ।

देउजी नदोप, उदपुर मार्ग, जिला वाराणसी पर डाली गयी कथित मिट्टी

154--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देउजी नदोप, उदपुर मार्ग ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मिट्टी डाल दी गयी है ? यदि हां, तो क्या इस मार्ग को पक्का करने हेतु इस्टीमेट बनाया गया है और यह मार्ग कब तक बनेगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस कर्मचारियों द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री जैल सिंह का पत्र

155--श्री खरे आलम--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें केन्द्रीय गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) का जुलाई, 1980 में कोई पत्र मिला है जिसमें इस बात पर गहरी चिन्ता जाहिर की गयी है कि पुलिस कर्मी, महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार और दुर्व्यवहार जसे संगीन अपराध के दोषी ठहराए गये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में कौन से कदम उठाए हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । केन्द्रीय गृह मंत्री जी का पत्र दिनांक 18 जुलाई, 1980 प्राप्त हुआ है । इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को निम्नलिखित आदेश जारी किये गये हैं :--

(1) जब कभी किसी पुलिसकर्मी के विरुद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार आदि की सूचना प्राप्त हो तो तत्काल उसकी जांच की जाय ।

(2) यदि जांच के फलस्वरूप शिकायत सही जान पड़े तो अपराधी पुलिस कर्मी के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने के साथ-साथ उसे निलम्बित किया जाय ।

(3) यदि जांच के दौरान यह आशंका हो कि पुलिस कर्मी की उपस्थिति जांच को प्रभावित करेगी तो उसे स्थानान्तरित किया जाय ।

)(4 यदि साक्ष्य के अभाव में मुकदमा चलाना सम्भव न हो तो तेजी से विभागीय कार्यवाही करके दोषी कर्मचारी को कड़ा दंड दिया जाय ।

(5) राज्य व जिलों के पुलिस मुख्यालयों पर ऐसे मामलों की असलियत का प्रचार करने हेतु जन-सम्पर्क माध्यम सुदृढ़ किये जांय ।

(6) महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के सम्बन्ध में जो विशेष विधिक प्राविधान है उनका अनुपालन अक्षरशः किया जाय तथा पुलिस कर्मियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय ।

156--श्री ऊदल--

[5 वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

थाना गद्दी-गड़खड़ा मार्ग जिला जौनपुर का निर्माण

157--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना गद्दी से गड़खड़ा मार्ग, जिला जौनपुर, जो कई वर्षों से बन रहा है अभी तक पूरा न होने का क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि इस मार्ग पर दो वर्ष पूर्व ही ईंटें बिछा दिए गये थे ?

श्री जगदीश प्रसाद--

यह सड़क सोलिंग सतह तक निर्माण हेतु 26-12-77 को 4 कि0 मी0 लम्बाई में स्वीकृत हुई थी । आबादी के हिस्से के 100 मीटर भाग को छोड़कर सोलिंग सतह तक कार्य नवम्बर, 1979 तक पूर्ण हो चुका है ।

इस सड़क पर सतह लेपन का कार्य माह सितम्बर, 1979 में स्वीकृत किया गया था किन्तु विगत वर्ष डीजल का अभाव होने के कारण मिट्टी का एकत्रीकरण नहीं हो सका । इस कार्य के लिये अब निविदायें प्राप्त हो गई हैं । सतह लेपन का कार्य डामर उपलब्ध होने पर सम्भव हो सकेगा ।

सिधोरा, जिला वाराणसी में कालीन प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की मांग

158--श्री ऊदल --

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान सिधोरा ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में कालीन ट्रेनिंग सेन्टर खोलने पर विचार किया जा रहा है ? क्या यह सत्य है कि इस क्षेत्र में ट्रेनिंग सेन्टर न होने की वजह से कालीन बुनवाने में कठिनाई हो रही है ?

[श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर]--

जी हां । स्थान सिंधोरा ब्लाक पिंडरा, वाराणसी में कालीन प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा ने हेतु प्राप्त केवल एक प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश निर्यात निगम के विचाराधीन है ।

महालक्ष्मी पेपर वर्क्स, देवरिया को कागज का आवंटन

159--श्री हरिवंश सहाय--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के अन्तर्गत सलेमपुर स्थित महालक्ष्मी पेपर वर्क्स को 1 जनवरी, 1980 से 15 जुलाई, 1980 तक कितने कागज का कोटा दिया गया उसमें उपरोक्त फर्म ने कितनी अभ्यास पुस्तिकाओं का निर्माण किया तथा किन-किन स्थानीय पुस्तक विक्रेताओं को बेचा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सात टन कागज का आवंटन उक्त अवधि में हुआ, किन्तु अभी मिलों से इसकी आपूर्ति नहीं हो पाई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरदोई जिले में कागज का आवंटन

160--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद में गत वर्ष में किन-किन व्यक्तियों को कितना कापियां बनाने का कागज आवंटित किया गया ? जिन व्यक्तियों को यह कागज दिया गया उसका आधार क्या था ? उपरोक्त आवंटित कागज का कापियों का वितरण किस प्रकार और किन-किन को किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

गत वर्ष 1979 के तृतीय त्रैमास से जनपद हरदोई को कागज आवंटित होना आरम्भ हुआ, जिसकी स्थिति निम्नवत् थी :--

निर्माता का नाम	जुलाई, सितम्बर, 1979	अक्तूबर, दिसम्बर, 1979
	टन	टन
1--मेसर्स सरदार प्रिंटिंग प्रेस, हरदोई	10	6
2--मेसर्स ताज पेपर प्रोडक्ट्स, हरदोई	5	5
3--मेसर्स विमला पेपर उद्योग, हरदोई	..	5
	15	16

रियायती मूल्य का कागज उन्हीं कापी निर्माताओं को आवंटित होता है, जिनके पास निजी रूलिंग कटिंग तथा स्टिचिंग मशीनें हों और जो लघु उद्योग में अन्तिम रूप से पंजीकृत हो।

जिलाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त कागज में से 15 टन कागज प्राप्त हुआ था जिसकी निर्मित कापियां जनपद के प्रमुख कापी विक्रेताओं को छात्रों के वितरण हेतु उपलब्ध करा दी गई थी।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती द्वारा विद्यालयों को दी गयी धनराशि

161--श्री माता प्रसाद पांडेय--

क्या शिक्षा मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि 1979-80 में कितना पुराना एरियर तथा नया भुगतान बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती द्वारा किस-किस विद्यालय का, कितना-कितना धन भुगतान किया गया है और यह कितने दिनों पुराना बकाया पड़ा था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वांछित सूचना संलग्न है।

सहायता प्राप्त विद्यालयों, जिला गोरखपुर में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के अध्यापक एवं कर्मचारी

162--श्री किरंगी प्रसाद विशारद--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षक एवं गैर शिक्षक पदों पर भर्ती हेतु आरक्षण की कोई व्यवस्था रही है ? यदि हां, तो शासनादेश के बाद कितने पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति के लोग क्रमशः उपरोक्त पदों पर भर्ती किए गए और प्रतिशत इस समय क्या रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, असहायिक एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर अन्य समस्त सहायताप्राप्त विद्यालयों पर आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश लागू है। आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों के जारी होने के बाद गोरखपुर जनपद के बालिकाओं के कुल 11 सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 5 पिछड़े वर्ग के तथा 1 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को शिक्षक एवं गैर शिक्षक पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति दी गई। वर्तमान में शिक्षक एवं गैर शिक्षक पदों पर पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिशत 24.25 तथा अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत 5.5 है। अन्य विद्यालयों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

---

†छापी नहीं गई।

[12 बजकर 18 मिनट]

नियम 301 को सूचना के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, नियम 301 के अन्तर्गत माननीय राम गोविन्द ने एक सूचना दी थी जिसमें उन्होंने बलिया में 28 लड़कों के जेल में बन्द करने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि उनकी दवाओं को भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है । उन विद्यार्थियों में प्राइमरी स्कूल से लेकर डिग्री कालेज तक के 28 लड़के जेल में बन्द हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । इस तरह बात कहना व्यवस्था के प्रश्न पर मुनासिब भी नहीं है । आप कृपया बैठें ।

एक सदस्य--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें, इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । अब नियम 301 की सूचनायें ली जायेंगी । इस नियम के अन्तर्गत 10 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 5 को मैंने स्वीकार किया है ।

गोरखपुर जनपद के विधान सभा क्षेत्र धुरियापार व बेलघाट विकास खंड में घाघरा व कुआनों नदी की बाढ़ से भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मारकण्डेय चन्द्र--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि गोरखपुर जनपद के विधान सभा धुरियापार के 112 गांव इस वर्ष घाघरा और कुआनों नदियों की प्रलयकारी बाढ़ से 16 जुलाई से अब तक घिरे हुए हैं । उपरोक्त दोनों नदियों के दुआबे में बेलघाट विकास खंड की 80 गांव सभाओं के के लगभग एक लाख लोग भयंकर बाढ़ से बुरी तरह से ग्रस्त हैं । इस क्षेत्र की लगभग 1253 हेक्टेयर फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है । उपरोक्त दोनों नदियों के बीच में एक झिरझिरवा नाला है जो इस वर्ष की अनवरत अतिवृष्टि के कारण भयंकर रूप धारण कर लिया, जिसके प्रारम्भ में नाव के न उपलब्ध होने के कारण दो व्यक्तियों को डुबोकर उनकी जीवन-लीला समाप्त कर दिया । इस पूरे क्षेत्र में जिलाधिकारी द्वारा 11 बाढ़ सुरक्षा केन्द्र स्थापित कर 80 नावें लगाई गयीं तथा इन केन्द्रों से सरकारी अधिकारियों द्वारा 174 क्विन्टल गेहूं, 25 क्विन्टल चावल, 4 क्विन्टल चना 11 कुन्तल नमक, 3 कुन्तल गुड़, 1215 दियासलाई 1357 लीटर मिट्टी का तेल तथा 1 कुन्तल 10 किलो साबुन आदि वितरित किया गया है जो इतनी जनसंख्या के लोगों के बीच "ऊंट के मुंह में जीरा" के समान है । इस क्षेत्र में बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण 11,628 मकान ध्वस्त हो गये हैं । अब तक सरकारी सहायता

घाघरा व कुआनों नदी की बाढ़ से भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[श्री मारकण्डेय चन्द्र—]

नाम मात्र की जारी है जिससे लोग किसी प्रकार एक वक्त की रोटी प्राप्त कर लेते हैं किन्तु सरकारी सहायता बन्द होते ही इस क्षेत्र में भुखमरी की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस क्षेत्र के लोगों के पास अपना कहने के लिये कुछ भी नहीं रह गया है। यहाँ तक कि पशुओं के लिये चारे का भी एक समस्या है। सरकार ने खाद्यान्न की सहायता बन्द करन के पूर्व यदि राहत कार्य के रूप में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने का निर्देश नहीं दिया तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि बड़े पैमाने पर भुखमरी प्रारम्भ हो जायेगी।

अल्मोड़ा जनपद में बेरोजगार बेसिक शिक्षकों द्वारा भूख हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के अन्तर्गत अल्मोड़ा जनपद के 1973 से 1978 तक प्रशिक्षित बेरोजगार बेसिक शिक्षकों द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये शिक्षक 5 सितम्बर, 1980 से भूख हड़ताल पर थे किन्तु माननीय संसद सदस्य तथा जिलाधिकारी के द्वारा 15 सितम्बर तक का समय मांगे जाने पर इन बेरोजगार अध्यापकों ने भूख हड़ताल वापस ली, किन्तु 15 सितम्बर, 1980 तक आश्वासन पूर्ण न होने के कारण वे पुनः 19 सितम्बर, 1980 से आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनकी हालत चिन्ताजनक है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से पूछना चाहूंगा कि 1973 से अब तक प्रशिक्षित बेरोजगार बेसिक शिक्षकों की समस्या के निवारण हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? और उन्हें कब तक रोजगार देना सम्भव होगा ? अनशनकारी बेरोजगार बी० टी० सी० अध्यापकों के साथ तुरन्त वार्ता कर ले ताकि प्राण रक्षा की जा सके। साथ ही बेगोजगार बी० टी० सी० अध्यापकों को तुरन्त रोजगार देने के लिए आश्वासन दिया जाय ताकि उनका भविष्य अन्धकार में न रहकर भविष्य उज्ज्वल हो सके। दो तार †संलग्न कर रहा हूं।

नैनी (इलाहाबाद) स्थित जी० ई० सी० कारखाने में श्रमिकों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधे श्याम पटेल—

महोदय, आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित तथ्यों को सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं :—

मान्यवर, जनपद इलाहाबाद में, नैनी स्थित जी० ई० सी० कारखाने में 10 नवम्बर, 1979 से 16 मार्च, 1980 तक अवैधानिक तालाबंदी तथा 15 मार्च, 1980 के नाजायज समझौता के विरोध में कारखाने के 1200 श्रमिकों की 12 जून, 1980 से पूर्ण हड़ताल चल रही है। तथाकथित नाजायज समझौते के आधार पर मिल प्रबन्धकों ने मनमानी तरीके से उत्पादन लक्ष्य इतना बढ़ा दिया है कि उसकी पूर्ति श्रमिकों के वश के बाहर है। परिणामतः उत्पादन लक्ष्य पूर्ति के अभाव में श्रमिकों के सामूमिक वेतन कटौती करनी शुरू कर दी गयी, आरोप-पत्र दिये गये तथा श्रमिक नेताओं को बरखास्त किया गया जिससे श्रमिक हड़ताल करने को मजबूर हो गये। माननीय राज्य मंत्री के हस्तक्षेप पर श्रमिकों एवं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापे नहीं गये।

[श्री राधे श्याम पटेल—]

प्रबंधकों के बीच 26 अगस्त, 1980 को पुनः समझौता हुआ, परन्तु प्रबंधक उससे मुकर गये । इतना ही नहीं माननीय श्रम मंत्री जी ने भी प्रबंधकों को बुलवाया । पर नहीं आये तब माननीय श्रम मंत्री श्री दीक्षित जी ने अपने विशष अधिकारों के तहत दिनांक 26 अगस्त, 1980 को हुए समझौते को कारखाना विवाद अधिनियम की धारा 3—बी के अन्तर्गत लागू करने के लिये श्रम आयुक्त को निर्देश दिया, परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार फेल है । लगभग 97 दिन पुरानी इस हड़ताल के बाद भी श्रम विभाग उनके निर्देश लागू करने में पूर्णतः असफल एवं उदासीन है । जिससे कारखाना ठप पड़ा है और 1200 मजदूरों व उनके परिवार वालों का जीवनयापन कठिन हो गया है ।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले पर तुरन्त कारगर रूप से हस्तक्षेप कर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जाय । अन्यथा प्रबंधकों के खूनी पंजे के शिकार होने के लिए श्रमिक मजबूर हो जायेंगे ।

ग्राम मलकपुर, जिला मेरठ की कु0 कमलेश व कु0 सतवीरी के साथ श्री सुरेश व श्री ओमवीर सिंह द्वारा बलात्कार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेश चन्द्र—

मान्यवर, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 15 सितम्बर, 1980 को ग्राम मलकपुर, जिला मेरठ की दो लड़कियां उम्र 14 वर्ष कमलेश व सतवीरी खेतों में कपास चुनने गयी । लगभग 12 1 बजे दोपहर को दो जाट लड़के सुरेश व ओमवीर सिंह जो लोकदल कार्यकर्ता है, उन लड़कियों के पास गये एवं उन्हें अकेला पाकर उन्हें जबरदस्ती ईख के खेत में ले गये एवं उनके साथ बलात्कार किया ।

इस निन्दनीय कार्य की रिपोर्ट थाना बड़ौत में उसी दिन दर्ज करायी गयी । थाने वालों ने लड़कियों की डाक्टरी के लिए उसी दिन नहीं भेजा, उन्हें 16 सितम्बर को जिला चिकित्सालय, मेरठ भेजा । डाक्टरों ने उन्हीं बदमाशों से मिलकर रिपोर्ट में कानूनी गड़बड़ी कर दी एवं उन्हें बचाने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाये जा रहे हैं । थाने वालों पर भी दबाव डाला जा रहा है ताकि केस दबाया जा सके । लड़कियों के मां-बाप पर भी दबाव डाला जा रहा है कि केस वापस ले लिया जाये । नहीं तो उन्हें गांव छोड़ना पड़ेगा ।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार जघन्य अपराधों की जांच सख्ती से की जानी चाहिए एवं उन्हें किसी भी प्रकार दबाया नहीं जाना चाहिए । ताकि बदमाश एवं समाज विरोधी तत्वों को सजा मिल सके । मेरी शासन से अपील है कि डाक्टर के भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए जिसने दोषी व्यक्तियों को बचाने के लिए कानूनी गड़बड़ी रिपोर्ट में की । इसमें थाने वाले व डाक्टर दोषी हैं ।

सचिव, मुख्य मंत्री श्री भूरेलाल व खाद्य तथा रसद सचिव श्री कमल टावरी द्वारा डुमरियागंज में पकड़ी गयी अरहर का जिलाधिकारी द्वारा रिलीज किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि दिनांक 14-9-80 सचिव, मुख्य मंत्री श्री भूरेलाल तथा खाद्य एवं रसद सचिव

(वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।)

श्री क ल टावरी तथा उनके साथ दो–एक अधिकारी और डुमरियागंज तहसील जनपद बस्ती में जाकर डुमरियागंज कस्बे के व्यापारियों की आकस्मिक जांच की। जांच के दौरान श्री जगदेव के गोदाम में 300 क्विंटल अरहर लागत एक लाख रुपये की मिली। उस समय न तो उनके पास लायसेंस था और इस बात की भी सम्भावना थी कि यह अवैध रूप से खरीदी हुई अरहर है। उपरोक्त अधिकारियों ने रोकने का आदेश दिया कि जब तक जांच पूरी न हो जाय तब तक उक्त अरहर रिलीज न की जावे। मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है जिलाधिकारी, बस्ती ने अपने पद का दुरुपयोग करके राजनैतिक दबाव से उक्त अरहर यह कहकर रिलीज कर दिया कि उस समय उसके पास लायसेंस नहीं था लेकिन अब तो उसके पास लायसेंस है। इससे पूरे जनपद तथा खास तौर से डुमरियागंज क्षेत्र के नागरिकों में घोर असंतोष व्याप्त है और शासन की छबि धूमिल हो रही है क्योंकि उक्त सेठ वही व्यक्ति है जो गेहूं तस्करी काण्ड में भी शामिल है तथा उनके विरुद्ध सीमेंट और चीनी से तस्करी करने के आरोप में जाच चल रही है। इसलिए शासन की छबि बने और स्थिति प्रदेश व क्षेत्र की जनता के सामने स्पष्ट रूप से आवे क्योंकि पूरे क्षेत्र में यह चर्चा है कि यह अरहर गेहूं की तरह सीधे बिहार और रक्सौल होते हुए चीन चली जाती है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर अविलम्ब वक्तव्य देने की मांग करता हूं और सदन को सूचना देता हूं।

भूतपूर्व उपाध्यक्ष, विधान सभा श्री होती लाल अग्रवाल के निधन पर शोकोद्गार

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे सदन को इतने दुख के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री होतीलाल अग्रवाल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे।

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, श्री होती लाल अग्रवाल जी 13 सितम्बर, 1980 को हम लोगों के बीच से चले गये और अपने पीछे विधवा पत्नी, 4 पुत्र और 3 पुत्रियां शोकाकुल परिवार में छोड़ गये। श्री होती लाल जी स्वतंत्रता संग्राम के लिए तन, मन और धन से सब से अग्रणी रहे हैं। जहां तक तन की बात आयी है, तो आप 4 बार या 5 बार गिरफ्तार हुए हैं और लगभग 4 वर्ष उन्होंने कारागार में बिताये। मन की बात रही तो अपने देश की आजादी के लिए एक युवक की भांति साईमन कमीशन का बहिष्कार किया और जब धन की बात आयी तो आपने स्वराज्य कोष में 10 हजार रुपये का दान दिया। लेकिन तन, मन और धन के अतिरिक्त भी खासकर आप अध्ययन के जरिये भी देश-सेवा में लगे और आपकी वाणी सदैव समाज–सेवा के रूप में मुखरित हुयी, जिसकी स्व० गोविन्द बल्लभ पन्त और स्व० पुरुषोत्तम दास टण्डन भी सराहना किये बगैर नहीं रहे। और जब देश में क्रांति की दिशा आयी तो आपने ही सबसे पहले क्रांतिकारी कदम उठाया तथा पटेल कमेटी में भी आपका बड़ा योगदान रहा है। आज उनके न रहने से एक समाज सेवी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हमारे प्रान्त का एक गौरवमय पुत्र हम लोगों के बीच नहीं रहा। मैं आपके माध्यम से शोकाकुल परिवार को अपनी समवेदनाएं प्रकट करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोती लाल देहलवी--

स्वर्गीय श्री होती लाल जी अग्रवाल, भूतपूर्व उपाध्यक्ष के प्रति नेता सदन ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, मैं उससे अपने और अपने लोक दल के समस्त माननीय सदस्यों को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, स्व० श्री होती लाल जी अग्रवाल ने सन् 1962 से 1967 तक उपाध्यक्ष के पद पर एक सफल उपाध्यक्ष के रूप में कार्य-निर्वहन किया।

मान्यवर, वे अंग्रेजी शासन से कई बार टकराए, निरन्तर उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया, साइमन कमीशन का उन्होंने विरोध किया और मान्यवर, उन्होंने 3 जिले से अपनी शिक्षा पूरी की। जूनियर हाई स्कूल इटावा से, बी० ए० कानपुर से और एल-एल० बी० इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। मान्यवर, वह एक कुशल वक्ता थे और इसीलिए पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त और राजर्षि टण्डन ने उनकी प्रशंसा इसी सदन में की थी। 1977 में श्री होती लाल को जिला जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने जिला जनता पार्टी का बहुत सफलतापूर्वक संचालन किया। जाहिर है कि उनके निधन से हम सभी लोग बहुत दुखित हैं और यह एक अपूर्णीय क्षति हुई है उनके निधन से। मैं आप से अनुरोध करूंगा कि मेरी व मेरे दल की सम्वेदना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री फखरे आलम--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय श्री होती लाल अग्रवाल जी के निधन पर माननीय नेता सदन, माननीय श्री मोती लाल देहलवी ने जिन अल्फाजों में अपने गम व रंज का इजहार किया है मैं और मेरा दल अपने को उससे सम्बद्ध करता है। माननीय श्री होती लाल अग्रवाल आजादी की लड़ाई के बड़े सिपाही थे। वह इस प्रदेश के बड़े सपूत थे और उन्होंने आजादी की लड़ाई में पूरा योगदान दिया। उन्होंने मुल्क की खिदमत करने में पूरा हिस्सा लिया। मान्यवर, इस सदन के उपाध्यक्ष हो कर श्री अग्रवाल जी ने बड़ा काम किया और उन्होंने ऐसी उपाध्यक्षता की जिससे किसी पार्टी को उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं हुई। यह एक बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद वह लड़ाई लड़ते रहे। और उन्होंने हमेशा हर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने गरीबों का साथ दिया, उन्होंने पिछड़े लोगों का साथ दिया, उन्होंने हमेशा उनकी खिदमत की जो दुखी थे जिनके साथ ज्यादती होती रही। श्री होती लाल जी बड़े परिवार के व्यक्ति थे वे अरेस्टोक्रेट परिवार के थे उन्होंने कुछ समय तक वकालत का पेशा किया था किन्तु कुछ दिनों बाद इन सबको छोड़ कर वह मुल्क की आजादी की लड़ाई में, मुल्क की खिदमत में आ गये। मैं अपने दल और अपनी तरफ से आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी तरफ से उनके परिवार को सम्वेदना की सूचना दे दें कि उनके गम में हम पूरी तरह से शरीक हैं।

श्री धरम पाल--

माननीय नेता सदन, माननीय मोती लाल देहलवी और माननीय फखरे आलम साहब ने जो विचार व्यक्त किए उनके अनुरूप मैं स्वर्गीय श्री होती लाल अग्रवाल साहब के सम्बन्ध में समवेदना और दुःख प्रकट करता हूं और इन शब्दों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री अग्रवाल हमारे देश के गाँधीवादी और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षक नहीं किया।

आजादी की लड़ाई के अग्रणीय सितारे थे जो आज चले गए। मान्यवर, श्री अग्रवाल जी इसी सदन में उपाध्यक्ष थे और उनका व्यवहार प्रत्येक दल के सदस्य के साथ समान था। उनकी निष्पक्षता की मिसाल दी जाती है। ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के प्रति मैं अपनी तथा अपने दल की समवेदना आपके माध्यम से उनके परिवार तक पहुंचाने की प्रार्थना करता हूं।

*श्री भीखा लाल--

उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय होती लाल अग्रवाल जी के सम्बन्ध में मैं माननीय नेता सदन ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे मैं अपने को, अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। अग्रवाल जी देश के उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में बढ़कर हिस्सा लिया। बहुत ही सरल स्वभाव के थे, मृदु भाषी थे। जो भी उनके सम्पर्क में आता था प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। 5 साल तक सदन के उपाध्यक्ष के पद पर आसीन रहकर इस सदन की और शासन की गरिमा के अनरूप इस सदन का संचालन किया और मुझे भी इस सदन में रहकर उनके साथ काम करने का मौका मिला। उनकी व्यवस्था और कार्य कुशलता से काफी प्रभावित रहा। मुझे स्वयं काफी शोक है तथा अपनी तथा अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उनके परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करता हूं। आप उनके दुखी परिवार तक उसे पहुंचाने की कृपा करें।

श्री रियासत हुसैन--

स्वर्गीय होती लाल अग्रवाल के सम्बन्ध में नेता सदन और अन्य दलों के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किए हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्री अग्रवाल 1962 से 1967 तक उपाध्यक्ष रहे। जो प्रभाव, जो सादा मिजाजी और उदारतापूर्वक सदन को चलाने का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा और मैं समझता हूं कि इतनी सूझबूझ के लोग दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। मैं अपने तथा अपने दल की ओर से समवेदना प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि इस सम्वेदना को उनके परिवार तक भेजने का कष्ट करेंगे।

*श्री राम आसरे वर्मा--

श्री होती लाल अग्रवाल के असामयिक निधन पर जो उद्गार माननीय नेता सदन और अन्य नेताओं ने व्यक्त किए हैं उनसे मैं अपने तथा अपने प्रगतिशील विधायक दल को सम्बद्ध करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उनकी भूमिका अविस्मरणीय है। राजनीतिक जीवन में उनका योगदान भुलाया नहीं नहीं जा सकता। उपाध्यक्ष के रूप में 1962 से 1967 तक जो सदन के संचालन में भूमिका निभायी, वह मार्गदर्शन का काम करेगा। जो क्षति हुई है वह अपूर्णनीय है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी ओर से श्रद्धांजलि के शब्द उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय अग्रवाल जी के निधन से देश और समाज को तो नुकसान हुआ ही है, मैं उसे अपना व्यक्तिगत नुकसान मानता हूं। मुझे उनके साथ इस सदन में 10 वर्षों तक काम करने का अवसर मिला। 5 वर्ष तक उनकी उपाध्यक्षता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उपाध्यक्ष]

में इस सदन में बैठ कर, सदन के अन्दर कैसे बैठा जाता है, कैसे प्रश्न किया जाता है, क्या इसके कायदे हैं, उनको सीखा था। वह एक समाज सेवी तो थे ही, उसके अलावा राजनीति के महान पण्डितों में से रहे और उनकी त्याग, तपस्या अपनी जगह पर अद्वितीय रही। उन्होंने अपनी पढ़ाई के काल में ही देश की आजादी की लड़ाई के लिए चन्दे से 10 हजार की रकम एकट्ठा करके दान दी थी। उस समय 10 हजार रुपया एकट्ठा करके देना किसी विद्यार्थी को आसान नहीं था। लेकिन इन तमाम चीजों के अलावा वह सादगी के प्रतिमूर्ति थे और एक अच्छे पार्लियामेन्टेरियन थे। इसका सब से बड़ा सबूत तो हमने अपनी आंख से देखा था और जिस व्यक्ति के व्यवहार की प्रशंसा स्वर्गीय राजर्षि टंडन और स्वर्गीय पन्त जी कर चुके हों उसके बारे में कुछ अन्यथा सोचा ही नहीं जा सकता है। माननीय अग्रवाल जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। लगता है पुरानी परम्पराओं के पुरानी मान्यताओं के मानने वाले धीरे-धीरे हमारे बीच से उठते चले जा रहे हैं। वह उस जंजीर की आखिरी कड़ियों म से रहे हैं और उनके जाने से उस परम्परा का आखिरी खम्भा हमारे बीच से ढह गया। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शान्ति दे। उनको विधवा पत्नी, चार पुत्रों और तीन पुत्रियों को इस शोक को वहन करने की शक्ति दे और हमारे देश और प्रदेश में उनके जैसे गुणवान व्यक्ति फिर से पैदा हों। हम उनके गुणों से अपने आप को युक्त कर सकें, उनके गुणों को याद करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन शब्दों के साथ मैं उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभी दलों के नेताओं ने जो उदगार व्यक्त किये हैं उसको मैं स्वर्गीय होती लाल अग्रवाल जी के परिवार तक पहुंचा दूंगा।

अब हम दो मिनट मौन खड़े होकर उनकी आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए)

प्रदेश की विधान सभा के रहते अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय शासन की संभावना के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा--

मैंने औचित्य का प्रश्न दिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने औचित्य के प्रश्न की सूचना जरूर मेरे पास भेजी है लेकिन उसमें औचित्य का प्रश्न उठता नहीं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, प्रदेश की विधान सभा के होने पर अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय शासन की संभावना पर कोई औचित्य का प्रश्न नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायें।

श्री राम आसरे वर्मा--

इसके औचित्य को ग्राह्य मान लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका औचित्य का प्रश्न संभावना पर है, कल्पना पर है। इसलिए इस पर विचार नहीं हो सकता।

श्री राम आसरे वर्मा—

आप सुन लें। विधान सभा मौजूद है, मंत्रिपरिषद् मौजूद है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बिना इजाजत बोल रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

आपकी इजाजत के बिना मैं बोल ही नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने स्वीकार नहीं किया। केवल कल्पना पर कोई औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

आप बिना इजाजत बोल रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, बिना इजाजत नहीं बोलूंगा। लेकिन इजाजत के लिए जरूर अनुरोध करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

केवल कल्पना के आधार पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जरा देखें कि किस तरह सम्भावनायें पैदा हो गयी हैं। यहां विधान सभा और मन्त्रि परिषद् मौजूद है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न विधान सभा में पहले उठ चुका है। यह कहा जा चुका है कि यह कल्पना के आधार पर है। इसलिए फिर प्रश्न नहीं उठता।

अब आप कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, पहले मुझे सुन तो लें।

श्री उपाध्यक्ष—

जब स्वीकृत नहीं किया तो कैसे सुन लें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, पुनर्विचार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने अपने विवेक से इसको औचित्य का प्रश्न नहीं माना। चूंकि औचित्य का प्रश्न नहीं बनता इसलिए यह ग्राह्य नहीं है।

मेसर्स जे0 के0 काटन स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लि0, कानपुर में हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

[12 बजकर 53 मिनट]

*श्रम मन्त्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)—

मेसर्स जे0 के0 काटन स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लि0, कानपुर के श्री राम चरन पुत्र श्री सालिग राम, वीवर, वीविंग विभाग की प्रातः की पाली के मध्यावकाश में लगभग 10.45 पर मृत्यु हो गई। प्राप्त सूचना के अनुसार उसकी मृत्यु हृदय गति रुक जाने से हुई। इस श्रमिक की मृत्यु के फलस्वरूप मिल के श्रमिकों ने मध्यान्तर के बाद प्रातः 11 बजे से कार्य प्रारम्भ नहीं किया। इसी मिल के समीप स्थित जे0 के0 जूट मिल के श्रमिकों ने भी यह सूचना पाकर उसी दिन प्रातः लगभग 11.30 बजे कार्य बन्द कर दिया।

इन श्रमिकों ने यह मांग की कि मृतक के वारिसों को धन दिया जाय और तभी मिल से मृतक के शव को हटाने दिया जायेगा। मेसर्स जे0 के0 काटन मिल में लगभग 4000 व जे0 के0 जूट मिल में लगभग 3300 कर्मचारी कार्य पर लगते हैं। धन की यह मांग इम्पलाइज स्टेट इंश्योरेन्स स्कीम आदि के अन्तर्गत मिलने वाले हितलाभ/मुआवजे के अतिरिक्त थी। सेवायोजकों ने मिल के कुछ श्रमिक प्रतिनिधियों से वार्ता के पश्चात् यह नोटिस प्रातः 11 बजे के कुछ समय बाद ही लगाया कि मिल के प्रबन्धक मृतक के वारिसों को लीगल ड्यूज के अतिरिक्त रु0 36000 रुपया देंगे और रु0 1000 रु0 मिल के जनरल मैनेजर (वर्क्स) भी देंगे तथा रु0 10,000 (दस हजार) श्रमिकों की ओर से दिया जायेगा। इस नोटिस का कुछ श्रमिकों ने विरोध किया और दो लाख की मांग की। श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा तत्काल हस्तक्षेप करने व श्रमिकों के प्रतिनिधियों को समझाने पर श्रमिकों की ओर से यह मांग की जाने लगी कि मृतक के वारिसों को कम से कम मृतक के सात वर्ष के वेतन के बराबर धन दिया जाये। सेवायोजक इतना धन देने को तैयार नहीं हुये और उनका कहना था कि उन्होंने रु0 36000 देने का नोटिस इस आशय से लगा दिया कि मिल में औद्योगिक शान्ति स्थापित हो जायेगी एवं पुनः शीघ्र ही कार्य आरम्भ हो जायेगा, अन्यथा इस धन को भी देने का कोई औचित्य नहीं है। श्रमिक कम से कम सात वर्ष के वेतन के बराबर धन देने पर जोर देते रहे और मृतक के शव को मिल से उन्होंने नहीं हटाने दिया। दिनांक 18-9-1980 को भी इस समस्या के समाधान के लिये अनवरत प्रयास किये गये। अन्त में दिनांक 19-9-1980 को श्रमिक पक्ष रुपया 36000 तथा जनरल मैनेजर (वर्क्स) द्वारा दी जाने वाली रु0 1000 की धनराशि पर ही सहमत हो गये और पक्षों में एक समझौता हो गया। समझौते के बाद ही मिल में दिनांक 19-9-1980 को अपराह्न लगभग 1 बजे मृतक का शव हट सका और उसी दिन दिनांक 19-9-1980 को अपराह्न लगभग 3 बजे की पाली से मेसर्स जे0 के0 काटन मिल्स व मेसर्स जे0 के0 जूट मिल्स में उत्पादन कार्य पुनः आरम्भ हो गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 9-स्वायत्त शासन एवं नगर पालिका विभाग, अनुदान संख्या 42-आवास एवं नगर भूमि विभाग, अनुदान संख्या 78-स्वायत्त शासन विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 110-स्वायत्त शासन विभाग-ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 111-आवास विभाग-ऋण और अग्रिम

(12 बजकर 55 मिनट)--

*स्वायत शासन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9-स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,54, 87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42-आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,48,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78-स्वायत्त शासन विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

एक सदस्य--

मैं मुख्य मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा स्वायत्त शासन मंत्री बना दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप उन्हें अनुदानों पर प्रस्ताव पेश करने दीजिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 110-स्वायत्त शासन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,85,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 111-आवास विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,98,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, स्वायत्त सेवी संस्थाओं का हमारी रोजाना की जिंदगी से जो ताल्लुक है उसके लिये कोई विवाद नहीं है । प्रजातांत्रिक पद्धति में स्वायत्त सेवी संस्थाओं का जो स्थान है उसके लिये भी कोई विवाद नहीं है । आज हम रोजाना की जिंदगी में हमेशा यह कोशिश करते रहे हैं कि स्वायत्त सेवी संस्थाओं के द्वारा जन मानस की जितनी सेवा हो सके वह की जाय । आज इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यह स्वायत्त सेवी संस्थायें हमारे प्रजातन्त्र की नींव है और किसी भी ढांचे को खड़ा करने के लिये नींव का मजबूत होना आवश्यक होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है । आज हमारे देश के बड़े से बड़े नेता किसी न किसी समय में चाहे वह सदस्य के रूप में हों या अध्यक्ष के रूप में हो इन स्वायत्त सेवी संस्थाओं से सम्बद्ध रहे हैं और उन्होंने बड़े-बड़े योगदान दिये हैं । सन् 1947 के बाद इन स्वायत्त सेवी संस्थाओं के रूप निखारा और जनमानस की भलाई करने के लिये सेवा करने के लिये सारे उत्तरदायित्व सौंपने का बीड़ा उठाया गया । जिन-जिन महत्वपूर्ण उपायों को सोचा गया और उनके कार्यान्वयन करने में जो दिक्कतें आयीं उनको समय-समय पर सुधारने की कोशिश की गयी । आज भी इस समय हमारे सामने सारी नगर महापालिकायें, नगरपालिकायें और नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया सब अवक्रमित हैं । 5 महानगर पालिकायें, 18 नगरपालिकायें, 48 नोटीफाइड एरियाज, 417 टाउन एरिया, कुछ जगहें ऐसी हैं जैसे अलीगढ़ आदि में 20 सालों से स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुये हैं । आज चुनाव के लिये चारों तरफ से पुकार हो रही है । तो हम ईमानदारी से कहना चाहते हैं कि जब से तीन महीने पहले हमने इस विभाग का कार्यभार संभाला है उससे पहले हम दृढ़ संकल्प थे कि चुनाव शीघ्र करायें । लेकिन होनी प्रबल । सन् 1981 आने वाला है, इसलिये हमारे सामने मतगणना का कार्य है और वह प्रारम्भ हुआ जो कि मार्च 1981 से पहले समाप्त होने वाला नहीं है । इसलिये मैं चाहूंगा कि दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से क्योंकि आवश्यकता इस बात की हो गयी है कि समय के भीतर चुनाव हो नहीं सकते हैं इसलिये हम अपने विचारों के आदान-प्रदान के जरिये कि क्या कार्य प्रणाली और, तरीका अपनाया जाय जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारी स्वायत्त सेवी संस्थायें आपकी मदद कर सकें और जनमानस का विश्वास हासिल कर सकें । जैसे आपका एक सुझाव यह है कि नगरपालिकाओं के अध्यक्ष, स्वायत्त सेवी संस्थाओं के अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से चुनें जायं, पहले भी ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन 1952-53 में इस पद्धति को बदला गया कि प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने पर क्योंकि वह अपने मेम्बरों

के जरिये चुने जाते हैं इसलिये उनका ध्यान उन्हीं की ओर रहता है और जनता की भलाई वह कम करते हैं और वह इतने परेशान हो जाते हैं कि मेम्बरों की पसन्द पर उनको ज्यादा छोड़ दिया जाता है। इसलिये इसको बदला गया। और उसके बाद देखा गया कि जब अध्यक्ष एक विचारधारा का चुना गया और बोर्ड में उसी के मेम्बरों की मेजारिटी है तो फिर कार्य में शिथिलता आयी जिससे उसको फिर बदला गया क्योंकि यह कानून वेलफेयर स्टेट में हमारे यहां जनता की भलाई का लक्ष्य सामने रखते हुये बदलते रहते हैं। इसी उद्देश्य से इसको बदला। उसके बाद यह अहसास किया गया कि पुरानी पद्धति अच्छी होगी, फिर फैसला किया गया कि उस तरीके से चुनाव हों लेकिन उसके बाद आजतक चुनाव नहीं हो पाये हैं। हमने जब से शासन का भार सम्भाला है, हमको कहने में दुख है कि स्वायत्त सेवी संस्थाओं के कर्मचारियों की, सफाई मजदूरों की यह हालत है कि टाऊन एरियाज में 40-40 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस तरफ ध्यान दें और उनके उपायों को सोचें कि किन कारणों से यह हालत पैदा हो गयी और उन कारणों का किस तरह समाधान हो। क्योंकि जब वेतन नहीं मिलेगा तो उनका जीवन स्वस्थ्य नहीं होगा और फिर कार्य में क्षमता कैसे आवेगी। उसकी जिम्मेदारी को कैसे वह निभा सकते हैं। माननीय, साथ ही साथ यह भी देखना है कि इन मेम्बरों के चुनाव के लिये ऐसा सोचा जा रहा है और सुझाव आ रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि एक सदस्य कक्ष बनाये जायं और कुछ लोगों का कहना है कि एक से अधिक सदस्य कक्ष बनाये जायं, चूंकि एक सदस्य कक्ष का ऐसा अनुभव रहा है कि उसमें छोटे-छोटे क्षत्र होते हैं और उनमें बिरादरीवाद को ज्यादा बढ़ावा मिलता है। इसलिये यदि क्षेत्र विकसित करके बहुसंख्यक सदस्य हों तो उसमें कुछ अधिक विकास हो सकता है, इसमें शासन ने अभी फैसला नहीं किया है। इसलिये हम आपके विचार सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप के ठोस विचारों और तर्जुबे से इस प्रदेश को चलाना है और उसको हम काफी मान्यता देंगे।

माननीय, अब जहां तक इस बात का सवाल है कि स्थानीय निकाय यानी टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, महापालिका इनमें संसाधनों की कमी है, वे उपेक्षित हैं, इस बारे में यह कहना है कि उन के कर्मचारियों को हमने सुविधायें दी हैं जिनसे उन पर काफी खर्चा पड़ेगा। दूसरी ओर हम ने यात्री कर को भी समाप्त कर दिया है उससे भी उन की आय कम हो गई है। एक तो आय कमी हुई और वह कम हुयी हमारे फैसले के अन्तर्गत न कि उनकी खराबियों के कारण। इसलिये हम पर उत्तरदायित्व आता है कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिये उनको थोड़ा योगदान दें। वे स्वावलम्बी संस्थायें हैं किन्तु हमारे आदेशों को पूर्ण करने में उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा है। इसलिये हम उनको कुछ अनुदान के रूप में पैसा दें जिससे वे इन समस्यओं को सुलझा सकें। आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है कि किस तरह से नगरों में आबादी बढ़ती चली जा रही है। तमाम लोग अपन जीविकोपार्जन के लिये गांवों से भाग कर शहरों में आते चले जा रहे हैं। आप देखें कि नगरपालिकाओं के ऊपर इस जल वृष्टि से कितना प्रभाव पड़ा है। सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचा है तो इन स्वयं सेवी संस्थाओं को पहुंचा है। इनकी सड़कें खराब हुई, उसकी समस्या या सफाई की समस्या,

[श्री राम सिंह खन्ना]

बीमारी फलने की समस्या, कूड़ा हटाने की समस्या, सारी समस्याओं का बोझ इन्हीं पर पड़ा है और हर प्रकार से इनकी ही आलोचना होती है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया जाय कि किस तरह से इन्हें अपने संसाधन जुटाने का मौका दिया जाय ताकि वे अपनी समस्याओं का सामना कर सकें।

हमारे स्थानीय निकायों में नब्बे हजार कर्मचारी काम करते हैं। जहां तक मुमकिन हो सका है उनको सारी सुविधायें, चाहे भत्ते की शक्ल में हो, चाहे बीमा की शक्ल में हो, सरकार ने दी हैं। जो सामुहिक बीमा योजना है वह भी हमारे विचाराधीन है कि दस रुपये माहवार या बीस रुपये माहवार इनके वेतन से काटा जाय। इस पर भी आप अपने सुझाव दें। अभी सन् 1979 में पहली बार वेतन आयोग बिठलाया गया है। वह विचार कर रहा है। जैसे ही उसकी संस्तुतियां आयेंगी उन पर शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। हम लोगों की कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा जो कम वेतन भोगी लोग हैं उनको सुविधा उपलब्ध करा सकें। जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिये आवास की व्यवस्था करें। सब से बड़ी कठिनाई हमारे सामने यह है कि जिस दिन से निदेशालय की स्थापना हुई और सर्विसेज का प्रान्तीयकरण किया गया तो उस में स्थानान्तरण की व्यवस्था रखी गयी। इतने कम तनख्वाह पाने वाले के लिये स्थानान्तरण में बाहर जाने पर आवास की समस्या पैदा होती है। मैं चाहूंगा कि इस पर आप अपने सुझाव दें कि किस प्रकार जो तमाम नगर महापालिकायें हैं, नोटिफाइड एरियाज हैं, टाउन एरियाज हैं उनमें कितने भी स्थानान्तरण वाले पद हैं उन पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की आवास की किस प्रकार व्यवस्था करें ताकि एक आदमी स्थानान्तरित होने के बाद एक घर में से निकल कर तुरन्त दूसरे घर में चला जाय।

(इस समय 1 बज कर 10 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सच्चिदानन्द पीठासीन हुये।)

आज आबादी के बढ़ने के कारण तमाम गांवों में रहने वाले लोग बड़े-बड़े शहरों में रिक्शा चलाते हैं। उन के पास सिर छुपाने की जगह नहीं होती, उनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं होता और किसी प्रकार से टूटे-फूटे मकान में वे रात बिताते हैं। मैं आपके विचार इस पर सुनना चाहूंगा। एक बात मेरे दिमाग में यह आती है कि ऐसा कोई तरीका निकाला जाय कि जिस तरह से बस स्टैन्ड होता है उसी तरह के एक दिनों का स्नानगृह की तरह जैसा जो टिनों से ऊपर से ढका हो बना दिया जाय ताकि ये लोग रात को अपनी गुजर कर सकें वरना कितनी बार यह होता है कि बेचारा रिक्शे पर लेटा होता है और पुलिस वाला यह सोचता है कि रात के दो बज चुके हैं और उसको सारे दोषों के लिये जिम्मेदार ठहराया जाता है जिससे उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। इसके लिये आप सुझाव दें। जब तक चुनाव न हो जायं तब तक स्वायत्त सेवी संस्थाओं में क्या गैर सरकारी लोगों को सम्बद्ध कर दिया जाय ताकि वे शासन को सुचारु रूप से जनहित में चला सकें।

श्री धरम पाल--

अच्छा हो कि जल्दी चुनाव करा दें नहीं तो गैर सरकारी लोगों को ही उनसे सम्बद्ध कर दें।

(व्यवधान)

श्री राम सिंह खन्ना--

वैसे किसी भ्रम का समाधान करना मुश्किल है । नेकनीयती और सच्चाई के साथ बात कहने पर भी आपने उसमें भ्रम किया। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भ्रमवश कोई बात नहीं कहता, कोई कार्य भ्रम में डाल कर नहीं करना चाहता । इससे किसी को फायदा नहीं होता । विश्वास-पूर्वक काम करने से जहां प्रदेश का हित होगा वहां समाज में हमारा आदर भी होगा । मुख्य मन्त्री ने बड़ी नेकनीयती के आधार पर यह कहा कि मैं यहां से हट जाऊं उस पर भी भ्रमवश बातें कही गयीं और आलोचनायें की गयी और उसका कोई इलाज नहीं ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

हाउस के सामने माननीय मुख्य मन्त्री ने इस्तीफा देने की बात नहीं कही इसकी पुष्टि उनसे आप करा लें

(व्यवधान)

श्री राम सिंह खन्ना--

थोड़ी बहुत नापसन्दगी की बात अगर कही जाय तो आप मुस्करा कर सुनिये । सोच समझ कर उनका जवाब दीजिये और फिर मैं अपने फैसलों को आपके समक्ष रखूंगा और आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा कि मेरी दिशा सही है । कोई अनुचित तरीके से मैं आपको गलत निष्कर्ष पर नहीं ले जाना चाहूंगा ।

(व्यवधान)

शार्ट कट मैं नहीं जानता । मैं खुद इतना शार्ट हूं कि शार्ट कट मुझे आता ही नहीं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, बढ़ती हुई आवास समस्या को हमें सुलझाना है । हमारे पास जो संसाधन हैं उनके जरिये से जो कोशिशें हो रही हैं उससे यह समस्या सुलझती नहीं दीखती । सन् 1980 में इस समय 9.80 लाख मकानों की कमी है । जो बढ़कर 85 लाख के करीब हो जायेगा । हमारे पास जो संसाधन हैं उसके हिसाब से हम एक लाख मकान बना सकते हैं विकास परिषद् के द्वारा । इस सम्बन्ध में मैं आपके सुझाव चाहूंगा कि जहां इसके साथ दूसरे संसाधनों को सम्बद्ध कराया जाय वहीं आप यह भी विचार करें कि जो प्राइवेट मकान बनाने वाले लोग हैं जो मकान बना सकते हैं और उनको वे किराये पर दे सकते हैं उन पर यह नियन्त्रण रखकर कि वे दुर्बल आय वर्ग के लायक ही मकान बनाने पर विचार करें ताकि वे मकान उनकी लेने की सीमा तक रहे । इस सम्बन्ध में भी आप हमें अपने सुझाव दें । हमको किसी रिजिडिटी के साथ नहीं चलना चाहिये कि किसकी क्या नीयत है । हमको देखना यह है कि किस कार्यपद्धति से, किस

[श्री राम सिंह खन्ना]

कार्यशैली के द्वारा किस कार्य को करने से हम जनमानस की भलाई कर सकते हैं। जहां तक विचार धारा का प्रश्न है, अगर विचार धारा विपरीत न होती तो हम सब लोग एक जगह ही बैठे हुये दिखाई देते। इसलिये जब तक प्रजातन्त्र रहेगा विचारधारायें विपरीत भी होंगी और उसी तरह से चलता रहेगा। आप इस बात को अपनाकर तो देखें।

इसके अतिरिक्त पेयजल की समस्या है। हमारे पास अभावग्रस्त गांवों की जल सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये संसाधन पर्याप्त नहीं हैं। उनकी कमी है। आप लोग इसका महत्व समझते हैं कि यह कितनी विशाल समस्या है.....

(व्यवधान)

मेरे पास आंकड़े हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा आपके सुझाव चाहूंगा और उनका जवाब देते वक्त सब बातें कहूंगा। मैं चाहूंगा कि सब संसाधनों को जुटाकर इस समस्या का समाधान कैसे हो, उसके बारे में आपके क्या-क्या सुझाव हैं, उस पर भी हम विचार करेंगे। अधिकतम सीमा भूमि से जितनी जमीन निकली है उसके बारे में आप किस तरह से प्राथमिकता देना चाहेंगे, उसके लिये हमने एक कैबिनेट की कमेटी बनायी है, मैं समझता हूं कि जिस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को विश्वास हो, किस पर प्राथमिकता दी जाय उसके बारे में आप हमें अपने सुझाव दें उस पर शासन विचार करेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को इस वक्त समाप्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग बड़े खुले दिल से, खुले दिमाग से अपने सुझाव दें और हमको लाभान्वित करें ताकि मैं अपने इस उत्तरदायित्व को जनमानस की भलाई के लिए निभा सकूं।

श्री हरिवंश सहाय—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9—स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42—आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78—स्वायत्त शासन विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 110—स्वायत्त शासन विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 111—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की

1980-81 के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 9-स्वायत्त शासन एवं नगर पालिका विभाग, अनुदान संख्या 42-आवास एवं नगर भूमि विभाग, अनुदान संख्या 78--स्वायत्त शासन विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 110-स्वायत्त शासन विभाग--ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 111-आवास विभाग--ऋण और अग्रिम

राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मंत्री जी ने जो बजट भाषण किया है, मैं समझता था कि विभागीय नीतियों को वह स्पष्ट घोषणा करेंगे, लेकिन केवल थोड़े से शब्दों में उन्होंने विभाग की बातों को कहा । प्रजातंत्रीय व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए जनता का प्रमुख हाथ होता है और उसमें जनमत का बहुत आदर होता है । इसके अन्तर्गत सत्ता को चलाने के लिए तीन प्रमुख सत्ता स्तम्भ होते हैं यानी इसे तीन खण्डों में विभक्त किया गया है । केन्द्रीय सत्ता, प्रदेशीय सत्ता और स्थानीय निकाय । स्थानीय निकायों के ऊपर राज्य सरकार का प्रभाव रहता है, वह उसके नियन्त्रण में रहती है । उनके चुनाव नहीं हो पाये हैं, इस वक्त स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का इतना अंकुश है कि चुनाव नहीं हो पा रहे हैं । इसके अलावा अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के हाथ में असीमित अधिकार है, उनके अधिकारियों को बहुत अधिकार मिले हुये हैं । जल निगम मनमाने ढंग से ऋण वितरण करता है । सरकार बराबर निकायों के बारे में कोई अध्यादेश से करों में छूट कर देती है या कोई आदेश कर देती है, जिसकी वजह से निकायों को घाटा होता रहता है । नगरपालिका में कोई सड़क खराब हो गई है या सीवर टूट गया है, उसकी स्वीकृति के लिए प्रदेशीय सरकार के पास भेजना पड़ता है, उसमें इतना समय लग जाता है कि सीवर या सड़क बनाने का काम लम्बे समय तक नहीं हो पाता है । एक कहावत है, कोई छुट्टा जानवर कांजीहाउस में बन्द हो गया । उसके मालिक ने उसको छुड़ाने के लिए न लिखा न धन ही दिया । इसलिए कांजीहाउस ने उसको नीलाम करने का कार्य किया । विभाग ने नीलाम की स्वीकृति के लिए प्रदेश सरकार को लिखा । इस बीच में वह जानवर बीमार पड़ गया और उसके बाद बीमारी की हालत में मर भी गया । किन्तु 8 महीने बाद उसकी स्वीकृति आई कि उसको नीलाम कर दिया जाए । इस तरह से स्थानीय निकायों और प्रदेश सरकार का काम चलता है । अतः उनको स्वतंत्र रूप से अधिकार दिये जायें । प्रदेश सरकार के चुनाव हो जाते हैं, उसी तरह से स्थानीय निकायों को अधिकार होता है कि वह जल्दी से अपने यहां का चुनाव करा लें, जिससे ठीक से उनका सारा काम चल सके । लेकिन प्रदेश सरकार की मनमानी के कारण इनके चुनाव नहीं होने पाते हैं, बसों साल तक यह बिना चुनाव के रहती हैं ।

अभी पिछली सरकार के हर मंत्री ने प्रायः यह घोषणा की कि हम कवाल टाउन में फ्लश सिस्टम लैट्रीन अवश्य बनवा देंगे, लेकिन दूर कहां जायें, लखनऊ में ही 40 में से 25 वार्डों में फ्लश सिस्टम की लैट्रीन नहीं है । मेरा यह भी निवेदन है कि हर वार्ड के अन्दर एक सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय बनाया जाये । ताकि सभी गरीब आदमी और औरत ठीक तरह से अपनी नित्य क्रिया कर सकें । हर मंत्री अपने बजट भाषण में कहता है कि कोई मेहतर अपने सिर पर नाईट स्वायल नहीं ले जायेगा, लेकिन यह बराबर होता आया है और आ रहा है । हमारे जिले में ही जितनी टाउन एरिया या नोटीफाइड एरियाज हैं और नगरपालिकायें हैं उनके मेहतर और उनकी पत्नियां अपने सर पर और हाथों में नाईट स्वायल लेकर दूसरे स्थानों पर पहुंचाते हैं । यह भी कहा गया है कि जो टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया हैं उन स्थानों पर पक्की नालियां बना दी जायंगी । मैंने

[श्री हरिवंश सहाय--]

भाषण पढ़ा यह हर साल होता है । लेकिन पक्की नालियां अभी तक नहीं बन पायी हैं । यह भी कहा जाता रहा हैं कि गांवों से शहरों की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं । मैं चाहूंगा कि जो विकसित गांव हैं, उनको टाउन एरिया में घोषित कर दिया जाय । यह भी कहा जाता रहा है कि नगरपालिका टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया में पेय जल की योजना चालू कर दी जायगी, लेकिन बहुत सी नगरपालिकाएं, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया ऐसी हैं जहां पर भी हैंड पाइप नहीं लगे हैं ।

इस विभाग को चलाने के लिए एक निदेशालय भी है । 1966 से इस निदेशालय की स्थापना हुई है । यह मंगा कर देखें कि 1966 से अब तक इसने क्या सुधार किया । उन्होंने क्या प्रगति की ? वह केवल पोस्टिंग और ट्रांसफर का काम करते हैं । उसमें आई० ए० एस० और पी० सी० एस० आते हैं । वह जानते हैं कि एक साल के अन्दर वे चले जायेंगे । इसलिए वे टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया या नगरपालिका की तरक्की के लिए कोई काम नहीं करते । मेरा सुझाव है कि जिन लोगों को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करें या किसी ऊंचे पद पर नियुक्त करना हो तो नीचे के कर्मचारियों से ही की जाय । वैसे शिक्षा विभाग में डाइरेक्टर एक शिक्षाविद होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर्स हो रहे हैं या अन्य विभागों जो स्वयंसेवी संस्थायें हैं, उसी विभाग के एक्सपर्ट्स अधिकारी होते हैं, उसी प्रकार जो नीचे से काम करते आ रहे हैं उन्हीं का निदेशालय में प्रोमोशन होना चाहिए ।

मकानों के अलाटमेंट में बड़ी गड़बड़ी होती है । पांच हजार बिल्डिंग, लखनऊ नगरपालिका में हैं जो नगरपालिका के कर्मचारियों को अलाट नहीं होती हैं बाहर के अफसरों को अलाट की जाती हैं । दस-दस साल से जिनका स्थानान्तरण दूसरे जिलों में हो गया, बाहर चले गये हैं फिर भी अपने नाम से रखे हुये हैं । ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों के पास नगरपालिका का मकान है, अलाटमेंट का भी मकान लिए बैठे हैं । मुझे आज बताया गया, पेपर मिल कालोनी में एक ग्रोवर साहब हैं करोड़पती हैं, उनका निजी मकान है, लेकिन फिर भी उनके नाम से मकान अलाट किया गया है । ऐसा नहीं होना चाहिए । जिनके पास निजी मकान हैं उनके नाम खारिज करने चाहिए । जो नगर से बाहर चले गये हैं उनको हटा देना चाहिए ।

जो कर्मचारी इस विभाग में काम करते हैं, अन्य विभागों की तरह तीन साल में उनको रेगुलराइज करना चाहिये । रोडवेज और रेलवे में उनके कर्मचारियों को फ्री पास मिलता ह लेकिन स्थानीय निकायों के अन्दर उनको वाटर सप्लाई या मकान के टैक्स में कोई रियायत नहीं मिलती । मेरा सुझाव है कि स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को वाटर टैक्स और हाउस टैक्स दोनों माफ होने चाहिए । स्थानीय निकायों को किस तारीख को वेतन दिया जाय इसकी तिथि निश्चित होनी चाहिए । मैंने कई जगह देखा है, मैं जहां रहता हूं वहां टाउन एरिया है, 11 महीने से सफाई कर्मचारियों का वेतन बाकी है । एक निश्चित तिथि होनी चाहिए जिस तिथि पर स्थानीय निकायों को वेतन दिया जायगा ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि जितनी भी हमारी टाउन एरियाज हैं या नोटीफाइड एरियाज हैं, अगर उनमें मास्टर प्लान नहीं बनी हैं तो उनके अन्दर मास्टर प्लान बनायी जाय ताकि वहां पर सड़कें बन सकें और नालियां भी बनायी जा सकें । देखने में यह आया है कि जहां पर चाहा, वहीं पर एन्क्रोचमेंट कर लेते हैं और फिर उनको

गिराने के लिये पुलिस और कोर्ट स की शरण लेनी पड़ती है । मेरी प्रार्थना है कि जहां पर मास्टर प्लान नहीं बने हैं, वहां पर तुरन्त उनको बनवाया जाय ।

मेरा यह भी सुझाव है कि हर नगर महापालिका और नगर पालिकाओं में बिजली के शव दाह गृहों की स्थापना करायी जाय । हमारे समाजवादी नेता डाक्टर राम मनोहर लोहिया के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार बिजली शव दाह गृह में ही हुआ था । आज सैकड़ों मजदूर और गरीब लोगों को मरने पर उन्हें सड़कों पर फेंक दिया जाता है जिससे वहां पर नाना प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं । अगर नगर पालिकाओं में शव दाह गृह बन जायं तो ऐसे लोगों का दाह संस्कार वहां पर आसानी से किया जा सकता है और इससे जो वाह्य प्रदूषण होता है, वह भी बन्द हो जाय ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, देखने में यह भी आया है कि हमारी नगर महापालिकाओं में और नगर पालिकाओं में या टाउन एरियाज में सीलिंग का कोई कानून नहीं है और लोग काले धन को बचाने के लिये कई कई मकान बनवा लेते हैं और उनको किराये पर उठा देते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ाते हैं । तो मेरा सुझाव है कि स्थानीय निकायों के अन्दर भी आप सीलिंग का कानून लागू करें जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में यह लागू है । और जिनके पास एक से अधिक मकान है, उनको जब्त करके उनको दिए जायं जिनके पास मकान नहीं हैं जो बेरोजगार लोग हैं, मजदूरी करते हैं । इससे प्रदेश के साधारण लोगों को आवासीय व्यवस्था भी किसी हद तक हल होगी ।

हम देखते हैं कि दारूलशफा में भी लोग अतिक्रमण करके ठेलों पर रखकर सामान बेचते हैं और पुलिस वाले जब आते हैं तो उनको डन्डे मार-मार कर हटा देते हैं । मेरी प्रार्थना है कि आप उनके लिए परमानेन्ट ठेले बनवा दें और उनको कमजोर वर्ग के लोगों को एलाट कर दें और साथ ही साथ उनको जगह भी एलाट कर दें और अगर कोई सड़क पर एन्क्रोचमेन्ट करता है तो उसको ठेला न एलाट करें । इन्क्रोचमेन्ट के नाम पर उनकी रोजी रोटी न छीनी जाय, यह मेरा सुझाव है ।

देखने में यह आता है कि शहर में जो नजूल की जमीन होती है उस पर असरदार लोग और डंडे बाज लोग कब्जा कर लेते हैं और फिर अनुकूल सम्बन्धित अधिकारियों से मिल कर अपने नाम उस जमीन को करा लेते हैं । तो मेरी प्रार्थना है कि साधारण व्यक्तियों को उसे वितरित किया जाय ताकि वे अपने मकान बनवा सकें या उस पर आप कोई मार्केट ही बनवा दें ।

मान्यवर, नगर पालिकाओं और नगर महापालिकाओं में हाउस टैक्स के निर्धारण में बड़ी धांधली होती है । लोग अपने मकानों को बैंकों और सरकारी कार्यालयों के लिये दे देते हैं लेकिन उनको शो नहीं करते हैं कि उनके भवनों में बैंक है या कोई सरकारी कार्यालय है । मेरा सुझाव है कि उन भवनों से जो किराया आता है, उसके अनुसार ही उन पर हाउस टैक्स होना चाहिए । इससे नगर पालिकाओं की आय भी बढ़ेगी ।

[श्री हरिवंश सहाय--]

अधिष्ठाता महोदय, मेरा यह भी सुझाव है कि अगर किसी को कोई अचल सम्पत्ति विक्रय करता है तो उससे जो भी कर मिलता है, वह स्थानी को मिलना चाहिए।

पेय जल का जहां तक सम्बन्ध है। वर्ष 1968 में कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया था कि "अगर हम प्रदेश में पीने के पानी की व्यवस्था 11 वर्षों में नहीं कर पाते हैं तो कलंक की बात है"। आज जो प्रदेश के अन्दर स्थिति है उसके बारे में मैं आंकड़े पढ़े देता हूं। इस समय प्रदेश में 12 प्रतिशत ऐसे परिवार हैं जो नल से पानी पीते हैं। 4 प्रतिशत लोग नलकूप से, 73 प्रतिशत कूप से और शेष 11 प्रतिशत लोग पोखरा, तालाब, नालों और झरनों आदि से पानी पीते हैं। जो आपकी पेयजल की योजना है वह आप ऐसी जगह चलायें जहां पर लोग पोखरा और तालाब आदि से पानी पीते हैं। इस हेतु 84 करोड़ रुपया आपको विश्व बैंक से प्राप्त हुआ है। उसे आप ऐसी जगह ही इस्तेमाल करें जहां पीने के पानी की समस्या काफी गम्भीर है।

मान्यवर, जल निगम द्वारा जो काम हो रहे हैं हमारे गोरखपुर मन्डल में उसमें एक तो सर्वेक्षण का काम एक विभाग करता है और दूसरा विभाग निर्माण का काम करता है। अब कई जगह देखा यह गया है कि निर्माण विभाग ने सामान तो अमुक जगह पर भेज दिया, पर बरसों वह सामान वहां पड़ा रहता है, उसको फिर देखने तक कोई नहीं जाता कि उस सामान का क्या हुआ। मैं चाहता हूं कि इस काम में तेजी लायी जाय।

एक सुझाव में गन्दा पानी जो गंगा और जमुना में चला जाता है और बेकार जाता है, इसके बारे में सुझाव देना चाहता हूं। नालियों द्वारा अगर इस गन्दे पानी को खेतों में पहुंचाया जाय तो उससे खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और पैदावार भी अधिक होगी।

आवास की समस्या भी हमारे यहां बड़ी गम्भीर है। आवास के एलाटमेन्ट में भी बड़ी धांधली है। इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये। महानगर आवास योजना के अन्दर एक राजा साहब की जमीन ली गयी थी आवास के लिये और उसको छोड़ दिया गया। उसको लिया गया जिसमें एक बगीचा था, आम के पेड़ थे, कलमी आम के पेड़ थे, उन पेड़ों को कटवा दिया गया, जमीन ले ली गयी और उस जमीन का मुआवजा तक नहीं दिया गया। इस ओर भी ध्यान दिया जाय।

प्रत्येक नगर महापालिका, नगरपालिका, टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया के अन्दर एक जनता आवास गृह बनाना चाहिये जिसमें वे लोग जो हजारों की संख्या में आज सड़कों पर पड़े रहते हैं, रह सकें। प्रत्येक शहर के हर वार्ड में एक-एक जनता आवास गृह बनाना चाहिये। उसमें शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था की जाय। साधारण लोग इसमें रह सकें इस तरह का इसे बनाना चाहिये।

हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में एक भाटपाररानी टाउन एरिया है जहां बाजार का ठेका 4 साल पहले 6 हजार में होता था। इस समय उसका ठेका 50 हजार में होता है। वहां की जमीन के बारे में 1952 में हाई कोर्ट में एक

रिट दायर की गयी थी जिसका नं० है सिविल मिसलेनियस रिट नं० 707 आफ 1952, कुंवर पुरुषोत्तम सिंह वगैरह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वगैरह जिसमें न्यायालय ने 17 नवम्बर, 1954 का यह फैसला दिया जिसे मैं पढ़ कर सुनाता हूं :

"द पिटिशनर कैन नाट क्लेम एनी राइट टु दिस लैण्ड अन्डर सेक्शन 18 आफ दी यू० पी० जमींदारी अबोलिशन एण्ड लैण्ड रिफार्म्स एक्ट हो हैज नो राइट टु सेल्ड दिस लैण्ड और टु होल्ड ए मार्केट आन इट।"

लेकिन उसके 10 साल के बाद इस फैसले का कोई असर नहीं हुआ और राजा साहब ने उस जमीन को दूसरे के नाम बेच दिया। अब उस जमीन पर दूसरा अवैध तरीके से कब्जा कर लिये हैं। करीब 50 लाख रुपये की हैसियत की जमीन आज निकाय की हड़पी जा रही है, इस तरफ आप देखें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसके बाद में आगे फिर बाद में बोलूंगा।

श्री निर्मल कुमार--

माननीय, सर्वप्रथम मैं माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी द्वारा अनुदान पर जो मांगें रखी गयी हैं, उनका समर्थन करता हूं। आज प्रदेश में स्वायत्तशासी संस्थायें अधिकार विहीन संस्थायें दिखाई दे रही हैं और यदि उसकी पृष्ठभूमि में हम जा कर उसको देखें तो हम पायेंगे कि जिन उद्देश्यों को ले कर इन स्वायत्त शासकीय संस्थाओं का निर्माण किया गया था, जो कार्य उनको उस समय सौपे गये थे वे कार्य समय-समय पर नगर पालिका अधिनियमों के द्वारा संशोधन करके उनसे दूसरे विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। नगरपालिका में पहले जब उनके पास शिक्षा थी, उस समय नगरों में जो शिक्षा का स्वरूप देखने को मिलता था, आज वह बिलकुल भिन्न है। नगर पालिका को शिक्षा बेसिक शिक्षा परिषद् को हस्तांतरित कर दी गयी। भवन नगरपालिका के हैं, मगर उस पर व्यय करने के लिये कोई भी राशि बेसिक शिक्षा परिषद् के पास नहीं है और उसका यह परिणाम है कि वह भवन जो हैं इस हालत में पहुंच चुके हैं कि उनमें बच्चे पढ़ ही नहीं सकते, जिसका यह नतीजा है कि जगह-जगह पर गलियों में, लोगों के घरों में व्यक्तिगत नर्सरी स्कूलों के खुलने का रिवाज बन गया है और उसमें गरीब जो हमारे भाई हैं, बच्चे हैं वह नर्सरी स्कूलों में शिक्षा पाने में असमर्थ रहते हैं।

प्रकाश और जल के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। इन व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में हमारी नगरपालिकायें, जल निगम और विद्युत विभाग के आश्रित होती जा रही हैं। इसी प्रकार एक और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से हमारे यहां फैजाबाद में डेवलपमेन्ट एथारिटी का गठन किया गया। नगरपालिका के पास पहले नगरपालिका बाई-लाज के आधार पर भवन के निर्माण की स्वीकृति देना और नक्शे को पास करने का अधिकार था। डेवलपमेन्ट अथारिटी बन जाने के बाद यह अधिकार नगरपालिका से उसको चला गया। 6 महीने इस डेवलपमेन्ट अथारिटी के गठन में हो चुका है मगर आज तक फैजाबाद की जनता को यह नहीं पता है कि क्या मास्टर प्लान है फैजाबाद का, न उस पर कोई आपत्ति मांगी गयी और जो नक्शा उनका

[श्री निर्मल कुमार---]

अब तक पास हो जाना चाहिये था वह भी उसी प्रकार से पेंडिंग पड़ा हुआ है। उन पर कोई विचार करने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है कि उन पर निर्णय दे सके। एक तरफ तो जो नगरपालिकाओं की मासिक आय थी, नक्शा पास कराने में, उसको हस्तान्तरित कर दिया और दूसरी तरफ व्यवस्था समुचित नहीं हो पायी है जिससे इस समय फैजाबाद और अयोध्या की जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

हमारे यहां फैजाबाद और अयोध्या पहले एक नगरपालिका थी 1977 के विधान सभा के उप चुनाव के समय, जिस समय मैं वहां पर प्रत्याशी भी था, उसी चुनाव के दो दिन पहले तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री ने राजनैतिक चुनाव में लाभ लेने के कारण अयोध्या नगरपालिका को अलग कर दिया। ठीक है, उसे इसका फायदा मिला कांग्रेस इस चुनाव में 400 वोट से हार गयी। आज नगरपालिकायें बन जाने के बाद भी उस समय के जो जिम्मेदार मंत्री थे इस विभाग के, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि यह नगरपालिकाओं का गठन तो हो गया, मगर यह नहीं सोचा गया कि इन नगरपालिकाओं को किस तरह से स्वावलम्बी बनाया जाय। आज हालत यह है नगरपालिका अयोध्या में कि वह अपने सफाई कर्मचारियों की तन्ख्वाह तक देने की स्थिति में नही है। दो-दो और तीन-तीन महीने हो जाते हैं तनख्वाह नहीं मिलती और जब वहां के कर्मचारी आन्दोलन या अनशन करते हैं, तब आप किसी न किसी तरीके से कोई व्यवस्था कर पाते हैं।

मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस बात को भी देखें कि इन नगरपालिकाओं की स्थिति को कैसे सुधारा जाय और खासकर नगरपालिका, अयोध्या को। और यह भी देखें कि उसकी आय की स्रोत बढ़ सकती हैं, तो कैसे बढ़ सकती हैं। यह भी विचार करने की बात है कि नगरपालिका, अयोध्या को कैसे स्वावलम्बी बनाया जाय। फैजाबाद में सीवर के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के सामने कई प्रस्ताव आदि रखे गये थे उस पर क्या कार्यवाही हुई। मैं चाहूंगा कि जनपद फैजाबाद की सीवर व्यवस्था शीघ्र कराई जाये।

आज उत्तर प्रदेश में दो जनपदों फैजाबाद और आगरा को छोड़कर सभी जगह नजूल व्यवस्था नहीं है। नजूल व्यवस्था हमारे जनपद में न होन से बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है जनता को इसलिए यह व्यवस्था अन्य जिलों की भांति फैजाबाद में भी समाप्त की जाये और दूसरे आवास-विकास के मकानों के बारे में एक सुझाव रखना चाहूंगा कि हमारी सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये मकानों की योजनायें उन स्थानों पर बनाये, जहां पहले से कोई भवन न हों। हमारे यहां गौरा पटटी नहर बाग योजना एक साल पहले स्वीकार हो चुकी है, मगर मान्यवर, उसे ऐसी जगह चुना गया है, जो शहर के अन्दर स्थित है। अब यह होगा कि वहां पर पहले जो मकान कच्चे,-पक्के जो हैं, उनको गिराना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि यह उचित न होगा। इसलिये जो योजना बनें, उसे शहर के बाहर यानी शहर के बिल्कुल बाहर भी नहीं। मेरा मतलब है जहां पर पहले से कोई मकान आदि न हो, वहां बनायें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे विचारों पर गौर करेंगें इसके साथ ही में एक बार फिर माननीय मंत्री जो द्वारा प्रस्तुत किये बजट का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता--

वक्ताओं की संख्या अधिक है, इसलिए अब जो भी वक्ता बोलेंगें, उन्हे 5 मिनट का समय दिया जायेगा।

श्री धरमपाल--

मान्यवर, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के विरुद्ध में और कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, प्रदेश के अन्दर फैली नगरपालिकाओं का जाल अंग्रेजों की सरकार की देन है। मान्यवर, 1916 में आजादी का आन्दोलन कुचलने के लिये जिस प्रकार से सत्ता के चन्द दलालों को चन्द टुकड़े दे दिये गये थे, उसी प्रकार से आज सत्ता के चन्द दलालों और अपने आदमियों के द्वारा नगरपालिकाओं में भ्रष्टाचार का जाल फैलाना चाहते हैं (व्यवधान)। यह जाल मान्यवर, 1916 में नगरपालिकाओं का फैलाया गया था। उस 1916 और 1980 के अन्तर को देखिए। उस समय नगरपालिकाओं के अध्यक्षों को 100 रु0 देने का अधिकार दिया गया था, जो आज पांच हजार रुपयों के बराबर है। और आज भी नगर पालिका अध्यक्ष को 100 रुपया खर्च करने का अधिकार है। उस जमाने में कुयें हुआ करते थे और आज ट्यूबवेल हैं। मान्यवर, एक ट्यूबवेल की रिपेयरिंग करना हो उसकी दो बैरिंग टूट जाय तो 3 हजार रुपया खर्च होगा किन्तु यह खर्च अध्यक्ष बिना बोर्ड की स्वीकृति के नहीं कर सकता है। कहा जाता है कि नगरपालिकायें नगरों में सफाई सुविधा देने के लिए हैं लेकिन आज नगरपालिकायें नगरों में नर्क बन कर रह गयी हैं। नालियों में बलबलाते कीड़े, उनकी बदबू नगरों की शोभा बढ़ाने की जगह पर गन्दगी बढ़ा रहा है। माननीय मंत्री जी को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने कहा है कि हम यह करेंगे हम वह करेंगे। कहा जाता है नगरपालिकायें हमारे संसद सदस्यों और विधायकों की ट्रेनिंग स्कूल हैं। क्या यही सड़ी-गली प्रशासन करने वाली बात सोचने वाले वहां जायं और इसी तरह से प्रदेश के अन्दर प्रशासन चलायें।

मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि नगरपालिकायें भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं। यह नगरपालिकायें केवल वेतन बांटने की एजेन्सी बन कर रह गई हैं। यह जो वास्तव में इनका काम है वह नहीं करती हैं बजट का 90 प्रतिशत तो यह वेतन पर भुगतान करती हैं और 10 प्रतिशत ही वे विकास कार्यों पर लगाती हैं मुझे तो इसमें भी सन्देह है। आप चाहें किसी भी नगर पालिका की स्थिति को देख लें कहीं पर 30 महीने का कहीं पर 4 महीने का कहीं पर 3 महीने का वेतन बकाया है। मान्यवर, आप देखें यह नगरपालिकायें 3-4 साल से सरकारी चंगुल में फंसी हुई हैं वहां पर जो अधिकारी बैठे हुये हैं वह इस का कल्याण करेंगे। वहां पर एक इक्जीक्यूटिव आफिसर, उसके ऊपर एक प्रभारी अधिकारी और उसके ऊपर प्रशासक के रूप में जिलाधिकारी हैं। जिलाधिकारी के पास बहुत से काम रहते हैं। नगरपालिका का कोई काम अगर इक्जीक्यूटिव आफीसर ने रेफर किया और प्रभारी अधिकारी महोदय उसको सैंक्शन नहीं कर सकते हैं तो वह जिलाधिकारी की अनुमति के लिये भेज देते हैं। परन्तु जिलाधिकारी को फुरसत ही नहीं है कि वह उस फाइल को देखें। तो मेरा निवेदन है मंत्री जी से कि प्रभारी अधिकारी को बोर्ड के अधिकार समर्पित कर दिये जायं नहीं तो काम चलने वाला नहीं है।

आज हमारे माननीय मंत्री जी ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात कही। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट इलेक्शन करायेंगे तो हो सकता है कि सदस्य किसी दल का हो और अध्यक्ष किसी दल का हो। इससे शासन चलाने में दिक्कत

[श्री धरम पाल--]

होगी । तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें रूस और पाकिस्तान की लड़ाई का काम नहीं है । नगरपालिकाओं का काम तो नाली का निर्माण करना उनकी मरम्मत करना और सफाई तथा सड़कों पर रोशनी देना है इसके लिए कोई ऐसा काम नहीं रह गया है, किसी जमाने म शिक्षा हुआ करती थी । अब तो यह भी सुना जा रहा है कि ट्यूबवेल भी आप जल निगम को देने जा रहे हैं यह तो आप जानें आपकी क्या पालिसी है । यदि देश के अन्दर प्रजातन्त्र को जीवित रखना है तो प्रजातन्त्र की प्राथमिक इकाई जो यह नगरपालिकायें हैं इनका चुनाव समय से कराया जाय । किसी भी सता रूढ़ दल में चाहे हमारी सरकार रही हो चाहे आपकी सरकार हो यह साहस नहीं रहा कि समय से इलेक्शन कराते । माननीय मंत्री जी भविष्य के लिए इस तरह का निर्देश पारित कर दें कि जिन बोर्डों को सरकार द्वारा टेकओवर किया जाता हैं उसका चुनाव 6 महीने के अन्दर अवश्य करा दिया जाय ।

अवसर मान्यवर, यह देखा जाता है कि नगरपालिकाओं के अन्दर समस्या वेतन की रहती हैं और 30 महीने 4 महीने या 3 महीने का वेतन बकाया रहता हैं । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वेतन की व्यवस्था शासन के माध्यम से होनी चाहिये । उनके पे बिल शासन के माध्यम से जाने चाहिए ताकि बोर्ड की जिम्मेदारी कम से कम हो । मान्यवर, इसके साथ मेरे 2–4 सुझाव हैं । एक तो नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत बने हुए कोई भी छविगृह में वसूल किये जाने वाले मनोरंजन कर को नगर पालिका को दिया जाये और साथ ही नगरपालिका क्षेत्र से वसूल की जा रही बिक्री कर का 25% दिया जाये और अगर नगर पालिका क्षेत्र की सफाई करना हो तो हेल्थ मैनुवल के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति कर दें क्योंकि देखा गया है कि 1957 के बाद सफाई कर्मचारियों के स्थान नहीं बढ़ाये गये हैं । अगर इन सुझाओं को माननीय मंत्री जी मान लें यह न मानते हुए कि विपक्षी सदस्य बोल रहा है तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा ।

श्री सुनील शास्त्री—

आ.ने जो मुझे अवसर दिया उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं और जो बजट माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने पटल पर रखा है उसका समर्थन करता हूं । प्रदेश की सरकार को एक और तरह से स्वायत्त शासन मंत्री को हार्दिक बधायी देता हूं कि उन्होंने मेरे क्षेत्र, गोरखपुर, जहां से मैं चुनकर आया हूं, को नगर महापालिका बनाने की घोषणा की है । साथ ही साथ मैं मन्त्री जी को इस बात की बधायी देता हूं कि उन्होंने इस बात की घोषणा की कि राज्य कर्मचारियों की भांति जिला परिषद् एवं नगर पालिका के परमानेन्ट स्टाफ को अन्तरिम सहायता एक जनवरी, 1980 से दी जायेगी । जो भी बातें माननीय मन्त्री जी ने सदन को बताया और जो बजट रखा मैं उसका स्वागत करता हूं । साथ ही साथ कुछ सुझाव देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि उन पर मन्त्री जी विचार करेंगे ।

पहली बात जो हमारी नगर पालिका में सड़कें बनायी जाती हैं उस पर जब दूसरा विभाग, जैसे टेलीफोन या विद्युत् विभाग के लोग काम करते हैं तो सड़कें तोड़ी जाती हैं लाइन बिछाने के लिए किन्तु उसके बाद उसका निर्माण वह नहीं करते हैं जबकि कन्ज्यूमर्स से उसके लिए पैसा ले लिया जाता है । मैं चाहूंगा कि जैसे टेलीफोन या विद्युत् विभाग है, जब वह कार्य करे और सड़कें तोड़ी जांये तो उनका निर्माण भी वही डिपार्टमेन्ट करे । इसके अलावा जो कर्मचारी नगर पालिका के हैं जिन्होंने 3 वर्षों से ज्यादा काम किया है, टेम्पोरेरी के रूप में, उन

को स्थायी किया जाये क्योंकि उनका कार्य बहुत कठिन है लेकिन बेचारे टेम्पोरेरी डेली वेजेज में काम करते रहे हैं, परमानेन्ट नहीं किया जाता । मैं निवेदन करूंगा कि उनको परमानेन्ट किया जाये जिससे कि उनके परिवार को कुछ राहत मिले। मान्यवर, गोरखपुर में ऐसे कर्मचारियों की संख्या 50 के लगभग है । मैं चाहूंगा कि इनको भी कम से कम मन्त्री जरूर स्थाई कर दें क्योंकि उनकी कठिनाइयां मैंने स्वयं देखी हैं ।

इसके अलावा मैं एक और सुझाव मन्त्री जी को दूंगा । जो सामान हमारी नगर पालिकायें प्रदेश के बाहर से खरीदती हैं जसे तारकोल है हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन से खरीदा जाता है, बाम्बे से मंगाया जाता है, उसमें दिक्कत होता है । गोरखपुर नगरपालिका ने 1 लाख 45 हजार रुपये भेजा था एक वर्ष पहले । वहां से तारकोल नहीं आया । 6 महीने बाद पत्र आया जिसमें कहा गया कि 15 हजार रुपये और भेजिये, कीमत बढ़ गयी है । नगरपालिका ने 15 हजार रुपये और भेजे फिर भी तारकोल नहीं आया । फिर 6 महीने बाद खबर आई कि 72 हजार रुपये दाम बढ़ गया है । 72 हजार रुपये भी भेज दिये गये । उसके बाद जवाब आता है कि बड़ी लाइन गोरखपुर में नहीं है, ब्राड गेज नहीं है, इसलिए तारकोल भेजने में कठिनाई हो रहा है । जो नजदीक स्टेशन हो उसके बारे में बताया जाये । ऐसी कठिनाइयां नगरपालिकाओं को सहनी पड़ती हैं । मैं चाहूंगा कि लखनऊ में स्वायत्त शासन विभाग का अलग से एक डिपार्टमेंट हो, सेल हो, जिसके द्वारा बाहर से खरीद हो, उसका नियन्त्रण किया जाये । कोई ऐसा अधिकारी हो जो दिल्ली जाकर केन्द्र सरकार से सम्पर्क स्थापित कर सके जिससे सामान ठीक से पहुंचे । इसके बिना कितनी बड़ी कठिनाई और नुकसान नगरपालिकाओं को हो रहा है । काफी पैसा भेज देते है फिर भी सामान नहीं मिलता । सड़कों का निर्माण नहीं होता है । रोड़ी बिछा देते हैं । तारकोल न होने के कारण सड़कें नहीं बन पातीं । एक साल दो साल पश्चात् फिर पूरा कार्य करना पड़ता है ।

इसके अलावा एक और सुझाव मंत्री जी को देना चाहूंगा । उन्होंने कहा कि पेय जल (ड्रिंकिंग वाटर) का समस्या शीघ्र दूर होगी । हमारे गोरखपुर जिले में पीने के पानी की समस्या है । वाटर टैंक नहीं बनाये जाते हैं । जोनल सिस्टम (ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम) जिसको कहते हैं, के अन्तर्गत 8-10 वाटर टैक बनायें जायें जिससे पानी पीने के लिए उपलब्ध हो सके । इस समय गोरखपुर में पानी की बहुत कठिनाई होती है । पानी बन्द हो जाता है । छोटे-छोटे पाइप पूरे शहर में हैं उनके द्वारा बहुत कम पानी उपलब्ध होता है प्रशर कम होता है । टैंकों के ऊंच पर बनाने से प्रेशर तेज होगा जिससे कि राहत मिलेगी । इन शब्दों के साथ मैं स्वायत्त शासन मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं और उन्होंने जो स्वायत्त शासन का बजट सदन के पटल पर रखा है उसका हार्दिक समर्थन करता हूं ।

*श्री धनीराम वर्मा--

मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है । मान्यवर, मैं माननीय सदस्य श्री हरिवंश सहाय जी के कटौती के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और अपने चन्द विचार आपके माध्यम से मन्त्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं । सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि माननीय मन्त्री जी चुनाव टालने का प्रयास न करें । नगरपालिकाओं, स्वायत्त शासन विभाग के चुनाव अवश्य करायें । यह कहा जा रहा है कि मार्च तक वोटर लिस्ट तैयार न होगी । वोटर लिस्ट 2-3 माह में तैयार हो सकती है । टालने की बात है । टालने का प्रयास न किया जाय ।

मेरा निवेदन है कि स्वायत्तशासी संस्थाओं को ही रखा जाय । उसे सरकारी संस्था न बनाया जाय । उन पर सरकारी नियन्त्रण कम से कम रखा जाय । उसके जितनी भी नगरपालिकायें, नोटीफाइड और टाउन एरियाज हैं, उनमें नालियों की व्यवस्था बहुत ही दयनीय है । उनमें वर्षा और नगर के बहुत से हिस्से का पानी भर जाता है । गंदा पानी सड़कों पर रहता है जिसके कारण संक्रामक रोग फैलते हैं । इसलिये नालियों की सफाई गर्मियों के महीने में, मई जून के महीने में ही करवा लिया जाय जिससे बस्तियों में पानी न आ सके और आसानी से निकल सके और जलभराव की स्थिति न हो सके ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह भी कहना चाहूंगा कि नगरपालिकाओं या टाउन एरियाज में जनरेटर की व्यवस्था अवश्य हो । पेयजल की बहुत बड़ी समस्या रहती है । बिजली फेल हो जाती है, तो बड़ी अव्यवस्था हो जाती है, जैसा कि अभी हुआ । तो बिजली फेल होने से पानी का बहुत बड़ा संकट हो जाता है । यदि जनरेटर की व्यवस्था हो जायेगी, तो शहरों में जो पानी की समस्या हो जाती है, वह दूर हो सकेगी ।

मान्यवर, मैं अपने जिले की नगरपालिका के सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि उसमें 29.90 लाख पेयजल की व्यवस्था के अन्तर्गत पैसा स्वीकृत हुआ मार्च में, और वहां के प्रभारी अधिकारी ने उस पैसे को ड्रा करने के लिये दस्तखत नहीं किये जिससे आज भी वह स्कीम पड़ी हुयी है । मान्यवर, यह ऐसा नगर है, जिस जिले की गहराई सौ/सवा सौ फिट है, यानी इतने नीचे पानी मिलता है । तो वहां कुंयें खोदे जाने की मुसीबत है और हैंडपाइप तो सम्भव ही नहीं । तो जो 30.00 लाख के लगभग रुपया स्वीकृत हुआ है, उसको उठा लिया जाय और कार्य प्रारम्भ हो जाता तो जो पानी की किल्लत है, वह न रहती ।

मान्यवर, जितनी भी नगरपालिकायें और टाउन एरिया हैं, उनमें सीवर लाइन की व्यवस्था मन्त्री महोदय अवश्य करें । जो गंदगी फैलती है, वह सीवर लाइन के न होने से फैलती है । कारण यह है कि जो मैला बाहर डाला जाता है खाली स्थानों में, उससे गंदगी फैलती है ।

दूसरे एक बात यह कहना चाहता हूं कि वह मनुष्य जो गंदगी को अपने सर पर रखकर ढोता है, उसे मेहतर कहते हैं । मैले को सर पर रखकर ढोना गंदी चीज है और उसके लिये बहुत अरसे से सरकार व्यवस्था करती आ रही है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि ऐसी व्यवस्था हो कि जिससे मनुष्य गंदगी को अपने सर पर रखकर न ढोये। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि इसके लिये कोई व्यवस्था करायें। यह बड़ी गंदी बात है।

दूसरे, गंदी नालियां जो हैं, उनका पानी नदियों में नहीं जाना चाहिये। इसके लिये कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जिससे कि यह गंदा पानी शहर के बाहर या शहर के अंदर किसी गहराई पर न भरा रहे बल्कि उसके लिये निकास की व्यवस्था की जाय और उस पानी से पास-पड़ोस के खेतों की सिंचाई की जा सकती है और बहुत जगहों पर ऐसी व्यवस्था है भी। इससे बहुत अच्छी पैदावार होती है और सब्जियां उगाई जा सकती हैं। लेकिन उसके लिये कोई प्रापर योजना हो कि उस पानी को इकट्ठा करके और उससे सिंचाई की जा सके।

मान्यवर, पालिकाओं की जो आमदनी है, उसके बढ़ाये जाने के लिये मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ सुझाव बतलाये जायं, कुछ सुझाव आयें। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय मेरे इस सुझाव को अपनी नजर में रखें कि पालिकाओं के अंदर जो भूमि पड़ी हुयी है, उस भूमि पर वह दूकानें बनवायें और दूकानें बनवाकर और उनको किराये पर जब आप उठायेंगे तो उससे जो पैसा आयेगा उससे उनकी आमदनी बढ़ेगी।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री धनीराम वर्मा--

मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था नहीं है। देहात में पेयजल की व्यवस्था जल निगम करता है। हमारे औरैया और इटावा में 2-3 ऐसी योजनायें हैं जिनसे 50 गांवों को साफ पानी देने की व्यवस्था की जा रही है। उसमें एक योजना भगवतीपुर ग्राम समूह की है और दूसरी योजना ऐरवा कटरा की है लेकिन आज तक उन पर कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ है जिससे वह वैसी पड़ी हुयी है। वहां लोग यमुना के किनारे जो हैं वह जमुना से पानी लेते हैं यमुना का पानी लोग पीते हैं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो बजट प्रस्ताव रखे हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और जो कटौती का प्रस्ताव हमारे माननीय साथी ने प्रस्तुत किया है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा कि हमारे प्रजातंत्र की पहली इकाइयां म्युनिसिपैलिटीज हैं, उसमें

[श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--]

चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि प्रथम इकाइयां तो ग्राम सभायें हुआ करती हैं और चुनाव के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि यह चुनाव पिछले ढ़ाई वर्षों में क्यों नहीं कराये गये। पहले उनको कोस लो तब हमारे मंत्री जी को कुछ कहते तो ठीक था।

(मेजों की थपथपाहट)

जहां तक चुनावों का सवाल है चुनाव तो बहुत जल्दी होने हैं। यह 3 वर्षों तक क्यों नहीं कराये गये। प्रजातांत्रिक परंपराओं को किस तरह से नष्ट किया गया इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये था। मैं अब अपने विषय पर आता हूं। मेरे मंत्री महोदय बता चुके हैं, तीन वर्षों तक क्यों नहीं कराये गये इस पर आपने बताया होता तो मैं मंत्री जी से आग्रह करता कि जल्दी से जल्दी चुनाव करायें।

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें मेरे कुछ सुझाव हैं। नगर पालिकाओं की अवस्था बड़ी दयनीय है इसमें कोई दो राय नहीं है। इन तीन वर्षों में जो कुछ बची-खुची प्रतिष्ठा थी वह भी समाप्त हो गयी है। सड़कों की जो दशा है वह वहां जाकर देखें तो पता चलेगा कि उनकी क्या हालत है। मैं अपनी प्रतापगढ़ नगरपालिका पर आता हूं। इस वर्ष वहां पर दो बार घोर वर्षा हुयी। इस वर्षा में नगर-पालिका का पूरा हिस्सा जलमग्न हो गया और नगर के अंदर हमारे यहां नावें चल रहीं थीं। वहां के लिये आपने एक योजना पारित की है सीवर की अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि उसको माननीय मंत्री जी अविलंब कार्यान्वित कराने की कृपा करें।

जितने भी नोटीफाइड एरियाज हैं और टाउन एरियाज हैं वहां उनमें नालियों की सफाई आदि का इंतजाम करायें। सर पर मैला उठाने की व्यवस्था नगरपालिका और नोटीफाइड एरियाज में है, इससे बदतर कोई चीज नहीं है। जितनी भी नगरपालिकायें हैं जहां पर फ्लश सिस्टम नहीं है वहां पर फ्लश सिस्टम करायें और नगरों में जो कूड़ा उठाने का और टट्टी उठाने का जो पुराना सिस्टम है, आप इलाहाबाद के लिये, इलाहाबाद नगरपालिका में खाद बनाने का स्थान खोज रहे हैं तो इतना करने की कृपा करें कि नगरपालिका का जो कूड़ा होता है जो जला दिया जाता है या गड्ढों में भर दिया जाता है उससे खाद तैयार हो तो वह हमारी पैदावार और कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। हमारे यहां नगरपालिका में पानी की व्यवस्था बहुत सुचारु रूप से नहीं है। वहां का पानी खारा है जो दाल बनाने के काम आता है और पीने के काम नहीं आता है, इसलिये मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस ओर वह ध्यान देकर जहां मीठा पानी निकले उसको उपलब्ध कराने की कृपा करें।

मान्यवर, नगरपालिकाओं की स्थिति बहुत खराब है। इसलिये नगर-पालिकाओं की सड़क, नालियों, उसकी सफाई और उसमें चूने का छिड़काव कराने की ओर यदि ध्यान नहीं दिया जाता है तो हमारे यहां भयंकर बीमारी फैलने की आशंका है।

अंत में मैं पुनः मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, आज माननीय मंत्री जी ने बाजारों, नगरों, महानगरों को सुन्दर, स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखने के लिये अपना बजट इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया है। मुझे ऐसा लगता है कि हम केवल विचार करते हैं और व्यावहारिक धरातल पर उतर कर उसको देखने की हिम्मत नहीं करते हैं। मंत्री जी अन्यथा कहीं न जाकर इस प्रदेश के हृदय स्थल राजधानी को ही यदि देखते तो उनका हृदय मानता कि मैं इस बजट को वापस ले लूं। क्योंकि मान्यवर, राजधानी की स्थिति से हम सभी लोग अवगत हैं।

मान्यवर, अब मैं देवरिया जनपद के सलीमपुर, निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आता हूं, की बात कहना चाहता हूं। वहां टाउन एरिया के इतिहास क्रम के प्रारम्भिक चरण की टाउन एरिया लार है। जहां नंगे पैर नहीं चला जा सकता है। 25 दिन पहले वहां बाढ़ आयी थी, तो बीच चौराहे पर कमर तक पानी था। यह वहां मंत्री जी की व्यवस्था है। टाऊन एरिया के अंतिम चरण में सलीमपुर, मझोली, भाटपार की टाउन एरिया को कोई पूछने वाला नहीं है। मान्यवर, मंत्री जी के विभाग में एक अधिकारी बक्शी हुआ करते हैं जो मकानों और दुकानों के कर निर्धारण करते हैं। हमें लगता है कि आपके विभाग का वह सबसे बड़ा अधिकारी है। सलीमपुर के बाजारवासी बक्शी के कर निर्धारण से बहुत परेशान हैं। वहां के प्रभारी अधिकारी और जिला अधिकारी को टाउन एरिया से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनको प्रशासनिक मामलों से ही फुरसत नहीं मिलती है। इसके साथ ही साथ मान्यवर, वहां की सड़कों की हालत बहुत खराब है। सड़क पर रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है। बल्ब टूटे हैं, सरकारी लाईट टूटी लटक रही है।

हम दुखित और दलित लोगों के जीवन को उठाना चाहते हैं। जो बाजार में रहने वाले सफाई मजदूर हैं उनको आपने देखा है। उनको निकट से देखें। उनके लिए वेतनमान निर्धारित करें और उनके जीवन में खुशहाली लायें जिससे उनके बच्चे एक सफाई मजदूर की स्थिति से ऊपर उठ सकें।

मान्यवर, हमारा जनपद बाढ़ की महामारी से मर जाता है। जब भी बाढ़ आती है पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जाती है। मैं चाहूंगा कि स्वायत्त शासन मंत्री पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे।

श्री महेश चन्द्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी के बजट का समर्थन करते हुए जो कुछ क्रांतिकारी सुझाव उन्होंने रखे हैं उनके बारे में उन्हें बधाई देता हूं। मुझे यह कहना है कि योजनायें तो सभी अच्छी होती हैं। मंत्री जी की योजना बहुत अच्छी है। परन्तु देखना यह है कि उनके विभाग के अधिकारी कितनी तत्परता से उसका पालन करते हैं कि ताकि आपका विभाग तरक्की कर सके और आगे बढ़ सके।

[श्री महेश चन्द्र--]

माननीय मंत्री जी मुझे यह कहना है कि अधिकारियों के ऊपर योजनाओं को छोड़ना सब से बड़ा दोष है हमारी इस कार्य करने के तरीके का। आप के विभाग में जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको दूर किया जाना तुरन्त आवश्यक है। इस विभाग में समझता हूं सब से ज्यादा भ्रष्टाचार है। इतना भ्रष्टाचार तीन वर्ष में पनपा है उसे दूर करना सब से प्रमुख काम है।

मान्यवर, आवास विकास के लिए किसानों की जमीन का सर्वे किया जाता है। मैं बागपत क्षेत्र से आता हूं। बड़ौत में जो योजना आपने आवास विकास के लिए बनाई है उसके लिए किसानों की जमीन की सर्वे की गई है। उस क्षेत्र में पहली बात तो यह है कि किसान के पास जमीन बहुत कम है। वह पैदावार बहुत अधिक करता है। उनकी जमीन न ली जाय और अगर जमीन ली जाय तो जमीन के बदले उन परिश्रमी किसानों को जमीन ही दी जाय। इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि वह अपनी जीविका खेती से कमाते आये हैं, कमाते रहें।

मान्यवर, किसानों से आप की नगरपालिकाओं द्वारा चुंगी वसूल की जाती में परन्तु उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती। बड़ौत में व बागपत नगरपालिका म न तो पशुओं के पीने के लिए पानी की व्यवस्था है और न बाहर से आने वाले किसानों के लिए टट्टी जाने के लिये कोई व्यवस्था है। बड़ौत में सारी कच्ची सड़कों को पक्की करने के लिए यहां से काफी धनराशि दी जाती है परन्तु कोलतार की अव्यवस्था के कारण, कोलतार न मिलने के कारण, वहां पर कच्ची सड़कें वैसे ही पड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि कोलतार की व्यवस्था की जाय ताकि जो धनराशि उनमें लगी हुई है वह बेकार न जाय वरना तो कच्ची सड़कें उखड़ कर रह जायेंगी और दुबारा कच्ची सड़कें बनानी पड़ेंगी।

समाजवादी समाज की स्थापना के लिये हम लोगों को काफी कदम उठाने चाहिये थे और आगे जाना चाहिये था परन्तु सफाई मजदूरों को अब भी मैला सर पर ढोना पड़ता है। उनके लिये ट्राली की समुचित व्यवस्था की जाय ताकि वह उससे मैला ढो सकें। मान्यता प्राप्त फर्मों से जो ट्राली खरीदी जाती हैं वे घटिया होती हैं जो साल भर चल पाती हैं और बाद में कचड़े में डाल दी जाती हैं और फिर सफाई मजदूरों को सर पर ही मैला ढोना पड़ता है। लिहाजा अच्छी फर्म्स को आर्डर्स दिये जायं ताकि मजबूत किस्म की ट्रालीज हों और रोज-रोज शिकायतें उनके बारे में न आयें। मेरे क्षेत्र में कोताना गांव है जहां पानी की समस्या है। यह जमुना के निकट है। वहां के लोग पानी के कारण बड़े परेशान हैं। ट्यूबवेल की वहां पेयजल के लिये व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री छत्तर सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने का दावा करने वाली सरकार के राज्य में सफाई मजदूर आज भी अपने सर पर मैला ढोता है, जो बड़ शर्म का बात है। आपको तीस साल शासन करते हुए हो गए लेकिन गांधी जी का सपना आज भी पूरा नहीं हो सका कि इस स्वतंत्र देश में कोई भी आदमी अपने सर पर मैला ढोकर नहीं ले जायेगा। मान्यवर, इस प्रदेश में 5 महा नगरपालिकायें ह। सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति यहाँ के टाउन एरियाज की है जहां

सरकार ध्यान नहीं देती क्योंकि वहां अधिकतर गरीब लोग रहते हैं। नगरमहापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं में रहने वाले व्यक्तियों का स्तर अच्छा होता है बनिस्पत टाउन एरियाज के। बरसात के दिनों में टाउन एरियाज में सफाई की व्यवस्था इतनी गम्भीर होती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। पानी पड़ता है तो नालियों में न बहकर पूरी गलियों में पानी बहकर निकलता है। प्रकाश की वहां कोई व्यवस्था नहीं होती। घर के सामने अपना निजी बल्ब या लैम्प जला लिया जाता है, उसी से प्रकाश होता है और इस प्रकार गलियों में अंधकार रहता है जिससे दिन छपने के बाद निकलना दूभर हो जाता है।

शिक्षा का टाउन एरियाज मे कोई प्रबन्ध नहीं है। नाम मात्र की नगरमहापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं में जो स्कूल चलते हैं वे भी भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। वहां शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि बच्चों को टाट पट्टी भी मयस्सर नहीं होती। मेरा यह भी निवेदन है कि जहां पेय जल की व्यवस्था नहीं है, अथवा खारा पानी मिलता है अथवा पानी दूर से लाना पड़ता है वहां पर पेय जल की व्यवस्था की जाय। स्वायत्त विभाग द्वारा जो सुविधायें दी जा रही हैं वह उनको उपलब्ध हैं लेकिन स्वास्थ्य शासन विभाग के अन्तर्गत केन्द्र के द्वारा इस प्रदेश की जनता को कोई भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी जा रही है। इस बात का ढिंढोरा पीटा जाता है कि वहां सेनिटरी इंस्पेक्टर्स काम करते हैं लेकिन देखा यह गया है कि रिश्वत के काम के अलावा दूसरा काम वह नहीं करते। वह नहीं देखते कि दूध, फल, मिठाई अथवा सब्जी कैसी बाजार में बिक रही है। यही हाल सफाई मजदूरों का है जिनका बड़ा शोषण होता है। हर टाउन एरिया में उनके ऊपर बख्शी नियुक्त कर दिया गया है। उसको मालिक बना दिया गया है। जहां तक टाउन एरिया के चुनाव का प्रश्न है मेरा निश्चित मत है कि नगर अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से होना चाहिये ताकि वह अपने मन के अनुसार अपना चेयरमैन बना सकें।

आवास की समस्या के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। इसमें किसानों का शोषण हो रहा है। उनकी जमीन गलत ढंग से अधिग्रहण करके उनको उसका पूरा मुआवजा नहीं दिया जाता है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि यदि किसानों की जमीन अधिग्रहीत की जाती है तो उनको उनकी भूमि का पूरा मुआवजा दिया जाय।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी --

माननीय, म माननीय स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं और साथ ही विरोध पक्ष की हास्यास्पद स्थिति को देखते हुये उनके कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि उनकी बातों को देखकर लोग बाहर हंसते हैं। ये पहले कहते हैं कि बजट में फलाना काम नहीं हो रहा है और जब बजट म उसके लिये रुपये का प्राविधान कर दिया जाता है तो उसके लिये कटौती का प्रस्ताव लाते हैं कि मांग की राशि काट कर एक रुपया कर दी जाय (व्यवधान) अगर यही आपका स्वरूप है कि सदन में तो आप प्रस्ताव का विरोध करें और रुपया जो उसके लिये मांगा गया है उसका विरोध करें और फिर उसके बाद बाहर यह भाषण दें कि फलानी जगह सफाई नहीं है, पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं है तो जो इन दोनों बातों में विरोधाभास है, वह नहीं होना चाहिए।

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---]

श्रीमन्, म आपके मध्यम से शासन को कुछ सुझाव देना चाहूंगा और वे सुझाव इलाहाबाद से सम्बन्धित हैं । वहाँ एक अल्लाहपुर क्षेत्र है जो बाढ़ से प्रभावित न होकर वाटर लागिंग से (जल के जमाव से) प्रभावित हो गया है । मैं निवेदन करूंगा कि चूंकि शासन प्रतिवर्ष कई लाख रुपया इस वाटर लागिंग को ठीक करने के लिये खर्च करता है, उसके लिये कोई परमानेन्ट निदान किया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव यह देना चाहूंगा कि आप वहां पर बक्शी बांध पर एक स्लूस गेट की व्यवस्था कर दें तो वहाँ पर यह जो वाटर लागिंग होती है उसके लिये निकासी की व्यवस्था हो जायेगा और लोगों का जनजीवन दूभर न हो सकेगा साथ ही लोगों को राहत भी मिलेगी ।

मान्यवर, हंडिया निर्वाचन क्षेत्र के लिये एक पेयजल योजना बनी थी लेकिन पिछले दो वर्षों से लोकदल की सरकार में द्वेष के कारण उस योजना को रोक दिया गया है । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे निश्चित रूप से इस योजना को चलायेंगे । यह दुमदुमा और रामसागर पेयजल योजना थी ।

मान्यवर, इलाहाबाद में एक सरदार पटेल संक्रामक रोग अस्पताल है । पहले जहाँ पर वह अस्पताल था वहां पर कोई बस्ती नहीं थी लेकिन अब वहां पर बस्ती हो गई है । इसलिये मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि सरकार इस अस्पताल को झूसी की ओर बना दें वह पुल से शहर से जुड़ गया है ताकि बस्ती के लोगों को यह प्रभावित न कर सके ।

एक निवेदन चुंगी के सम्बन्ध में कर देना चाहता हूं कि जहाँ पर आप चुंगी लेते हैं वहाँ पर शहरों म बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है । उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, आने-जाने के रास्तों में मोटरें खड़ी हो जाती हैं जिससे आवागमन रुक जाता है । इसलिये आप चुंगी की ऐसी व्यवस्था कर दें कि जिस तरह से दूसरे टैक्स आप लेते हैं उसी में चुंगी के टैक्स को जोड़ कर लेने की भी व्यवस्था कर दें तो जो यह समस्यायें होती हैं वे न हो पायें । इस तरह का प्राविधान दूसरे प्रान्तों में भी है ।

रिक्शा चालकों के लिये आप कुछ व्यवस्था करने जा रहे हैं उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने उनके ऊपर कुछ ध्यान दिया है । मैं यह निवेदन करूंगा कि उसके साथ ही साथ आप उनके लाइसेन्स के बारे में भी कोई ऐसा स्वरूप कर दें कि वे सताये न जा सकें ।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप शहरों का स्तर भी बढ़ाने जा रहे हैं । मान्यवर, इलाहाबाद एक ऐसा शहर है जो एक लम्बे अर्से से "ए" क्लास में लाये जाने के बारे में मांग करता आ रहा है । मैं निवेदन करूंगा कि आप इसी बजट प्रस्ताव के साथ-साथ इलाहाबाद के स्तर का उच्चीचरण कर दें और उसको "ए" क्लास का दर्जा दे दें । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे स्वायत शासन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । आज देखा जाए तो, प्रदेश भर में चाहे नगरपालिका हो,

महापालिका हो या नोटिफाईड एरिया हो सारो की स्थिति बिगड़ी हुई हैं । पहले महापालिकाओं को ही ले लिया जाए। महापालिकाओं वाले पांचो शहर बड़ी–बड़ी नदियों के किनारे बसे हुए हैं, लेकिन वहाँ जो पानी बरसात में बरसता ह, उसके भी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

हमारे प्रदेश में बहुत से पर्यटक स्थान हैं, जहां पर विदेशी लोग आते रहते हैं भले ही कहा जाए कि यहां पर स्वच्छता हैं, लेकिन पर्यटक स्थलों पर भी सफाई नाम को कोई चीज नहीं है । नगरपालिका और महापालिका वाले जो जनपद हैं, वहां गंदे पानी और बरसात के पानी के निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से वहां अनेक प्रकार के रोग लोगों को पकड़ लेते हैं, जिससे बहुतों की मृत्यु हो जाती है ।

मैं आपका ध्यान गोरखपुर की ओर ले जाना चाहता हूं, वह ऐसा जनपद है, जहां आबादी काफी बहुत है और मंत्री जी के भाषण में कई बार हम सुन चुके हैं कि मेरठ, गोरखपुर और बरेली को महापालिका बनाया जा रहा है । यह आशा कभी बंधती है, लेकिन कभी खत्म हो जाती है । हमारे जिले के शास्त्री जी ने अभी इस बारे में कहा, लेकिन मैं समझता हूं कि उनका यह भ्रम है कि गोरखपुर को महापालिका बनाया जा रहा है । हम लोग दुविधा की स्थिति में पड़े हुए हैं, मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण अपने उत्तर भाषण में अवश्य कर दें । गोरखपुर में सीतापुर आई हास्पिटल के पास एक बेकार पड़ी हुई जमीन हैं, उसे रामेश्वर जायसवाल नामक एक बहुत धनी व्यक्ति को दे दिया गया है । वह शासन में आकर बहुत तेज हस्तक्षेप करके उसको निजी सम्पत्ति के रूप में उपयोग करने जा रहा है । वहां गोरखपुर विकास प्राधिकरण के नाम से भी एक विभाग चलता है, वहां पर जो स्टाफ है वह सारे का सारा नगरपालिका से ट्रांसफर होकर आया हुआ है । यह लोग अपनी नियुक्ति से ही वहाँ पड़े हैं और उसे अपने कारनामों से वह भ्रष्टाचार का अड्डा बनाए हुए हैं । वहाँ के एक मिश्रा इंस्पेक्टर सम्भवतः श्री सतीश चन्द्र मिश्रा बिना पैसा लिए हुए नक्शा पर मकान बनने वाली जगह का निरीक्षण नहीं करते हैं..... (व्यवधान) । रसूलपुर मोहल्ले में जाकर उसे श्री राम छबीले को फर्जी नक्शे पर पशुघर कह कर मकान बनवाया और वह वहां रह रहा ह । इसलिए म चाहूंगा कि जो नगरपालिका, महापालिका व टाउन एरिया हैं, वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की उत्तम व्यवस्था की जाए । हमारे जिले में महराजगंज मुख्यालय को टाउन एरिया आप अवश्य बनवा दें और जो चुनाव रुके हुए हैं, उसकी घोषणा आप तत्काल करा दें ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वायत्त शासन के बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका हृदय से आभारी हूं । इस सम्बन्ध में हमारे माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं और विरोध पक्ष के हमारे साथियों ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया हैं, मैं उसकी घोर निन्दा और भर्त्सना करता हूं । ऐसा बेबुनियाद कटौती का प्रस्ताव सदन के समय के साथ मजाक करने वाला कोई और बात नहीं है, मेरी दृष्टि में । मान्यवर, जहां हमारे माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने इतना उत्साह वर्द्धक बजट पेश किया है वहां पर माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन है कि इस बजट के नीचे काम करने वाली मशीनरी को भी एक बार आप

[श्री श्याम लाल वाजपेयी--]

देख लें । मुझे अभी स्वायत शासन सचिव से बात करने का मौका मिला वह वास्तव में सज्जन हैं । वह स्वयं पीड़ित हैं, जो इस स्वायत्त शासन की व्यवस्था है । जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, जो तीन वर्षों में जनता पार्टी और लोक दल के लोग शासन में आये, उन्होंने नगरपालिकाओं या महापालिकाओं को शुद्ध नरकपालिकाओं और नरकमहापालिकाओं में परिवर्तित कर दिया । मेरा अनुभव ह चाहे टाउन एरिया या म्युनिसिपैलिटी या महापालिका हो, इसके कर्मचारी जनता शासन में, उस काल में मंत्रियों के घरों में निजी सेवा के अतिरिक्त उनका जन-जीवन के प्रति कोई कर्त्तव्य या दायित्व नहीं था । स्वायत शासन विभाग अपने में एक सागर है । इसका मंथन में क्या करूंगा ? मेरे जैसे दस पांच आएंगे, तो डुबकी लगा कर उभर कर बाहर नहीं आएंगे, और पांच साल बीत जायंगे । माननीय मंत्री कितना टटोल पाएंगे में इसको नहीं जानता लेकिन में ऐसे शिष्ट, सज्जन, हृदयग्राही मंत्री से आशा करता हूं कि वह इस ओर अपनी सज्जनता के माध्यम से इस दुष्ट सेना से कैसे सामना करेंगे, उसका कोई उपाय सोचेंगें । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से बड़ी स्पष्ट बात बताना चाहता हूं । चाहे नगरपालिकाएं हों या नगरमहापालिकाएं हों कभी-कभी सौभाग्य से एक आधा अधिकारी अच्छा आता है जैसे लखनऊ महापालिका के प्रशासक महोदय, वह बाराबंकी में रह आये हैं । उनकी सज्जनता कितनी कारगर होगी, दुष्टों के बीच में, एक-एक कंकड़ हजम, पत्थर हजम व्यक्ति पड़े हैं, ये सुधार करेंगे या शासन को खा जायंगे, करबद्ध प्रार्थना है, मेरी अभी भूमिका ही शुरू हुई है ।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया समय का ध्यान रखें ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

मैं अपनी बात कह ही नहीं पाया । केवल तीन मिनट लूंगा । आप नगरमहापालिका लखनऊ को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके चुंगी विभाग और स्वास्थ्य विभाग को देखिए । चुंगी अधीक्षक की 20 हजार रुपये मासिक की आमदनी है । जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है, राष्ट्रपति का वेतन दस हजार है, दस हजार तो उसकी चाय पानी और अय्याशी में खर्च हो जाते हैं । इस तरह की व्यवस्था स्वायत्त शासन में है । माननीय मंत्री जी सुन लें । 26-4-72 को एक मकान अलाट हुआ, 285 रुपये उसी दिन जमा कर दिया । 1972 से 1980 तक उसका कब्जा न दिया गया न सब्सटीट्यूट दिया गया । मैंने आपसे निवेदन किया तब आकर कागज का टुकड़ा मिला है, पेपर मिल' कालोनी अलाट किया है । उस पर स्वास्थ्य विभाग का एक तस्कर जिसको स्वास्थ्य मंत्री ने बंदी बनाया है वह उसका मकान है । स्वायत्त शासन सचिव से फिर मैंने कहा नयी कोई कमेटी हो उसमें लगा दो । उन्होंने कहा होने दो, शायद फिर हो जायगा । इन अव्यवस्थाओं में जकड़ा स्वायत्त शासन है । यह कहते हैं कि खद्दरधारियों की चोंचें सुनने आये हैं । राजा कोई हो रानी मंदोदरी बैठी हैं । उनके सहयोग में उनका यौवन अनन्त है । मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि कठोर निर्णय लो । यदि एक बार किसी को पकड़ो तो उसकी आंख निकाल लो । इस स्वायत्त शासन विभाग ने जनता का शोषण कर लिया है । मान्यवर, जनता को पहुंचने वाली सुविधायें अव्यवस्था और मस्ती में डूब रही हैं । इस सदन में जो सदस्य कांग्रेस (इ) के हैं, उनमें से अधिकांश लोग नवयुवक हैं और उनका एक ही संकल्प है कि जो लोग सरकार के साथ विश्वासघात करेंगे हम उनको नहीं छोड़ेंगे । हम सरकार के चौकीदार बन कर आये हैं । कुम्भकरण की निद्रा

में सोये अफसरों को हम जगा कर छोड़ेंगे और जिस विभाग के भी वे अफसर होंगे, उनकी नींद हराम कर देंगे । मुझे देश प्यारा है, और इंदिरा गांधी का का नाम प्यारा है ।

इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और बेबुनियाद और निकम्मे इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और इसकी घोर भर्त्सना करता हूं ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे जो कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिए आपका आभारी हूं । संभावना यह है कि नये लोगों को बोलने का अवसर दिया जायगा, इसकी आशा बढ़ गयी है ।

माननीय मंत्री जी न अपने भाषण में एक बात की सफाई दी है । आपने कहा कि स्थानीय निकायों के चुनाव में काफी विलम्ब है और इसके लिए समय नहीं है । मैं तो कहता हूं कि जनतंत्र में जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं आयेंगी, तब तक किसी भी विभाग में सुधार सम्भव नहीं है । इस सन्दर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो सरकार हमारे देश और प्रदेश में गरीबों को रोजी नहीं दे सकती, रोटी नहीं दे सकती, रहने के लिए मकान नहीं दे सकती, वह सरकार ही निकम्मी है । इस सरकार से मेरा यह भी निवेदन है कि जो हमारे गरीब लोग हैं उनमें से एक ने कहा था कि एक बालिश्त जमीन ही हम लोगों को पाखाने के लिए दे दी जाय हमें और कुछ नहीं चाहिये । टाउन एरियाज और नगर पालिकाओं में जाकर देखिये । हमारी बहनें, भाई सड़कों पर पाखाना करते हैं और अमीर लोगों की कारें उधर से गुजरती हैं । जो लोग वहां पर पाखाना करते हैं उनके गुप्तांग तक दिखते हैं और उनका पाखाना भी आधा बाहर और आधा अन्दर रह जाता है, जो बड़ी ही लज्जा की बात है । जिस देश में गरीबों को भोजन न दिया जाय, रहने के लिए मकान न दिये जायें और पाखाना के लिये जमीन न दी जा सके, उस सरकार को शासन में रहने का कोई हक नहीं है । जब ये जनता पार्टी के 3 वर्ष के शासन की बात कहते हैं तो मुझे एक गांव का किस्सा याद आता है । गांव में एक आदमी को कफन चोर कहा जाता था । होता यह था कि वह मुर्दों से कफन उतार लेता था । जब वह मरने लगा तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटे मैं तो मर रहा हूं और इस इलाके के लोग मुझे कफन चोर कहते हैं । मेरे मरने के बाद तुम ऐसा काम करना कि लोग मुझे अच्छा कहने लगें । लड़का धीरे-धीरे बड़ा हो गया । एक दिन वह कहने लगा कि पिता जी जब मरने लगे थे तो मुझसे कह गये थे कि तुम कोई ऐसा काम करना जिससे लोग मुझे अच्छा कहने लगें । तो यह सुनकर एक आदमी ने कहा कि तुम बेवकूफ हो, इसमें कोई खर्च नहीं है । तुम मरने वालों की कबर के मुर्दे को निकाल लो । उसने ऐसा ही करना आरम्भ कर दिया । कफन उतार कर तो बेचने लगा और मुर्दे को उल्टा पेड़ पर टांग देता था । तो गांव के लोग उसे कहने लगे कि इससे अच्छा तो इसका बाप ही था । अगर वे गल्तियां करते थे तो आपको तो गल्तियां नहीं करनी चाहिये ।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया । मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहती हूं ।

लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी होते हुये भी यहां पर कई जगह वाटर लागिंग की समस्या है और कई क्षेत्रों मे पानी भरा हुआ है । मेरे क्षेत्र में यह समस्या सब से भयंकर है । 1959 में इस क्षेत्र को नगर महापालिका के अन्तर्गत ले लिया गया था । अगर वहां पर सीवर लाइन बना दी जाये तो वाटर लागिंग की समस्या हल हो सकती है । सीवर लाइन से ही आधी समस्या अपने आप हल हो जायेगी ।

इसके अलावा नगर महापालिका का जो सेटअप है, जो आफिस है उसके बारे में, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं । मैं स्वयं भी नगर महापालिका के आफिस में अकसर जाती हूं और देखती हूं कि वहां काम करने का अजीब तरीका है । उनका कार्य 5 हिस्सों में बंटा हुआ है, आवास का काम अलग है, अधिग्रहण का काम अलग है, जल संस्थान का काम अलग है, कर विभाग अलग है और इन सब अनु विभागों को मिला कर नगर महापालिका है । जब हम एक हिस्से में अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो मालूम होता हैं कि इसका सम्बन्ध दूसरे से है, दूसरे में जाते हैं तो बताया जाता है वहां जाइये । कोई काम हो कई-कई जगह दौड़ना पड़ता है और दौड़ने पर भी काम कभी कहीं अटक जाता है तो कभी कहीं अटक जाता है । मैं चाहती हूं कि मंत्री जी कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे इन पांचों विभागों का आपस में कोआर्डिनेशन हो और किसी भी जन प्रतिनिधि को अलग-अलग विभागों में दौड़ न लगानी पड़े । एक जगह से ही उनकी समस्या का निदान हो सके ।

मान्यवर, मैं नगर महापालिका क्षेत्र से ही चुन कर आयी हूं, समस्यायें बड़ी गम्भीर हैं, अगर उन सब को यहां पर बतलाया जाये तो दो दिन का समय लग जायेगा और तब भी वह पूरी नहीं होगी ।

सब से बड़ी समस्या हमारे यहां सफाई की है । पहले पहल जब एक कालोनी बनी थी तो उसके लिए एक सफायी मजदूर रखा गया था । आज 10 कालोनी बन गयी हैं पर फिर भी सफाई मजदूर एक ही हैं । बताइये एक मजदूर कैसे सफाई कर सकता है । मैंने जब सफाई मजदूर से कहा कि तुम सफाई क्यों नहीं करते हो, उसने कहा आप हमारे साथ चल कर देख लीजिये कितना बड़ा क्षत्र हमारे पास पड़ता हैं, हम कैसे सफाई कर सकते हैं । इसलिये मेरी मांग है कि सफाई मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाये जिससे कि सफाई का काम ठीक तरह से हो सके ।

दूसरी एक समस्या, जिसका उल्लेख हमारे साथियों ने भी किया है मकानों के आवंटन की है और उसमें आज घोर अन्धेरा छाया हुआ है । कुछ लोग सड़क पर पड़े हुए हैं, उनके पास घर नहीं है, कुछ लोगों के पास 10-10 और 20-20 घर हैं । अगर अवसर देंगें तो मैं प्रमाण भी दे सकती हूं । तो उनको जरा सा देखने की बात है । अगर उनको देख लेंगे तो उससे हमारा बड़ा काम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चल जायगा, नहीं तो हमारी जो परेशानियां हैं वह रह जायेंगी । एक जो कब्जा है जमीन का वह भी दो तरह का है, रईसों की अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, उनको गिराने वाला कोई नहीं है । लेकिन गरीबों की झोपड़ी चन्द बूंद पानी पड़ने से गिर जाती हैं । तो मान्यवर, इस प्रकार से जो दो प्रकार का कब्जा है, इसका निदान कैसे हो । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं, जब कि समाजवादी युग में हम इसका कैसे न्याय कर सकें, इसको भी सोचने की बात होगी । अन्त में मैं आपका आभार प्रकट करती हूं और आशा करती हूं कि जो मैंने थोड़े से सुझाव आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को दिये हैं उन पर विचार करेंगे ।

*श्री भोला पाण्डेय—

मान्यवर, आपने जो स्वायत शासन विभाग के बजट पर और इस बहस में जो भाग लेनें का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो एक बजट प्रस्तुत किया है, इस सदन के मार्फत पूरे सूबे की जनता के लिए मैं इनको मुबारकवाद देता हूं और इसका हार्दिक समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी ने जो अपने भाषण में सबसे पहले जो बात कही कि अभी हम स्थानीय निकायों का चुनाव कराने के पक्ष में नहीं हैं । मान्यवर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि स्वायत्त शासन विभाग के अन्तर्गत जो भी स्वयंसेवी संस्थायें हैं, इनका सीधा सम्बन्ध आम आदमी और जनसाधारण से हुआ करता है और छोटे विभाग का काम स्वायत्त शासन विभाग का हर विभाग और हर दफ्तर एक सेंटर की तरह से काम किया करता है । यह चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराया जाय या अप्रत्यक्ष रूप से । मैं तो समझता हूं कि अगर जनतंत्र का आधारशिला है स्वायत्त शासन विभाग तो सही मानें में इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराया जाय जिससे जनतंत्र वास्तविक रूप से मजबूत किया जा सके । मान्यवर, जब तक यह चुनाव सूबे के अन्दर नहीं हो रहे हैं तब तक माननीय मंत्री जी को यह चाहिये कि गैर सरकारी कमेटी पूरे जगह-जगह पर बना दें जिससे कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको रोका का सके । लेकिन गैर सरकारी कमेटी बना देना चाहिए जिससे कि जो अधिकारी वर्ग हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाया जा सके ।

दूसरा सुझाव मैं देना चाहता हूं कि पिछले स्वायत्त शासन मन्त्री जो का बजट भाषण में पढ़ रहा था, जिस में सारे सदस्यों ने इस बात का सुझाव दिया था कि जो चुंगी ली जाती है, जनता से जो बैरियर्स हैं, इसको समाप्त किया जाय । मैं भी मांग करता हूं कि जो प्रदेश की जनता के ऊपर चुंगी लगाई जाती है और जो उसमें भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए चुंगी समाप्त किया जाय और बैरियर प्रथा समाप्त किया जाय । लेकिन शासन किस तरीके से चले और नगरपालिकाओं को स्वायत्त शासन विभाग के अन्दर घाटा न हो, इसके लिए जरूरी है कि अन्य तरीके से अन्य जगहों से जो और जगह-जगह पर कर लिये जाते हैं नगरपालिकाओं को देने की व्यवस्थायें कराई जायं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भोला पाण्डेय---]

माननीय, आवास-विकास की बात मैं कर रहा था । इस बात को भी मैं इनकार नहीं कर सकता कि जगह-जगह पर जो भवन बने हुए हैं उन भवनों पर अनधिकृत रूप से कई लोगों ने कब्जा किया है, विशेषकर जनता पार्टी और लोकदल के लोगों ने । माननीय, मैं बलिया जनपद की बात करता हूं (व्यवधान) यह जनता पार्टी के जमाने में गड़बड़ी हुयी है वहां । यह सारे अनाधिकृत कब्जे जनता पार्टी के अध्यक्ष, जो श्री चन्द्रशेखर जी हैं, उनके आदमियों द्वारा उनके समय में किये गये हैं । इसलिए सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिन मकानों पर अनाधिकृत कब्जे किये गये हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए । हमारे यहां रानीगंज एक बाजार है, जो बहुत बड़ा बाजार है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ा हुआ है । उसे टाउन एरिया घोषित किया जाय । माननीय, आपकी लाल बत्ती जल गयी । वैसे मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे नगरपालिकाओं की नीति पर बोलने का अवसर दिया और माननीय मन्त्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं इस बजट पर, इस यकीन के साथ कि इसमें जो आज भ्रष्टाचार व्याप्त है, वह समाप्त किया जायेगा, जिससे जनता के तकाजे पूरे हो सकें ।

*श्री मित्रसेन---

माननीय मन्त्री जी ने नगरपालिकाओं का जो बजट पेश किया है, उसको उतना ही संतुलित रखा है, जितना कि मन्त्री जी स्वयं संतुलित हैं । श्रीमन्, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि आज नगरों की तरफ ग्रामीण जनता भी धीरे-धीरे भाग रही है और नगरपालिकाओं की बढ़ती हुयी आबादी को देखते हुए, नगरों में संसाधन जुटाने और वित्तीय तकाजों और तमाम परेशानियों को दूर करना एक महान विषय है । लेकिन इनकी आमदनी कैसे बढ़ाई जाय और नगरपालिका को स्वच्छ कैसे रखा जाये तथा नागरिकों को सुविधाएं कैसे प्रदान की जाएं, इन सभी चीजों के देखने मात्र से ही इसका समाधान नहीं हो सकता है । अगर माननीय मन्त्री जी अपने बजट में इन चीजों को भी रखें कि देश और प्रदेश की जो आज नीति है । जमीन और आसमान का अंतर कायम रखा है तो आज जहां गरीब रहेगा, वहां दूषित रहेगा और जहां अमीर रहेगा वहां स्वच्छ रहेगा । यह नगरपालिकाओं की समस्या है ।

हमारे पूर्व में नगरपालिकाओं की समस्याओं पर श्री बाजपेयी जी बड़ी गरमा-गरम भाषण कर रहे थे कि हमारी सरकार ने समय के अभाव में भी बहुत बड़े-बड़े काम किये । तो मैं कहना चाहता हूं कि उनकी सरकार को 30 वर्ष का समय मिला देश और प्रदेश को बनाने के लिए । लेकिन वे इतने लम्बे समय में भी इसका इलाज नहीं कर सके । बहरहाल जैसा कि हमारे इधर के कुछ माननीय सदस्यों ने और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी नगरपालिकाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार का निदान चुंगी को हटा देने से बताया है क्योंकि चुंगी की आमदनी की बहुत बड़ी राशि अधिकारियों की जेब में चली जाती है । इसलिए इस ओर विचार कर कृपया चुंगियों को ठेके पर दे दें, तो निश्चित रूप से नगरपालिकाओं की आमदनी बढ़ सकती है । दूसरी बात माननीय, नगरपालिकाओं की स्वच्छता और उनके विकास के लिए यह ऐसी चीजें हैं, जो शासन के बड़े से बड़े उच्चाधिकारी जो इस विभाग से सम्बन्धित है, वह सब जानते हैं कि यह कैसे ठीक हो सकता है ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

अभी माननीय मित्रसेन जी बोल रहे हैं, आप लोग बैठिए ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, नगरपालिका अयोध्या की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जैसा कि इससे पूर्व में सत्ता पक्ष की ओर से इस अयोध्या नगरपालिका की समस्याओं और विकास के लिए कह रहे थे । मैं भी इस पर दो शब्द कहना चाहूंगा कि उसे आपने फैजाबाद नगरपालिका से अलग कर दिया है, इस अलग कर देने से वह काफी कमजोर हो गयी ह और जिससे उसका विकास रुक गया है । इसलिये अधिक से अधिक सहायता दें और अयोध्या नगरपालिका के विकास हेतु शासन स्तर पर कोई कार्यवाही होनी चाहिए । मान्यवर, नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के वेतन में काफी अनियमितता होती है, उनका वेतन नहीं दिया जाता ह इसलिये मैं चाहूंगा कि जो नगर पालिकाओं का बजट है सरकार को अपने माध्यम से पास करना चाहिये और जिस मद का पैसा हो वहीं ट्रान्सफर हो जाना चाहिये ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों को वेतन समय से दिया जायेगा । दूसरी बात, नगरपालिकाओं में मैंने देखा 100 मीटर के अन्तर्गत जितने नल लगे हुये हैं और जिस व्यक्ति के घर में नल नहीं लगा है वह 100 मीटर दूर से पानी लेता ह उससे भी वह टैक्स लिया जाता है इसलिये 100 मीटर दूर से जो पानी लेते हैं उनको वाटर टैक्स से मुक्त करना चाहिये । दूसरी बात, माननीय अधिष्ठाता जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को कोई जगह नहीं होती है और जैसा मंत्री जी ने कहा कि हम रिक्शे वालों के लिये व्यवस्था कर रहे हैं । जिस प्रकार से रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरखाना होता है उसी प्रकार से नगरपालिकाओं में भी मुसाफिरखाना हो जिसमें सफाई और बिजली की व्यवस्था हो तो बहुत लोगों को सुविधा हो जायेगी । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । श्रीमन्, यह प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि विगत तीन वर्षों में जो शासन पक्ष में पार्टी बैठी हुयी थी, जिन्होंने यह नारा दिया था कि "गांव की ओर चलो", और जिन्होंने शहरों को छोड़ दिया था यह न तो गांव की हालत ठीक कर पाये और शहर की हालत तो उन्होंने खराब कर ही दिया । मान्यवर, आज जो शहरों की हालत है वह विगत तीन वर्षों के शासन की देन है । मान्यवर, समय कम है इस लिये मैं मुख्य-मुख्य बातें आपके माध्यम से रखूंगा । मान्यवर, आपके यहां एक विकास प्राधिकरण है जो आपके विभाग से सम्बन्ध रखता है । श्रीमन्, अब विकास प्राधिकरण अल्प आय एवं मध्यम आय वालों के लिये मकान बनाता है और इन मकानों की कीमत इतनी ज्यादा रख दी कि उन मकानों को नम्बर दो का पैसा कमाने वाला ही खरीद सकता

[डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—]

है । अल्प आय और मध्यम आय वाला तो उसे खरीद ही नहीं सकता है और बहुत से मकान तो बनते ही ध्वस्त हो गये । एक अखबार वाले न तो बहुत अच्छा कमेंट किया था "इन मकानों में रहने वालों को आत्महत्या का प्रयास नहीं करना पड़ेगा ।"

श्रीमन्, अब तक माननीय मन्त्री जी जो स्थानीय निकायों का कार्य देख रहे थे । उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि अब वह फाइव स्टार होटल के मालिक बनने जा रहे हैं । माननीय अधिष्ठाता जी, आगरा में विकास प्राधिकरण की एक मीटिंग हुई उसमें हमारे आला अफसर भी थे जो यहां बैठे हुये ह । उस मीटिंग में यह प्रस्ता पारित हुआ कि आगरा में विकास प्राधिकरण 2 करोड़ रुपये का थ्री स्टार होटल "होली डे इन" खरीदे ताकि हमारे जो आला अधिकारी हैं, आगरा जाये तो कोई कष्ट न उठाना पड़े, वह एयर कन्डीशन कमरे में रहें । इस प्रदेश में जहां पर गरीब आदमी को अपना सिर छिपाने के जगह झोपड़ी नहीं है वहां थ्री स्टार और फाइव स्टार होटल खरीदने की योजना बनाई जा रही है । यही नहीं वहां के जो अधिकारी चेयरमैन हैं उनके पास कार होते हुये उन्होंने नई कार का प्रस्ताव किया और दूसरे दिन 60 हजार में नई कार खरीद कर आ गई, जिस आवास में वह रहते हैं उसमें 50 आदमी रह सकते हैं लेकिन चेयरमैन के रहने के लिये एक एनेक्सी बनाई जायेगी जिस पर लाखों रुपये का खर्च आयेगा इससे बड़ा दुरुपयोग जनता के धन का और क्या हो सकता है । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस तरह की अव्यावहारिक और अफसरशाही योजना जो शुरू की जा रही है, गरीब जनता के साथ मजाक किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है । कम से कम वह न होने दें । मन्त्री जी योग्य, कुशल और ईमानदार हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी चुनौती है, मैं समझता हूं कि वह इसका सामना करेंगे ।

दूसरी बात पेयजल के बारे में कहना चाहूंगा । आगरा के अन्दर जहां पर्यटक आते हैं लाखों की संख्या में, गरमी में तो जमुना में एक बूंद पानी नहीं रहता, आज भी आगरा एक-एक बूंद के लिए तरस रहा है । 24-24 घन्टे के लिए नल बन्द हो जाता है, 1-2-4 घन्टे के लिए जब चाहे बन्द हो जाये । जितने भी इंजीनियरों की पोस्टिंग की है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के कोई भी नहीं है जो उन लाखों रुपयों की मशीनों की देख-भाल कर सके । जहां पर्यटक आते हैं, विदेशी मुद्रा से फायदा होता है वहां पीने के लिए पानी न मिले, इससे ज्यादा मजाक और क्या हो सकता है । मान्यवर, ग्राउन्ड फ्लोर पर रहने वाले आधे घन्टे में एक बाल्टी पानी भरते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा पेशाब कर रहा हो ।

मान्यवर, विगत असेसमेन्ट हुआ है, उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ । 2-2, 5-5 सौ रुपये लेकर जो कोठियां थीं उनका टैक्स नहीं बढ़ाया गया और गरीबों को बढ़ा दिया गया है । हर महापालिका के अन्दर यही शिकायत थी । जब इसकी शिकायत की तो शासन ने कृपापूर्वक उस को स्थगित कर दिया । तो मान्यवर, मेरी मांग है कि जब तक जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि न पहुंच जायं तब तक असेस्मेन्ट को स्थगित रखा जाये । इसके अलावा विकास प्राधिकरण, आगरा के अन्दर शमशाबाद आवास योजना के अन्तर्गत 180 बीघे जमीन अधिग्रहण करने जा रही है लेकिन श्रीमन्, उसमें 7-8 बीघे के ऊपर 50-60 मकान बने हुए हैं और वह बने हुए हैं जिनके नक्शा पास हो चुका है नगर महापालिका द्वारा और जो टैक्स देते हैं । आज उनको विस्थापित करने जा रहे

हैं, ध्वस्त करन जा रहे हैं, उनको सड़क पर खड़ा करने जा रहे हैं। 170-72 बीघा जो जमान हैं उन पर मकान बनवायें और जो हरिजनों के बने हुए हैं, गरीबों के बने हुए हैं उनको न तोड़वायें। मान्यवर, इस पर तत्काल कार्यवाही करें क्योंकि इस सम्बन्ध में नोटिस दी जा चुकी है। अगर ऐसा हो जायेगा तो हजारों लोग इससे प्रभावित होंगे। मान्यवर, हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि हम किसी भी आदमी को बे-घरबार नहीं करेंगे और अल्प व मध्यम आय वालों को घर देंगे। इसलिए वहां कोई गड़बड़ी न होने दें।

मान्यवर, अब टोल टैक्स की बात करता हूं इनमें आमदनी होती है उसकी 50 प्रतिशत नीचे चपरासी से लेकर ऊपर तक हर अधिकारी का हिस्सा बंधा होता है। रोज लिफाफे में रकम बांटी जाती है। आमदनी बढ़ाने के लिए अनाप्शनाप रेट बढ़ा दिये जाते हैं। मान्यवर, आलू का बीज और आलू जो सब्जी के लिए मन्डी में आता है उसमें और बीज में क्या फर्क होता है। उनको अलग-अलग रेट चुंगी की रखी गई है। जो बाबू लोग बैठे हैं उनको मौका मिल जाये ताकि भ्रष्टाचार करें। मैं कहना चाहता हूं कि उसमें कोई फर्क कर सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार करना है। पर्यटक स्थान होने की वजह से हजारों लोग आगरा आते हैं वहां गन्दगी का साम्राज्य है। कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। जो लोग नालियों के पास रहते हैं, नारकीय जिन्दगी बसर कर रहे हैं, उन नालों की सफाई करायें, बस्तियों की सफाई करायें।

आगरा में 70-80 मलिन बस्तियां हैं जिनकी सफाई के लिए विशेष धनराशि की व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ जो बजट माननीय मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का और इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। माननीय मन्त्री जी ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और जो विरोधी दल की तरफ से अव्यवहारिक संशोधन का प्रस्ताव आया है, उसकी निन्दा करता हूं। मान्यवर, यह सही है कि नगर-पालिकाओं और टाउन एरियाज के चुनाव होने अत्यन्त आवश्यक हैं। इन चुनाओं की आवश्यकता इतनी अधिक है कि अगर हमें नगरपालिकाओं और टाउन एरियाज को नौकरशाही के हाथों से सुरक्षित रखना है तो हमारे सामने एक ही विकल्प है कि इन संस्थाओं के चुनाव कराये जायें। इनका जनतंत्र बहाल किया जाये और नौकरशाही को जनता का शोषण करने का कम से कम अवसर प्रदान हो सके। इसके साथ ही साथ मैं माननीय मन्त्री जी से पूरे जोर के साथ कहूंगा कि जब तक नगरपालिका और टाउन एरियाज के चुनाव नहीं होते हैं तब तक गैर सरकारी व्यक्तियों को, जनता के व्यक्तियों को, इसमें देख-रेख के लिए सलाहकार समिति के रूप में नियुक्त किया जाये। विरोधी दल के साथियों ने आशंका व्यक्त की और उनकी आशंका सही भी है। दुर्भाग्य है, तीन साल के अन्दर उनकी सरकार ने बार-बार यही घोषणा की कि नगरपालिकाओं के चुनाव कराये जायें

[श्री सुरेन्द्र कपिल—]

उसके बाद भी चुनाव नहीं करायें । नौकरशाही को, अधिकारियों को, जिम्मेदारी सौंप रखी । कुछ लोग कह रहे थे कि बरोजगारों को रोजगार देने की योजना है । (शोर) । हम तो उनको सलाहकार के रूप में रखना चाहते हैं । हम इस तरह से नहीं रखना चाहते जिस तरह से जनता शासन में तीन साल तक अधिकारियों के माध्यम से शोषण करते रहें । मै आश्वासन देता हूं । मन्त्री जी की ओर से आश्वासन देना चाहता हूं कि चुनाव कराये जायेंगे । अब तक चुनाव टाले जाते रहे हैं । आशंका के आधार वही हैं जो तीन साल तक यह कर चुके हैं । हम वह नहीं करेंगे । इसका विश्वास दिलाता हूं ।

एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी ओर मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आर० बी० ऐक्ट जो है रेगुलेशन आफ बिल्डिंग ऐक्ट वह लागू किया गया है । उसके अन्तर्गत जनता की परेशानी बहुत बढ़ गयी है । सहारनपुर का उदाहरण देना चाहता हूं । कई हजार मुकदमे आर० बी० ऐक्ट के अन्तर्गत पेन्डिंग पड़े हुए हैं इसमें जनता का शोषण होता है । मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इनको निपटाने का प्रयास करें । किसी माननीय सदस्य ने इसकी बात नहीं कही । मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनता का शोषण करने के लिए कर्मचारी मुहल्लों में जाते हैं । जैसा कि प्रेमवती तिवारी जी ने कहा कि टूटी झोपड़ी गिर जाती है तो उसके दुबारा बनवाने में आर० बी० ऐक्ट की नोटिस दे दी जाती है । उसके अन्तर्गत 10 हजार रुपये का जुर्माना और मकान गिरवाने की व्यवस्था है । मैं अरबन सीलिंग ऐक्ट की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा । बहुत से नगरों के अन्दर जमीन अभी भी अरबन सीलिंग ऐक्ट में पेंडिंग पड़ी है । उसे नहीं लिया गया है ।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं. . . .

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, मैं यह बात कह कर समाप्त करता हूं कि अगर विरोधी दल के लोग सिर्फ भाषण देने का शौक रखते हैं, तो मैं स्वयं समाप्त किये देता हूं । लेकिन अगर कुछ काम की बात करना चाहते हैं, तो कृपया दो-एक बात कह लेने दें । मान्यवर, सीलिंग विभाग के कर्मचारियों का खर्च लगाया जाए तो यह सफेद हाथी का खर्च सिद्ध होगा । यदि सीलिंग में फालतू घोषित की गई जमीनों की कीमत कुछ दिन बाद आंकेंगे तो यह खर्च लगाने के बाद खुली नीलामी से घटाई गई जमीन से महंगी पड़ेगी इसलिये इस विभाग का खर्च असहनीय है । तो मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में एक लिमिट बांध दी जाय जिसके अन्दर ये जमीन फालतू घोषित कर दी जाय ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, इस माननीय सदन में सत्ताधारी दल से जो माननीय विधायक बोलते हैं, वे अपने को मन्त्री समझ कर बोल रहे हैं । तो, मान्यवर, क्या सत्ता दल से बोलने वाले हर सदस्य को अधिकार

हैं कि वह सदन को आश्वासन दे, मन्त्री के रूप में, या केवल मन्त्री को आश्वासन देने का अधिकार है ? यह व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं । विचार प्रकट करने में कोई पाबंदी नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, विचार प्रकट करने की बात नहीं । ये लोग आश्वासन देते हैं । यह बड़ी गम्भीर बात है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कृपया बैठ जायं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या हर विधायक को मन्त्री के रूप में आश्वासन देने का अधिकार है ?

श्री अधिष्ठाता—

वह आश्वासन नहीं दे रहे हैं । अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है ।

श्री खैरुल बशर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नगर-पालिका बजट पर बोलने का अवसर दिया ।

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो सदस्य बोल रहे हैं, कम से कम हमारे माननीय मंत्री जी उसको सुन रहे होंगे । मान्यवर, आज नगरपालिकाओं की हालत कितनी खराब है, इससे पता चल जाता है । उनकी हालत कितनी गई-गुजरी है, कितनी चिन्ताजनक हालत है, कम से कम इसकी गम्भीरता स्वीकार की जाय । मैं अधिकांश नगरपालिकाओं की बात न कहकर अब अपनी नगरपालिका, मऊनाथ भंजन, जिसकी आबादी एक लाख से भी ऊपर है, उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वहां जितना मलमूत्र है, वह सब सड़ जाता है और लाखों मच्छर और मक्खियां रोज पैदा होते हैं । हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि मच्छर नहीं रहेंगे । लेकिन मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी नगरपालिकायें आज मच्छरों के पालन केन्द्र बन गए हैं । इसको कब तक खत्म किया जायेगा । मैं मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर इसको नहीं रोका गया तो छोटे-छोटे बच्चों को रात में मच्छर उठा ले जायेंगे । इसलिए आप इस तरफ ध्यान दें ।

मान्यवर, आज नगरपालिकायें एक बहुत बड़ा लूट का अड्डा बनी हुई हैं और ऐसा लगता है कि वहां लंगरखाना खुला हुआ है । उस लंगरखाने में ऐसे लोग हैं जो वहां पर टुकड़ों पर पल रहे हैं जिनकी वहां के सुधार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है । सड़कें टूट रही हैं, नालियां गन्दी पड़ी हैं, उनमें बदबू आ

[श्री खैरुल बशर--]

रही है, कूड़ा चारों तरफ फैला हुआ है । लेकिन वहां के अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते । वहां के अधिकारी क्या काम करते हैं । मान्यवर, हमारे यहां मऊनाथ भंजन में जयपुरिया मिल से चुंगी का करीब 6 लाख रुपया, जिसको वहां के एग्जीक्यूटिव आफिसर खा गए। वहां के एस0 डी0 एम0 न पूछा तो 25,000 रुपया एस0डी0एम0 की जेब में चला गया। वहां जो दवायें दी जाती हैं, ऐसी दवायें जिनसे मच्छर मरते हैं 50 हजार रुपये की वह खरीदी गईं । वह दवा एक बजाक में खराब हो गई थी । इक्जीक्यूटिव अफसर ने फर्जी वाउचर बनाकर 10 हजार रुपया देकर वह दवाई 50 हजार को खरीदी है । जो दवा खराब हो गई थी उसको 50 हजार रुपयों में खरीदा गया है । हमारे यहां एक सेनेटरी इंसपेक्टर हैं उनकी जीप चल रही है, उनकी दवा की दूकान खुल गई है उन्होंने जमीन ले ली है और उनकी बिल्डिंग बन रही है । हर दूध वाले की दूकान, किराने वाले की दूकान पर उनका महीना बंधा हुआ है और 25 हजार रुपये महीने वह वहां से पाते हैं । हमारे यहां के इक्जीक्यूटिव आफिसर, जो वहां का सबसे बड़ा चुंगी नाका है, उस चुंगी नाके से महीने में 2 हजार रुपया लेते हैं, दूसरा जो चुंगी नाका है वहां से एक हजार रुपया लेते हैं और जो तीसरा चुंगी नाका है वहां से 5 सौ रुपये लेते हैं । इस तरह से नगरपालिका को पूरी तरह से लूट रहे हैं। हमारे यहां पहले जो प्रभारी अधिकारी थे उनका मकान फैजाबाद में बन रहा था । 15 हजार रुपये का फर्नीचर नगरपालिका से बनाकर दे दिया जाता है ।

मऊ नगरपालिका की नालियां सड़ रही हैं उनकी सफाई का प्रबन्ध किया जाय, वहां पर एक भी ट्रक नहीं है, एक भी कूड़ा-गाड़ी नहीं है । वहाँ पर ड्रेनेज स्कीम लागू की जाय । नगरपालिका की पानी की व्यवस्था इतनी खराब है कि दो-दो दिन पानी नहीं आता है और लोग मजबूर होकर वह पानी पीते हैं जिसको आप कीचड़ कहेंगे । इस तरह का गंदा पानी पीकर बसर करते हैं । हमारे यहां की दो प्रमुख समस्यायें हैं, वहां पर एक स्लाटर हाउस और मीट-मार्केट है उसकी बिल्डिंग 70-80 साल पुरानी है किसी दिन भी गिर जाएगी तो उसमें सैकड़ों आदमी मारे जायेंगे । मेरी मांग है कि उसको बनवाने का इंतजाम किया जाय । दूसरी हमारे यहां की समस्या है कि वहां सिन्धी कालोनी बनाई गई थी, लोग आकर वहां बसे थे । आज वह बिल्डिंग गिर रही है । वहां सिन्धी लोग जो 30 साल से रह रहे हैं वह बिल्डिंग उनके हवाले कर दी जाय ताकि वह उसकी मरम्मत करवा सकें और उसको बनवा सकें । इसके अलावा हरदोई जिले के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं । राम आसरे वर्मा जी के क्षेत्र में मल्लावां और माधोगंज टाउन एरियाज की हालत भी बहुत खराब है और गंदगी चरम सीमा पर है । इसको ठीक करने की समुचित व्यवस्था की जाय ।

इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री जी, अगर नगरपालिका को नरकपालिका में बदलना है तो आपके बजट की कोई जरूरत नहीं है । इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं और इन शब्दों के साथ में आपके प्रति आधार प्रकट करता हूं ।

*श्री चंचल सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को इस बजट को पेश करने के लिए बधाई देता हूं । मान्यवर, पिछले 3 सालों में उस सरकार ने म्युनिसपैलिटियों में जनता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के नुमाइंदों को नहीं रखा जिससे इन म्युनिसपैलिटियों का यह हश्र हुआ कि उनका खुदा हाफिज है । जो सड़क बनने जा रही थी वह वहीं की वहीं रुकी है, जो बत्ती लगने जा रही थी वह वहीं की वहीं रुकी है । मंत्री जी को मालूम होना चाहिए कि कितना काम करना पड़ेगा' कोई चीज भी सही ढंग से पिछले 3 सालों में नहीं की गई उसको फिर से फिलहाल मंत्री जी करेंगे और जनता की सेवा करने के लिए आप जल्दी ही इनका इलेक्शन करायेंगे, तभी कुछ हो सकता है । मैं मंत्री महोदय के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि इन इकाइयों में जो रिश्वत और दूसरी चीजें हो रही हैं उसकी तरफ आपको खासतौर से ध्यान देना चाहिए । म्युनिसिपल कमेटी में, शहरों में जब हमारे गरीब किसान अपना सामान देहातों से ले जाते हैं तो उनसे करप्ट तरीके से चुंगी वसूली जाती है और वह उन भ्रष्ट कर्मचारियों की जेबों में चला जाता है । इससे गरीब किसानों पर बड़ा जुर्म होता है । इसलिए जो चुंगी में घपले होते हैं उनकी ओर ध्यान देने की जरूरत है ।

मान्यवर, जहां स्लम एरिया है, जहां गरीब रहते हैं, वहां सफाई और रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए सफाई, रोशनी और उनके वहां सड़कों की ठीक व्यवस्था पर आपको ध्यान देने की जरूरत है ।

मान्यवर, मैं अपने यहां की मिलक और बिलासपुर टाउन एरियाज जनपद रामपुर के बारे में कहना चाहता हूं कि यहां की दो फाइलें आपके विभाग में रुकी हुई हैं । इसलिए मिलक और बिलासपुर को तुरन्त म्युनिसिपल बोर्ड बनाने की व्यवस्था करें । यह दोनों जगहें तरक्की के इलाके हैं जिनसे जनता को लाभ होने वाला है । वहां ट्रैक्टर का काम होता है और कई मिले हैं । वहां की बहुत बड़ी आबादी है । इसलिए इनको यदि म्युनिसिपल बोर्ड बना दिया जाता है तो जनता को उससे बहुत लाभ होगा । मान्यवर, जितने ट्रक उस जगह से गुजरते हैं तो उनको धन और समय का बहुत नुकसान होता है । उनसे टौल टैक्स लिया जाता है। इसलिए इसको दूसरा रूप देकर इसमें सुधार करने की जरूरत है ।

मान्यवर, जब चुनाव होंगे तो पिछले दिनों जनता पार्टी के शासन में जो गलत काम हुए हैं उनकी जांच होनी चाहिए ।

मान्यवर, म्युनिसिपल बोर्ड देहाती लोगों से सामान पर चुंगी लेता है लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं दी जाती है । इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि गरीब किसानों के लिए म्युनिसिपैलटी एरिया में आने के लिए कुछ सुविधा दी जानी चाहिए ।

जैहिन्द ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो आपने प्रस्तुत बजट पर श्री हरिवंश सहाय द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, टाउन एरिया का जो आज सवाल है उसमें आज सबसे बड़ा सवाल है

[श्री नन्द किशोर सिंह—]

नगरपालिकाओं का । देवरिया जनपद में देवरिया, नगरपालिका जो है उसके एक वार्ड को छोड़कर सारे वार्डों में पानी भर रहा है । नालियां वहां की भर गई हैं । कुछ इलाकों में ऐसा है कि पूरे वार्ड में एक नाली है और वह भी भर गई है ।

मान्यवर, गौरी बाजार, रामपुर कारखाना, हाटा, कसया जो टाउन एरियाज हैं उनकी बड़ी दयनीय और शोचनीय स्थिति है क्योंकि वहां कोई सफाई तक का प्रबन्ध नहीं है । इसी तरह शहरों में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है । कुछ बड़, 20 प्रतिशत लोगों ने अपने शौचालय की व्यवस्था कर लिया है लेकिन 78 प्रतिशत गरीब लोगों के लिए टाउन एरिया और नगरपालिका और महापालिकाओं म कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए मैं चाहूंगा कि शहरों में शौचालय की व्यवस्था सरकार करे ।

मान्यवर, अब मैं पेयजल की तरफ मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं । हमारे वहां सीवेज द्वारा बड़ी परेशानियां होती हैं । वहां पीने का पानी ठीक नहीं मिलता है । हमारे वहां एक सरदार नगर, गोरखपुर में है । एक दिन म वहां रेलवे स्टेशन से उतरा और अगल–बगल के तीन गांवों में गया तो वहां देखा कि हैण्ड पाइप का पानी खराब हो गया है । वहां श्री सुरेन्द्र सिंह मजेठिया की शराब की फैक्टरी के कारण पानी में शराब की बदबू आती है । उस के कारण पूरे तीन गांवों का पानी एकदम खराब हो गया है । लोग एक मील से पानी लाकर पी रहे हैं । हम ने उस पानी को देखा । उस म शराब जैसी बदबू अ रही थी । किसी तरह से आप की सरकार ने सन् 56 म पानी की व्यवस्था ट्यूब बैल द्वारा की थी जिस पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया था, वह स्कीम फेल हो गई ह । आप की सारी पाइप लाइन, टंकी बकार हो गई हैं ।

मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय जहां–जहां अस्पताल हैं गांवों में, वहां पर पानी की व्यवस्था आप निश्चित तौर पर करेंगे । हमारे गौरी बाजार क्षेत्र में बेतालपुर मिल है, गन्ना फैक्टरी है, इन्टर कालेज, हाई स्कूल ह, संस्कृत विद्यालय और ब्लाक है, वहां पर टाउन एरिया कायम करने का कष्ट करें ।

अंत में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती कमला साहनी––

मान्यवर, आप ने मुझे समय दिया इस के लिए मैं आप की आभारी हूं ।

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा सदन के पटल पर रखे गये बजट का स्वागत करते हुये मैं कुछ सुझाव रखना चाहती हूं ।

मेरे शोहरतगढ़ क्षेत्र में दो टाउन एरिया हैं, बढ़नी और शोहरतगढ़ । दोनों टाउन एरियाज में इतनी गंदी और अव्यवस्था है जिस को पांच मिनट के अंदर यहां कहना मुश्किल होगा । सब से पहले इन दो टाउन एरियाज के परिसीमन के बारे में कुछ कहना चाहती हूं । परिसीमन जनता पार्टी के शासन काल में हुआ था और जनता पार्टी के लोग यह जानते थे कि गरीब लोग, हरिजन लोग और ऐसे लोग जो सताये गये हैं वे कांग्रेस के साथ हैं, इसलिए

परिसीमन करते समय इन टाउन एरिया से सटे हुये मोहल्लों को काट दिया सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल किया जिनकी मदद पाकर इनके लोग विजयी होंगे । आप के माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले दोनों टाउन एरियाज का जो परिसीमन हुआ था जनता शासन काल में उस पर पुनः विचार करें और नये सिरे से उस का परिसीमन हो ।

टाउन एरिया तो बन गई लेकिन वहां सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है गंदगी रहती है । एक बख्शी महोदय हैं व्यवस्था की जिम्मेदारी उन के ऊपर रहती है लेकिन कोई भी व्यवस्था करने में वह असमर्थ रहते हैं । आजकल बरसात के दिनों में टाउन एरिया में नर्क जैसा दृश्य उपस्थित रहता है । चारों तरफ पानी लगा रहता है । सड़कों की दुर्दशा ऐसी है कि जिसको क्या कहा जाय । बढ़नी की सारी सड़कें खुदी हुई हैं, वे बरसात में भर जाती हैं । सड़क पर चलना दूभर हो जाता है । आप के माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करती हूं कि उस टाउन एरिया में पड़ने वाली सड़कों के निर्माण की व्यवस्था शीघ्र करें ।

टाउन एरियाज में पेय जल की समस्या है । शोहरतगढ़ टाउन एरिया में ट्यूब वेल लगाये गये लेकिन आज तक वाटर सप्लाई की व्यवस्था नहीं की गई । ट्यूब वेल पास हो कर के बेकार पड़े हुये हैं । ऐसी ही शौचालयों की व्यवस्था न होने के कारण सड़कों के किनारे गंदगी का अंबार लगा रहता है । मान्यवर, टाउन एरियाज में शौचालयों की भी व्यवस्था होनी चाहिए ।

यह तो हमारे क्षेत्र के संबंध में मैंने बात कही वैसे उत्तर प्रदेश के हर नगरमहापालिका और नगरपालिका की तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान ले जाना चाहती हूं । जहां नगरमहापालिकायें हैं शहरों में आप देखें नाजायज कब्जा हर तरफ किया हुआ है । सबसे बड़ दुःख की बात तो यह है कि धर्म के नाम पर जगह जगह कब्जा किया जा रहा है । सड़कों के किनारे आप देख कहीं पर हनुमान जी का मंदिर बना है तो कहीं पर मजार बनी है, कहीं कुछ और है और इस प्रकार रोज बढ़ोत्तरी कर के लोग उस मूर्ति को किनारे कर देते है और बाकी जगह में छत लगा कर उस में अपने रहने की व्यवस्था करते हैं । हम सभी लोग सड़कों से गुजरते हैं उस तरफ ध्यान नहीं देते । मैं आशा करता हूं मंत्री महोदय उस तरफ ध्यान देंगे और इस की व्यवस्था करेंगे कि इस तरह के नाजायज कब्जे हटाये जा सकें ।

मान्यवर, सफाई के बारे में मुझे यह कहना है कि शहरों में जो गंदगी साफ की जाती है वह 10 बजे से 4 बजे के बीच में की जाती है जो नागवार लगता है । स्कूल जाते हुए बच्चों तथा आफिस जाते हुए लोगों को इससे असुविधा होती है इसलिये सफाई की व्यवस्था 10 बजे से पहले तथा 5 बजे के बाद होनी चाहिये । इतना कह कर मैं समाप्त करती हूं ।

*श्री कमला प्रसाद सिंह--

मान्यवर, मंत्री महोदय द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं । साथ ही अपने यहां की नगरपालिका जौनपुर जनपद के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि भीषण बाढ़ के कारण पूरा नगर डूबा हुआ

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमला प्रसाद सिंह--]

है । सड़कों पर पानी भरा हुआ है, बिना नाव के कोई व्यक्ति सड़कों पर चल नहीं सकता और जहां सड़कें खाली हैं वहां गड्ढे हो गये हैं । इतनी खराब स्थिति इन सड़कों की हो गयी है जिससे पानी के हटने के बाद कोई व्यक्ति इन पर पैदल नहीं चल सकेगा, मोटर गाड़ियों का चलना तो दूर रहा । हमारे यहां बिजली की व्यवस्था ठीक न रहने से पानी के दर्शन नहीं होते । पिछली सरकार के समय 1977 से मैं कहता आ रहा हूं अपनी परेशानी को, लेकिन हमारी बात को अनसुना कर दिया जाता था । लिहाजा आज मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां एक जनरेटर की व्यवस्था निश्चित रूप से कर दी जाय ताकि लोगों का पाना ठीक से मिल सके । पानी की वयवस्था वहां बहुत ही दयनीय है । वहाँ की सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था भी नही है । हमने सुना है कि नगरपालिका के लोग बल्ब लगाते हैं । यह भी सुना है कि विद्यूत विभाग के लोग बल्ब लगाते हैं बहरहाल देखा यह गया कि जले हुए बल्ब झोले में से निकाल कर दिन में लगा दिये जाते हैं जिससे रात में अन्धेरा रहता है । इसकी व्यवस्था होनी चाहिये चाहे बल्ब विद्युत् वाले लगायें अथवा नगरपालिक वाले ।

नगर पालिका में मिस्त्री की बत्तियां भी हैं । चुनाव के समय उनको ठीक करने के लिये कहा गया था । वह आज बहुत खराब हालत में हैं । पानी उनमें चूरहा है । इनको ओर ध्यान दिया जाय । नगरपालिका में कूड़ा उठाने के लिये गाड़ियां नहीं हैं, नालियां गंदगी से भरी रहती हैं । बदबू करती है इसकी व्यवस्था की जाय । इसके अलावा ठेले पर जो छोटे लोग सामान रोजी लगाकर रोटी कमाते हैं उनके लिये स्थान सुरक्षित किया जाय क्योंकि उनको परेशान किया जाता है ताकि वे अपनी रोजीरोटी का इन्तजाम भलीभांति कर सकें ।

श्री बदन सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वायत शासन मंत्री के बजट के ऊपर जो कटौती का प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं तो चाहता हूं कि इस अनुदान में एक रुपये से अधिक बिलकुल खर्च करने के लिये न दिया जाय क्योंकि यदि अधिक दिया जायेगा तो उसका वह भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दुरुपयोग किया जाएगा । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह है प्रसिद्ध ऐतिहासिक क्षेत्र-फतेहपुर सीकरी । मान्यवर, फतेहपुर सीकरी की आबादी सोलहवीं शताब्दी में 2 लाख के करीब थी और उस समय वहां के नागरिकों को सुख और सम्पन्नता के सम्पूर्ण साधन उपलब्ध थे । लेकिन इस 20 वीं शताब्दी में वहां के नागरिकों का सामान्य जन-जीवन ऐसा हो गया है कि आज कोई भी अवश्यकता की पूर्ति वहां पर नहीं हो रही है जो विदेशी पर्यटक वहां पर इस प्रसिद्ध नगरी में ऐतिहासिक भवनों को देखने के लिये जाते हैं उनको एक गिलास पानी के लिये 8-8 आने पैसे देने पड़ते हैं । वहां पर पीने के पानी की अत्यन्त कमी है । विशेष रूप से जो पहाड़ों पर बसी हुई बस्तियां हैं वहां पर तो नलों में पानी पहुंचता ही नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस वर्ष 30 अक्तूबर 1980 को यादगारे सुल्हकुल समारोह वहां पर मनाया जा रहा है और देश की प्रधान मंत्री वहाँ जा रही हैं और वहां पर पीने की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये मेरा सुझाव है कि वहां की पानी व्यवस्था को सुधारने के लिये वहां बोरिंग के लिये बिजली शीघ्र प्रदान की जाय । साथ ही फतेहपुर सीकरी में रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है, गन्दगी फैली हुई है । वहां पर अनेरा नगरपालिका ने 9·37 लाख रुपया सीवर लाइन पर खर्च किया और एक

तालाब बनाया गया था लेकिन उस योजना को अभी तक जल निगम वालों ने नगरपालिका को हस्तांतरित नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त अछमेरा नगर में कुछ ऐसी बस्तियां हैं जैसे ललुवा, बजेहरा, मोहल्ला सेखमन, मोहल्ला जाटवान, चन्दापट्टा इनमें रोशनी की तथा पानी निकास की बिलकुल भी व्यवस्था नहीं है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि आप कृपया वहां के लिये रोशनी तथा पानी निकास की व्यवस्था कर दें। साथ ही हमारे क्षेत्र में 176 गांव हैं जिनमें से 150 गांवों में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पेयजल योजना के अन्तर्गत कोई प्रबन्ध वहां के लिये नहीं किया गया है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर बोरिंग के लिये आप बिजली दे दें जिससे पीने के पानी की व्यवस्था हो सके। ये गांव हैं नगला बलेह, नगला सराव, भौपुर, औलैंडा, घिलौय, गौठरा नगलाधीरू आदि। जब तक आप वहां बोरिंग को डेवलप नहीं करेंगे व्यवस्था नहीं हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को देखते हुये पीने के पानी की व्यवस्था कर दें ताकि लोग लाभान्वित हो सकें।

श्री हरदेव––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके सहयोग से जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, उसके लिये आपको बधाई देता हूं साथ ही आपके माध्यम से मंत्री जी से अपने क्षेत्र रसड़ा के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर नगर में सफाई की ठीक व्यवस्था नहीं है सड़कों पर गन्दगी फैली रहती है पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, नगरपालिका के कर्मचारियों के लिये आवास की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं मंत्री जी का ध्यान उस तरफ दिलाकर निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दें। मान्यवर, रसड़ा क्षेत्र की 28 हजार से ज्यादा जनसंख्या है वहां शहर की गन्दगी में रहना नरक सा हो गया है। सड़कें पक्की नहीं हैं और न ही गन्दा पानी के निकास की नालियां पक्की की गई हैं। वहां का जनजीवन नरक से भी बदतर हो गया है। वहां के जिलाधिकारी का मैंने दौरा कराया, तो अधिकारी महोदय ने बताया कि मैं प्रशासक को वहां की रिपोर्ट दे चुका हूं, जिसमें करीब 25 लाख रुपये का खर्च होगा। वहां की मां-बहिनों हेतु शौच का शहर में कोई इंतजाम नहीं है। जलप्लावन की स्थिति में रसड़ा में इतना पानी भर जाता है कि उसके निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा वह वहां के लिए सड़कें, पक्की नालियां और ड्रेनेज की व्यवस्था करा दें, तो वह बड़ा अच्छा होगा। इस कठिनाइयों के कारण कोई आदमी शहर में जा नहीं सकता है। मैं यह भी चाहूंगा कि वहां पर सस्ते गल्ले की दुकानें बढ़ावें।

*श्री दयाल कृष्ण––

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कुछ मौलिक सुविधाओं का जिक्र किया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में हमसे सुझाव मांगे हैं, मैं आपके माध्यम से इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमको विचार यह करना है कि नगरपालिकाओं का रूप क्या हो। जो रूप है, एक तरफ तो हम इस मान्यता को लेकर चलना चाहते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दयाल कृष्ण--]

कि नगरपालिकाएं क्रेडिल आफ डेमोक्रेशी हैं, अर्थात् वह एक पलना है, जिसके अन्दर हमारे भावी संसद सदस्य या विधायक ट्रेनिंग लेते हैं और वे प्रजातन्त्र की परम्परा को सीखते हैं, और दूसरी तरफ जो नगरपालिकाओं का रूप पाते हैं वह बहुत विकृत है। उसके कोई कर्तव्य ही नहीं रह गये हैं, वहां कुछ काम नहीं होता है। 5-6 डिपार्टमेंट्स कुल रह गये हैं, बाकी सब इसमें से निकल गये हैं। हर तरह से नगरपालिकाएं आज अक्षित होती जा रही हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि चुनाव से पूर्व या बाद नगरपालिकाओं का स्वरूप क्या रखना है, इस पर पक्का निश्चय कर लिया जाए। यदि हम ऐसी संस्था चाहते हैं, जहां हमारे भावी संसद सदस्य और विधायक ट्रेनिंग पावें तो उसका वही रूप होना चाहिए। जो एक प्रजातान्त्रिक संस्था का होता है, उसी प्रकार का उसमें काम होना चाहिए।

नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में आजकल सबसे बड़ी कमी यह है कि अपने जिलाधीशों को ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया है, लेकिन वह यह काम स्वयं नहीं करते हैं और यह काम प्रभारी अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है और किस प्रकार का काम किया जा रहा है उसमें कोई सामंजस्य नहीं है और कोई काम भी नहीं हो रहा है। मैं ऐसे शहरी क्षेत्र से चुना गया हूं, जिसमें दो नगरपालिकाएं मथुरा और वृन्दावन की पड़ती हैं। जहां पर कृष्ण जन्मोत्सव जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर भी शहर में काफी गंदगी रही और पता यह लगा कि प्रभारी अधिकारी हेल्थ अफसर एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे, जबकि दोनों एक ही कमरे में एक पर्दे की ओट में बैठते थे। कोई व्यक्ति तो ऐसा हो जो दोनों को बैठाकर काम ले सके। इसलिए जब तक चुनाव न हो, इसको जनप्रतिनिधियों के हाथ में दिया जाए, ताकि उनके हृदय में अपने शहर के प्रति कुछ दर्द तो हो और वह जनता के प्रति उत्तरदायी रहें। आपने कहा लाइटिंग की व्यवस्था आपके पास है और उन पर बल्ब आदि विद्युत् विभाग वाले लगाते हैं। और उसके बाद वह लगता भी है या नहीं लगता है, एक अजीब असमंजस मालूम पड़ता है। मेरा सुझाव है कि आप इस सम्बन्ध में एक व्यापक विचार करें और तुरन्त इसमें प्रबन्ध करें। दूसरा एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं। हर नगरपालिका के पास छोटे-छोटे गरीब आदमियों की बस्तियां बन गयी हैं उनको फौरन रेगुलराइज किया जाय।

श्री अमर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े रहने पर)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग कृपया बैठें। आपको भी समय मिलेगा।

श्री अमर सिंह--

मान्यवर, सरकार ने जिन जिलों को ग्रामीण पेय जल योजना के अन्तर्गत लिया है उनमें सहारनपुर भी है। लेकिन इस योजना में सहारनपुर का जो क्षेत्र लिया गया है स्वायत्त शासन विभाग ने अपनी रिपोर्ट में उसे घाड़ न लिखकर भावड़ लिख दिया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब आप जिलों में सूचनाएं भेजेंगे तो भावड़ नाम से ही भेजेंगे। ऐसा करने से उस क्षेत्र को ढूढते फिरेंगे और कागज वापस आयेगा। इसलिए अपने कागज की दुरुस्ती करके

भाबड़ की जगह घाड़ कर लें। इस घाड़ क्षेत्र में जो यमुना से लेकर गंगा तक फैला हुआ है, यह तराई का इलाका है, इसमें पहाड़ों की तरह से ही पानी के कुएं होते हैं। यहां का वाटर लेविल डेढ़ सौ से दो सौ फीट नीचा है। बीच में चट्टानें या पत्थर आते हैं। अब तक इस योजना के अन्तर्गत छः ट्यूबवेल की बोरिंग हुई है जिसमें दो अब तक चालू हुए हैं। एक कासमपुर ग्राम समूह योजना है जिसमें 40 गांव हैं। लेकिन इस योजना के अन्तर्गत केवल अभी तक कासमपुर गांव ही मुसतफीद हो सका है।

एक सदस्य--

विषय नागरिक प्रशासन का है, ग्रामीण पेय जल योजना का नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, इस समय स्वायत्त शासन का बजट है, उस पर ही विचार व्यक्त करें।

श्री अमर सिंह--

ग्रामीण पेय जल योजना इसमें है। उसके सम्बन्ध में अर्ज कर रहा हूं। कासमपुर ग्राम समूह योजना में वहां पर जो पाइप डाले गये हैं उनमें जगह-जगह पर लीकेज है। उन गांवों तक पानी नहीं पहुंच पाता है। उसमें पाइप लगाते वक्त बड़ी लापरवाही की गयी है। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि कासमपुर गांव समूह योजना की खास तौर से जांच करायी जाय कि इसमें किस तरीके से काम कराया गया है।

दूसरा निवेदन यह है कि शाहजहांपुर और बरकला/रामपुर खोल में पानी पीने की योजना जो सोतों का पानी इकट्ठा करके चालू की गयी थी बहुत पुरानी योजना थी, उसे समाप्त करके वहां पर ट्यूबवेल बोर कराये जायं क्योंकि वहां का पानी डिफेक्टिव है जिसके पीने से गले फूल जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो चुका है।

*श्री राज कुमार राय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने स्वायत्त शासन बजट का समर्थन करने और प्रतिपक्ष के कटौती प्रस्ताव का विरोध करने का मौका दिया।

मान्यवर, इसके पहले कि मैं स्वायत्त शासन के इस बजट के बारे में कुछ निवेदन करूं मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मंशा इस स्वायत्त शासन को स्थापित करने की आरम्भ में रही होगी, उसका हनन हो रहा है। आज कल जो स्वायत्त शासन है और इस पूरे देश और प्रदेश का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज कुमार राय--]

प्रशासन है, उसमें कोई अन्तर नहीं मालूम पड़ता है । स्वायत्त शासन का आशय यह था कि शासन की अलग-अलग इकाइयों में बांट कर उनसे इनका शासन चलाया जाये, उनका सुधार किया जाय, जो उनको अपने तरीके से देखे लेकिन आज जब कि प्रदेश के अन्दर चुनाव नहीं हुए, प्रशासनिक अधिकारी ही स्वायत्त शासन की जगहों पर जमे बैठे हुए हैं और स्वायत्त शासन कहन का कोई अर्थ ही नहीं है । मैं यह मांग करता हूं कि सबसे पहले प्रदेश के नोटिफाइड एरियाज में टाउन एरियाज में, म्युनिसिपल बोर्ड्स में और कारपोरेशन्स में चुनाव कराये जायं नहीं तो जिस जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जायेगा । तो माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वे इसके लिए कोई समय निश्चित करें कि कब तक प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव सम्पन्न हो जायेंगे । यदि आदेश देने में कुछ देर होती है या कानून में, कोई दिक्कत मालूम होती है तो मैं निवेदन करूंगा कि तब तक के लिए इस सदन के माननीय सदस्यों की, चाहे इधर बैठने वाले हों, या उधर के, एक समिति बना दें जो उनको देखे । मैं यह नहीं कहता हूं कि नौकरशाही के लोग काम नहीं करते हैं लेकिन अगर आप जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों, दोनों को बैठा देंगे तो अवश्य ही जनता का कुछ न कुछ भला होगा और साथ ही साथ उन इकाइयों का भी भला होगा । मान्यवर, मैं जहां से आता हूं वहां पर कोई नोटिफाइड एरिया नहीं और उससे छोटी चीज ही क्या है ।

जहां तक पेय जल की योजना का सम्बन्ध है, मेरा निवेदन है कि आपने जो देहातों में पेय जल की योजना चलाई है, उसमें बड़ा ही घपला है । एक ओर तो आप जिला परिषदों का चुनाव नहीं कराते हैं और दूसरी तरफ अगर कोई आपके यहां पर पेय जल की योजना के लिए आवेदन करता है तो आपके जल निगम के अधिकारी इस बात को कहते हैं कि इसके साथ जिला परिषद् का प्रस्ताव नहीं है और आपके आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा । प्रदेश के अन्दर जिला परिषदें नहीं हैं । अगर संस्तुतियां मांगते हैं तो जिला मजिस्ट्रेट के यहां पर भेजते हैं । यदि वह किसी क्षेत्र के लिए अपनी संस्तुति नहीं करता है तो आप वहां पर पेय जल योजना का कार्यान्वयन नहीं करेंगे । इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि आप उसमें सुधार करें ।

अभी आपने एक लाख भवन के निर्माण की योजना बनायी है । मेरी प्रार्थना है कि उसके आवंटन में जो सबसे दलित और पीड़ित व्यक्ति हैं, गरीब तबके के लोग हैं, शहरों में मेहतर लोग हैं, उनको सबसे पहले दिलाये जायं ।

हमारे यहां आजमगढ़ में पिछले 15 सालों से एक सीवर योजना चल रही है और वह रुंगटी हुयी है, उसमें कोई काम नहीं हुआ है और उसकी वजह से वहां पर बहुत ही गन्दगी फैली हुयी है और बड़ा ही दूषित वातावरण बना हुआ है । मेरी प्रार्थना है कि इसको तुरन्त पूरा किया जाय ।

इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री इन्द्रजीत--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे प्रस्तुत बजट के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय मंत्री जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ने जो सदन में स्वायत्त शासन विभाग का बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक में बताया है कि प्रदेश में 657 नगर महापालिकायें, नगर पालिकायें, अधिसूचित क्षेत्र समितियां (नोटीफाइड एरिया) और नगर क्षेत्र समितियां (टाउन एरिया) चल रही हैं । इनपें रोशनी, सफाई, चिकित्सा तथा पेय जल व्यवस्था, जलोत्सारण और सड़कों के निर्माण करने की भी जिम्मेदारी उनकी है । इसमें यह भी कहा ह कि स्थानीय निकाय प्रजातंत्र की आधारशिला है । माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो हालात टाउन एरियाज या नोटीफाइड एरियाज, नगर पालिकाओं और महापालिकाओं में हैं, वे बड़े ही दर्दनाक हैं । क्योंकि न तो किसी नोटीफाइड एरिया में और न किसी टाउन एरिया में समुचित रोशनी की ही व्यवस्था हो पाती है और न सफाई आदि की ही समुचित व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त वहां पर जो माकट्स हैं वे भी अच्छे नहीं हैं । वह सभी जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं । पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है । इस संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि लोकल टैक्स को बढ़ाकर स्थानीय निकायों की आय को बढ़ाया जाये और आय बढ़ाकर विकास के कार्यों को पूरा किया जाय । आज नगर क्षेत्र की स्थिति बिगड़ती जा रही है । इन निकायों को कोई रोजगार खोलने की भी अनुमति होना चाहिये जिससे कि उनकी आय बढ़े ।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मैंने अपने यहां असोथर, धाता और खखरेहू क्षेत्र को टाऊन एरिया और नोटीफाइड एरिया बनाने के लिये लिखा था । यह शहरी क्षेत्र हैं, इसलिये मेरी इस मांग पर ध्यान देने की कृपा करें ।

इन स्थानीय निकायों में मेहतरों के स्थान पर तो मेहतर रखे जाते हैं क्योंकि दूसरे लोग आते नहीं, किन्तु अन्य लिपिक आदि पदों पर हरिजनों को उनके आरक्षण के हिसाब से नहीं रखा जाता । कहीं पर भी उनका प्रतिशत 1-2 से अधिक नहीं होगा । मेरी मांग है कि लिपिक वर्ग में भी 18 प्रतिशत का कोटा हरिजनों का पूरा किया जाये । अब ऐसी बात नहीं है कि इस जाति के लोग उपलब्ध नहीं है ।

फतेहपुर में पानी निकासी की उचित व्यवस्था की जाये । वहां उसके लिये सीवर लाइन बनायी जाये । इससे बीमारी की रोकथाम भी हो सकेगी ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

*श्री सरदार सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर उनकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सरदार सिंह--]

नीयत नगरमहापालिका, नगरपालिका तथा टाउन एरिया आदि की स्थिति सुधारने की है तो उनके चुनाव अविलम्ब करा दिये जायें। जब तक उनके चुनाव नहीं होंगे उनमें सुधार नहीं होने पायेगा।

मान्यवर, मैं मथुरा जिले से आता हूं जहां लाखों यात्री बाहर से आते हैं। मथुरा तथा वृन्दावन जैसे धार्मिक स्थानों में पीने के पानी तक की समुचित व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, शिक्षण संस्थाओ और मंदिरों के आस-पास तमाम गन्दगी फैली रहती है जिसके कारण नाना प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तमाम नाले और नालियां शिक्षण संस्थाओं के पास हैं और जिनकी कभी सफाई नहीं होती। उसके कारण हैजा फैलता है और तमाम आदमी हैजे के शिकार हर वर्ष हो जाया करते हैं।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में गोकुल, महावन, दाऊ जी, राया-4 आपकी टाउन एरिया पड़ती हैं। गोकुल, महावन, और दाऊ जी में प्रसिद्ध मंदिर हैं, भगवान कृष्ण से संबंध रखते हैं। लाखो यात्री प्रति वर्ष आते हैं। लेकिन यहां पर बिजली की, पानी की, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। घोर गंदगी रहती है और वहां पर पुलिस चौकियों की भी कोई व्यवस्था नहीं है। गोकुल में हमारे बहुत से यात्री प्रदेश के बाहर से आते हैं। उनको लूट लिया जाता है। बहुत से लोगों की तो हत्यायें कर दी जाती हैं। वहां के सफाई मजदूरों को वर्दी नहीं दी जाती है। बहुत सी टाउन एरिया ऐसी हैं जहां पर पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। तो मेरा निवेदन है कि स्थिति को शीघ्र सुधारा जाय और मथुरा जैसी प्रसिद्ध जगह जो कि टूरिस्ट स्थान है जहां पर कि देश-विदेश से लोग आते हैं, उस पर हमारे मंत्री जी ध्यान रखें। यही मेरा सुझाव है।

*श्री केदार सिंह--

मान्यवर, आपने जो मुझे समय दिया इसके लिए मैं आभारी हूं। मैं मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। घोसी, आजमगढ़ क्षेत्र से मैं आया हूं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में टाउन एरिया है, उसकी बड़ी दुर्दशा है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इसलिए कि नगरपालिकाओं और महापालिकाओं के प्रति सबका ध्यान है। सभी लोग चाहते हैं कि उनको सजा दिया जाय। मैं भी चाहता हूं कि उनको सजा दिया जाय। लेकिन प्रदेश के जो कोने-कोने में टाउन एरिया हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। वहां पर न तो कोई वाचनालय है, न क्रीड़ा स्थल है, उन गरीब टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। घोसी जो टाउन एरिया है, उसकी स्थिति यह है कि वहां पर सड़कों पर हर जगह कीचड़ भरा रहता है। वहां पर सड़कों की गंदगी पूरे टाउन के अन्दर भरी हुई हैं। कूड़ा का अम्बार है, नालियां गंदी हैं और गरीब लोग जो झोपड़ियों में रहते हैं, जो दिन रात अथक परिश्रम करके परेशान रहते हैं, मान्यवर, दवाई की जगह पर सफाई की सबसे ज्यादा वहां पर जरूरत है। वही जमाने की भैंसा गाड़ी ठठरी-ठटरी जिनकी हड्डी-पसली, टूटी हुई होती हैं जो कि दिन भर में 4 फर्लांग भी नहीं चल पाते है और सफाई मजदूर किस तरह उनके ऊपर डंडे बरसाते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं कि वहां पर औषधि के लिए, नालियों को बनाने के लिए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये ।

सफाई मजदूरों को जो हमारे माननीय सदस्य लोग चर्चा करते हैं, जो मजदूर नगरपालिकाओं में हैं उनके लिए तो आवास की व्यवस्था ह लेकिन टाउन एरिया में जो सफाई मजदूर हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है । प्रातःकाल अब लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, अमीर लोग अपने बच्चों के साथ टहलने जाते हैं, मन्दिर में लोग पूजा करने जाते हैं, उस वक्त हमारे सफाई मजदूर घरों-घरों और सड़कों पर सफाई करने जाते हैं । उनके लिए दवाई की व्यवस्था बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करना चाहिये । इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे आजमगढ़ जिले में टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया बहुत हैं, लेकिन कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, कोई मजदूरों की व्यवस्था नहीं है । इन सब बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करते हुए आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

*श्री भूधर नारायण मिश्र--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने जो माननीय स्वायत शासन मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं मैं कानपुर जैसे विशाल नगर से सम्बन्ध रखता हूं इसीलिए मैं आपका ध्यान भी उधर की ही ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कानपुर नगर की बढ़ती हुई आबादी और क्षेत्रफल को देखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि इस नगर के जो मुख्य-मुख्य मार्ग हैं, उन पर भारी मात्रा में अतिक्रमण होता जा रहा है, इस ओर शासन को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यहां देश और प्रदेश के अनेक व्यापारी गण व अन्य विदेशी लोग आया करते हैं, पर यहां स्टेशन से मिली हुई जो सड़क है, वह देखने में तो 160 मीटर चौड़ी है, लेकिन उस पर अतिक्रमण होते होते यह हालत हो गयी है कि चलना दूभर हो गया है । रिक्शा निकलता है तो गाड़ी नहीं निकल सकती और गाड़ी निकलती हैं तो ठेलिया नहीं निकल सकती ओर बराबर अतिक्रमण हो रहे हैं, अब भी । लेकिन नगर महा पालिका के अधिकारी-गण पैसा लेकर उसको जस्टीफीइड कर देते हैं । स्टेशन से लगी हुई एक कलेक्टरगंज मार्केट है वहां भी इतनी गंदगी और अतिक्रमण है कि आना-जाना मुश्किल है स्टेशन के पास ही दो मुहल्ले हैं तेलयाना और शुतरखाना है, जो मई के महीने में कमर तक पानी से 15 दिनों तक भरे रहे, जिसके कारण वहां 4 आदमियों की मौतें हो गयीं । इसलिए माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन है कि वे इसकी जांच कराएं कि वहां 15 दिन तक पानी किस हालत में और क्यों भरा रहा । इस सम्बन्ध में मेरी जानकारी जो है वह यह कि वहां सीवर बन्द रहने के कारण चोक हो गया, जिसके कारण पानी भरा रहा ।

कानपुर जैसे बड़े नगर में जब तक आप शहर से बाहर घोसी खानों को नहीं ले जायेंगे, तब तक वहां सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है । इन घोसी खानों को अगर शहर से बाहर कहीं अन्यत्र बसा दिया जायेगा तो यह जो गोबर रोज घुलकर सीवर लाइन को बन्द करता है, वह परेशानी तो कम से कम दूर होगी । तीसरे यह कि हमारे क्षेत्र में एक नाला है, जिसमें सफाई का कार्य काफी दिनों से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भूधर नारायण मिश्रा--]

नहीं हुआ है । तीन साल हो गये हैं, उसमें सफाई का कार्य बिल्कुल नहीं हुआ है । इससे वहां की जो आस पास की जमीन है, वह ऊसर हो जायेगी और वहां जमीन ऊसर हो जाने से जो लाखों रुपयों की आमदनी होती है, वह भी बन्द हो जायेगी और हमारे क्षेत्र की जो सड़कें हैं, वह बहुत ही टूट-फूट गई हैं, जिनकी मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता है । मैं समझता हूं कि मरम्मत तो केवल 1 लाख में काम चल जायेगा और यदि आप उसे पूरी तरह बनवायेंगे तो 4 लाख में बनेगा इसलिए अन्त में माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि हमारे नगर की सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण और सड़कों को टूट-फूट व घोसियों को शहर से बाहर बसाने की व्यवस्था पर ध्यान देने की कृपा करें और जिन चीजों के आपने वायदे किए थे, उनको पूरा करने की कृपा करें और हमारे क्षेत्र में एक इलाका है, जहां के निवासी बराबर गृह टैक्स और वाटर टैक्स देते चले आ रहे हैं, पर उन्हें 33 वर्ष हो गय देश के आजादी के पीने के पानी की सुविधा नहीं प्राप्त हो सकी है इन्हीं शब्दों के साथ अन्त में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री विजय सिंह राना--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी तक जितने भाषण हुए उनको सुनने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि इसके अन्दर केवल नगरपालिकायें आती हैं । इसलिए जिला परिषद् के बारे में एक भी बात नहीं कही गई । पर मैं ऐसा समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जितनी भी जिला परिषदें हैं उनकी आमदनी बहुत कम है और उनकी आमदनी बढ़ाने की दिशा में प्रयास किये जायं ताकि ग्रामीण विकास में अपना यथाशक्ति सहयोग कर सकें ।

(व्यवधान)

हमारे आगरा महापालिका के अन्तर्गत फतिहाबाद मार्ग की ओर एक सीवर लाइन निकाली गई है लेकिन आज वह प्रायः बन्द रहती है उसकी केवल पांच गूलों में तीन गूलें पानी देती हैं । उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है उसको ठीक प्रकार से नहीं चलाया जा रहा है । किसानों को लूट-लूट कर अपना घर भर लिया किन्तु उनको पानी नहीं दिया । मान्यवर, जितना पानी वहां आ सकता है या उपलब्ध हो सकता है उसका 3/4 पानी आज भी नालियों में होकर जमुना में चला जाता है । अगर महापालिका, आगरा द्वारा वह पानी सीवर लाइन में दिया जाये तो उससे काश्तकारों को फायदा होगा उनकी पैदावार बढ़ेगी । माननीय मंत्री जी इस बारे में व्यवस्था कर दें तो अच्छा होगा । एक बात और कहना चाहता हूं कि महापालिका आगरा के क्षेत्र के अन्तर्गत किराये के दरें बहुत बढ़ी हैं और इस पर भी वहां पर मकान उपलब्ध नहीं हैं । छोटे-छोटे कर्मचारी जो जाते हैं उनको वहां मकान नहीं मिलता है । मान्यवर, इसके लिए आपको आगरा को महापालिका की सीमा का विकास करना पड़ेगा । जितना विकास हुआ है वह दिल्ली को जाने वाली सड़क पर हुआ है । फतिहाबाद मार्ग की ओर आगरा की दो सड़कें जाती हैं इन पर बस्ती का विकास होना चाहिए । ताजमहल से एक सड़क जाती है, एक सड़क फाइव स्टार और बड़े-बड़े होटलों से होकर और दूसरी तोरा गांव की ओर । मान्यवर, आपके स्वर्गीय संजय गांधी का यह प्लान था कि इन दोनों सड़कों के बीच में चैनल डालकर इसको चौड़ा किया जाय और तोरा गांव तक बस्ती बसाई जाय । तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन दोनों सड़कों को चौड़ा किया जाय और इन पर नई बस्तियां आबाद की जायं ।

*श्री लाल प्रताप सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रतापगढ़ जनपद के कुछ समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रतापगढ़ जनपद म आवास विकास परिषद् की एक योजना थी वह बिल्कुल बन्द पड़ी है। उस पर ध्यान देने की जरूरत है और उसको रिवाइवे करने की आवश्यकता है। निर्बल वर्ग और मध्य वर्ग के बारे में आवास बिल्कुल नहीं है। टैक्टर फक्टरी चलने वाली है उसकी वजह से आवास की समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आवास की स्कीम को चालू किया जाय इस पर तुरन्त ध्यान देन की आवश्यकता है। दूसरी चीज मैं निवेदन करूंगा कि जो जमीन एक्वायर की गई है उस पर इस प्रकार से नाजायज कब्जा जारी है कि मैं तो समझता हूं कि उस इक्रोचमेंट को आप हटाने में परेशान हो जायेंगे। उस पर भी तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है।

तीसरा महत्वपूर्ण बात कहूंगा कि तुरन्त यह चालू होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि मन्त्री जी एंश्योरेंस दें कि सीवेज स्कीम बहुत जरूरी है। बाढ़ में सारे प्रतापगढ़ के तीन चौथाई मकानों में पानी घुस गया। गन्दगी की बात क्या कहूं। बीमारी की बड़ी दुर्दशा है। मुझे मालूम हुआ है कि एक करोड़ 17 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं लेकिन धन का आवंटन नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि नवम्बर, दिसम्बर तक यह काम हो जायेगा और ग्रान्ट मिल जायेगी। बाढ़ की वजह से सारी सड़कें कट गयी हैं। उनके लिए बजट प्रपोजल होना चाहिये, ग्रान्ट होनी चाहिए और सड़के बननी चाहिये। इसके अतिरिक्त एक बात और इस बार प्रतापगढ़ बाढ़ की चपेट में है और बड़ी गम्भीरता से है। वहां के अधिकारियों ने बड़ा काम किया है, मैं उनकी तारीफ करूंगा लेकिन जो वाटर लागिंग होती है उस तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए, वहन होन पाय। 5 फिट छोड़ कर नाली से मकान बनवाने चाहिए लेकिन सब मकान बनवा ले रहे हैं। इस इन्क्रोचमेन्ट को दूर करना चाहिए। अन्त में सीवेज स्कीम चालू करने की वहां जरूरत है।

(व्यवधान)

*श्री शिव नारायण सिंह नेगी---

मैं माननीय मन्त्री जी से मान्यवर, निवेदन करूंगा और उनका ध्यान इस ओर दिलाना आवश्यक समझता हूं कि राम नगर जैसे स्थान में शुद्ध जल में जो गन्दा नाला गिराया गया है उससे स्वास्थ्य पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ रहा है। हल्द्वानी जैसे नगर में आज भी जल संस्थान का कार्य संतोषजनक नहीं है। उसके लिये या तो बोरिंग द्वारा या पर्वतीय क्षत्र के स्रोतों द्वारा प्रबन्ध किया जाय जिससे वहां के नागरिकों का स्वास्थ्य अधिक से अधिक ठीक रहे।

(इस समय 4 बज कर 29 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

नगर पालिकाओं में अधिकतर देखा गया है कि गरीब तबके के जो लोग हैं जाड़ा, बरसात या धूप में उनके रहने के लिए, ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिव नारायण सिंह नेगी]

हैं । मैं आग्रह करूंगा कि उनके लिए रैन बसेरे का प्रबन्ध किया जाना जनहित में होगा । शासन द्वारा जो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 22% सब्सिडी के रूप में देना स्वीकृत किया गया है वह स्थाई न होने के कारण उनको प्राप्त नहीं हो सका है । इसका अधिकार शासन को है । मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि यह अधिकार जिलाधिकारी को दिया जाय जिससे उन को यथासमय स्थाई करके उनको सब्सिडी प्राप्त हो सके । स्थानीय निकायों में जो प्रभारी अधिकारी को नियुक्ति की गयी है जिन को अल्पकालीन अधिनियम 77 के तहत भिन्न-भिन्न जिलों में भिन्न-भिन्न प्रकार हैं उनमें एकरूपता लाने की कोशिश की जाय और इस बजट का हार्दिक समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । धन्यवाद ।

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अहमद--

मैं व्यवस्था चाहता हूं मान्यवर, आप तो अब आये, मैं करीब-करीब 20 बार ऊपर से नीचे खड़ा हो चुका हूं । बड़ा महत्वपूर्ण है, कुछ थोड़ा सा समय बढ़ा लें । समय समाप्त हो रहा है । बदकिस्मती से मेरा भी लगाव नगरपालिका से है । अगर मुझे बोलने का मौका दे दें, तो बड़ी मेहरबानी होगी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । सत्ता पक्ष से 21 आदमी और विपक्ष से 13 आदमी बोल चुके हैं । मैंने श्री हरिवंश सहाय को बुलाया है ।

(व्यवधान)

श्री हरिवंश सहाय--

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान स्वायत्त शासन विभाग की कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय व्ययक, 1980 के पेज 9 की तरफ दिलाना चाहता हूं । इसमें लिखा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के रिजर्वेशन के सम्बन्ध में । इसके अनुसार नगर महापालिका, कानपुर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का प्रतिशत 9 है । वाराणसी में 5.5 प्रतिशत, आगरा में 5 प्रतिशत, इलाहाबाद में 14.6 प्रतिशत, नगर महापालिका, लखनऊ में 22.38 प्रतिशत । लेकिन यह गलत लिखा हुआ है 4.2 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और जन जातियों का है । मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि ज० तक उनके आरक्षण का कोटा पूरा न हो जाये तब तक नगरपालिकाओं में दूसरे लोगों को नियुक्त न किया जाय ।

उपाध्यक्ष जी, पेय जल की योजना पूरे प्रदेश में चल रही है । गोरखपुर बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर ओर जौनपुर जिले में पेय जल की समस्या है। ये बाढ़ का इलाका है । प्रति वर्ष पानी बरसता है और इलाका डूब जाता है । पेय जल की समस्या वहां है । देवरिया में भाटपारानी, खनकटा में पानी का लेविल हाई हो गया है । सिंचाई विभाग ने कहा कि यहां पर टयूबवेल नहीं लग सकता । आप से निवेदन है कि अगर आप उसी इलाके में पेय जल योजना चालू करते हैं तो वाटर लेविल नीचा होगा और बाढ़ के इलाके के लोगों को पीने का

पानी मिल जायेगा । वाटर लेविल हाई होने के कारण वहां की धरती की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जायेगी तो आप से निवेदन है कि जो एक्सपर्ट हैं, उनसे जांच करा लें सिंचाई विभाग से, तो पता चल जायेगा भाटपार रानी के वाटर लेविल की क्या स्थिति है । इससे दो फायदे होंगे, एक तो वाटर लेविल नीचा हो जायगा और दूसरे पेय जल की योजना भी चालू हो जायेगी । तो निवेदन है कि इस तरह की पेय जल योजनायें चालू करायें ।

मान्यवर, हमारे इलाके, भाटपार रानी, में पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ कर डूब जाता है । वहां की सड़कें इसके कारण टूट गयी हैं । वहां पर पानी का निकास भी नहीं है । तो प्रार्थना है कि वहां पानी की निकासी की योजना चालू करायें और वाटर सप्लाई की योजना चालू करायें ।

दूसरी बात कहना है कि छोटे नगर जहां नगर पालिका द्वारा प्रबन्ध होता है, वहां सीवेज, ड्रेनेज और सड़कों की हालत बहुत खराब है । उनकी मरम्मत और सीवेज बनाने की व्यवस्था करायें । मान्यवर, उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण बोर्ड की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे देवरिया जिले में कैप्टनगंज में एक शुगर फैक्ट्री है । कैप्टनगंज की चीनी की मिल हर साल गन्दा पानी छोड़ती है । वह गन्दा पानी पच्चासों मील दूर तक चला जाता है जिसके कारण वहां की मछलियां मर जाती हैं । या जो लोग इन मछलियों को खाते हैं, सैकड़ों लोग उन को खा कर मरते हैं । इसलिए निवेदन है कि उसमें प्रतिबन्ध लगायें । दूसरे एक स्थान चौरा चोरी और सरदार नगर है । वहां 5 किलो मीटर तक खराब है । वहां हैंड पाइप और कुयें का पानी पीने से शराब और सीरा की बदबू आती है । तो निवेदन है कि उस इलाके में पीने के पानी के लिये पेय जल योजनायें चालू करायें ।

एक बात प्राधिकरण वाराणसी के बारे में कहना चाहता हूं । वहां पर बंशीधर कालोनी विद्यापीठ रोड पर है । वहां सड़कों के लिये ले–आउट भी फाइनल हो चुका है, लेकिन प्राधिकरण की गल्ती से ले–आउट फाइनल नहीं हो सका जिससे हजारों लोग सड़कों पर जा नहीं सकते । निवेदन है कि वहां पर सड़कों पर जाने की व्यवस्था करायें ।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हू कि भाटपाररानी टाउन एरिया के अन्तर्गत एक जमीन है जिसका खसरा नं0 80/81 है । उसमें सैकड़ों घर हैं लेकिन चकबन्दी विभाग ने उस पर चक बना दिया है । एक आदमी के नाम से सैकड़ों घरों का चक डाल दिया है । जांच करें तो खसरा नं0 80/81 जो जमीन है, उस पर घर हैं लेकिन सैकड़ों लोगों के घरों को एक चक में कर लिया है । इसी तरह से सोहनपुर भाटबपारानी में खसरा नं0 1, 2, 3, 4, 10, 11 और 12 ये बाजार हैं । इसमें बाजार लगता है । लेकिन इसमें दो आदमियों––एक व्यक्तिगत आदमी और टाउन एरिया के बीच में झगड़ा चल रहा है । उसको देखकर टाउन एरिया के पक्ष में कार्यवाही करने की कृपा करें ।

[श्री हरिवंश सहाय]

अन्त में एक बात कहना चाहता हूं कि स्थानीय निकाय की आर्थिक स्थिति खराब है । अधिकार बहुत कम है और सरकार का भी बराबर हस्तक्षेप रहता है । तो मैं चाहता हूं कि जैसे अन्य स्वयंसेवी संस्थायें हैं, जसे जल निगम या अन्य बोर्ड हैं, उन्हीं की तरह से इनको भी अधिकार मिले और सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो । अगर सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो जाता है तो जैसे केन्द्र का उत्तर प्रदेश सरकार पर अधिकार है, उसी तरह से निकायों पर उत्तर प्रदेश सरकार का उतना ही अनयंत्रण रहेगा और जो लम्बे चुनावों का गैप है, यह अपने आप समाप्त हो जयेगा । तो चुनाव समय से कराये जायं । मैं इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उस पर इस पक्ष के और उस पक्ष के दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करगे ।

श्री राम सिंह खन्ना—

उपाध्यक्ष महोदय, और माननीय साथियों, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आप लोगों ने काफी अनुभव और विवेक से अपने विचारों को सदन के सामने रखा। मैं आपके उद्गारों से बहुत कुछ सहमत हूं । मुझे पूरे तौर से अफसोस है कि इन स्वायत्तसेवी संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों के हाथों म न आने से जिस प्रकार को आपने आलोचना की, तीन महीने पहले जब हमारे हाथ में शासन आया और हम आपकी भावनाओं का आदर कर पाये लेकिन परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया । अब मैं ऐसा सोचता हूं कि इसके लिए किसी प्रकार गैर सरकारी लोगों को इससे सम्बद्ध किया जाय । मैं गैर सरकारी सलाहकार समितियां बनाने को सोच रहा हूं और मैं यह समझता हूं कि यह काम खराब होगा बनिस्बत जो हम अच्छे से अच्छा काम चुनाव करा पाते । इसलिए जब तक चुनाव नहीं कराते हैं तब तक सलाहकार समितियां बना दें ।

मान्यवर, जो आपने भ्रष्टाचार की बात बतायी, मुझे प्रसन्नता होती यदि आप उसके समाधान के लिए कुछ सुझाव रखते जिस पर मैं विचार क ता । लेकिन आपने समस्यायें मेरे सामने रखीं जिन समस्याओं के लिये मैं खुद समाधान खोजने के लिए आपकी शरण में आया था । जहां तक मेरा स्वयं का सवाल है, जहां तक मेरा विवेक है, जितनी शासन में शक्ति है, मैं आपके उद्गारों को ध्यान में रखते हुये आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुये पूरी कोशिश इस बात की की जायगी कि आपके दिल पर यह अहसास हो कि हमारे उद्गार बिल्कुल बेकार नहीं गये । बहुत कठिन समस्यायें हैं, बहुत व्यापक समस्यायें हैं, मैं इस बात में कोई ज्यादा विश्वास नहीं करता कि मैं वह कहूं कि पिछले तीन वर्षों में यह हुआ । हमको जो मिला है, हमारा उत्तरदायित्व है कि उस सम्बन्ध में आपका जो तकाजा है हम उस उत्तरदायित्व को निभायें । जो हालत पैदा हुई थी उसको जनता ने सही समझा और इंदिरा जी का शासन यहां आया, हमको जो चीजें मिली हैं, जिन भावनाओं, जिन आकाक्षाओं को हमें पूरा करना है, हम उनको पूरा करेंगे । इसीलिए आज अन्तर्राष्ट्रीय जल सम्पूर्ति एवं स्वच्छता दशाब्दी के रूप (1980–90), 10 सालों को मना रहे हैं । इस अवधि को अन्तर्राष्ट्रीय जल सम्पूर्ति एवं स्वच्छता दशाब्दी के रूप में मनाने का निश्चय किया है । इसमें नागर क्षेत्रों में शत प्रतिशत जनसंख्या का स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जायगा, प्रथम श्रेणी के सभी नगरों में सीवेज सुविधा तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट व्यवस्था उपलब्ध करायी जायगी । अन्य नगरों की 80 प्रतिशत जनसंख्या को सीवेज सुविधा या स्वच्छ शौचालय सुविधा उपलब्ध करायी जायगी । ग्रामीण क्षेत्रों में शत प्रतिशत जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जायगी ।

और 25 प्रतिशत जनसंख्या को स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जायगी। इसके लिए 10 सालों के अन्दर 2 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत से साथियों ने संकेत किया कि अब भी सिर पर मैल ढोया जाता है, तो मैं घोषणा करता हूं कि कोई भी उत्तर प्रदेश में ऐसा काम करने के लिये मजबूर करेगा उसको सजा दी जायेगी। हम ऐसे संसाधन जुटायेंगे जिससे कि यह समस्या दूर हो जायेगी।

मान्यवर, हमारे साथियों ने यह भी कहा कि बहुत सी जगहों पर रिहायशी लोग अनधिकृत कब्जे किये हुये हैं और उनको शासन हटाने में अक्षम है। इस लिये मैं चाहता हूं कि ऐसे मामलों के बारे में लोग सरकार को बतायें तो हम उसको देखेंगे। साथ ही साथ मान्यवर, इस बात की भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि, जहां तक सम्भव हो, गरीब बस्तियों को उजाड़कर जो नये मकान विकास प्राधिकरण और अन्य संस्थाओं द्वारा, बनवाये जायेंगे, उनको हम देखेंगे कि उनको न उजाड़ा जाय और यदि उजाड़ा जाय तो उसको हमारे नोटिस में लायें, हक उसको देखेंगे क्योंकि उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। हम उनको बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं। साथ ही साथ हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि जहां कहीं भी यदि गरीब आदमी के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसको हमें बतायें, हम उसके साथ इंसाफ करेंगे।

मान्यवर, जहां तक पेयजल की व्यवस्था का ताल्लुक है। हमने अन्तर्राष्ट्रीय जगत से मदद लिया है और विश्व बैंक द्वारा पोषित योजना के अन्तर्गत 60 करोड़ रुपये की लागत से 5 महानगरों और तीन––गढ़वाल, कुमायूं और बुन्देलखंड, मंडलों में हमारे कार्यक्रम पेयजल योजना के सम्बन्ध में चलाये जा रहे हैं। आज इस योजना का आकार 60 करोड़ से बढ़ाकर 84 करोड़ रुपये हो गया है। इस योजना के अन्तर्गत आने वाले जिलों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। मान्यवर, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 24 करोड़ रुपये की ग्रामीण पेयजल योजना प्रारम्भ की गई है जिसमें प्रथम चरण में 15 करोड़ रुपये में इलाहाबाद, रायबरेली और वाराणसी जनपदों को लाभान्वित किया जायेगा और 9 करोड़ रुपये द्वितीय चरण में दूसरे जिलों को लाभान्वित किया जायेगा।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं और माननीय सदस्यों से विश्वास रखता हूं कि वह हमारे इन प्रस्तावों का समर्थन करेंगे और साथ ही साथ कटौती के प्रस्ताव को माननीय सदस्य वापस ले लेंगे।

मान्यवर, मैं एक बात और माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि बरेली, मेरठ और गोरखपुर को महापालिका बनाने के लिये शासन के विचाराधीन है। दो चार दिनों में इसका फैसला हो जायेगा और फैसले के बाद घोषणा कर दी जायेगी।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र––

मैं एक स्पष्टीकरण मंत्री जी से चाहता हूं कि नगरपालिकाओं और छोटे बड़े शहरों में आजकल छुट्टे जानवर छोड़ने का बड़ा प्रकोप है जैसे मुरादाबाद में

[श्री बृज किशोर मिश्र]

सुअर मस्जिद में घुस गया और दंगा हो गया, तो इस पर क्या मंत्री जी कुछ सोचेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह स्पष्टीकरण नहीं है ।

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैंने चाहा था कि अधिकतम सीमा आरोपण में जो जमीन कलेक्टर द्वारा हासिल की गयी है उसमें कुछ माननीय सदस्य सुझाव दें कि किन किन इस्तेमाल में वह जमीन लाई जायेगी लेकिन कोई सुझाव इस बारे में नहीं आया इसलिए मैं अपनी ओर से घोषणा करता हूं कि इस जमीन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल गरीब आदमियों और हरिजनों की बस्तियां बनवाने में किया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9—स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अधीन मांगों की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9— स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखा अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,54,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42—आवास एवं नगर भूमि विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42—आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,48,88,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78—स्वायत्त शासन विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78-स्वायत्त शासन विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 110-स्वायत्त शासन विभाग-ऋण और अग्रिम के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 110-स्वायत्त शासन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,85,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 111, आवास विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 111-आवास विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,98,77,000 रुपय से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

4 बजकर 57 मिनट--कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य मंत्रणा समिति में आज दिनांक 23-9-80 की बैठक में पूर्व स्वीकृत कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन हुआ है । उसके सम्बन्ध में मुझे सदन को सूचना देनी है जो निम्न प्रकार है :

1--उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार

[श्री उपाध्यक्ष--]

एवं उसके पारण हेतु प्रस्ताव, जो 26 सितम्बर, 1980 को लिये जाने वाले थे अब 24 सितम्बर, 1980 को सायंकाल 5 बजे से एक घंटे लिये जायें ।

2--दिनांक 26 सितम्बर, 1980 को इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1980 के पारण के प्रस्ताव के निस्तीर्ण होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसके पारण के प्रस्ताव एक घंटे लिये जायं ।

3--(क) पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित मांग 6 अक्तूबर, 1980 के स्थान पर 30 सितम्बर, 1980 को,

(ख) श्रम विभाग से सम्बन्धित मांगें 7 अक्तूबर, 1980 को आधा दिन, के स्थान पर 1 अक्तूबर, 1980 को आधा दिन

(ग) खाद्य विभाग से सम्बन्धित मांगें 7 अक्तूबर, 1980 को आधा दिन के स्थान पर 1 अक्तूबर 1980 को आधा दिन

(घ) सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग से सम्बन्धित मांगें 30 सितम्बर, 1980 व 1 अक्तूबर, 1980 के स्थान पर 6 7 अक्तूबर, 1980 को ली जायं ।

शेष कार्यक्रम पूर्ववत् रहेगा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिनकी सूचना श्री उपाध्यक्ष ने आज सदन को दी है, सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिनकी सूचना श्री उपाध्यक्ष ने आज सदन को दी है, सहमति है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकम सिंह--

मेरा इस सम्बन्ध में एक निवेदन है कि आज जो बैठक कार्य मंत्रणा समिति की हुई, हमें खेद है कि हमारे सदस्यों को उसकी कोई सूचना नहीं दी गयी । कम से कम सूचना दे दी जाती तो हम उपस्थित हो सकते ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य को याद होगा कि मैंने उनको उलाहना दिया था कि मैंने उनको बुलवाया था फिर भी आप उपस्थित नहीं हुए ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 7 सूचनायें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से माननीय मिश्रसेन की सूचना जो मेरठ में जहरीली शराब पीने से 20 व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में है, को स्वीकार किया गया है। शेष सूचनायें अस्वीकृत हुई।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, कल नियम 51 के अन्तर्गत मैंने इन 20 लोगों के मरने की सूचना दी थी और आपने उसे अस्वीकार कर दिया था...

श्री उपाध्यक्ष--

यह पहले ही स्वीकार हो चुकी थी।

जनपद आजमगढ़ की तहसील मोहम्मदाबाद में बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

राज्य गन्ना विकास मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)--

तहसील मोहम्मदाबाद जनपद आजमगढ़ का कुल क्षेत्रफल 92751 हेक्टेयर है और इस समय इसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 6,00,000 है। कुल कृषि क्षेत्रफल 71,836 हेक्टेयर है। जिसमें रबी का क्षेत्रफल 47,740 हेक्टेयर और खरीफ का क्षेत्रफल 54,748 हेक्टेयर एवं दोफसली क्षेत्रफल 32,686 हेक्टेयर है। तहसील के कुल ग्रामों की संख्या 980 है।

तहसील की मुख्य-मुख्य नदियां टौंस, मगई एवं भैंसही हैं जिसमें सामयिक बाढ़ आती है। इस वर्ष टौंस नदी के जल स्तर में दिनांक 1-9-80 को 235 फिट अर्थात् निम्न जल स्तर तक वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप 74 ग्राम प्रभावित हो गये। ज्यों-ज्यों टौंस नदी का जलस्तर बढ़ता गया वैसे-वैसे प्रभावित गांवों की संख्या में भी वृद्धि होती गयी और अन्ततोगत्वा ये संख्या 162 तक पहुंची गयी। इसके अतिरिक्त मगई से 29 गांव और भैंसही से 92 गांव प्रभावित हुए। इस प्रकार बाढ़ से प्रभावित होने वाले कुल ग्रामों की संख्या 283 हो गयी। 8,130 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ जिसमें क्षतिग्रस्त फसलों का क्षेत्रफल 5,840 है और प्रभावित जनसंख्या 94,700 है। फसलों की क्षति का अनुमानित मूल्यांकन 12·56 लाख रुपये है। क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या 1261 है जिसका अनुमानित मूल्यांकन 2·52 लाख है। क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या में और भी वृद्धि हो सकती है। इसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

बचाव एवं राहत कार्य की कार्यवाही बाढ़ के प्रारम्भ होने के साथ ही शुरू कर दी गयी। बचाव कार्य में 88 नावें लगायी गयीं जिनसे 1060 व्यक्तियों एवं 1665 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

तहसील के कुल 10,997 प्रभावित परिवारों में जरूरतमंद व्यक्तियों को दिनांक 18-9-80 तक 369 कुंतल गेहूं और आटा, 150 कुंतल चावल, 45 कुंतल नमक, 5,771 लीटर मिट्टी का तेल एवं 10,584 दियासलाई का

[भानु प्रताप सिंह---]

निःशुल्क वितरण किया जा चुका है । 250 कुन्तल गेहूं का वितरण प्रगति पर है । इस बात का पूरा-पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी बाढ़ पीड़ित भुखमरी का शिकार न होने पाये । गृह निर्माण अनुदान वितरण की भी कार्यवाही की जा रही है ।

समाज सेवी संस्थाओं द्वारा भी 5 कुन्तल आटा, एक कुन्तल नमक, 3,098 दियासलाई और 100 डबल रोटियां भी वितरित की गयी हैं ।

बाढ़ पीड़ितों में संक्रामक रोग फैलने से रोकने की कार्यवाही चिकित्सा विभाग द्वारा की जा रही है । अब तक 346 कुओं में दवाएं डाली गयी हैं और 1680 व्यक्तियों को हैजे का टीका लगाया गया । इस प्रकार 505 पशुओं का उपचार किया गया और 1000 पशुओं को टीके लगाये गये हैं । मनुष्यों एवं पशुओं में किसी प्रकार के संक्रामक रोग के फैलने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

टौंस नदी की बाढ़ से प्रभावित होने वाले 2 बड़े नगर मुबारकपुर एवं मऊ हैं । मुबारकपुर टौंस नदी से काफी दूर है परन्तु इस वर्ष का उच्चतम जलस्तर 246·35 तक पहुंच जाने के कारण बाढ़ का पानी शहर के कुछ भाग में आ गया जिससे इस नगर के उत्तरी और दक्षिणी भाग के बीच में पानी भर गया । उत्तरी भाग की आबादी भी पानी से घिरी हुई है । मुबारकपुर बुनकरों का क्षेत्र है और जलप्लावन से कुछ करघों को भी नुकसान पहुंचा है । प्रभावित व्यक्तियों में राहत सामग्री वितरित की जा रही है । नगर में नगरपालिका मुबारकपुर की तरफ से बीमारी की रोक थाम के लिये आवश्यक छिड़काव किया गया है और आवश्यकतानुसार हैजे के टीके लगाये जा रहे हैं । नगर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था की गयी है ।

मऊ नगर में सुरक्षा बांध के कारण बाढ़ का पानी शहर में नहीं आया । करीब-करीब 2 फर्लांग की लम्बाई में जहां बांध कमजोर था, जलस्तर के बाढ़ाव को देखते हुए उसकी मरम्मत की गयी । अब स्थिति काफी अच्छी है और शहर सुरक्षित है । निचले स्थलों में जहां पानी जमा हुआ है वहां पर बीमारियों की रोकथाम के लिये टीके का प्रबन्ध किया गया है और छिड़काव का प्रबन्ध किया जा रहा है । बाढ़ का पानी अब कम होना प्रारम्भ हो गया है । मुख्य चिकित्साधिकारी एवं पशुधन अधिकारी को सचेत कर दिया गया है कि जैसे-जैसे बाढ़ का पानी कम होता जाय मनुष्यों एवं पशुओं के उपचार की व्यवस्था चुस्त कर दी जाय ।

बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में छात्रों की फीस माफी के लिये आदेश दे दिये गये हैं तथा सभी कृषि देयों की वसूली रोक दी गयी है ।

पशुओं के चारे के लिये जिला पशुधन अधिकारी को भूसे का स्टाक करने के लिये आदेश दिया गया है और उन्होंने इसकी व्यवस्था भी कर ली है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

मन्त्री जी ने बताया कि 45 क्वींटल नमक और 359 क्वींटल गेहूं दिया गया, तो मंत्री जी का रेशियो एक-पांच का पड़ता है, तो क्या 10 बोरा पर एक बोरा नमक ही वह खिलाते रहे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मेरे पास तो जो सूचना है वह पढ़कर सुनाई ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, यह कार्य मंत्रणा समिति बहुत परिवर्तन करती है, जिससे हमें दिक्कत तो होती है, फिर भी मैंने आपका हुक्म शिरोधार्य किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह क्या ? आप इस पर प्रश्न करें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

यह तो खत्म हो गया है, मैं अगली बात पर कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी खत्म नहीं है, आप बैठें ।

श्री खैरुल बशर--

फसलों की क्षति के बारे में जो अनुमान 12 लाख 56 हजार का लगाया गया है, उस सन्दर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र मोहम्मदाबाद तहसील में पड़ता है, वहां 20 लाख से ऊपर की क्षति हुई है, तो क्या मन्त्री जी इसकी, मेरे कथन को सही मानकर, दुबारा जांच करायेंगे कि यह क्षति बहुत कम बताई गई है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मेरी जो सूचना है, उसके अनुसार मैंने सदन को बताया । अब जैसा वह बता रहे हैं, मैं उसको दिखवा लूंगा ।

श्री खैरुल बशर--

इतने बड़े क्षेत्र में बाढ़ का पानी फैला है, 1680 हैंजे के टीके लगाये गये हैं, तो इसका मतलब यह है कि हैंजे के टीके और पशुओं के टीके लगाने का प्रबन्ध ठीक नहीं है और मैं अपनी जानकारी के आधार पर बताना चाहता हूं कि हैंजे की दवाओं का अभाव है, मिल नहीं रही है, इसके लिए वायरलेस किये गये हैं, तो क्या मंत्री जी तुरन्त इनको कोई व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

इसकी व्यवस्था की जाएगी और समुचित आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

गरीब आदमियों के लिए गेहूं चावल आदि का इंतजाम सरकार कर रही है, लेकिन यह गरीब आदमी भेड़, बकरी और गाय आदि भी रखते हैं तो मैं

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--]

जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उनको खिलाने के लिए चारे और भूसे आदि को निःशुल्क व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष--

मालूम पड़ता है आपने वक्तव्य का आखिरी पैरा नहीं पढ़ा है । इसमें उन्होंने कहा है—'पशुओं के चारे के लिये जिला पशुधन अधिकारी को भूसे का स्टाक करने के लिये अदेश दे दिया गया है और उन्होंने इसकी व्यवस्था भी कर ली है ।'

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

वह व्यवस्था निःशुल्क करायेंगे या दाम दे कर भूसा खरीदवायेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

अभी तक ऐसा होता रहा है हमेशा दाम दे कर व्यवस्था कराते हैं । आगे जो भी सुझाव आयेगा उस पर विचार करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मन्त्री जी की इस जानकारी पर कि शहरी क्षेत्र में करघे और सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुई है, अभी तक जो व्यवस्था है केवल गांवों में अनुदान देते हैं, तकावी देते हैं, शहरी क्षेत्र में जो क्षति हुई है, उसके लिए आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में अथवा तकावी की तरह से, सस्ते दर पर ऋण दे कर करेंगे ? और साथ ही उसी तरह से अन्य शहरी क्षेत्रों में सब जगह के लिए निर्देश जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जो नियम हैं उसी के अन्तर्गत उस पर विचार करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो नियम हैं उसी पर मैंने बात कही है । अब तक नियम है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए तकावी मिलती है । मेरा सवाल यह है कि शहरी क्षेत्र में जो करघे या सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन लोगों को भी आर्थिक सहायता देंगे या सस्ते दर पर ऋण देंगे और उसी प्रकार सम्पूर्ण नगरों के लिए व्यवस्था करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने उत्तर दिया कि जो नियम हैं उसका पालन करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह नियमों में संशोधन की बात कही है । यह कह दें कि जो हमने शहरी क्षेत्र के लिए बात कही है उसको स्वीकार नहीं करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका यह प्रश्न इस वक्तव्य से ताल्लुक नहीं रखता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

ताल्लुक है। मेरा प्रश्न है कि शहरी क्षेत्रों में जो करघे और सम्पत्ति की क्षति हुई है, शहरी क्षेत्रों में भी उदारता करेंगे और उसी तरह के आदेश प्रदेश के सम्पूर्ण नगरों में व्यवस्था करने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

आपने जो सुझाव दिया है उसको देखेंगे, क्या हम कर सकते हैं।

श्री किरनपाल सिंह--

जैसा कि वर्मा जी ने कहा, तीन बोरे गेहूं और एक बोरा नमक के हिसाब से बाढ़ पीड़ितों को दिया गया। इससे मिलता जुलता, लगभग 285 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए, लेकिन सिर्फ एक हजार पशुओं को टीके लगाये गये। इसका मतलब यह है कि एक गांव में साढ़े तीन पशुओं को टीके लगाये गये संक्रामक रोगों से बचाने के लिए। यह जो वक्तव्य है, यह किसी निकम्मे अधिकारी ने बना कर दिया है। माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह सदन को आश्वासन देंगे कि वहां पर बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र में खुद जा कर हीरा करेंगे और असली तथ्यों को इकट्ठा करके इस सदन में सही वक्तव्य देंगे ? यह वक्तव्य बिल्कुल बेकार है।

(श्री किरनपाल सिंह ने वक्तव्य की कापी फाड़ दिया।)

श्री उपाध्यक्ष--

आप का इस तरह से कागज फाड़ना बिल्कुल अनुचित है। आप अपनी बात कह सकते हैं लेकिन यह आपका कार्य अनुचित है। यह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है।

श्री राम गोविन्द--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि मऊ शहर में जो बीच में पानी भर गया है और मकान गिर गये हैं क्या उसकी जांच कराएंगे और मुआवजा देने का कष्ट करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

इसमें पहले ही जो उत्तर है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जल प्लावन से कुछ मकान गिर गये हैं। माननीय सदस्य कहते हैं कि शहर में जो पानी बीच में भर गया है उससे कुछ मकान गिर गये हैं, उसकी जांच कराएंगे। मैंने निवेदन कर दिया है कि कुछ मकान गिर गये हैं।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वह कहते हैं कि 283 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, क्या उन गांवों के लड़कों की फीस माफ करने के लिए कोई आदेश दिया गया है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

माननीय, वक्तव्य की जो अंतिम लाइन है उसके पहले अगर माननीय सदस्य देखें तो पायेंगे कि उसमें यह दिया हुआ है कि "बाढ़ क्षेत्रों में छात्रों की फीस माफी के लिए आदेश दे दिए गये हैं तथा सभी कृषि देयों की वसूली रोक दी गयी है ।

उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण अध्यादेश, 1980 के अननुमोदन के संकल्प तथा उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक, 1980 पर होने वाले विचार के स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय, इससे पहले कि उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक, 1980 पर चर्चा की जाय, जो कुछ वर्तमान स्थितियां हैं, उनको देखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको स्थगित किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, मेरा विरोध तो सुन लें ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

माननीय, कार्य मंत्रणा समिति में तय हुआ था कि 23 के बजाय 24 को रखा जाय (घोर व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के अपने-अपने स्थान पर खड़े होने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष--

सभी माननीय सदस्य अपना-अपना आसन ग्रहण करें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, माननीय मंत्री जी ने बिना कोई कारण बताये यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत कर दिया कि इस पर चर्चा स्थगित कर दी जाय । माननीय, मुझे इस पर आपत्ति है । आज समाचार पत्रों से और मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार ने भी मीसा की तरह का एक अध्यादेश पारित कर दिया है जिसमें एक बहुत ही गम्भीर बात की हुई है । माननीय, जनता ने हमें प्रतिपक्ष की भूमिका को अदा करने के लिए सदन में भेजा है और हम जनता की हर समस्या को हम अनदेखी नहीं करना चाहते हैं । जो अध्यादेश जारी किया गया है उसमें लिखा है कि "राजनीतिक दलों की विभिन्न प्रश्नों पर आन्दोलन करने की बढ़ती प्रवृत्ति, पृथकतावादी गतिविधियां क्षेत्रीय आन्दोलनों को देखते हुए सरकार को उक्त कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ा है ।" माननीय, यह राजनीतिक दलों के पवित्र अधिकार को समाप्त करने के लिए यह लाया गया है ।

आज जो प्रस्ताव सदन में पेश किया गया है उससे एक अनिश्चितता पैदा हो गयी है । मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की अनिश्चितता का वातावरण प्रदेश में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं रहना चाहिए। मान्यवर, मेरी आरम्भ में ही आपत्ति थी कि इस तरह का अध्यादेश या विधेयक जो हमारे सामने है, वह संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करता है और स्पष्ट करता है कि बिना विधान मंडल को विश्वास में लिए इसे पारित करना चाहते थे। मान्यवर, प्रस्तुत विधेयक पर मेरा अननुमोदन का प्रस्ताव है, उसका वापस लेने का मुझको ही अधिकार है, सरकार को नहीं। इसलिए स्पष्ट रूप से मैंने कहा कि या तो सरकार इस अनिश्चितता के वातावरण को समाप्त करे अन्यथा मैं इस अपने अननुमोदन के प्रस्ताव को वापस लेने के लिए हरगिज तैयार नहीं हूं।

श्री भीखालाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक, 1980 पर चर्चा स्थगित किए जाने के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के कारण इस विधेयक पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है लेकिन उन परिस्थितियों का उल्लेख माननीय मंत्री जी ने नहीं किया है। वे ये हैं कि केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार का अध्यादेश, जो इससे भी खराब है, जारी कर दिया है और ऐसी स्थिति में यह अधिनियम रिडन्डेन्ट हो गया है और इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। यदि माननीय मंत्री जी इसको वापस लेने का प्रस्ताव करते तो हम सहमत हो सकते थे लेकिन इसको स्थगित करने के मायने तो यह हैं कि वे इसको फिर से किसी न किसी रूप में लाना चाहते हैं। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरी आपत्ति यह है कि केन्द्र का जो अध्यादेश आया है....

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

इस पर वोटिंग करा लीजिए।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

(व्यवधान)

हमारे पास मान्यवर तर्क बल है, इनके (कांग्रेस) पास ताकत का बल है....(व्यवधान) ताकत का बल पशु बल होता है, तर्क बल में मनोबल होता है। (व्यवधान) अगर सरकार यह प्रस्ताव लाती कि हम इस विधेयक को वापस ले रहे हैं तो इस पर सोचा जा सकता था। केन्द्र का जो अध्यादेश आज निकला है उसमें 12 महीने तक निरुद्ध रखने का प्रस्ताव है, किन्तु उसमें अदालत में जाने का अधिकार रखा है, यहां वाले में अदालत में नहीं जा सकते।

श्री उपाध्यक्ष—

केन्द्र वाला विधेयक हमारे सामने है कहां ?

श्री राम स्वरूप वर्मा—

हमें उसकी जानकारी है, वह अध्यादेश आज ही जारी हुआ है, गजट हुआ है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। (व्यवधान) इस सदन का इतना कीमती

[श्री राम स्वरूप वर्मा--]

बक्त इसमें लगाया गया है। कार्य मंत्रणा समिति के प्रस्ताव के बारे में मैंने यह बात कही थी कि 6 घंटा बठने के बाद माननीय सदस्यों का दिमाग इस योग्य नहीं रह जाता कि विधेयकों पर विचार कर सकें। इसलिये मैंने सुझाव दिया था कि बीच में एक दो दिन अनुदानों पर विचार स्थगित करके इसको ले लिया जाये। या अब बजट पास हो जाये तब इसे ले लिया जाये। अब आज इस विधेयक को स्थगित करन का मतलब है कि अब तक जो हमने विचार किया वह समय सदन का नष्ट गया। अगर सरकार इसे पास कराना चाहती है तो इसे चलने दीजिये, यदि सरकार नहीं चाहती तो वह इसे वापस ले सकती है। (व्यवधान) हम लोग तैयारी करके आज आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

सरकार अगर इसे स्थगित करती है तो करे जब सरकार उसे पेश करे तब आप बोल सकते हैं, आपकी तैयारी बेकार नहीं जायेगी।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मुख्य मंत्री जी एक हफ्ता दिल्ली में रहे, आज संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह प्रस्ताव रख दिया इसे स्थगित करने का। आखिर इसके कुछ रीजन्स रहे होंगे, अगर हैं तो बतायें कि वे क्या परिस्थितियां हैं जिनके कारण इसे स्थगित करा रहे हैं। वैसे कोई बात किसी से छिपी नहीं है, रेडियो द्वारा और अखबारों द्वारा उसका प्रचार हो चुका है कि इस तरह का आर्डिनेन्स सेन्टर ने निकाला है। यह विधेयक कुछ दिन पहले आया था और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जो दिल्ली चले गये। अगर कोई ऐसी बात थी तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री उनसे सम्पर्क स्थापित कर सकते थे कि इस पर चर्चा हो या न हो। दो घंटा कल चर्चा हुई, 2 घंटा आज के लिए है, बिला वजह यह समय क्यों नष्ट किया जाता। इससे तो संदेह होता है और एक ऐसा रास्ता खुल रहा है कि जो चीज स्टेट के परव्यू में होगी उस पर भी केन्द्र का हस्तक्षेप होगा। उसके लिये रास्ता खोला जा रहा है। अब अगर वह मजबूर हैं तो यह तो उनको थूक के चाटना है। अन्दरूनी रीजन्स हो सकते हैं। तो उस विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव रखें हम कहां मना कर रहे हैं।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, किसी कानून को रख देना, किसी बिल को सदन के सामने रख देना और उसके बाद उस पर चर्चा शुरू हो जाय और कई घंटे चर्चा हो जाय और उसके बाद स्थगित करना को कहा जाय तो यह जमहूरियत तकाजे के खिलाफ है। अगर यहां पर बिल रख दिया गया तो उस पर बहस पूरी होनी चाहिए। कल दो घंटे चर्चा हुई, शाम को साढ़े 7 बजे तक चर्चा हुई और आज उसको मुलतबी करने को कहा जाता है। "साफ छिपते भी नहीं, साफ आते भी नहीं।" तो क्या वजह है मान्यवर, जिस चीज के ऊपर बहस शुरू हो चुकी है, उसको चलने दिया जाय। अगर केन्द्र मे कोई ऐसा अध्यादेश आ गया है, तो आप उसको वापस ले लीजिए। यह तो मान्यवर, बड़े खेद की बात है। इससे तो समय बर्बाद हो रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात को सोचें और इस कानून को वापस ले लें, वरना उस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय, हमको भी तो सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय, ऐसा लगता है कि इस अध्यादेश और इस विधेयक को पास करने में उन्हें ज्यादा दिलचस्पी है । मेरा नम्र निवेदन यह था कि जो परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार इसे स्थगित कर देना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

माननीय, आपके आदेश से जेल जाना चाहते हैं कि केन्द्र के आदेश से ?

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय, चाहे हमारा आदेश हो, चाहे केन्द्र सरकार का हो, आदेश एक ही है ।

(व्यवधान)

अभी इस पर विचार करना मुनासिब नहीं है । अभी हमारी पूरी बात का पता नहीं है कि वहां पर क्या है, कैसा है । जिस वक्त मैं इस प्रस्ताव को रखूंगा, तो उस वक्त स्वागत होगा । लगता ऐसा है कि ये लोग चाहते हैं कि इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायें । मैंने सदन के दोनों पक्षों को सुना । विपक्ष की उत्सुकता को देखते हुए अब मैं मुनासिब समझता हूं कि सदन की राय ले ली जाय।

प्रश्न यह है कि कार्य सूची की मद संख्या 12 व 13 जो उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण अध्यादेश, 1980 के अननुमोदन के संकल्प तथा उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक, 1980 पर विचार के प्रस्ताव से सम्बन्धित है, पर होने वाले विचार को स्थगित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ ।
23 सितम्बर, 1980

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये नियम 35 के अन्तर्गत निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 700 पर)

घटना का विवरण—

श्री भगेलू हरिजन, साकिन हारीपुर, थाना कन्धारापुर, जनपद आजमगढ़ ने दिनांक 9–2–80 को थाने पर आकर तहरीरी सूचना दी कि उसके घर दिनांक 8/9–2–80 की रात (करीब 11 बजे रात मे) 10–12 डाकू, जो बम, बन्दूक, अस्त्रों से लैस थे, कोल्हू की खतरी से धक्का देकर उसकी दुकान का दरवाजा खोलकर मकान में घुस आये व फायरिंग करके बुरी तरह मारपीट कर उसे लूट लिया। शोर मचाने पर डाकुओं ने प्रार्थी तथा उसके घर के लोगों को बन्दूक के कुन्दों से बुरी तरह मारा तथा फायरिंग करते हुये लूटपाट कर भागने में सफल हो गये। वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपने तथा कतिपय साक्षियों द्वारा डकतों को पहचानना बतलाया व 2 व्यक्तियों को नामजद किया।

विधान परिषद

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित

प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 712 पर)

योजना का बिवरण

1--मुरादाबाद परिक्षेत्र का सृजन--मुरादाबाद, रामपुर एवं बिजनौर जनपदों के लिये पृथक से एक परिक्षेत्र का सृजन किया गया है।

2--पुलिस संगठन का सुदृढ़ीकरण--

(क) नागरिक पुलिस--वर्तमान थानों/चौकियों हेतु इन्सपेक्टर के 57, सब-इन्सपेक्टर के 1404, हेड कान्सटेबिल के 882 व कांसटेबिल के 8202 पद पर स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1979-80 एवं 1980-81 प्रत्येक वर्ष में 19 इन्सपेक्टर, 467 सब इन्सपेक्टर, 296 हेड कान्सटेबिल व 2770 कान्सटेबिलों के पदों का सृजन किया गया। शेष पद 1980-1982 में सृजित किए जायेंगे।

(ख) राजकीय रेलवे पुलिस--294 उप निरीक्षक, 285 हेड कान्सटेबिल व 2187 कान्सटेबिलों के अतिरिक्त पदों के चरणबद्ध रूप से सृजित करने का निर्णय लिया गया। इनमें से 155 उपनिरीक्षक, 166 हेड कान्सटेबिल व 1336 काम्सटेबिलों के पद इस वर्ष सृजित कर दिये गये हैं। शेष पद अगले वर्ष सृजित किये जायेंगे।

(ग) नये थानों एवं चौकियों की स्थापना--प्रदेश में 58 शहरी एवं 155 देहाती नये थानों व 50 रिपोर्टिंग एवं इन्वेस्टीगेटिंग की स्थापना का निर्णय लिया गया। इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 138 नये थाने 53 शहरी तथा 85 देहाती एवं 34 रिपोर्टिंग एवं इन्वेस्टीगेटिंग चौकियों की स्थापना की स्वीकृति दी जा चुकी है।

(घ) रिवर पुलिस--हरिद्वार एवं मुनकी रेती में नदी पुलिस (रिवर पुलिस) की स्थापना की गई है।

(च) अपराध शाखा का सुदृढ़ीकरण--1979-80 में दो पुलिस अधीक्षक, आठ पुलिस उपाधीक्षक, 32 इन्सपेक्टर, 6 अभियोजन अधिकारी व सहवर्ती स्टाफ का सृजन किया गया।

(छ) अभिसूचना विभाग का पुनर्गठन--चार पुलिस अधीक्षक, तीन पुलिस उपाधीक्षक, 11 निरीक्षक, 119 उप निरीक्षक, 11 हेड कान्सटेबिल व अन्य सहवर्ती स्टाफ का सृजन एवं साज-सज्जा की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

(ज) जिला मिनिस्ट्रीयल शाखा--15 सब इन्सपेक्टर (एम) ग्रेड-4, 202 सहायक सब इन्सपेक्टर (एम) व 45 कान्सटेबिल (एम) के पदों का सृजन किया गया।

(3) पुलिस की गतिशीलता में सुधार--कुल थानों के लिए जीप-गाड़ियां उपलब्ध कराने का निणय है। 220 जीपें 2 चरणों में स्वीकृति कर दी गई है। शष अगले 3 वर्ष में उपलब्ध कराई जायेगी।

(4) संचार व्यवस्था में सुधार—वर्ष 1979–80 में 35 जी0 आर0 पी0 थाने पर रेडियो वायरलेस को व्यवस्था की गई। नवसृजित 203 थानों पर भी चरणबद्ध रूप में वायरलेस की व्यवस्था की जायेगी। 12 अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक एवं 51 सर्किल अफसरों की गाड़ियों पर 1979–80 में रेडियो सेट की व्यवस्था कर दी गई है। प्रत्येक जनपदीय मुख्यालय को टेलीप्रिन्टर द्वारा जोड़ा जा रहा है। 9 जनपदों में टेलीप्रिन्टर स्थापित हो गये हैं।

5—पुलिस अभिलेखों का आधुनिकीकरण—शासन ने कम्प्यूटर की स्थापना का निर्णय लिया है। इसके लिए एक पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के अन्तर्गत वांछित न्यूक्लीयस स्टाफ को स्वीकृत किया है।

6—पुलिस प्रशिक्षण में सुधार—पुलिस कर्मिकों के प्रशिक्षण का स्तर ऊंचा करने के लिए प्रदेश शासन ने एक पुलिस महानिरीक्षक के पद का सृजन किया है। इसके अतिरिक्त उप निरीक्षकों के प्रशिक्षण हेतु एक अतिरिक्त पी0 टी0 सी0 एवं कान्सटेबिलों के प्रशिक्षण हेतु 18 अस्थायी रिक्रूट ट्रेनिंग सेन्टर की स्वीकृति दी जा चुकी है।

7—अधीनस्थ पुलिस जनों के कल्याण स्वीकृत योजनाओं का विवरण—

(1) पुलिस के कान्सटेबिल, हेड-कानिस्टेबिल सहायक उप निरीक्षक तथा रेडियो शाखा के सहायक आपरेटर एवं हेड आपरेटर को 1–6–79 से उच्च वेतनमान स्वीकृत किया गया।

(2) पुलिस मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कर्मचारी को कार्यकारी दल के समकक्ष स्तर के कर्मचारियों के समरूप वेतनमान 1–6–79 से स्वीकृत किया गया।

(3) पुलिस थानों पर नियुक्त बीट कान्सटेबिल व हेड कान्सटेबिल को साइकिल के क्रय हेतु 150 रु0 की सब्सिडी 1979–80 में स्वीकृत की जा चुकी है इसी प्रकार इनको 1979–80 में 4 रु0 प्रति माह की दर से साइकिल भत्ता भी स्वीकृत किया गया जो इस वर्ष 1980–81 में बढ़ाकर 10 रु0 प्रतिमाह कर दिया गया है।

(4) उप निरीक्षकों को दी जाने वाली मोटर साइकिल सब्सिडी 1,500 रु0 से बढ़ाकर 2,500 रु0 कर दिया गया है।

(5) उप निरीक्षकों को देय मोटर साइकिल एलाउन्स भी इस वर्ष 1980–81 में 30 रु0 से बढ़ कर 75 रु0 कर दिया गया है।

(6) कान्सटेबिल, हेड कान्सटेबिल, सब इन्सपेक्टर इन्सपेक्टर जिन्हें अपने राजकीय कार्य के सम्पादन हेतु वर्दीधारण करनी पड़ती है, को निम्नदरों से वर्दी धुलाई भत्ता गत वर्ष 1979–80 में स्वीकृत किया गया है:

(1)	कान्सटेबिल व हेड कान्सटेबिल	10 रु0 प्रतिमाह
(2)	सहायक उप निरीक्षक	12 ,,
(3)	उपनिरीक्षक	15 ,,

(7) पुलिस संगठन में नियुक्त ऐसे अराजपत्रित अधिकारी व कर्मचारी जो वित्तीय शनिवार, रविवार व राजपत्रित अवकाशों में कार्यरत रहने के कारण अन्य राजकीय कर्मचारियों की भांति छुट्टियों का उपभोग नहीं कर पाते, को एवज स्वरूप एक माह का अतिरिक्त वेतन की सुविधा गत वर्ष 1979–80 से स्वीकृत की गई है।

नत्थी 'ग'

(देखिये नियम 35 के अन्तर्गत निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 का उत्तर पीछे पृष्ठ 734 पर)

विवरण

अपराध	1-1-1980 से 30-6-1980
डकैती	5
हत्या	8
अपहरण	6
आगजनी	2

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये नियम 35 के अन्तर्गत निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 736 पर)

दिनांक 1-2-80 से 30-6-80 की अवधि में वाराणसी जिले के थानों के अन्तर्गत पंजीकृत डकैती की घटनाओं एवं उसमें कृत कार्यवाही का विवरण।

थाने का नाम	पंजीकृत अपराधों की संख्या			कृत कार्यवाही का विवरण		
	धारा 395/397 भ0 द0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत अपराधों की संख्या	धारा 396 भ0 द0 वि0 (क) के अन्तर्गत पंजीकृत अपराधों की संख्या	अपराधों की संख्या 'म' जिसमें विवेचना की गई	अपराधों की संख्या जिनमें भेजा गया आरोप-पत्र न्यायालय में विचाराधीन है	विवेचनाधीन अपराधों की (ख) संख्या	अंतिम रिपोर्ट
1 फूलपुर	1	1	2	1	1	..
2 संयदराजा	..	2	2	2	..	..
3 कैंट	..	1	1	1	..	..
4 भदोही	2	1	3	1	2	..
5 औराई	2	1	3	..	3	..
6 बतुआ	2	..	2	..	2	..
7 धानापुर	2	..	2	..	2	..
8 बड़ागांव	1	1	2	..	2	..
9 चकिया	4	1	5	..	5	..
10 चौबेपुर	5	..	5	1	4	..
11 अलीनगर	2	..	2	2	..	..
12 रामनगर	2	..	2	1	..	..
13 चन्दौली	..	1	1	..	..	..
14 चोलापुर	1	1	2	1	..	..
15 भीतपुर	1	..	1	1	..	..
16 रोहनिया	1	3	4	..	2	2

ग्राम ओदार थाना फूलपुर, खानपट्टी तथा इन्दरपुर थाना बड़ागांव वाराणसी में क्रमशः दिनांक 19/20-4-80, 12/13-4/80 तथा 21/22-5-80 को डकैती पड़ने की सूचना थाना फूलपुर व बड़ागांव पर दी गई जिसके संबंध में मुकदमें कायम किये गये। इनमें से ग्राम ओदार थाना फूलपुर में पड़ी डकैती की घटना से संबंधित अपराध अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपपत्र भेजा जा चुका है तथा शेष दो मामलों से संबंधित अपराधों की विवेचना प्रचलित है।

नत्थी 'ङ'

(देखिये नियम 35 के अन्तर्गत निर्धारित अतारांकित प्रश्न 55 का उत्तर पीछे पृष्ठ 738 पर)

थाना रौनापुर जनपद आजमगढ़ में 1 मार्च, 1977 से 31 मार्च, 1980 के बीच जिन व्यक्तियों को बन्दूक के लाइसेंस स्वीकृत किये गये हैं, उनकी सूची :—

क्रम-सं0	लाइसेन्सी का नाम व पता	शस्त्र का विवरण
1	2	3
1	श्री रामदेव पुत्र जद्दू ग्राम चक्की, हाजीपुर	दो नाली बन्दूक
2	श्री महातम सिंह पुत्र तिलकू सिंह, ग्राम फरीदपुर	एक नाली बन्दूक
3	श्री फूल चन्द्र पुत्र मंगल यादव, ग्राम रोशन गंज	दो नाली बन्दूक
4	श्री राम नवल यादव पुत्र जौहर यादव, ग्राम रोशनगंज	एक नाली बन्दूक
5	श्री राम अवध यादव पुत्र राजदेव यादव, सा0 चक्की हाजीपुर	एक नाली बन्दूक
6	श्री जगत नारायण यादव, पुत्र छतरी, ग्राम चक्की हाजीपुर	एक नाली बन्दूक
7	श्री सुख नन्दन चौहान पुत्र बद्री, सा0 हरनई गुल्ली गढ़	एक नाली बन्दूक
8	श्री राम हंस यादव पुत्र बाबू लाल यादव, सा0 ग्राम अरांजो अजगरा, मगबों	एक नाली बन्दूक
9	श्री दल सिंगार भारती पुत्र राम समुझ, ग्राम मठमोहन	दो नाली बन्दूक
10	श्री हरगेन पुत्र बड़ा, ग्राम हाजीपुर	एक नाली बन्दूक
11	श्री प्रभुनाथ यादव पुत्र सरबन यादव, सा0 गांगेपुर	एक नाली बन्दूक
12	श्री बलो राम यादव पुत्र भाई, ग्राम परसिया	एक नाली बन्दूक
13	उछाहल सिंह पुत्र मुनेश्वर सिंह, ग्राम परसिया	एक नाली बन्दूक
14	श्री कल्पनाथ पांडेय पुत्र पारसनाथ पांडेय, ग्राम हाजीपुर	एक नाली बन्दूक
15	श्री जय प्रकाश सिंह पुत्र जब्बर सिंह, ग्राम ननीजार	दो नाली बन्दूक
16	श्री ब्रह्मचारी सिंह पुत्र परमेश्वर सिंह, ग्राम भदोरा, मकरन्द	एक नाली बन्दूक
17	श्री शमीम अहमद पुत्र अली हुसेन, ग्राम चांद पट्टी	दो नाली बन्दूक
18	श्री हफीजुल्लाह पुत्र अब्दुल्लाह, ग्राम करमनो	दो नाली बन्दूक
19	श्री लाल चन्द यादव पुत्र सोहन यादव ग्राम, ओरा	दो नाली बन्दूक
20	श्री श्याम जी उपाध्याय पुत्र राम औतार उपाध्याय ग्राम बिहार	एक नाली बन्दूक
21	श्री जगन्नाथ पुत्र बल्ली, ग्राम देवारा जं गोपाल नायक	एक नाली बन्दूक
22	श्री राजनारायण पुत्र रामदास यादव ग्राम देवारा, अचलनगर	एक नाली बन्दूक
23	श्री राजदेव यादव पुत्र जद्दू यादव, ग्राम परसिया परसा केमारो की मंड़ई	एक नाली बन्दूक

विश्व नाथ प्रताप सिंह,
मुख्य मंत्री ।

नत्थी 'च'

(देखिये नियम 35 के अन्तर्गत निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 66 का उत्तर पीछे पृष्ठ 740 पर)

नियुक्त अधिकारी का नाम	शैक्षिक योग्यता	पद नाम	तैनाती की अवधि
1--श्री पी0 सी0 कक्कड़, आई0 पी0 एस0,	बी0 एस-सी0, एल0 एल0 बी0	निदेशक	6-2-1979 से 17-10-1979
2--श्री प्रकाश सिंह, आई0 पी0 एस0	एम0 ए0 (हिन्दी)	,,	18-10-1979 से 17-3-1980
3--श्री ईश्वर चन्द्र द्विवेदी, आई0 पी0 एस0	एम0 एस-सी0	,,	25-3-1980 से अब तक
4--श्री प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव पी0 पी0 एस0		कम्प्यूटर अधिकारी	16-5-1979 से अब तक
6--श्री ओम प्रकाश गर्ग, पी0 पी0 एस0		,,	24-4-1980 से अब तक

इन अधिकारियों के कम्प्यूटर क्षेत्र की विशेष प्रशिक्षण के विवरण अधोलिखित हैं :--

1--श्री पीयूष चन्द्र कक्कड़ आई0 पी0 एस0	आई0 आई0 पी0 ए0, नई दिल्ली संचालित कोर्स आन कम्प्यूटर एण्ड मैनेजमेन्ट	15-11-1978 से 25-11-1978 तक
	(2) डी0 सी0पी0 सी0 नई दिल्ली द्वारा संचालित तृतीय कोर्स आन सिस्टम एनैलिसिस	20-8-1979 से 31-8-1979 तक
2--श्री प्रकाश सिंह, पुलिस उप महा-निरीक्षक	डी0 सी0 पी0 सी0 नई दिल्ली द्वारा संचालित आठवां कोर्स आन कम्प्यूटर एप्रीशियेशन	15-1-1980 से 25-1-1980 तक
	(2) आई0 आई0 पी0 ए0 नई दिल्ली द्वारा तृतीय सेमिनार उच्च स्तरीय अधिकारियों के लिये मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टिम	13-2-1980 से 23-2-1980 तक
3--श्री पी0 पी0 श्रीवास्तव, पुलिस उप अधीक्षक	प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज कोर्स, डी0 सी0 पी0 सी0, नई दिल्ली में	28-8-1978 से 7-10-1978 तक
	(2) तृतीय कोर्स आन कम्प्यूटर-सेंटर, मैनेजमेन्ट और डाटा कम्युनिकेशन, डी0 सी0पी0 सी0, नई दिल्ली	29-7-1980 से 8-8-1980 तक

श्री ईश्वर चन्द्र द्विवेदी, वर्तमान निदेशक को आई0 आई0 पी0 ए0, नई दिल्ली, में दिनांक 20-8-1980 से 30-8-1980 तक होने वाले एक कम्प्यूटर कोर्स के लिये नामित किया गया है ।

नत्थी 'छ'

[देखिये नियम 35 के अन्तर्गत निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 71 का उत्तर पीछे पृष्ठ 741 पर]

पुलिस तथा डकैतों के बीच दिनांक 1-1-1980 से 30-6-1980 तक हुए मुठभेड़ का विवरण जनपद देवरिया :

नाम थाना	संख्या मुठभेड़	नाम स्थान जहां पुलिस तथा डकैतों में मुठभेड़ हुआ	सं0 डकैत जो जान से मारे गये	नाम पता डकैत जो जान से मारे गये
1	2	3	4	5
खुखुन्दू	1	ग्राम मटपुरवा उर्फ मुजहना	2	1 राजेन्द्र पुत्र लक्ष्मी चौबे सा0 तनुवा चौबे थाना खुखुन्दू जिला, देवरिया । 2 मृतक डकैत नाम पता अज्ञात ।
रामपुर कारखाना	1	1—ग्रा0 गौर कोठी	1	1 छटठू उर्फ किशुन दयाल पुत्र नन्दन नोनिया सा0 अमारी भांगर थाना हाटा, देवरिया ।
मटनी	2	1—ग्रा0 बेहरापुर, डाबर	..	..
		2—ग्रा0 बीरपुर, सिंहपुर	..	..

सलेमपुर	2	1—ग्रा0 रोहनियां पिपरा	..	..	
		2—ग्रा0 नादषाट	..	..	
लार	1	ग्रा0 राउतपार अमेठीया	..	..	
खामपार	2	1—ग्रा0 परोहा	1	1	(परमहंस पुत्र जिवावन सा0 खरोनी थाना मीरगंज, जिला गोपालगंज (बिहार)
		2—ग्रा0 किहुनियां	..	..	
बनकटा	2	1—ग्राम चन्दाचक	..	..	
		2—ग्रा0 रामपुर बाजार	1		राम सरीखा पुत्र जगन नोनिया सा0 मईल थाना लार, देवरिया ।
पटहे सा	2	1—ग्रा0 नकटहा मिश्र उर्फ हरिहर छपरा	2	1	राधेश्याम उर्फ लम्बू यादव, सा0 गजरा थाना गगहा, जिला गोरखपुर ।
				2	रमाशंकर उर्फ शंकर यादव सा0 परसीना थाना रामपुर कारखाना, देवरिया ।
तरयासुजान	2	1—ग्राम पिपरी मुश्तकीम	..	..	
		2—ग्रा0 दोकाठ	..	..	

1	2	3	4	5
पड़रौना	1	ग्रा0 जंगल खिरिकिया	..	..
रामकोला	1	ग्रा0 कुसम्हां	1	हुल्लड़ पुत्र भोला खटिक सा0 देवरिया बाबू थाना रामकोला, देवरिया ।
खड्डा	1	ग्रा0 देवा	2	1 जगत उर्फ साधू पुत्र विक्रम बोतदीन सा0 जूड़ी पकड़ी थाना–बगहा जिला–पश्चिमी चम्पारन (बिहार) ।
				2 रामदेव उर्फ रामजी पुत्र बिल्लर यादव सा0 नरायनपुर थाना बगहा जिला पश्चिमी चम्पारन (बिहार) ।
बिशुनपुरा	1	ढाढ़ीमार	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये नियम 35 के अन्तर्गत निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 75 का उत्तर पीछे पृष्ठ 742 पर)

बस्ती जनपद की डुमरियागंज तहसील की ग्राम सभाओं के नाम जिनको हरिजन बस्ती विद्युतीकरण इस वर्ष (1980-81) में किये जाने की योजना है

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	टिप्पणी
1	बरगदवा	इस हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण, कर दिया गया है
2	पठखौली	
3	चौकनिया	
4	चचरफ बुजर्ग	इन हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है।
5	पोखर भिटवा	
6	धनघरा	
7	कठेला सरकी	
8	औरहवा	
9	नाथ चौरी	
10	बरगहवा	
11	राजपुर जनूबी	
12	बगहवा	
13	महादेव गजपुर	
14	बड़हरा विशुनपुर	
15	नावडीह	
16	सिगार जोत मुस्तहकम	
17	किशनपुर औरंगाबाद	
18	वेतनार मुस्तहकम	
19	वीरपुर जोत फदेह मुहम्मद (ऐहतमाली)	
20	बैनियां	
21	रमवापुर जगतराम	
22	सेखुई ताज	
23	बिलवन्त	
24	खोरिया	

नत्थी 'झ'

(देखिये नियम 35 के अन्तर्गत निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 119 का उत्तर पीछे पृष्ठ 746 पर)

संलग्नक 'प्रथम'

गोरखपुर

दिनांक	उच्चतम उत्पादन मेगावाट में
1-6-80	4.2
2-6-80	4.0
3-6-80	4.5
4-6-80	4.7
5-6-80	4.5
6-6-80	4.3
7-6-80	4.5
8-6-80	3.5
9-6-80	3.0
10-6-80	5.1
11-6-80	4.5
12-6-80	2.5
	49.8

गोरखपुर पावर स्टेशन का उत्पादन दिनांक 18-6-80 से 18-7-80 संलग्नक द्वितीय में दर्शाया गया है

संलग्नक द्वितीय

दिनांक	उच्चतम उत्पादन मेगावाट में
18-6-80	4.5
19-6-80	4.5
20-6-80	9.0
21-6-80	9.0
22-6-80	9.0

दिनांक	उच्चतम उत्पादन मेगावाट में
23-6-80	8.7
24-6-80	7.5
25-6-80	6.0
26-6-80	4.0
27-6-80	4.2
28-6-80	6.0
29-6-80	6.5
30-6-80	6.5
1-7-80	6.8
2-7-80	7.0
3-7-80	6.4
4-7-80	5.6
5-7-80	8.0
6-7-80	8.0
7-7-80	5.0
8-7-80	3.0
9-7-80	3.5
10-7-80	4.5
11-7-80	4.5
12-7-80	4.5
13-7-80	4.5
14-7-80	9.0
15-7-80	8.0
16-7-80	7.2
17-7-80	4.2
18-7-80	3.9
	191.0

नत्थी 'ब'

(देखिये नियम 35 के अन्तर्गत निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 120 का उत्तर पीछे पृष्ठ 747 पर)

वर्ष 1978-79 (1-4-78 से 31-3-79 तक)

(अ)--थाना इटवा

थाना इटवा में दिनांक 19-9-78 को 2,300 रु0 का विदेशी कपड़ा समीउल्ला साकिन मटेला जिला गोण्डा के कब्जे से बरामद करके मामले को नियमानुसार कस्टम विभाग को 20-9-78 को सौपा गया ।

(ब)--थाना ढेबरुवा

थाना ढेवरुवा में दिनांक 6-6-78 को 850 रु0 का विदेशी कपड़ा सुभाष व जगदीश पुत्रगण जगप्रसाद साकिनान खैरर बनिया व एक रामचन्दर का लड़का साकिन ओदहो जिला बस्ती के कब्जे से बरामद हुआ तथा कस्टम विभाग को सौपा गया । दिनांक 26-6-78 को 585 रु0 का विदेशी कपड़ा छोटू साकिन भटगवां थाना डुमरियागंज के कब्जे से बरामद हुआ और कस्टम विभाग को सौपा गया । दिनांक 13-7-78 को 467 रु0 का विदेशी कपड़ा सालिक राम साकिन खुनीपुर थाना कोतवाली व बोरेन्द्र सिंह साकिन असुरन जिला गोरखपुर के कब्जे से बरामद किया गया और कस्टम विभाग को सौपा गया । दिनांक 27-7-78 को 480 रु0 का विदेशी कपड़ा अजमत जिला गोण्डा के कब्जे से बरामद किया गया जो उसी दिन कस्टम विभाग को सौपा गया । दिनांक 12-8-76 को 2,359 रु0 का विदेशी कपड़ा अब्दुल सलाम साकिन खडसरी जिला बस्ती के कब्जे से बरामद करके कस्टम विभाग को सौंपा गया । दिनांक 22-8-78 को 600 रु0 का विदेशी कपड़ा अवधनरेश मु0 पूरब टोला, बलरामपुर, जिला गोण्डा से बरामद करके मामला कस्टम विभाग को सौपा गया । दिनांक 11-9-78 को 415 रु0 का विदेशी कपड़ा श्यामलाल साकिन बिरउपुर जिला बस्ती तथा राम सहाय ग्राम डारीडोह जिला बस्ती के कब्जे से बरामद करके मामला कस्टम विभाग को सौपा गया । दिनांक 28-9-78 को 350 रु0 का विदेशी कपड़ा हरीराम साकिन दरौली जिला बस्ती के कब्जे से बरामद करके मामला कस्टम विभाग को सौपा गया । दिनांक 5-11-78 को 200 रु0 का विदेशी कपड़ा रामउजागर सिंह साकिन हस्तनगर बिसेन, जिला गोण्डा के कब्जे से बरामद करके मामला उसी दिन कस्टम विभाग को सौपा गया । दिनांक 20-4-78 को 4 कि0 ग्रा0 गांजा मूल्य 1,200 रु0 परमात्मा प्रसाद साकिन आधकुंवां जिला बस्ती के कब्जे से बरामद किया गया और इस सम्बन्ध में अभियोग अपराध संख्या 73/78 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी ऐक्ट पर पंजीकृत किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है । दिनांक 30-5-78 को 3,210·60 रु0 की 16 बोरे चीनी श्री जय जय राम साकिन सुरजी जिला बस्ती के कब्जे से बरामद करके अभियोग अपराध संख्या 90/78 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम पंजीकृत किया गया और मामला न्यायालय में विचाराधीन है । दिनांक 14 दिसम्बर, 1978 को 1,200 रु0 मूल्य का 4 कि0 ग्रा0 गांजा अजगर साकिन पनिकौरा, जिला बस्ती के कब्जे से बरामद किया गया और धारा 60 आबकारी ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोग अपराध संख्या 185/78 पर पंजीकृत किया गया और मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है । दिनांक 13 जनवरी, 1979 को

6,000 रु0 का 20 कि0 ग्रा0 गांजा इन्द्र साकिन पखउथि जिला बस्ती के कब्जे से बरामद किया गया और धारा 60 आबकारी ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोग अपराध संख्या 8/79 पर पंजीकृत किया गया, मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। दिनांक 26 जनवरी, 1979 को 4,500 रु0 मूल्य का 15 कि0 ग्रा0 गांजा बसीर अहमद, ग्राम सकरी कुइयाँ जिला गोंडा के कब्जे से बरामद किया गया और धारा 60 आबकारी ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोग अपराध संख्या 11/79 पर पंजीकृत किया गया मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। दिनांक 15 फरवरी, 1979 को 1,500 रु0 मूल्य का 5 कि0 ग्रा0 गांजा जंग बहादुर उर्फ जग्गू साकिन थाना पचपेड़वा जिला गोंडा के कब्जे से बरामद किया गया और धारा 60 आबकारी ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोग अ0 सं0 26/79 पर पंजीकृत किया गया मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। दिनांक 17 मार्च, 1979 को 1,200 रु0 मूल्य का 4 कि0 ग्रा0 गांजा श्रीराम साकिन मटिहवा, जिला बस्ती के कब्जे से बरामद करके धारा 60 आबकारी ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोग अ0 सं0 47/79 पर पंजीकृत हुआ मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

वर्ष 1979-80 (1 अप्रैल, 1979 से 31 मार्च, 1980 तक)

(अ)—थाना इटवा

थाना इटवा में इस अवधि में 43,700 रु0 मूल्य के विदेशी कपड़ा, दिनांक 20 मार्च, 1980 को (1) जगदीश पांडेय साकिन कनेटी जिला आजमगढ़ (2) आफताफ साकिन रानी सराय जिला आजमगढ़ (3) राधेश्याम साकिन औदही कला जिला बस्ती (4) बरसाती साकिन बढ़नी जिला बस्ती तथा (5) मोहम्मद जैद साकिन रानी सराय जिला आजमगढ़ जो इसको एक एम्बेस्डर कार द्वारा ले जा रहे थे, के कब्जे से बरामद करके मामला उसी दिन कस्टम विभाग को सौंप दिया गया।

(ब)—थाना ढेबरुवा—

थाना ढेबरुवा में इस वर्ष में 52,611 रु0 का विदेशी कपड़ा पकड़ा गया विवरण निम्नवत् है :—

दिनांक 18 अप्रैल, 1979 को 240 रु0 का लावारिस विदेशी कपड़ा बरामद किया गया जो उसी दिन कस्टम विभाग को सौंपा गया। दिनांक 12 जुलाई, 1979 को 5,570 रु0 का लावारिस विदेशी कपड़ा बरामद किया गया जो उसी दिन कस्टम विभाग को सौंपा गया। दिनांक 27 जुलाई, 1979 को 48,885 रु0 का लावारिस विदेशी कपड़ा बरामद हुआ और उसी दिन कस्टम विभाग को सौंपा गया। दिनांक 12 अगस्त, 1979 को 1,189 रु0 का विदेशी कपड़ा महेन्द्र सिंह आदि के कब्जे से बरामद हुआ और उसी दिन कस्टम विभाग को सौंपा गया। दिनांक 11 अक्तूबर, 1979 को 427 रु0 का विदेशी कपड़ा अजय कुमार अवधेश साकिन डुमरी जिला गोंडा बरसाती साकिन कर्नेलगंज जिला गोंडा के कब्जे से बरामद हुआ और उसी दिन कस्टम विभाग को सौंपा गया। दिनांक 14 अक्तूबर, 1979 को 1,200 रु0 का विदेशी कपड़ा और 300 रु0 का कलकुलेटर राजाराम तिवारी जिला सुल्तानपुर के कब्जे से बरामद किया गया और उसी दिन कस्टम विभाग को सौंपा गया। दिनांक 10 मार्च, 1980 को 2,800 रु0 की विदेशी घाड़ियां लावारिस बरामद हुई और उसी दिन कस्टम विभाग

को सौंप दी गई । दिनांक 30 अप्रैल, 1979 को 2,400 रु0 मूल्य का 8 कि0 ग्रा0 गाँजा गिरीश चन्द्र साकिन खरहनिया, जिला बस्ती के कब्जे से बरामद किया गया और धारा 60 आबकारी ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोग अ0 सं0-69/79 पर पंजीकृत किया गया मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है । दिनांक 24 मई, 1979 को 3,000 रु0 मूल्य का 10 कि0 ग्रा0 गाँजा जितेन्द्र नाथ, जिला बस्ती के कब्जे से बरामद हुआ और 60 आबकारी ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोग अपराध सं0 88/79 पर पंजीकृत किया गया मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है । दिनांक 19 सितम्बर, 1979 को 74.16 रु0 मूल्य का 36 लीटर डीजल शिवरतन व रामलखन साकिन जितपुर राज्य नेपाल के कब्जे से बरामद किया गया और धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग अपराध संख्या 149/79 पर पंजीकृत किया गया मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।

(स)-थाना सोनहा--

थाना सोनहा म इस वर्ष 360 रु0 का विदेशी कपड़ा जो मोटर साइकिल द्वारा ले जाया जा रहा था, दिनांक 23 जनवरी, 1980 को अलीहुसेन साकिन बढेवा जिला बस्ती व खलिक साकिन उकडहवा जिला बस्ती के कब्जे से बरामद हुआ और मामला कस्टम विभाग के सुपुर्द किया गया ।

नत्थी 'ट'

(देखिये, अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 756 पर)

परिशिष्ट—अ

अल्मोड़ा मैंगनेसाइट लिमिटेड

(अंशक धारकों की सूची)

अंशक धारक का नाम	धारित अंशक 100 रु0 के प्रत्येक अंशकों की संख्या
1	2	3
	रु0
1—मेसर्स उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, 117/130, सर्वोदयनगर, कानपुर	57,396
2—मेसर्स वेलपहार रिफैक्ट्रीज लि0, पो0 आ0 वेलपहार, एस0 ई0 रेलवे (उडीसा) पिन—768218	54,593
3—मेसर्स स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि0, हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, के0 जी0 मार्ग, नई दिल्ली	28
4—श्री पी0 आर0 चाकी रिफैक्ट्रीज कन्सल्टैन्ट, फ्लोर—9, एस0 एन0 सारोवार, 102, सदर्न एवेन्यू, कलकत्ता—700029	1
5—श्री टी0 एन0 भाटिया, प्रोजेक्ट मैनेजर, उत्तर प्रदेश, राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, 117/130, सर्वोदयनगर, कानपुर	1
6—श्री डी0 पी0 खारिया, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, टाटा आयरन एण्ड स्टील कं0 लि0, जमशेदपुर—831001	1
7—श्री बी0 कृष्ण मूर्ति, 2वी स्वाजीवन अपार्टमेन्ट, 209 राजमहर विलास एक्स्टेन्शन, बंगलौर—6	1
8—श्री एस0 के नानवती, बंगला नं0 1—बी, नीलडीह रोड, गोलमुरी, पो0 आ0 जमशेदपुर—831003	1

1	2	3
		रु0
9—	श्री एस0 ए0 टी0 रिजवी, आई0 ए0 एस0, एम0डी0, उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, 117/130, सर्वोदयनगर, कानपुर	1
10—	श्री सुरेन्द्र सिंह, आई0 ए0 एस0, आयुक्त एवं सचिव, कारागार एवं नागरिक सुरक्षा, उ0 प्र0, सचिवालय, लखनऊ	1
11—	श्री वी0 जे0 मुर्थी, सचिव एवं इक्जीक्यूटिव प्रिंसिपल आफिसर, बेलपहार रिफैक्ट्रीज लि0, जमशेदपुर—831001	1
12—	डा0 एस0 एस0 घोष, इक्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन, वेलपहार रिफैक्ट्रीज लि0, टाटा सेन्टर, ग्यारहवां तल, 43—चौरिंगी रोड, कलकत्ता	1
13—	श्री रवी प्रकाश आई0 ए0 एस0 एम0 डी6, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम—बी—52, मन्दिर मार्ग, महानगर, विस्तार, लखनऊ	1
14—	श्री आर0 एन0 भागव, निदेशक एवं समान्य प्रबन्धक अल्मोड़ा मैगनेसाइट लि0, अल्मोड़ा	1

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 756 पर)

परिशिष्ट ब

विभिन्न अंशक धारकों को लाभांश का भुगतान

100 रु0 प्रत्येक के सामान्य अंशक

अंशक धारक का नाम	धारित अंशकों की संख्या	लाभांश का भुगतान रु0 में
1	2	3
		रु0
1--मेसर्स उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, 117/130, सर्वोदयनगर, कानपुर	57,396	5,73,960
2--मेसर्स वेलपहार रिफैक्ट्रीज लि0, पो0 आ0 वेलपहार, एस0 ई0 रेलवे, (उड़ीसा) पिन--768218	54,593	5,45,930
3--मेसर्स स्टील एथारिटी आफ इंडिया लि0, हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, के0 जी0 मार्ग, नई दिल्ली	28,000	2,80,000
4--श्री पी0 आर0 चाको, रिफैक्ट्रीज कन्सल्टन्ट फ्लोर-9, एस0 एन0 सारो-वार, 102, सदर्न एवेन्यू कलकत्ता--700029	1	10
5--श्री टी0 एन0 भाटिया, प्रोजेक्ट मैनेजर, उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, कानपुर	1	10
6--श्री डी0 पी0 खारिया, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि0, जमशेदपुर--831001	1	10
7--श्री वी0 कृष्ण मूर्ति, 2वी सवाजीवन अपसर्टमेन्ट, 219, राजमहार, विलास एक्सटेन्शन, बंगलोर--6	1	10
8--श्री एस0 के0 नानावती, बंगला नं0 1-बी, नीलडीह रोड, गोलमुरी, पो0 आ0 जमशेदपुर--831003	1	10

1	2	3
		रु0
9—श्री एस0 ए0 टी0 रिजवी, आई0 ए0 एस0, एम0 डी0, उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, 117/130, सर्वोदयनगर, कानपुर	1	10
10—श्री सुरेन्द्र सिंह, आई0 ए0 एस0, आयुक्त एवं सचिव, कारागार एवं नागरिक सुरक्षा, उ0 प्र0 सचिवालय, लखनऊ	1	10
11—श्री बी0 जे0 मुर्ति, सेक्रेट्री एवं इक्जीक्यूटिव प्रिंसिपल, आफिसर, वेलपहार रिफैक्ट्रीज लि0, जमशेदपुर—831001	1	10
12—डा0 एस0 एस0 घोष, इक्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन, वेलपहार रिफैक्ट्रीज, लि0, टाटा सेन्टर, ग्यारहवां तल, 43, चौरिंगी रोड, कलकत्ता	1	10
13—श्री रवी प्रकाश, आई0 ए0 एस0, एम0 डी0, उ0 प्र0 राज्य खनिज विकास निगम, बी-52, मन्दिर मार्ग, महानगर विस्तार, लखनऊ	1	10
14—श्री आर0 एन0 भार्गव, निदेशक एवं सामान्य प्रबन्धक, अल्मोड़ा मैगनेसाइट लि0, अल्मोड़ा	1	10

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 30 का उत्तर पीछे पृष्ठ 759 पर)

सूची

नैपियर रोड कालोनी टाइप–2 के आवासों का आबंटन

विभागीय आवंटन की सूची

क्रमांक	विभाग का नाम	आवंटित आवासों की संख्या
1	उत्तर प्रदेश सचिवालय	55
2	सार्वजनिक निर्माण विभाग	6
3	शिक्षा विभाग	1
4	पशुधन निदेशालय	2
5	पुलिस एवं अपराध अनुसंधान विभाग	4
6	लघु सिंचाई	1
7	कृषि विभाग	4
8	परिवहन विभाग	1
9	चिकित्सा विभाग	2
10	प्रशासनिक न्यायाधिकरण	1
11	आबकारी विभाग	1
12	मत्स्य निदेशालय	1
13	वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय	3
14	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	1
15	जिला जज एवं जिलाधिकारी कार्यालय	2
16	सिंचाई विभाग	1
17	सूचना विभाग	1
18	राजकीय फल संरक्षण संस्थान	1
19	पंचायती राज निदेशालय	1
20	गन्ना आयुक्त कार्यालय	1
21	चकबन्दी आयुक्त कार्यालय	1
22	एन० सी० सी० निदेशालय	1
23	राज्य नियोजन संस्थान	1
24	जिला गजेटियर्स कार्यालय	1
25	श्रम विभाग	1
26	विस्थापित एवं अन्य	1
	योग ..	96

नत्थी 'ढ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 759 पर) ।

घटना का विवरण—

दिनांक 6/7-7-80 की रात्रि में श्री जगदीश पाठक, थानाध्यक्ष, दुधारा, जिला बस्ती ने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ अपनी गश्त के दौरान लगभग 2 बजे मौजा छितरापार व मुडिलाखुर्द की सीमा पर एक आम के पेड़ में कुछ आहट महसूस की । टार्च जलाने पर तीन व्यक्ति बैठे दिखायी दिये । टोकने पर उनमें से एक व्यक्ति ने फायर कर दिया जिससे थानाध्यक्ष को चोटें आयीं । दुबारा चेलेन्ज करने पर अन्य दो व्यक्ति भी आक्रामक हो उठे और पुलिस के लिये प्राण संकट उपस्थित हो गया । आत्म सुरक्षा में पुलिस ने भी गोली चलायी । फायर बन्द होने पर जनपद बस्ती का कुख्यात डकैत राम-चन्दर मरा हुआ पाया गया और 2 अन्य भाग गये थ ।

नत्थी 'अ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 760 पर)

1—बालिकाओं के जूनियर हाई स्कूल की आवश्यकता :—

क्र० सं०	ग्राम का नाम	जनसंख्या	ग्राम में वर्तमान विद्यालय	नवीन विद्यालय की संभावनायें
1	2	3	4	5
		विकासखंड बड़ागांव		
1	दादूपुर	2241	प्रा० पा० बालक जू० हा० स्कूल बालक	बालिका ज० हा० स्कूल
2	ताड़ी	763	प्रा० पा० बालक प्रा० बालिका	बालिका जू० हा० स्कूल
		विकासखंड पिंडरा		
1	रसूलपुर	1694	प्रा० पा० बालक जू० हा० स्कूल बालक	बालिका जू० हा० स्कूल
2	हिरामनपुर	1278	प्रा० पा० बालक, प्रा० पा० बालिका जू० हा० स्कूल बालक	बालिका जू० हा० स्कूल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
3	भरथना	998	प्रा0 पा0 बालक जू0 हा0 स्कूल बालक	बालिका जू0 हा0 स्कूल

2--बालिकाओं के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की आवश्यकता :—

विकास खंड बड़ागांव

1	अनेई	1150	प्रा0 पा0 बालक जू0 हा0 बालक बालिका क्रमो0 विद्यालय	उ0 मा0 वि0 बालिका उ0 मा0 विद्यालय
2	बड़ागांव	4769	प्रा0 पा0 बालक प्र0 पा0 बालिका जू0 हा0 स्कूल बालक प्रा0 बालिका इंटर कालेज बालक	बालिका उ0 मा0 विद्यालव
3	कठिरांव	4535	प्रा0 पा0 बालक प्रा0 पा0 बालिका इंटर कालेज बालक	बालिका उ0 मा0 विद्यालय

विकास खंड पिंडरा

1	मंगारी	1759	प्रा0 पा0 बालक प्रा0 पा0 बालिका जू0हा0 स्कूल बालक जू0 हा0 स्कूल बालिका इंटर कालज बालक	बालिका उ0 मा0 विद्यालय
2	पिण्डरा	6412	प्रा0 पा0 बालक प्रा0 पा0 बालिका जू0 हा0 स्कूल बालक, जू0 हा0 स्कूल बालिका इन्टर कालेज बालक	बालिका उ0 मा0 विद्यालय
3	सिन्धोरा	2890	प्रा0 पा0 बालक प्रा0 पा0 बालिका जू0हा0 स्कूल बालक क्रमो0 विद्यालय बालिका	बालिका उ0 मा0 विद्यालय

नवीन विद्यालय खोलने के निमित्त विभागीय आदेश निर्गत होने पर बालिकाओं के जूनियर हाई स्कूल खोले जा सकते हैं। जहां तक बालिकाओं के उ0 मा0 वि0 खोलने का प्रश्न है वे संस्थायें व्यक्तिगत प्रबंध समितियां तथा जिला परिषद् द्वारा संचालित की जा सकती हैं। जिला परिषद् द्वारा कतिपय बालिकाओं के उ0 मा0 वि0 खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें पिंडरा तथा मंगारी ग्राम भी सम्मिलित है।

3—उर्दू शिक्षा की व्यवस्था :—

वर्तमान स्थिति में यदि पूरे स्कूल में 40 तथा किसी एक कक्षा में 10 छात्र उर्दू पढ़ने के इच्छुक हों तो उर्दू की शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों म स्थित प्राइमरी स्कूलों के लिए उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर उर्दू अध्यापक ग्रामीण प्राइमरी स्कूलों में भी नियुक्त किये जा सकते हैं। पिंडरा विकास खंड के पिंडरा, थानेरामपुर, सिंधोरा, गड़खड़ा, सरायशेख लार्ड, झारी झंझौर, हिरामनपुर, नदोय तथा ऊदपुर में स्थित प्राइमरी स्कूलों में उर्दू मातृभाषा वाले छात्र नहीं हैं किंतु इन स्थानों पर मुस्लिम जनसंख्या होने के कारण उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था होने पर उर्दू पढ़ने वाले छात्र मिल सकते हैं।

बड़ागांव विकास खंड में ग्राम बाठपुर, कूड़ी, नेवादा तथा बड़ागांव में मक्तब चल रहे हैं जहां उर्दू की शिक्षा दी जाती है। विभागीय प्रावधान होने पर बाठपुर, कूड़ी, नेवादा, बड़ागांव कुवार तथा कठिरांव में स्थित प्राइमरी स्कूलों में उर्दू अध्यापक रखे जा सकते हैं।

4—प्राइमरी स्कूलों की आवश्यकता :—

क्रमांक	ग्राम का नाम	जनसंख्या	विवरण
1	2	3	4
		पिंडरा	
1	मरूई	2836	प्राइमरी विद्यालय की आवश्यकता
2	शाहपुर गिरधालपुर	1067	तदेव
3	अजईपुर	538	कन्या प्राइमरी स्कूल है
4	जयापुर	548	प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है
5	रामनगर	785	तदेव
6	असवालपुर	670	तदेव

1	2	3	4
		बड़गांव	
1	कुसुमरा	840	प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है
2	लखमीपुर	1293	तदेव
3	धनंजयपुर	895	तदेव
4	सिसवा	944	तदेव
5	पचरासी	679	तदेव
6	कविरामपुर	832	तदेव
7	फतेपुर	867	तदेव
8	भरथरा	387	प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता नहीं है

नवीन विद्यालय खोलने के लिये विभागीय आदेश प्राप्त होने पर इन स्थानों पर नवीन प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं ।

सत्य प्रतिलिपि

ह० (ओम प्रकाश श्रीवास्तव),

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

वाराणसी ।

ह० (दयानिधि मिश्र),

उप विद्यालय निरीक्षक,

वाराणसी ।

नत्थी 'त'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 97 का उत्तर पीछे पृष्ठ 782 पर)।

विवरण सूचो

ब्राह्मण--4, आरख--3, लोध--5, केवट--3, चमार--5, कुर्मी--2, कुम्हार--1, मुसलमान--2 व अज्ञात--1 ।

संसद सदस्य

पी० एस० यू० पी०--46 वि० सभा--29-9-81--835--(पी० डी०)